

वीर सेवा मन्दिर
दिल्ली

★

४४२०

क्रम सन्ख्या

२४ विनोबा

काल न०

खण्ड

विनोबा के विचार

[दूसरा भाग]



१९५२

सस्ता साहित्य मण्डल-प्रकाशन

प्रकाशक
मार्तण्ड उपाध्याय, मन्त्री
सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्ली

सर्वाधिकार
ग्राम-सेवा-मंडल, वर्धा
द्वारा सुरक्षित

तीसरी बार १९५२

मूल्य
दो रूपए

मुद्रक
रामप्रताप त्रिपाठी
सम्मेलन मुद्रणालय, प्रयाग

प्रकाशकीय निवेदन

सन् १९४१ में जब श्री विनोबा व्यक्तिगत सत्याग्रहके प्रथम सत्याग्रहीके रूपमें दुनियाके सामने आये तब उनकी प्रसिद्धि महाराष्ट्र और गुजरातके बाहर बहुत थोड़ी थी। उसी समय उनके विचारोके संग्रहका पहला भाग 'मडल' ने प्रकाशित किया था। उसका पहला संस्करण जरा देर से बिका। पर ज्यो-ज्यो लोग श्री विनोबाजीके मौलिक, सात्विक और लोक-हितकारी विचारोसे परिचित होते गये त्यो-त्यो उनके साहित्यकी माँग बढती गई और पहले भागका दूसरा और तीसरा संस्करण हुआ। अब तो तीसरा संस्करण भी खतम होनेको है। इधर दूसरा भाग भी प्रकाशित करनेका आग्रह पाठकोकी ओरसे होने लगा। कागजके नियन्त्रणमें कुछ सुविधा होते ही यह दूसरा भाग पाठकोकी सेवामे उपस्थित किया जा रहा है। इसमे अधिकतर लेख मराठी 'ग्राम-सेवा-वृत्त' तथा हिन्दी 'सर्वोदय', वर्षसे लिये गए हैं।

इस संग्रहको प्रकाशित करनेकी अनुमति देनेके लिए वर्षाके 'ग्राम-सेवा-मडल' के हम बहुत आभारी हैं।

—मन्त्री

तीसरा संस्करण

हिन्दीके पाठक विनोबाजीके विचारोसे इतने प्रभावित होने लगे हैं कि उनके साहित्यकी माँग निरन्तर बढती जा रही है। 'विनोबाके विचार' के दूसरे भागका यह तीसरा संस्करण है। पुस्तकका तीसरा भाग भी तैयार हो रहा है। आशा है, जल्दी ही उसे पाठकोकी भेट कर सकेंगे।

—मन्त्री

विषय-सूची

	पृष्ठ
१. जीवनकी तीन प्रधान बातें	७
२. ऋषि-तर्पण	१०
३. निवृत्त-शिक्षण	१६
४. चार पुरुषार्थ	२८
५. परशुराम	४६
६. चिर-तारुण्यकी साधना	५०
७. गृत्समद	५८
८. ग्रामलक्ष्मीकी उपासना	६२
९. आत्माकी भाषा	७६
१०. सरकारकी चुनौतीका जवाब	८३
११. हमारी तर्कशुद्ध भूमिका	९३
१२. तीन मुख्य वादोकी समीक्षा	१०८
१३. गो-सेवाका रहस्य	१२६
१४. जीवित-मृत्यु	१४०
१५. खादीका समग्र-दर्शन	१४३
१६. उद्योगमें ज्ञान-दृष्टि	१५२
१७. ग्राम-सेवाका तन्त्र	१५८
१८. कृपया तशरीफ ले जाइए	१६२
१९. हमारी जीवन-दृष्टि	१७३

२०. विविध विचार

१७६

सामूहिक प्रार्थना, सतोका बाना; निष्ठाकी कमी;
सेवकका पाथेय, तकलीकी उपासना; तिल-गुड लो, मीठा
बोलो, हमारी मूर्ति-पूजा, मृत्युरूपी वरदान, नैष्ठिक
ब्रह्मचर्य, सूत्र-मनन और पुराण-श्रवण; ग्राम-सेवा शास्त्रकी
एक कलम, गावका आरोग्य, गभीर अध्ययन, निसर्ग-
सेवनकी दृष्टि, अतिथिको देव क्यो माने ? भगवान् दीन-
बन्धु है ।



विनोबाके विचार

दूसरा भाग

: १ :

जीवन की तीन प्रधान बातें

अपने जीवनमें तीन बातोंको प्रधान पद देता हूँ। उनमें पहली है उद्योग। अपने देशमें आलस्यका भारी वातावरण है। यह आलस्य बेकारीके कारण आया है। शिक्षितोंका तो उद्योगसे कोई ताल्लुक ही नहीं रहता। और जहाँ उद्योग नहीं वहाँ सुख कहा ? मेरे मतसे जिस देशमें उद्योग गया उस देशको भारी धुन लगा समझना चाहिए। जो खाता है उसे उद्योग तो करना ही चाहिए, फिर वह उद्योग चाहे जिस तरह का हो। पर बिना उद्योगके बैठना कामकी बात नहीं। घरोंमें उद्योगका वातावरण होना चाहिए। जिस घरमें उद्योगकी तालीम नहीं है उस घरके लड़के जल्दी ही घरका नाश कर देंगे। ससार पहले ही दुःखमय है। जिसने ससार में सुख माना है उसके समान भ्रममें पड़ा और कौन होगा ? रामदास जी ने कहा है—“मूर्खामांजी परम मूर्ख। जो संसारों मानी सुख ॥” अर्थात् वह मूर्खोंमें भारी मूर्ख है जो मानता है कि इस ससारमें सुख है। मुझे जो मिला दुःखकी कहानी सुनाता ही मिला। मैंने तो कभीसे यह समझ लिया है और बहुत विचार और अनुभवके बाद मुझे इसका निश्चय हो गया है। पर ऐसे इस ससारको जरा-सा सुखमय बनाना हो तो उद्योगके सिवाय दूसरा इलाज नहीं है, और आज सबके करने लायक और उपयोगी उद्योग सूत-कतार्ईका है। कपड़ा हरकेको जरूरी है और प्रत्येक बालक, स्त्री, पुरुष

सूत कातकर अपना कपडा तैयार कर सकता है। चर्खा हमारा मित्र बन जायगा, शांतिदाता हो जायगा—बशर्ते कि हम उसे सभाले। दुःख होने या मन उदास होने पर चर्खेको हाथमे ले ले तो फौरन मनको आराम मिलता है। इसकी वजह यह है कि मन उद्योगमे लग जाता है और दुःख विसर जाता है। गेटे नामक कविका एक काव्य है, उसमे उसने एक स्त्रीका चित्र खींचा है। वह स्त्री बहुत शोक-पीडित और दुःखित थी। अतमे उसने तकली सभाली। कविने दिखाया है कि उसे उस तकलीसे सात्वना मिली। मैं इसे मानता हूँ। स्त्रियोके लिए तो यह बहुतही उपयोगी साधन है। उद्योगके बिना मनुष्यको कभी खाली नहीं बैठना चाहिए। आलस्यके समान शत्रु नहीं है। किसीको नींद आती हो तो सो जाय, इस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन जाग उठने पर समय आलस्यमे नहीं बिताना चाहिए। इस आलस्यकी वजहसे ही हम दरिद्री हो गये हैं, परतन्त्र हो गये हैं। इसीलिए हमें उद्योगकी ओर झुकना चाहिए।

दूसरी बात जिसकी मुझे धुन है, वह भक्तिमार्ग है। बचपनसे ही मेरे मनपर यदि कोई मस्कार पडा है तो वह भक्तिमार्गका है। उस समय मुझे मातासे शिक्षा मिली। आगे चलकर आश्रममे दोनो वक्तकी प्रार्थना करनेकी आदत पड गई। इसलिए मेरे अन्दर वह खूब हो गई। पर भक्तिके माने ढोग नहीं है। हमें उद्योग छोडकर भूठी भक्ति नहीं करनी है। दिनभर उद्योग करके अन्तमे शामको और सुबह भगवानका स्मरण करना चाहिए। दिन भर पाप करके, भूठ बोलकर, लज्जारी-लपफाजी करके प्रार्थना नहीं होती। वरन् सत्कर्म करके दिन सेवामे बिता करके वह सेवा शामको भगवान्को अर्पण करनी चाहिए। हमारे हाथो अनजाने हुए पापो को भगवान क्षमा करता है। पाप बन आवे तो उसके लिए तीव्र पश्चात्ताप होना चाहिए। ऐसोके पाप ही भगवान् माफ करता है। रोज १५ मिनट ही क्यों न हो, सबको—लडकोको, स्त्रियोको—इकट्ठे होकर प्रार्थना करनी चाहिए। जिम दिन प्रार्थना न हो वह दिन व्यर्थ गया समझना चाहिए। मुझे तो ऐसा ही लगता है। सौभाग्यसे मुझे अपने आस-

पास भी ऐसी ही मडली मिल गई है। इससे मैं अपनेको भाग्यमान मानता हूँ। अभी मेरे भाईका पत्र आया है। बाबाजी उसके बारेमें लिख रहे हैं कि आजकल वह रायचंदभाईके ग्रन्थ पढ़ रहे हैं। उन्हें उस साधुके सिवाय और कुछ नहीं सूझ रहा है। इधर उसे रोगने घेर रक्खा है, पर उसे उसकी परवा नहीं है। मुझे भाई भी ऐसा मिला है। ऐसे ही मित्र और गुरु मिले। मा भी ऐसी ही थी। ज्ञानदेवने लिखा है कि भगवान कहते हैं—मैं योगियोंके हृदयमें न मिलूँ, सूर्यमें न मिलूँ और कहीं भी न मिलूँ, तो जहाँ कीर्तन-नाम-घोष चल रहा है वहाँ तो जरूर ही मिलूँगा। लेकिन यह कीर्तन कर्म करने, उद्योग करनेके बाद ही करनेकी चीज है। नहीं तो वह ढोंग हो जायगा। मुझे इस प्रकारके भक्तिमार्गकी धुन है।

तीसरी एक और बातकी मुझे धुन है, पर सबके काबूकी वह चीज नहीं हो सकती। वह चीज है **खूब सीखना और खूब सिखाना**। जिसे जो आता है वह उसे दूसरेको सिखाये और जो सीख सके उसे वह सीखे। कोई बूढ़ा मिल जाय तो उसे सिखाये। भजन सिखाये, गीता पाठ करावे, कुछ-न-कुछ जरूर सिखाये। पाठशालाकी तालीम पर मुझे विश्वास नहीं है। पाच-छ घंटे बच्चोंको बिठा रखनेसे उनकी तालीम कभी नहीं होती। अनेक प्रकारके उद्योग चलने चाहिए और उसमें एक-आध घंटा सिखाना काफी है। काममेंसे ही गणित इत्यादि सिखाना चाहिए। क्लास इस तरहके होने चाहिए कि एक पैसा मजदूरी मिली तो उसे पहला दर्जा और उससे ज्यादा मिली तो दूसरा दर्जा। इसी प्रकारसे उन्हें उद्योग सिखाके उसीमें शिक्षा देनी चाहिए। मेरी मा 'भक्ति-मार्ग-प्रदीप' पढ़ रही थी। उसे पढ़ना कम आता था, पर एक-एक अक्षर टो-टोकर पढ़ रही थी। एक दिन एक भजनके पढ़नेमें उसने १५ मिनट खर्च किये। मैं ऊपर बैठा था। नीचे आया और उसे वह भजन सिखा दिया। और पढ़ाकर देखा, पढ़-बीस मिनटमें ही वह भजन उसे ठीक आ गया उसके बाद रोज मैं उसे कुछ देर तक बताता रहता था। उसकी वह पुस्तक पूरी करा दी। इस प्रकार जो-जो सिखाने लायक हो वह सिखाते रहना चाहिए और सीखते भी रहना चाहिए।

पर सबसे बन आनेकी बात नहीं है। पर उद्योग और भक्ति तो सबसे बन आ सकती है। उन्हे करना चाहिए और इस उद्योग के सिवाय मुझे तो दूसरा सुखका उपाय नहीं दिखाई देता है।'

: २ :

ऋषि-तर्पण

मनुष्य देव और पशुके बीचो-बीच खड़ा है। एक तरहसे वह उनके बीचकी सधि है या उन्हे जोड़नेवाली कडी है। यह अनुभव पग-पगपर होता है कि अगर वह चाहे तो पशुसे भी पशु बन सकता है। लेकिन, थोड़ा ही क्यों न हो, ससारको यह भी अनुभव है कि वह अगर इच्छा करे तो उसके अन्दर देव बननेकी शक्ति भी मौजूद है। 'नरका नारायण' होना असभव नहीं है। यह बात आजतक अनेक महापुरुष अपनी कृतिसे दुनियाको दिखा चुके हैं।

आधुनिक समयका इसी तरहका एक उदाहरण लोकमान्य तिलक का है। जो मनुष्य अपने कर्तव्यका पालनकर देव-कोटिमें प्रतिष्ठित होते हैं, उन्हे वेदोने 'कर्मदेव' की पदवी दी है। यह पदवी तिलकने हम सबके देखते-देखते प्राप्त की है। उस प्रसंग का स्मरण तो अब भी ताजा है। पर सिर्फ स्मरण काफी नहीं है। स्मरणके साथ अनुकरण भी होना चाहिए।

आकाशके अबकाशमें अगणित तारे भरे पड़े हैं। दूरबीनके बिना खाली आँखोंसे उन सबके दर्शन नहीं हो सकते। दूरबीनसे भी सबके दर्शन तो होते ही नहीं। लेकिन खाली आँखोंसे ओझल रहनेवाले कुछ सूक्ष्म तारे उसके द्वारा दर्शन दे देते हैं। जीवन भी आकाश के समान पोला प्रतीत होता है। लेकिन यह पोला-सा प्रतीत होनेवाला जीवन अनत ठोस सिद्धांतोंसे भरा हुआ है। केवल बुद्धिके द्वारा उनमेंसे बहुत ही थोड़े सिद्धांत ग्रहण किये

१ पबनारमें (२० दिसंबर १९३५ को) सायं-प्रार्थनाके बाद विद्ये गए एक प्रवचनकी रिपोर्ट।

जा सकते हैं। परन्तु तपस्याकी दूरबीन लगानेसे कुछ सूक्ष्म सिद्धात प्रकट होने लगते हैं। इस तरहका कोई नया तत्व जो देख पाया हो उसे मन्त्र दर्शन हुआ ऐसा कह सकते हैं। उसीको ऋषि कहते हैं। ऋषि शब्दका मूल अर्थ है 'मन्त्रद्रष्टा'—मन्त्र देखनेवाला। यह कथा प्रसिद्ध है कि विश्वामित्र ऋषिने कठिन तपस्याके द्वारा गायत्री मन्त्र प्राप्त किया। तिलक महाराज भी वर्तमान युगके इसी तरहके एक ऋषि थे। कारण, उन्होंने भी तपस्या की; उन्होंने भी मन्त्र प्राप्त किया। यह कौन-सा मन्त्र है? वह है, "स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है; और मैं उसे लेकर रहूँगा।" इस मन्त्रका उच्चार तो हमने खूब किया है। लेकिन केवल उच्चार काफी नहीं है। उच्चारके साथ-साथ आचार भी चाहिए।

तिलकने यह भी बतला दिया है कि इस आचारकी नीति क्या हो? उनके लिए यह अनिवार्य भी था। कारण, उनका यह मत था कि केवल सिद्धातका निरूपण कर देना पर्याप्त नहीं है। उसके साथ-साथ उसका उपयोग कहा और कैसे किया जाना चाहिए, आदि बातें भी ब्योरेवार बताना आवश्यक है। इसलिए केवल उक्त मन्त्र बताने से ही उन्हें सतोष नहीं हुआ। उस मन्त्रका भाष्य भी उन्होंने स्वयं ही लिखा है। शंकराचार्यने कहा है कि भगवान्ने गीताके द्वारा अर्जुनके बहाने सारे जगत्को उपदेश दिया। उसी प्रकार तिलकने अपने 'गीता-रहस्य'में गीताके निमित्तसे उक्त मन्त्रकी व्याख्या की है। लेकिन यह बात हमारे ध्यानमें नहीं आई। इसलिए गीता-रहस्यका गीताके श्लोकोसे सामञ्जस्य करनेका व्यर्थका भ्रष्ट हमने खड़ा किया और नाहक उलझनमें पड़ गये। गीता-रहस्य पूर्वोक्त-स्वराज्य मन्त्रका रहस्य है, इस बातको ध्यानमें रखनेसे हम गीता-रहस्यका अर्थ समझ सकेंगे। किन्तु केवल समझना ही यथेष्ट नहीं है। समझनेके साथ-साथ हमारा कर्तव्य क्या है, यह भी दिखाई देना चाहिए।

२

"स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध हक है" यह हुआ अधिकार वाला अंश। इसीमें 'और मैं उसे प्राप्त करूँगा' यह कर्तव्यात्मक अंश जोड़ दिया गया है।

आसुरी सपत्ति कहती है, "हककी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है।" दैवी सपत्ति कहती है, "कर्तव्य करते रहना मेरा अधिकार है।" पश्चिमकी सस्कृतिको आसुरी सपत्तिकी हविस है। पूर्वकी सस्कृतिको दैवी सपत्तिसे प्रेम है। सस्कृत भाषामे तो 'हक' के अर्थका अलग कोई शब्द ही नहीं पाया जाता। उस अर्थको व्यक्त करनेके लिए हम 'अधिकार' शब्दका प्रयोग करते हैं। पर अधिकार शब्दका मूल अर्थ 'अपने हिस्सेका काम' या कर्तव्य ही है। "तेरा कर्म करनेका अधिकार है, फल प्राप्तिका नहीं", इस गीता-वचनमे 'अधिकार' शब्दके अर्थके साथ ही दैवी सपत्तिके स्वरूपका भी अच्छा स्पष्टीकरण हो गया है।

उक्त स्वराज्य-मन्त्रकी बनावट—विशेषतः उसके पूर्वाह्नकी—बेशक ठेठ पश्चिमके ढंगकी है। लेकिन एक तरहसे यहा स्वभाविक ही था। क्योंकि साधारण रूपमे इस मन्त्रका अवतार पश्चिमकी सस्कृतिसे मन्त्र-मुग्ध लागोके लिए ही है। और जो बात मन्त्रपर घटित होती है वही भाष्य के लिए भी है, यह तो स्पष्ट ही है। इसलिए गीता रहस्यपर पश्चिमके ढंगकी गहरी छाप दिखाई देती है। परन्तु शिष्य कितना भी विद्वान् क्यो न हो, गुरुजनोकी अधीनता मे रहनेसे उसकी विद्वता कुछ दब ही जाती है। या यो कहिए कि भडकीले रगकी चीज भी चादके राजमे फोकी पडे बिना नहीं रहती। उसी प्रकार गीता-रहस्यमे श्रीकृष्णके योग-शास्त्रकी रक्षा करते हुए प्रवचन किया गया है। इसलिए मूलभूत रजोगुणी वृत्ति बहुत ढीली पड गई है। इसलिए मन्त्रमे पूर्वाह्नपर जोर दिखाई देते हुए भी भाष्यमे उत्तरार्द्धपर जोर दिया गया है। माना कि "स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध हक है", लेकिन आलसी हकको कौन पूछता है? इसलिए पूर्वाह्नमे प्रतिपादन इस सिद्धातकी अपेक्षा उत्तरार्द्धमे निरूपित "मे उमे लेकर रहूंगा", यह सकल्प अधिक महत्व रखता है। महत्वके प्रश्न ये है, "स्वराज्य आज क्यो नहीं है? और कल कैसे लेना है?" और तिलक ने गीता रहस्यमे इनके जो जबाब दिये है उनका एक-एक अक्षर सत्य है।

तिलकका कथन सक्षेपमे इस प्रकार है, "यदि स्वराज्य लेना है,

तो ज्ञान और कर्मकी जोड़ी हरगिज नहीं टूटनी चाहिए।" आजतक समझदारी और कारगुजारीकी एक-दूसरेसे जान-पहचान भी नहीं थी। एकका मुह पूरबको था तो दूसरीका पश्चिम को। इसलिए स्वराज्यके दर्शन नहीं हुए। समझदारी कारगुजारीका स्पर्श गवारा नहीं कर सकती थी। "इस अस्पृश्यताके दूर होते ही स्वराज्य आपके पास ही है"—यह कथन कितना यथार्थ है! आज बूढ़ोका अनुभव और जवानोका उत्साह अलग-अलग हो गये हैं। स्त्रियोकी समझदारी और पुरुषोकी कारगुजारी बिछुड़ गई है। ब्राह्मणोका शास्त्र और अब्राह्मणोकी कलाके बीच दरार पड़ गई है। हिंदुओकी नीति-निपुणता और मुसलमानो के जोशमें मेल नहीं रहा। अंग्रेजोकी सभ्यता और अंग्रेजोकी सेवाका आपसमें लगाव नहीं है। भिक्षुकके धर्म और गृहस्थके कर्मका मेल नहीं रहा। कहना न होगा कि अगर हम यह अवस्था सुधार सके—ज्ञान और कर्मका समुच्चय साध सके—तो स्वराज्य हमारे हाथमें है।

पुराने इतिहासमें महाराष्ट्रने स्वराज्यका बड़ा भारी आदोलन किया था। उस आदोलनके नेताओने भी उसी बातपर जोर दिया था, जिसका प्रतिपादन लोकमान्यने गीतारहस्यमें किया है। 'चिन्ती नाम हाती काम' (मनमें राम, हाथमें काम)—यह था उस आदोलनका सिद्धांत वाक्य। गोरोबा (कुम्हार जातिके एक श्रेष्ठ सत) नेताओके गुरु माने जाते थे। इतनी उनके ज्ञानकी ख्याति थी। लेकिन कच्चे घड़े पका-पकाकर पक्के बनानेका उनका कारखाना कभी बन्द नहीं हुआ। सेना नाई भी आदोलनके एक महान् सेनापति थे। तो भी सिरपरका मूल उतारकर दर्पण दिखानेका उनका काम बराबर जारी था। नामदेव (दर्जी) को तो आदोलन का प्राण ही कहना चाहिए। भगवान नामदेवका नाम जितना जपते, उतना भगवान का नाम नामदेव शायद न जपते रहे होंगे। लेकिन फिर भी फटे हुए (वस्त्र) सीनेका उनका कुलव्रत अबाधित रूपसे चलता रहा। और ऐसा था, इसीलिए उस वक्त महाराष्ट्रको, कुछ दिनके लिए, स्वराज्यके दर्शन हुए।

जब 'ज्ञानी' कहलानेवाले लोग कर्मसे ऊबने लगते हैं, या कर्म करनेमें शरमाने लगते हैं, तब राष्ट्रके पतनका आरंभ होता है। यह नियम गिबनने रोमके इतिहासमें लिखकर रखा है, और हमारे यहाँके सारे सतों, कवियों और आचार्योंने यही बात एक स्वरसे कही है। "जो कर्मको छोटा समझ चलते हैं, वे गवार हैं, ज्ञानी नहीं।" यह वाक्य तो ज्ञानियोंके राजा खुद ज्ञानेश्वर कह गये हैं। और "मेँ पहलेके सतोंसे राह पूछता हुआ बोल रहा हूँ", यह गवाही उन्होंने दी है। तिलक भी वही बात कहना चाहते थे। लेकिन उन्हें कुछ ऐसा मालूम हुआ कि इस सिद्धांतके प्रतिपादनमें वह अकेले पड गये हैं, उनका कोई सहायक नहीं है। इसी धारणाके कारण उन्होंने खीझ-खीझकर बड़े आवेशमें अपने मतका प्रतिपादन किया है। इसके लिए जिम्मेवार कौन हैं ?—गुलाम लोगोका बावला सत्तार और दुबल परमार्थ।

३

सच तो यह है कि ज्ञान न तो कर्म से डरता है, न उसे अपनी शान के खिलाफ समझता है। यह नियम सामान्य ज्ञान पर ही नहीं, ब्रह्मज्ञानपर भी घटित होता है। मनुष्य जितना ज्ञानमें घुल गया हो, उतना ही वह कर्मके रगमें रग जाता है। यह सच है कि ज्ञान उदय होते ही कर्मका झूट अस्त हो जाता है। लेकिन कर्मके झूटके अस्त होनेके माने कर्मका ही अस्त होना नहीं है। उसका अर्थ है कि कर्म सहज हो जाता है। आइए, हम कुछ ज्ञानियों की ही गवाही ले।

पहली गवाही श्रीकृष्णकी ले। वह कहते हैं, "मनुष्यके चित्तमें ज्ञानका उदय होते ही 'मैं' तत्क्षण अस्म हो जाता है। इसीलिए लोगों के लिए सहानुभूति पैदा हो जाती है और साहस तथा उत्साहकी किरणोंके फूट पडनेके कारण भय और लज्जाका प्रश्न ही नहीं रह जाता। ऐसी अवस्थामें ज्ञानी दुगुने जोरसे कर्म करने लगता है। भूतदयाके कारण उसका शरीर लोक-सग्रहमें अभ्यस्त हो जाता है।" इस सिलसिले में उन्होंने महाराजा जनकका

पुराना उदाहरण दिया है और अपने अनुभवसे उनकी पुष्टि की है। इसके अतिरिक्त यह टिप्पणी और जोड़ दी है कि यदि श्रेष्ठ पुरुष कर्म नहीं करेंगे तो साधारण लोगोको पदार्थ-पाठ नहीं मिलेगा।

दूसरी गवाही आचार्य (शंकराचार्य) की। वह कहते हैं, “ससारके कर्मोंके विषयमें यह कहा गया है कि ज्ञानकी अग्निके सुलगते ही कर्म भस्म हो जाते हैं। परमाथके कर्मपर वह लागू नहीं होता। पारमाथिक कर्मोंके आचरणसे ही तो मनुष्यको ज्ञान प्राप्त होता है। यानी परोक्ष रूपसे इस कर्मकी कोखसे ही ज्ञानका जन्म होता है। अतः वह कर्म ज्ञानके लिए माताके समान है। ऐसी दशामे अगर इस कर्मपर भी ज्ञान हथियार उठाये तो उसे मातृ हत्याका पातक लगेगा। इसलिए साधकावस्थामे शुरू किया किया गया ‘प्रारब्ध’ कर्म ज्ञान हो जानेके पश्चात् भी शेष रह जाता है।” इसका स्पष्टीकरण करते हुए उन्होंने यह व्यावहारिक दृष्टांत दिया है कि मटका तैयार हो जानेपर भी कुम्हारका चाक कुछ देरतक घूमता रहता है।

तीसरी गवाही समर्थकी। वह कहते हैं, “साधकको ज्ञानका ‘रहस्य’ प्राप्त हो जाता तो भी वह पूर्ववत् ही यत्न करता रहता है क्योंकि इसका क्या ठिकाना है कि इस रहस्यको भी जग न खा जाये? ऐसा सोचकर वह अपने ज्ञानको सत्कर्मसे भाजता रहता है। इसलिए उसको जग लगानेका डर नहीं रहता। खूटके हिला-हिलाकर खूब मजबूत कर देनेके लिए ज्ञानी सावधान वृत्तिमें अपनी उपासना जारी रखता है और आखीरतक सत्कर्म करता रहता है।”

चौथी गवाही तुकोबाकी। वह कहते हैं, “कोई आदमी पहिले गावका ज्योतिषी था। हाथीने उसके गलेमें माला पहिना दी। इससे बेचारा राजा हो गया। फिर भी उसका पत्रा (पचाग) नहीं छूटता था।” ज्ञानी मनुष्यकी हालत भी इस राजाके जैसी होती है। उसकी भी साधकावस्थामे पडी हुई आदत कभी भी कैसे छूटे? अपनी कथनकी पुष्टिके लिए उन्होंने अपना ही अनुभव पेश किया है। “मैं केवल ‘तुका’ था। बादमें सतोकी संगतिसे भजनका चस्का लग गया। आज मैं ‘राम’ हो गया हूँ, लेकिन मेरा भजन

बन्द नहीं होता। मूल स्वभाव नष्ट नहीं होता, तो इसे मैं क्या करूँ ?”

४

खैर। बड़े-बड़े आदमियोंके फेर में पडकर हमने बहुत बड़ी-बड़ी बातें की। ये बातें हमारे अधिकारके बाहरकी हैं। बहुतोकी तो समझमें भी नहीं आयेगी। लेकिन कोई हर्ज नहीं। जो आज समझमें नहीं आती, कल आने लगेगी। सतोंकी कृपासे हमारा अधिकार भी धीरे-धीरे बड़ेगा। और फिर, ऐसी बातें जब-तब कानोंमें पडा करे तो कोई नुकसान नहीं है। हैसियत न होनेपर भी लोग साहूकारसे कर्ज लेकर त्प्यौहार तो मनाते ही हैं। उसी प्रकार लोकमान्यकी पुण्यतिथिके दिन हमने भी सतोंके चरणोंमें भीख मागकर चार टुकड़े जुटा लिये तो इसमें कोई गलती नहीं की। ऐसा न करे तो गरीबोंको पकवानके दो कौर भी खानेको कब मिलेंगे ? इसके सिवा, हमने ऋण साहूकारसे नहीं लिया है, सतोंसे लिया है। इसलिए हम सुरक्षित हैं। सत हमें तबाह कर देगे, इसका डर तो है ही नहीं। अगर सवाल है तो इतना ही कि क्या हम यह पकवान पचा सकेंगे ?

‘महाराष्ट्र-धर्म’ : १६ जुलाई १९२४

: ३ :

निवृत्त-शिक्षण

फ्रांसकी राज्यक्रातिके इतिहासमें रूसो और वाल्टेर नामक ग्रन्थकारोंके नाम बहुत प्रसिद्ध हैं। इन ग्रन्थकारोंकी भाषा, विचारशैली तथा लेखन-पद्धति तेजस्वी, जीवत और क्रांतिकारक हैं। लोगोंमें जितनी धाक इनकी लेखनीकी थी, उतनी बड़े-बड़े बलवान राजाओंके शस्त्रबलकी भी नहीं थी। फ्रांसकी राज्यक्राति इनके लेखकोंका मूर्ध, परिणाम थी। इन दोनों लेखकोंमेंसे रूसो विशेष भावनाप्रधान था। लेख लिखने के लिए उसने कभी भाषा-

शास्त्रका अध्ययन नहीं किया था। उसके विचार उसके हृदयमें समाते नहीं थे, बाहर निकलनेके लिए छटपटाते और धक्के देते थे। जबालामुखी पर्वत के जलते हुए रसकी भाँति, बल्कि उससे भी बढ़कर, दाहक होते थे और उसकी इच्छाके विरुद्ध—‘अनिच्छन्नपि’—बाहर निकलते थे। उमके लेखो द्वारा उसका हृदय बोलता था। और इसीलिए उसके लेख चाहे बौद्धिक या तार्किक कसौटी पर खरे भले हो न उतरे, तो भी परिणामतः बे धक्कती आगके समान होते थे, यह इतिहासको भी मानना पडा है। ‘मृतजीवनकी अपेक्षा जीवित मृत्यु श्रेयस्कर है’—उसके लेखोका यही एक सूत्र था। ऐसे प्रभावशाली, प्रतिभावान लेखकके शिक्षण-विषयक मतों का मननपूर्वक विचार करना हमारा कर्तव्य है।

रूसोके मतानुसार शिक्षणके तीन विभाग करने चाहिए—(१) निसर्ग-शिक्षण, (२) व्यक्ति-शिक्षण और (३) व्यवहार-शिक्षण।

शरीरके प्रत्येक अवयवका संपूर्ण और व्यवस्थित विकास होना, इन्द्रियो का चपल, फुर्तीली, कार्यपटु बनना विभिन्न मनोवृत्तियोका सवर्गीण विकास होना, स्मृति, प्रज्ञा, मेधा, धृति, तर्क इत्यादि बौद्धिक शक्तियोका प्रगल्भ और प्रखर बनना—इन सबका समावेश उसके मतसे निसर्ग-शिक्षणम होता है। दूसरे शब्दोमें, मनुष्यकी भीतरी शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक वृद्धि आत्मविकास—निसर्ग-शिक्षण है। मनुष्यको बाह्य परिस्थितिमें से जो ज्ञान प्राप्त होता है, व्यवहारमें जो अनुभव होता है, उस सब पदार्थ विज्ञानको या भौतिक जानकारीको उसने व्यवहार-शिक्षण नाम दिया है। और निसर्ग शिक्षणमें होनेवाले आत्मविकासका ज्ञानकी दृष्टिसे बाह्य जगत्में कैसे उपयोग किया जाय, इस सबधमें दूसरे मनुष्योके प्रयत्नसे जो वाचिक, सांप्रदायिक अथवा शालीन (पाठशालामें मिलनेवाला) शिक्षण मिलता है, उसे उसने व्यक्ति शिक्षण सज्ञा दी है। अर्थात् व्यक्ति-शिक्षण उसकी दृष्टिसे व्यवहार-शिक्षण और निसर्ग-शिक्षणको जोड़नेवाली सधि है। वस्तुतः यह बात कोई विशेष महत्व नहीं रखती कि रूसोने शिक्षणके कितने विभाग किये हैं। अमुक विषयके अमुक विभाग करने चाहिए,

ऐसा कोई नियम नहीं है। यह सब सुविधाका सवाल है। इसलिए दृष्टि-भेदके कारण वर्गीकरणमें अंतर होना स्वाभाविक है। रूसके किये हुए तीन विभाग तो आवश्यक ही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि ऐसा कहा जा सकता है कि मनुष्यको क्या व्यक्ति-शिक्षण और क्या व्यवहार-शिक्षण बाहरसे मिलता है। केवल निसर्ग-शिक्षण ही भीतरसे मिलता है। इस दृष्टिसे, अगर हम अत शिक्षण और बाह्य शिक्षण ये दो ही विभाग करे तो क्या हर्ज है ?

परन्तु इससे भी आगे बढ़कर यह भी कहा जा सकता है कि बाह्य शिक्षण केवल अभावात्मक क्रिया है और अत-शिक्षण ही भावरूप है। इसलिए शिक्षणका वही एकमात्र यथार्थ अथवा तात्त्विक विभाग है। हमने जिसे 'बाह्य-शिक्षण' कहा है, वह केवल मनुष्यसे अथवा पाठशालामें ही नहीं मिलता। वह शिक्षण इस अनंत विश्वके प्रत्येक पदार्थसे निरंतर मिलता ही रहता है। उसमें कभी विराम नहीं होता। जैसा कि शेक्सपीयरने कहा है, "बहते हुए भरनोमें प्रासादिक ग्रथ संचित हैं, पत्थरोमें दर्शन छिपे हुए हैं और यच्चयावत् पदार्थोंमें शिक्षाके सारे तत्त्व सन्निहित हैं।" वृक्ष, वनस्पति, फूल, नदियाँ, पर्वत, आकाश, तारे—सभी मनुष्यको अपने-अपने ढंगसे शिक्षा देते हैं। नैयायिकोंके अणुसे लेकर सांख्यिकोंके महत्तत्त्वतक, भूमिति (रेखागणित) के बिंदुसे लेकर भूगोलके सिधुतक, या छुटपनकी भाषामें कहे, तो 'रामजीकी चोटीसे लेकर तुलसीके मूल' तक सारे छोटे-बड़े पदार्थ मनुष्यके गुरु हैं। विचक्षण विज्ञान-वेत्ताओंके द्वार-चक्षु (दूरबीन) से, व्यवहार-विशारदोंके चर्मचक्षुसे कल्पना-कुशल कवियोंके दिव्य-चक्षुसे या तार्किक तत्त्व-वेत्ताओंके ज्ञान-चक्षुसे जो-जो पदार्थ दृष्टिगोचर होते होंगे—अथवा न भी होते होंगे—उन सब पदार्थोंसे हमें नित्यपाठ मिल रहे हैं। सृष्टि-परमेश्वर द्वारा हमारे अध्ययनके लिए हमारे सामने खोलकर रक्खा हुआ एक शाश्वत, दिव्य, आश्चर्यमय, परम पवित्र ग्रथ है। उसके सामने वेद व्यर्थ हैं, कुरान बेकार हैं, बाइबिल निर्बल हैं। लेकिन यह ग्रथ-नागा चाहे कितनी ही गभीर क्यों न हो मनुष्य तो अपने लोटेसे ही उसका पानी लेगा।

इसलिए इस विश्व में से 'बाह्यतः' हमें वही और उतनी ही शिक्षण मिलेगा, जिसके या जितनेके बीज हमारे 'अदर' होंगे। इसका अनुभव हर एकको है। हम इतने विषय सीखते हैं, इतने ग्रंथ पढ़ते हैं, इतने विचार सुनते हैं, इतनी चीजें देखते हैं, उनमेंसे कितनी हमें याद रहती है? साराण, बाह्य जगतसे इन जो कुछ सीखते हैं, वह सब भुला देते हैं। उसकी जगह केवल सस्कार बाकी रह जाते हैं। बल्कि शिक्षणका अर्थ जानकारी नष्ट होनेपर बचे हुए सस्कार ही है। इसका कारण ऊपर दर्शाया गया है। जो हमारे 'अदर' नहीं है, वह बाहरसे आना असंभव है। बाह्य शिक्षण कोई स्वतंत्र या तात्त्विक पदार्थ नहीं है। वह केवल एक अभावात्मक क्रिया है।

अब ऐसे प्रसंगमें हमेशा एक दुहरी समस्या पेश होती है। यदि बाह्य शिक्षणको मिथ्या माने, तो सस्कार बननेके लिए किसी-न-किसी बाह्य-निमित्त या आलंबन अथवा आधारकी आवश्यकता होती ही है। इसके विपरीत अगर बाह्य शिक्षणको सत्य या भाव-रूपमें माने, तो ऊपर कहे अनुसार उसका अंतर-विकासके अनुकूल अंश ही, और वह भी सस्कार-रूपमें, शेष रहता है। अर्थात् उभय पक्षमें विप्रतिपत्ति (डाईलेमा) उपस्थित होती है। ऐसी अवस्थामें इन दोनों शिक्षणोंका परस्पर सबंध क्या माना जाय? परन्तु यह विवाद नया नहीं है। इसलिये उसका निर्णय भी नया नहीं है। सभी शास्त्रोंमें इस प्रकारके विवाद उपस्थित होते हैं और सर्वत्र उनका एक ही निर्णय होता है। उदाहरणके लिए, यह वेदाती विवाद कि 'सुखका बाह्य पदार्थोंसे या सबंध है, लीजिये। वहां भी वही गुट्थी है। अगर आप कहे कि बाह्य पदार्थोंमें सुख है, तो उनसे सर्वदा सुख ही मिलना चाहिये; लेकिन ऐसा होता नहीं है। यदि मनस्थिति बिगड़ी हुई हो, तो दूसरे अवसरों पर सुखकारक प्रतीत होनेवाले पदार्थ भी सुख नहीं दे सकते। इसके विपरीत यदि कहे कि बाह्य पदार्थोंमें सुख नहीं है, सुख एक मानसिक भावना है, तो ऐसा भी अनुभव सदा नहीं होता। जैसा कि शेक्सपीयरने कहा है, 'दि इच्छा ही घोंडा बन सकती, तो प्रत्येक मनुष्य घुड़सवार हो जाता।'

लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, यह निष्ठुर सत्य है। तब इन समस्याका समाधान कैसे हो ?

इसी तरहका दूसरा दृष्टान्त न्याय-शास्त्रसे लीजिए। प्रश्न यह है कि 'मिट्टीका मटकेसे क्या सबध है' ? अगर आप कहे कि मिट्टी ही मटका है, तो मिट्टीसे पानी भरकर दिखाइए। मिट्टी अलग और मटका अलग कहे, तो हमारी मिट्टी हमे दे दीजिये, अपना घडा लेते जाइए। ऐसी हालतमे इन दोनोका क्या सम्बन्ध माना जाय ? यदि हम शुद्ध हिंदीमे कहे कि हम बतला नहीं सकते कि इस सम्बन्ध का क्या स्वरूप है, तो हमारा अज्ञान दीखता है। इसलिए इस सबध को 'अनिर्वचनीय सबध' यह भव्य और प्रशस्त संस्कृत नाम दिया गया है।

परंतु इस सबधके अनिर्वचनीय होते हुए भी एक पक्षमे जिस प्रकार 'वाचारम्भण विकारो नामधेय मूत्तिकेत्येव सत्यम्' 'मिट्टी तात्त्विक और मटका मिथ्या'—ऐसा तारतम्यसे निश्चय किया जा सकता है उसी प्रकार दूसरे पक्षमे अत-शिक्षण भावरूप और बाह्यशिक्षण अभावरूप कार्य है, ऐसा कहा जा सकता है।

किंतु ऐसा कहते ही एक दूसरा ही मूलोत्पाटी प्रश्न उपस्थित होता है। हमने शिक्षाके दो विभाग किए हैं। उनमेसे अत-शिक्षण अथवा आत्म-विकास भावरूप होते हुए भी वह हर एक व्यक्तिके अदर-ही-अदर होता रहता है। उसके लिए हम कुछ भी कर नहीं सकते। उसका कोई पाठ्यक्रम नहीं बनाया जा सकता। और यदि बनाया भी जाय, तो उसपर अमल नहीं किया जा सकता। बाह्यशिक्षण सामान्यत और व्यक्ति-शिक्षण विशेषत अभावरूप करार दिया गया है। "ऐसी अवस्थामे 'न हि शशक-विषाणा कोऽपि कस्मै वदति' इस न्यायके अनुसार शिक्षण-विषयक आंदोलन हमारी मूर्खताके प्रदर्शन ही है क्या ?" यह कह देना आवश्यक है कि यह आक्षेप आपातत जैसा लाजवाब या मुहतोड मालूम होता है, वस्तुतः वंसा नहीं है। कारण, जब हम यह कहते हैं कि (बाह्य) शिक्षण अभावात्मक कार्य (निगेटिव फक्शन) है, तब हम यह तो नहीं कहते कि वह 'कार्य' ही नहीं है। वह कार्य

है, वह उपयोगी कार्य है, परन्तु वह अभावात्मक कार्य है, इतना ही हमें कहना होता है। निवेदन इतना ही है कि शिक्षणका कार्य कोई स्वतंत्र तत्त्व उत्पन्न करना नहीं है। सुप्त तत्त्वको जाग्रत करना है। इसलिए शिक्षणका उपयोग लोग जिस अर्थमें समझते हैं, उस अर्थमें नहीं है। लेकिन इतनेसे शिक्षण निरूपयोगी नहीं हो जाता। उग्र सुधारकोके 'विधवा-विवाहोत्तेजन' को समाज-शिक्षक कर्वेका 'विधवा-विवाह-प्रतिबधनिवारण' भले ही निरूपयोगी मालूम होता हो, परन्तु वास्तवमें वह निरूपयोगी नहीं है। बल्कि वही उपयोगी है, यह मानना पड़ेगा। साराश, शिक्षण उत्तेजक दवा नहीं है, वह प्रतिबध-निवारक उपाय है। रस्किनने शिल्पकलाकी भी ऐसी ही व्याख्या की है। शिल्पज्ञ पत्थर या मिट्टीमेंसे मूर्ति उत्पन्न नहीं करता। वह तो उसमें है ही। सिर्फ छिपी हुई है। उसे प्रकट करना शिल्पीका काम है। इसपरसे स्पष्ट है कि शिक्षण अभावात्मक होते हुए भी उपयोगी है। और चाहे प्रतिबध-निवारणके अर्थमें ही क्यों न हो, उसमें थोड़ी-सी भावात्मकता है ही। इसी अर्थको ध्यानमें रखकर ऊपर 'तारतम्यसे (अपेक्षाकृत) अभावात्मक ऐसी सावधानीकी भाषाका प्रयोग किया है। शिक्षण आत्मविकासकी तुलनामें अभावात्मक है। अर्थात् उसका 'भाव' बहुत थोड़ा है।

लेकिन हमने शिक्षा का भाव बेहद बढ़ा दिया है। इसलिए हमारी वर्तमान शिक्षा-प्रणाली अत्यंत अस्वाभाविक, विपरीत और दुराग्रही हो गई है। जहाँ किसी लड़केकी स्मरण-शक्ति जरा तीव्र दिखाई दी कि उसे और ज्यादा कठ करनेको उत्साहित किया जाता है। लड़केका पिता अधीर हो उठता है। लड़केके दिमागमें कितना ठूम् और कितना नहीं, इसका उसे कोई विवेक नहीं रहता। पाठशालाकी शिक्षण-पद्धतिमें भी यही नीति निर्धारित की जाती है। इसके विपरीत यदि विद्यार्थी मद हो, तो उसकी अवश्य अपेक्षा की जायगी। होशियार माने जानेवाले लड़के जैसे-तैसे कॉलेजतक पहुँचते हैं और फिर पिछड़ जाते हैं। और यदि कॉलेजमें न पिछड़े, तो आगे चलकरव्यवहार में निकम्मे साबित होते हैं। इसका कारण यह है कि उनकी कोमल बुद्धिपर बेहिसाब बोझ लादा जाता है। यदि थोड़ा

तेज है और व्यवस्थितरूपसे चलता है, तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन इसके बदले 'घोडा तेज है न ? लगाओ चाबुक', ऐसी नीतिसे क्या होगा ? घोडा भडक जायगा। खुद तो गड्डेमे गिरेगा ही अपने मालिकको भी गिरायेगा। यह बेवकूफीकी और जगली नीति कम-से-कम राष्ट्रीय शालाओमे तो हरगिज नहीं बरतनी चाहिए।

सच बात तो यह है कि जहाँ विद्यार्थीको यह भान हुआ कि वह शिक्षण ले रहा है, वहाँ शिक्षणका सारा आनंद ही लुप्त हो जाता है। छोटे लडकोसे जो यह कहा जाता है कि खेल ही उत्तम व्यायाम है, उसका भी रहस्य यही है। खेल में व्यायाम होता है, लेकिन 'मैं व्यायाम करता हूँ', यह बोध नहीं होता। खेलते समय आसपासका जगत नष्ट हो जाता है। लडके तद्रूप होकर अद्वैतका अनुभव करते हैं। देह-भान लुप्त हो जाता है। प्यास, भूख, थकान, चोट, किसी वेदनाकी भी प्रतीति नहीं होती। साराश, खेल आनंद होता है। वह व्यायाम-रूप कर्तव्य नहीं होता। यही नियम शिक्षणपर भी लागू करना चाहिए। 'शिक्षण एक कर्तव्य है', इस कृत्रिम भावनाके बदले 'शिक्षण आनंद है', यह नैसर्गिक और तेजस्वी भावना उत्पन्न होनी चाहिए। लेकिन क्या हमारे लडकोमे ऐसी भावना पाई जाती है ? 'शिक्षण आनंद है' इस भावनाकी बात तो छोड़ दीजिए, किंतु 'शिक्षण कर्तव्य है', यह भावना भी बहुत कम पाई जाती है। 'शिक्षण दंड है', यह गुलामीकी भावना ही आज विद्यार्थियोमे प्रचलित है। बालकने जरा सजीवताकी चमक या स्वतंत्र-वृत्तिके लक्षण दिखाये नहीं कि तुरत घरवाले कहने लगे कि अब इसे स्कूलमे बेडना चाहिए। तो पाठशालाका अर्थ क्या हुआ ?—बेडनेकी जगह ! इसलिए इस पवित्र कार्यमे हाथ बटानेवाले शिक्षक इस जेलखानेके छोटे-बड़े कर्मचारी हैं।

लेकिन इसमे दोष किसका है ? शिक्षाके विषयमे हमारे जो विचार हैं और उनके अनुसार हमने जिस पद्धतिका—अथवा पद्धतिके अभाव का—अवलंबन लिया है, उसका यह दोष है। विद्यार्थियोका शिक्षण इस प्रकार होना चाहिए कि उन्हें उसका बोध ही न हो, यानी स्वाभाविकरूपसे होना चाहिए। बाल्यावस्थामे बालक जिस सहजभावसे मातृभाषा सीखता है,

उसी सहजभावसे उसका अगला शिक्षण भी होना चाहिए। लडका व्याकरण क्या चीज है, यह भले ही न जानता हो; लेकिन वह 'मा आया' नहीं कहता। कारण, वह व्याकरण समझता है। वह 'व्याकरण' शब्द भले न जानता हो या उसे व्याकरणकी परिभाषा भले ही न मालूम हो; परंतु व्याकरणका मुख्य कार्य तो हो चुका है। साध्य और साधनको उलट-पुलट नहीं करना चाहिए। साध्यके लिए साधन होते हैं, साधनके लिए साध्य नहीं। यही बात तर्कशास्त्रपर भी लागू होती है। गौतमके न्यायसूत्र अथवा एरिस्टाटलक। तर्कशास्त्र पढनेका क्या अभिप्राय है? यही कि हम व्यवस्थित विचार कर सकें, अचूक अनुमान कर सकें। दीया जब मद होने लगता है, तब छोटा लडका भी अदाज करता है कि शायद उसमें तेल नहीं है। उसके दिमागमें सारा तर्क होता है। हाँ, इतना अवश्य है कि वह 'पचावयवी वाक्य' या 'सिलाजिज्म' नहीं बना सकता। विद्यार्थी के भीतर तर्क-शक्ति स्वभावत होती है। शिक्षण का कार्य केवल ऐसे अवसर उपस्थित करना है, जिससे उस तर्क-शक्तिको समय-समयपर रूढ़ मिलता रहे। सारे शास्त्र, सब कलाएँ, तमाम सद्गुण, मनुष्यमें बीजत स्वयंभू हैं। हम उस बीजको देख नहीं सकते। लेकिन वह दिखाई नहीं देता, इसलिए उसका अभाव तो नहीं है?

परंतु कभी-कभी ऐसा प्रतीत होता है कि रूसोको यह मत पसंद नहीं है। "मनुष्य स्वभावत दुर्बल है, अनीतिमान है, शिक्षणसे उसे बलवान या नीतिमान बनाना है। स्वभावसे वह पशु है, उसे मनुष्य बनाना है। 'पापोह पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवः' यह उसका पूर्व-रूप है। उसका उत्तर-रूप शिक्षणसे सपन्न होनेवाला है"—इस आशयकी भाषाका प्रयोग वह कभी-कभी करता है। इसके विरुद्ध आशयके वाक्य भी उसके ग्रंथोंमें पाये जाते हैं। इसलिए उसका अमुक ही मत है, यह कहना कठिन है। तथापि उसका ऊपर लिखे अनुसार मत हो, तो भी उसमें उसका विशेष दोष नहीं है, बल्कि उसके जमाने की परिस्थिति का दोष है, ऐसा कहा जा सकता है। स्वतंत्र बुद्धि के लोग भी एक हदतक, यदि परिस्थितिके गुलाम नहीं होते,

तो कम-से-कम परिस्थिति द्वारा गढे जाते हैं। और फिर रूसो के जमानेके फ्रासकी स्थिति कैंसी भीषण थी । भारतमे आज जिस प्रकार इकतीस करोड़ जतुओका भय नक दृश्य नजर आ रहा है, उसी तरह की हालत उस वक्तके फ्रास की थी। इसलिए यदि रूसो-जैसे ज्वालामुखी, ज्वलत और अतिशय उत्कट मनुष्य का भावनामय एव विकारो हृदय मनुष्य-जातिके प्रति घृणासे परिपूर्ण हो गया हो, तो वह क्षम्य है। गुलामी देखते ही वह खीभ जाता था। उसका खून खौलने लगता था। वह आपेसे बाहर हो जाता था। ऐसी स्थितिमे मनुष्य-जातिके प्रति घृणाके कारण यदि उसका यह मत हो गया हो कि मनुष्य एक जानवर है और उसमे शिक्षणमे थोड़ी-बहुत इन्सानियत आती है, तो हम उसका तात्पर्य समझ सकते हैं। लेकिन रूसोके साथ हमे कितनी ही सहानुभूति क्यो न हो, तो भी इस प्रकार का—चाहे किमी ने किसी भी परिस्थितिमे प्रतिपादन किया हो—अनुचित है, इसमे सदेह नही। मनुष्य स्वभावत दुष्ट है, ऐसा माननेमे निखिल मनुष्य-जातिका अपमान है और निराशावादकी परमावधि है। अगर मनुष्य स्वभावसे ही दुष्ट हो, तो शिक्षणकी कोई आशा नही हो सकती। वन्तुसे उसका स्वभाव सदाके लिए पृथक करना तर्क-दृष्टिसे असभव है। इसलिए यदि मनुष्य-स्वभाव अपने असली रूपमे दुष्ट ही हो, तो उसे सुधारनेके सारे प्रयत्न अकारख जायेंगे और निराशावादका तथा उसके साथ-साथ पशुवृत्तिका साम्राज्य शुरू हो जायगा। क्योकि आशा नष्ट होते ही दडका राज्य स्थापित हो जाता है। कुछ लोग जोशमे आकर कहा करते हैं कि ब्रिटिश सरकारपरसे हमारा विश्वास सदाके लिए उठ गया। सुदैवसे यह सिर्फ जोशकी भाषा होती है। परन्तु, यदि यह सच होना, तो किसी भी शांतिमय आदोलनका अर्थ निराशाका कर्म-योग ही होता। स्वालबनकी दृष्टिसे यह कहना ठीक है कि हमे सरकारके भरोसे नही रहना चाहिए। लेकिन यदि इसका यह अर्थ हो कि हमे यह निश्चय हो गया है कि अग्रेजोके हृदय नही है, उनकी कभी उन्नति ही नही हो सकती, तब तो नि शस्त्र आदोलन केवल एक लाचारीका चारा हो जाता है। क्या सत्याग्रहका और क्या शिक्षणका मुख्य

आधार ही यह मूलभूत कल्पना है कि प्रत्येक मनुष्यके आत्मा है। जिस प्रकार शत्रुके आत्मा नहीं है, यह सिद्ध होते ही सत्याग्रह बेकार हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य स्वभावतः दुष्ट है, यह साबित होते ही शिक्षणकी प्रायः सारी आशा ही नष्ट हो जाती है। फिर तो 'छडीपडे छम-छम, विद्या आवे भम-भम' शिक्षाका एकमात्र सूत्र होगा। इसलिए विद्वान् तत्त्वज्ञो और शिक्षण-वेत्ताओंने भी यह शास्त्रीय सिद्धांत मान लिया है कि मनुष्यके मनमें पूर्णताके सारे तत्त्व बीज-रूपमें स्वतः-सिद्ध हैं।

यह शास्त्रीय सिद्धांत स्वीकार करनेपर जिस प्रकार आजकी जिद्दी शिक्षा-पद्धति गलत साबित होती है, उसी प्रकार शिक्षाका कार्य नागरिक बनाना है, इस चालके आत्म-सभावित तत्त्व भी निराधार सिद्ध होते हैं। हम कुछ-न-कुछ शिक्षण देते हैं, लडकोके दिलोपर किसी-न-किसी बातका असर होता है और उस परिणामका तथा हमारे शिक्षणका समीकरण करके 'अस्माकमेवायं विजय, अस्माकमेवायं महिमा' ऐसा कहकर हम नाचने लगते हैं। यह मानवीय मूर्खताकी महिमा है। ऊपर कहा जा चुका है कि शिक्षणकी रचना ऐसी होनी चाहिए जिससे कि विद्यार्थीको यह मालूम भी न पड़े कि वह शिक्षण ले रहा है। लेकिन इसके लिए साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि शिक्षकके दिलमें ऐसी धुंधली और मद भावना भी न हो कि वह विद्यार्थीको शिक्षण दे रहा है। जबतक गुरु अनन्य और सहज-शिक्षक नहीं होगा, तबतक विद्यार्थीको सहज-शिक्षण मिलना असंभव है। जब कहा जाता है कि 'हम तो फ़ोबेल, पैस्टलॉजी या मीटिसरीकी पद्धतिसे शिक्षण देते हैं', तब माफ समझ लेना चाहिए कि यह केवल वाचिक श्रम है, यह शब्द-शिक्षण है, यह किसी पद्धतिकी अर्थ-शून्य नकल है, यह शव है, इसमें जान नहीं है। शिक्षण कोई बीजगणितका सूत्र (फॉर्मूला) थोड़े ही है कि सूत्र लगाते ही फौरन उत्तर आ जाय। जो दिया जाता है, वह शिक्षण ही नहीं है और न शिक्षण देनेकी पद्धति, पद्धति है। जो ~~अर्थ-शून्य~~ है वह सहज भावसे प्रकट होता है—इस तरहसे जो प्रकट होता है, ~~वही~~ शिक्षण है। यही सहज-शिक्षण—'सदोषमपि'—सदोष भले ही हो, तो भी, अच्छा है।

परतु किसी विशिष्ट पद्धतिके गुलामोके द्वारा प्राप्त होने वाला व्यवस्थित अज्ञान हमे नहीं चाहिए।

आखिर शास्त्र क्या चीज है ? 'शास्त्र' बराबर है 'व्यवस्थित अज्ञानके'। इसके सिवा इन शास्त्रोका कोई अर्थ भी है। शिक्षण-शास्त्रवेत्ता स्पेसर शिक्षण-शास्त्रपर लिखते हुए कहता है कि शिक्षण : अलौकिक व्यक्ति बनते नहीं है। ऐसे शास्त्रोकी शास्त्र-दृष्टिसे क्या कीमत हो सकती है ! 'एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत' जैसी शास्त्रकी प्रतिज्ञा होनी चाहिए। जो शास्त्र ऐसी प्रतिज्ञा नहीं कर सकता, वह शास्त्र लोगोकी आँखोमे धूल भोक्नेका व्यवस्थित प्रयास मात्र है। शेक्सपीयरने कौन-से नाट्य-शास्त्रका अध्ययन किया था ? अलकार-शास्त्रके नियम रटकर क्या कभी कोई प्रतिभावान कवि—या काव्य-रसिक भी—बना है ? शास्त्र-पद्धति, इन शब्दोका शब्द-सृष्टिसे बाहर कुछ अर्थ ही नहीं होता। यह महज भ्रम है। 'यास्तेषा स्वरं कथास्ता एव भवन्ति शास्त्राणि'—'महापुरषोकी स्वरं-कथाए ही शास्त्र है'—भर्तृहरिका यह एक मार्मिक वचन है। यहाँपर भी वही लागू होता है। 'जो किसी भी पद्धतिके बिना सुव्यवस्थित होता है, जिसे कोई भी गुरु दे नहीं सकता, परतु जो दिया जाता है'—ऐसा है शिक्षणका अनिर्वचनीय स्वरूप। इसलिए दिव्यदृष्टिवाले महात्माओने कहा कि शिक्षण कैसे दिया जाता है, हम नहीं जानते। 'न विजानीम' (केनोपनिषत्)। शिक्षण-पद्धति, पाठ्यक्रम, समय-पत्रक, ये सब अर्थ-शून्य हैं। इनमे सिवा आत्म-वचनाके और कुछ नहीं घरा है। जीनेकी क्रियासे ही शिक्षण मिलना चाहिए। शिक्षण जब जीनेकी क्रियासे भिन्न एक स्वतंत्र क्रिया बनती है, उस वक्त शरीरमे विजातीय द्रव्य घुसनेसे जैसा परिणाम होता है, वैसा ही जहरीला और रोगोत्पादक परिणाम हमारे मनपर होता है। कर्मकी कसरतके बिना ज्ञानकी भूख नहीं लगती। और वैसी हालतमे जो ज्ञान विजातीय द्रव्यके रूपमे अदर घुसता है, उसे हजम करने की ताकत पचने-द्रव्योमे नहीं होती। सिर्फ भेजेमे किताबे टूस देनेसे अगर मनुष्य ज्ञानी बन जाता, तो पुस्तकालयकी आलमारियाँ ज्ञानी मानी जाती। लालचसे

खाये हुए ज्ञानका अपचन होता है और बौद्धिक पेचिश हो जाती है। और अतमें मनुष्यकी नैतिक मृत्यु होती है।

जो नियम विद्यार्थियोंके शिक्षणपर लागू है, वही लोक-शिक्षण या लोक-संग्रहपर भी घटित होता है। महापुरुषोकी दृष्टिसे सारा समाज एक बहुत बड़ा शिशु है। “भीष्माचार्य आमरण ब्रह्मचारी रहे। किंतु बिना पुत्रके तो सद्गति नहीं होती, ऐसा सुनते हैं। तब भीष्माचार्यको सद्गति कैसे मिली होगी ?” ऐसी बेहूदी शका पेश होनेपर उसका समाधान इस प्रकार किया गया कि भीष्माचार्य सारे समाजके लिए पिताके समान होनेके कारण हम सब उनके पुत्र ही हैं। इसलिए लोक-संग्रहका प्रश्न महापुरुषोकी दृष्टिसे बालकोके शिक्षणका ही प्रश्न है। परंतु शिक्षणके प्रश्नकी तरह लोक-संग्रहका भी नाहक हीवा बनाकर ज्ञानी पुरुषकी यह एक भारी जिम्मेवारी है, ऐसा कहनेका रिवाज चल पडा है। लोक-संग्रह किसी व्यक्तिके लिए रुका नहीं है। लोक-संग्रह मुझपर निर्भर है, ऐसा मानना गोया टिटहरीका यह मानकर कि मेरे आधारपर आकाश स्थित है, खदको उलटा टाँग लेनेके बराबर है। ‘कर्ताहम्’ ‘मै कर्ता हूँ’, यह अज्ञानका लक्षण है, ज्ञानका नहीं। यहाँतक कि जहाँ ‘कर्ताहम्’ यह भावना जाग्रत है, वहाँ यथार्थ कर्तृत्व ही नहीं रह सकेगा। शिक्षण जिस प्रकार अभावात्मक या प्रतिबध—निवारणात्मक कार्य है, उसी प्रकार लोक-संग्रह भी है। इसीलिए श्रीमच्छंकराचार्यने ‘लोकस्य उन्माग-प्रवृत्ति-निवारणं लोक-संग्रहः;’ ऐसा लोक-संग्रहका निवर्तक स्वरूप दिखलाया है।

जिस प्रकार सच्चा शिक्षक शिक्षा नहीं देता, उससे शिक्षण मिलता है, सी प्रकार ज्ञानी पुरुष भी लोक-संग्रह करेगा नहीं, उसके द्वारा लोक-संग्रह होगा। सूर्य प्रकाश देता नहीं है, उससे स्वाभाविकरूपसे प्रकाश मिलता है। इसी अभावात्मक कर्मयोगको गीताने सहजकर्म कहा है और मनुने इसी सहजकर्मको ‘निवृत्तकर्म’ यह सुदर सज्ञा दी है। ‘निवृत्त-शिक्षण’ यह सज्ञा भी उसी ढंगपर गठी गई है। जो ऐसा निवृत्त-शिक्षण देते हैं, वे आचार्य ही समाज के गुरु हैं। वे ही समाजके पिता हैं। दूसरे ‘भाडेके गुरु’

गुरु नहीं और 'जन्म-हेतु-पिता' पिता नहीं है। ऐसे गुरुओंके चरणोंके निकट बैठकर जिन्होंने शिक्षा पाई है, वे ही मातृमान, पितृमान, आचार्यवान कहलानेके गौरवके पात्र हैं। अन्य सब अनाथ बालक हैं। सब अशिक्षित हैं। ऐसा उदार शिक्षण कितनोंके भाग्यमें लिखा होता है ?

'महाराष्ट्र धर्म' जनवरी, १९२३

· ४ :

चार पुरुषार्थ

मनुष्यके अतःकरणकी सूक्ष्म भावनाओंकी दृष्टिसे समाज-रचनाका गहरा अध्ययन करके हमारे ऋषियोने अनेक मुदर कल्पनाओंका आविष्कार किया है। 'अनंतं वै मनः। अनंता विश्वदेवाः'—मनको अनंत वृत्तियाँ होनेके कारण विश्वमें भी अनंत शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं। इन अनंत मानसिक वृत्तियों और सामाजिक शक्तियोंका संपूर्ण साक्षात्कार करके ऋषियोने धर्मकी रचना की है। स्वयं ऋषि ही कहने हैं—'ऋषिः पश्यन् अबोधत्'। योग-शास्त्रमें योगीकी 'अर्धोन्मीलित' दृष्टिका वर्णन किया गया है। इसका रहस्य है—विश्वमें ओतप्रोत शक्तियोंके अवलोकन तथा निरीक्षणके लिए आधी दृष्टि खुली रहे और अपने हृदयमें मन्निहित वस्तुओंके परीक्षणके लिए आधी दृष्टि भीतरकी तरफ मुड़ी रहे। कालके कराल जबड़ेमें पिसनेवाले दीन जनोके प्रति करुणामें आधी दृष्टि खुली हुई और अतर्यामी परमेश्वरके प्रेम-रसके पानमें मतवाली होनेके कारण आधी दृष्टि मुदी हुई। योगी ऋषियोंकी डम अर्धोन्मीलित दृष्टिने अतर्बाह्य सारी सृष्टिके दर्शन कर लिए थे। इसीमें हिंदू-धर्म अनेक आश्चर्यकारक कल्प गाओं का भंडार बन गया है। अर्जुनके अक्षय तरुक्रममें बाणोंकी कमी होती ही न थी। उसी तरह हिंदूधर्म-रूपी महासागरमें छिपे हुए रत्न कभी खतम ही नहीं हो सकते। ऋषियोंकी इन मनोहर कल्पनाओंमें चतुर्विध पुरुषार्थकी कल्पना भी एक ऐसा ही रमणीक रत्न है।

धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चार पुरुषार्थ बतलाये गए हैं। इनमेंसे मोक्ष और काम दो परस्पर-विरोधी सिरोपर स्थित हैं प्रकृति और पुरुष या शरीर और आत्मामे अनादि कालसे सघर्ष चला आ रहा है। वेदोमे जो वृत्र और इंद्रके युद्धका वर्णन है वह इसी सनातन युद्धका वर्णन है। 'वृत्र' का अर्थ है ज्ञानको ढक देनेवाली शक्ति। 'इंद्र' सजा परोक्ष सकेतकी द्योतक है और उस अर्थको सूचित करनेके ही लिए खासकर गढ़ी गई है। 'इदम्'—'द्र' या 'विश्वद्रष्टा' 'इंद्र' शब्दका प्रत्यक्ष अर्थ है। यह है उसका स्पष्टीकरण। ज्ञानको ढकानेकी कोशिश करनेवाली और ज्ञानका दर्शन करनेकी चेष्टा करनेवाली, इन दो शक्तियोका अर्थ क्रमशः जड, शरीरात्मक, भौतिक शक्ति और चेतन, ज्ञानमय, आत्मिक शक्ति है। इन दोनोंमे सदा सघर्ष होता रहता है और मनुष्यका जीवन इस सघर्षमे फसा हुआ है। ये दोनों परस्पर-विरोधी तत्त्व एक ही व्यक्तिमे काम करते हैं, इसलिए मनुष्यका हृदय इनके युद्धका 'धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र' हो गया है। आत्माको मोक्ष-पुरुषार्थकी अभिलाषा होती है, शरीरको काम-पुरुषार्थ प्रिय है। दोनों एक-दूसरेका नाश करनेकी ताकमे हैं।

मोक्ष कहता है, "काम आत्माकी ज्ञान लेनेपर तुला हुआ उसका कट्टर बैरी है। उसे मार डालो—निष्काम बनो। यह बड़ा मायावी और स्नेही मालूम होता है। लेकिन इसके प्रेमके स्वागपर मोहित होकर घोखा न खाना। यह जितना कोमल दीखता है उतना ही क्रूर है। इसके दिखानेके दात प्रेममय है, पर खानेके दात क्रोधसे भरे हुए। ऊपर-ऊपरसे यह चैतन्यरससे परिपूर्ण बालकोको जन्म देता हुआ दिखाई देता है। लेकिन यह वास्तविक नहीं है। "यह बूढ़ी महतारी अबतक मरती क्यों नहीं" इसीकी इसे हमेशा फिर रहती है। याद रहे कि लड़केको जन्म देनेका अर्थ है पिताकी मृत्युकी तैयारी करना। अगर आपकी यह इच्छा होती कि आपके बाप-दादा, आपके पुरखा, जीवित रहे, तो क्या आप लड़के और नाती-पोते पैदा करते ? क्या आपको पता नहीं कि इतने आदमियोका प्रचंड 'लोकसग्रह' या मनुष्यो का ढेर पृथ्वी सभाल नहीं सकती ? आप इतना भी नहीं जानते ? "मा तो

मरने ही वाली है, वह हमारे वशकी बात नहीं," यह कह देनेसे काम नहीं चलेगा। हम यह नहीं भुला सकते कि माताकी मृत्युकी अवश्यभाविता स्वीकार करके ही पुत्रका उत्पादन किया जाता है। इसीलिए तो जन्मका भी 'सूतक' (जननाशौच) रखना पड़ता है। चैतन्यरससे भरे बालकको उत्पन्न करनेका श्रेय अगर आपको देना हो, तो उसी रससे ओतप्रोत माताको मार डालनेका पातक भी उसीके मृत्ये होगा। उत्पत्ति और संहार, काम और क्रोध, एक ही छडीके दो सिरे हैं। 'काम' कहते ही उसमें 'क्रोध' का अतर्भाव हो जाता है। इसीलिए अहिंसक वृत्तिवाले सत्पुरुष सहार-क्रियाकी तरह उत्पत्तिकी क्रियामें भी हाथ नहीं बटाते। सच तो यह है कि बालकका चैतन्यरस कामका पैदा किया हुआ होता ही नहीं। जिस गदे अगरेजसे मलिन होनेमें मा-बाप अपने-आपको धन्य मानते हैं वह रजोरस इसका पैदा किया हुआ होता है। कारण, इसका अपना जन्म ही रजोगुणकी धूल (रज) से हुआ है। आप अगर इसके मनोरथ दूरे करनेके फेरमें पड़ेगे तो यह कभी अघायेगा ही नहीं, इतना बड़ा पेट है। जिस-जिसने इसे तृप्त करनेका प्रयोग किया वे सभी असफल हुए। उन सबको यही अनुभव हुआ कि कामकी तृप्ति कामोपभोग द्वारा करनेका यत्न स्वयं क्षत्रिय बनकर पृथ्वीको निक्षत्र करनेके प्रयासकी तरह व्याघातात्मक या असंगत है। इसे चाहे जितना भोग लगाइए, सब आगमें घी डालने-जैसा ही होता है। इसकी भूख बढ़ती ही जाती है। अन्नदाता ही इसका सबसे प्यारा खाद्य है और उमें खानेमें इसे निःसदेह भस्मासुरसे भी बढ़कर सफलता मिलती है। इसलिए इस कामासुर को वरदान देनेकी गलती न कीजिए।

इसकी ठीक उलटी बात काम कहता है। वह भी उतनी ही गभीरतासे कहता है—“मोक्षके चक्रमेमें आओगे तो नाहक अपना काल-मोक्ष (कपाल-क्रिया) करा लोगे। याद रखो, वेदातकी ही बदीलत हिंदुस्तान चौपट हुआ है। यह तुम्हें स्वर्गसुख और आत्म-साक्षात्कारकी मीठी-मीठी बाते सुनाकर भुलावेमें डालेगा। लेकिन यह इसकी खालिस दगाबाजी है। ऐसे काल्पनिक कल्याणके पीछे पड़कर ऐहिक सुखको जलाजलि देना बुद्धिमानकी बात नहीं

है। 'तत्त्वमसि' आदि महावाक्योंकी चर्चा यदि कोई घड़ीभर मनोविनोदके लिए भोजनके अनंतर नीद आनेसे पहले या नीद आनेके लिए करे तो उसकी वह क्रीडा क्षम्य मानी जा सकती है। परंतु, यदि कोई खालीपेट यह चर्चा करनेका हौसला करेगा, तो वह याद रखे कि उसे व्यावहारिक तत्त्वमसि (पंसे) की ही शरण लेनी होगी। चादनी बिलकुल आटे-जैसी सफेद भले ही हो, परन्तु उसकी रोटिया नहीं बनती। और तो कुछ नहीं; मोक्षकी चिंताकी बदौलत जीवनका आनंद खो बैठेगे। इस विश्वके विविध विषयों का आस्वाद लेनेके लिए तुम्हें इन्द्रिया ढी गई हैं। लेकिन यदि तुम 'जगन्मिथ्या' मानकर इन्द्रियोंको मारनेका उद्योग करते रहेगो तो आत्मवचना करोगे और आखिर तुम्हें पछताना पड़ेगा। पहले तो जो आसोंको साफ-साफ नजर आता है उस ससारको मिथ्या मानो और फिर जिसके अस्तित्व के विषयमें बड़े-बड़े दार्शनिकभी सशक हैं, वैसी 'आत्मा' नामक किसी वस्तुकी कल्पना करो, इसका क्या अर्थ है? वेदोंने भी कहा है, 'कामस्तवधे समबर्तंत'—सृष्टिकी उत्पत्ति काम से हुई। और इसका अनुभव तो सभीको है। यदि दर-दर ईश्वर जैसी कोई वस्तु हो तो भी कल यदि सभी लोग निष्काम होकर ब्रह्मचर्यका पालन करने लगे, तो जिस सृष्टिको उत्सन्न होनेसे बचानेके लिए यही परमेश्वर समय-समयपर अवतार धारण करता है उसका पूरा-पूरा विध्वंस हुए बिना न रहेगा। 'मोक्ष' के माने अगर आत्यंतिक सुख हो तो सरल भाषामें उसका अर्थ चिरतन कामोपभोग ही हो सकता है।"

यह है कामकी दलील।

सपूर्ण त्याग और सपूर्ण भोग, ये परस्पर-विरोधी दो ध्रुव हैं। एक कहता है शरीर मिथ्या है, दूसरा कहता है आत्मा भ्रूठी है। दोनोंको एक-दूसरेकी परवाह नहीं, दोनों पूरे स्वार्थी हैं। लेकिन आत्मा और शरीर दोनोंका मिलन मनुष्यमें हुआ है। इसलिए इस तरह दोनों पक्षमें अपने ही सगे-सबधी देखकर अर्जुनके लिए आत्मनिर्णय करना असंभव हो गया उसी तरह कर्म-योगके धर्मक्षेत्रमें अपने स्नेही-सबधियोंको दोनों विपक्षों से सलग्न देखकर

मनुष्यके लिए किसी भी एक पक्षके अनुकूल स्थायी और निश्चित निर्णय देना कठिन हो जाता है। मनकी द्विधा स्थिति हो जाती है और एक मन शरीरका पक्ष लेता है, दूसरा आत्माकी हिमायत करता है। मनुष्यका जीवन अ-शरीर आत्मा और आत्महीनशरीरकी सधिपर आश्रित है, इसलिए उसे शुद्ध आत्मवाद या मोक्ष-पूजा पचती नहीं, और शुद्ध जडवाद या कामोपासना रुचती नहीं। इन दोनों मनोमे अद्वैत कायम करना, या उनका साम-जस्य करना बड़े कौशलका काम है। यह कर्म करनेकी चतुराई या 'कौशल' ही जीवनका रहस्य है।

यदि देहासक्त या नीचेवाले मनको 'मन' और आत्म-प्रवण या ऊपर वाले मनको 'बुद्धि' नाम दिया जाय, तो 'मन' और 'बुद्धि' मे एकता करके व्यवहार करना चाहिए। 'स्वर्गाऽधर्म — मर्त्याऽधर्म' यह गणितकी समता यहाँ किसी कामकी नहीं। "घरमे चार रोटियां हैं और दो लडके हैं, तो हरेकको कितनी रोटियां दी जाय?" ऐसी त्रैराशिक की समता अगर माताएं सीखने लगे तो बड़ा अघेर हो जाय। एक लडका दो सालका है और दूसरा पच्चीस वर्षका। पहला अतिसारमे मरेगा और दूसरा भूखमे ऐसे हिंसावी न्यायका अवलंबन करके आधा शरीरका सतोष आधा आत्माका सतोष करनेकी कोशिशसे यह ममला हल नहीं होगा। समताका अर्थ है योग्यताके अनुसार कीमत आकना। गणित शास्त्र मे अनतके आगे चाहे जितनी बड़ी सान्त सख्या ली जाय तो भी उसकी कीमत अनतके मुकाबिलेमे शून्य समझी जाती है उसी तरह शरीरकी योग्यता कितनी ही बढ़ाई जाय, तो भी आत्माकी अनत महिमाके मुकाबिलेमे वह शून्यवत हो जाती है। इसलिए निष्पक्ष समताको आत्माके ही पक्षका समर्थन करना चाहिए।

यह हुआ एक पक्ष। इस पक्षकी दृष्टिमे शुद्ध आत्मपक्ष या आत्मवाद इष्ट है, परन्तु जबतक देह का बंधन है तबतक वह शून्य नहीं प्रतीत होता। पर 'ससार छोड़कर परामार्थ कल्पे से खाने को अन्न भी नहीं मिलता', यही कथन बहुतेरे लोगोके दिमागमे—या यो कह लीजिए कि पेटमे—तुरत घुस जाता है। 'उदरनिमित्तम्' सारा ढकोसला होनेसे सभी चाहते

हैं कि गुड-खोपड़ेके नैवेद्यसे ही भगवान् सतुष्ट हो जाय। नामदेवका दिया हुआ नैवेद्य भगवान् खाने नहीं थे, इसलिये वह वही धरना देकर वँठ गये। लेकिन इनका दिया हुआ गुड-खोपड़ा यदि भगवान् सचमुच खाने लगे, तो भगवान् को एकादशी व्रत रखानेके लिए यह नई मडली सत्सत्प्रह किये बिना न रहेगी। ये आत्माको थोड़े-से सतुष्ट करना चाहते हैं। कारण कि अगर आत्माको बिलकुल ही सतोष न दिया जाय और केवल देहपूजाके धर्मका ही अनुसरण किया जाय तो उस देहपूजाके समर्थनके लिए नास्तिक तत्त्वज्ञानका पारायण करनेपर भी अतरात्माका दश बद नहीं होता। इसलिए दोनो पक्षोकी दृष्टिमें समभौता वाछनीय है। यह समभौता कराने का भार धर्म और अर्थने लिया है।

जब दो आदमी मार-पीट करके एक-दूसरेका सिर फोड़नेपर आमादा हो जाते हैं तब उनका टटा मिटानेके लिए दोनो पक्षके लोग बीच-बचाव करने लगते हैं। उसी प्रकार आत्मवादी मोक्ष और देहवादी कामका भगडा मिटाने के लिये मोक्षकी तरफसे धर्म और कामकी तरफसे अर्थ ये दो पुरुषार्थ उपस्थित हुए हैं। अब, ये—कम-से-कम दिखानेको तो—समभौता करानेके लिए बीच-बचाव करते हैं, इसलिए निष्पक्ष वृत्ति या समझदारी के समभौते का स्वाग करना उनके लिए लाजिमी हो जाता है। अतः उनकी भाषा दोनो पक्षोको थोड़ी-बहुत खुश करनेवाली होनी चाहिये, और होती भी है। परतु यद्यपि इन लोगो को तकरार मिटानेकी बात करनी पडती है तथापि उनके दिलमें यह उत्कट इच्छा नहीं हीती कि दोनो पक्षोमेंसे किसी पर भी मार न पडे। वे लहू-लुहान सिर देखना नहीं चाहते, मगर सिर्फ अपने पक्षका। यदि केवल शत्रु-पक्षके ही सिर फूटते हो तो उन्हें कोई परवाह न होती। लेकिन दुखका विषय तो यह है कि शत्रु-पक्षके साथ-साथ अपने पक्षके सिरपर भी डडे पडते ही हैं। इसीलिए भगडा तै करानेकी इतनी उत्सुकता होती है। साराश, धर्म और काम यद्यपि टटा मिटानेके लिए शांति-मत्र जपते हुए बीच-बचाव करने आये हैं, तथापि वास्तवमें धर्मके मनमें यही इच्छा होती है कि कामका सिर अच्छी तरह कुचल दिया जाय, और अर्थ

भी सोचता है कि मोक्ष मर जाय तो अच्छा हो ! किसी भी एक पक्षका नाश होनेसे भगडा तो खतम होगा ही ! कई बार जो काम लडाईसे नही होता, वह सुलहसे हो जाता है। योद्धाओकी तलवारकी अपेक्षा राजनीतिज्ञोकी कलमको कभी-कभी सफलताका अधिक हिस्सा मिलता है। 'मोक्ष' और 'काम' को अगर योद्धा माने तो 'धर्म' और 'अर्थ' को राजनीतिज्ञ कहना चाहिए। दोनों समझौता चाहते हैं, लेकिन धर्मकी यह कोशिश होती है कि सधिका शर्तें मोक्षानुकूल हो, और अर्थकी यह चेष्टा होती है कि वे कामानुकूल हो। प्रत्येक चाहता है कि समझौता तो हो, लेकिन अपने पक्षकी कोई हानि न हो। यहा इस समझौतेका थोडा-सा नमूना ही दिखाया जा सकता है। उदाहरणके लिए—

मोक्ष ब्रह्मचारी और काम व्यभिचारी है। इस प्रकार ये दो सिरे हैं। धर्म कहेगा—“हमारा आदर्श ब्रह्मचर्य ही होना चाहिए, इसमे सदेह नही। उस आदर्शके पालनका जोरोसे यत्न करना चाहिए। जब काम बहुत ही भूकने लगे तब धार्मिक विधिके अनुसार गृहस्थ-वृत्ति स्वीकार कर, उसके आगे एकाध टुकडा डाल देना चाहिए। परंतु वहा भी उद्देश्य तो सयमके पालनका ही होना चाहिए और फिर तैयारी होने ही श्रेष्ठ आश्रममे प्रवेश करके उससे छुटकारा पाना चाहिए। ब्रह्मचर्यमे ससार उत्पन्न होगा, यह पापके समर्थनमे दी जानेवाली लचर दलील है। ससारके उत्पन्न होनेकी फिक्र आप न करे। उसके लिए भगवान पर्याप्त है। ब्रह्मचर्यसे सृष्टि नष्ट नही होगी, बल्कि मुक्ति होगी। फिर भी सयमका पालन करनेके अभिप्रायसे गृहस्थ-वृत्ति स्वीकार करनेमे आपत्ति नही है। इसमे कामका भी थोडा-बहुत काम निकल जायगा। लेकिन इससे कब छुटकारा पाऊंगा, इसकी चिन्ता और चिन्तन लगातार करते रहना चाहिए। इसमे मोक्षकी भी पूर्व-तैयारी हो जायगी।

अर्थ कहेगा—“अगर व्यभिचारको स्वीकृति दी जाय तो ससारकी व्यवस्थाका अंत हो जायगा। इसलिए वह न इष्ट है न सम्भव। परंतु, ब्रह्मचर्य का नियम तो एकदम निसर्ग-विरोधी है। वह अशक्य ही नही, अनिष्ट भी

है। तब, बीचका गृहस्थ-वृत्तिका ही राजमार्ग शेष रहता है। इसमें थोडा-सा सयमका कष्ट जरूर है, लेकिन वह अपरिहार्य है। बुढापेमें इन्द्रिया जर्जरित हो जानेपर अनायास ही त्याग हो जाता है। इसलिए यह त्यागकी शर्त अपरिहार्य होनेके कारण उसे मजूर कर लेना चाहिए। इससे मोक्षकी भी जरा तसल्ली होगी। लेकिन विवाहका बधन अभेद्य माननेका कोई कारण नहीं है। विवाह हमारे मुखके लिए होते हैं, हम विवाहके लिए नहीं हैं। इसलिए हम विवाहके धर्मका स्वीकार नहीं करते, लेकिन विवाहकी नीति का स्वीकार कर सकते हैं।”

मोक्षकी दृष्टिमें अहिंसा परम धर्म है। पतजलिने कहा है कि यह ‘जाति-देश-काल-समय’ आदि सारे बधनोसे परे ‘सार्वभौम महाव्रत’ है। इसके विपरीत कामका सिद्धांत-वाक्य ‘ईश्वरोऽहमहं भोगी’ है। इसलिए उसका तो बिना हिंसाके निर्वाह ही नहीं हो सकता, क्योंकि साम्राज्यवादकी वृकोदर-वृत्तिका इमारत हिंसाके ही पायेपर रची जा सकती है।

ऐसी स्थितिमें धर्म कहेगा—“कम-से-कम मानसिक हिंसा तो किसी हालतमें नहीं होने देनी चाहिए। शरीर-धर्मके रूप में कुछ-न-कुछ हिंसा अनजाने भी हो ही जाती है। उसे भी कम करनेकी कोशिश करनी चाहिए। परंतु प्रयत्न करनेपर भी कमजोरीके कारण जो हिंसा बाकी रह जायगी उतनी क्षम्य समझी जाय। पर इसका यह अर्थ नहीं कि उतनी हिंसा करनेका हमें अधिकार है। किंतु उतनी के लिए हम परमेश्वरसे नम्रतापूर्वक क्षमा मांगें और अपनी बुद्धि शुद्ध रखें। अगर क्षमा-वृत्ति असंभव ही हो, तो ‘सौ अपराध माफ करूंगा’, जैसा कोई व्रत लेकर हिंसाको आगे टाल देना चाहिए। इतना करनेपर भी हम अपनी वृत्तिको काबूमें न रख सकें, हमारे अंतःकरणमें छिपा हुआ पशु अगर जाग ह उठे तो हम अपनेसे अधिक बलवान् व्यक्तिसे लोहा ले, कम-से-कम अपनेसे कम बलवान् को तो क्षमा करें। यह भी नामुमकिन हो तो अपने बचावके लिए हिंसा करें, हमला करनेके लिए नहीं। उसमें भी फिर हिंसाके साधन जहाँतक हो सके सीधे-सादे और सुथरे हो। केवल शरीरसे ही द्वन्द्व-युद्ध करें, हथियार काममें न लावें।

साराश, चाहे धर्ममें हिंसाका स्थान भले ही न हो, लेकिन हिंसामें धर्मका स्थान अवश्य होना चाहिए।”

अर्थ कहेगा—“हिंसाके बिना ससारका चलना ही असंभव है। ‘जीवो जीवस्य जीवनम्’ सृष्टिका न्याय है। हमें उसे मानना ही पड़ेगा। लेकिन हिंसाकरना भी एक कला है। उस कलामें निपुणता प्राप्त किए बिना किसीको भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। मुसलमानोंके राजमें जितनी गायोंकी हत्या होती थी उससे कई गुनी गायें अप्रेजोंके राजमें कत्ल की जाती हैं, यह बात सरकारी आंकड़ोंसे साफ जाहिर है। लेकिन मुसलमान हिंसाकी कलाके पंडित नहीं थे इसलिए उनके खिलाफ इतना हो-हल्ला मचा, अप्रेजोंसे किसीको खास चिढ़ नहीं होती। इसका कारण है हिंसाकी कला। इन्फ्लुएंसाने तीस करोड़ आदमियोंसे थोड़े ही समयमें साठ लाख आदमियोंको खाकर अपने-आपको बदनाम कर लिया। वस्तुतः मलेरिया उससे अधिक आदमियोंका कलेवा कर लेता है। लेकिन धीरे-धीरे चबा-चबाकर खानेका आहार-शास्त्रका नियम उसे मालूम है, इसलिए वह बड़ा साह ठहरा। नये चिकित्सा-विज्ञानका एक नियम है कि शीतोपचार और उष्णोपचार एकके बाद एक बारी-बारीसे करते रहना चाहिए। वही नियम हिंसापर भी लागू होता है। जबतक युद्धके पश्चात् शांति-परिषद् और शांति-परिषद्के बाद फिर युद्ध, यह क्रम भलीभाँति जारी न किया जा सके तबतक हिंसा नहीं करनी चाहिए। चूतपर ईंटे और ईंटोपर चूना रख-रखकर ढीवार बनाई जाती है, और फिर उसपर चूना पोता जाता है। उसी प्रकार शांतिके बाद युद्ध और युद्धके बाद शांतिके क्रममें साम्राज्य कायम करके उस साम्राज्यपर फिर शांतिका चूना पोतना चाहिए। इसके बदले अगर केवल ईंटोपर ईंटे ही जमाई जाय तो सारी ईंटे लुडककर गिर जाती हैं। इसलिए दो हिंसाओंके बीच एक अहिंसाको स्थान अवश्य देना चाहिए। इतना समझौता कर लेनेमें कोई हर्ज नहीं।”

‘अर्थमनर्थम् भावय नित्यम्’ यह मोक्षका सूत्र-वाक्य है। इसके विपरीत जहाँ कामोपभोग ही महामत्र है वहाँ अर्थ-सचयका अनुष्ठान स्वाभाविक ही

है। धर्मके मतसे 'न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः'—मनुष्यकी तृप्ति अर्थसंचयसे कदापि नहीं हो सकती। इसलिए अर्थसंग्रह करना ही हो तो उसकी मर्यादा बना लेनी चाहिए। सृष्टिका स्वरूप 'अश्वत्थ' है। अर्थात् कलके लिए सचय उसके पास नहीं है। इसलिए मनुष्यको भी 'अश्वत्थ-संग्रह' रखना चाहिए। 'स एवाद्य स उश्वः'—“वह आज भी है और कल भी है”, यह वर्णन ज्ञान संग्रहपर घटित होता है। इसलिए एक आदमी चाहे कितना भी ज्ञान क्यों न कमाये, उसके कारण दूसरेका ज्ञान नहीं घट सकता। परतु द्रव्य-संग्रह को यह बात नहीं है। मैं अगर पच्चीस दिनके लिए आजही संग्रह करके रखता हूँ तो मेरा व्यवहार चौबीस मनुष्योका आजका संग्रह चुराने के बराबर है और इतने मनुष्योको कम या अधिक मात्रामे भूखो मारनेका पाप मेरे सिर है। इसके अलावा, सृष्टिमे अधिक संग्रह ही न होनेके कारण इतना संग्रह करनेके लिए मुझे कुटिल मार्गका अलवम्बन करना पडता है। एक बारगी संग्रह करनेमे मेरी शक्तिपर अतिरिक्त बोझ पडता है इसलिए मेरी वीर्य-ज्ञानि होती ही रहती है। इसके अतिरिक्त, इतना परिग्रह सुरक्षित रखनेकी चिन्ताके कारण मेरा चित्त भी प्रसन्न नहीं रह सकता। अर्थसंग्रहकी एक ही क्रियामे सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह इन पाँचो व्रतोका सामुदायिक भग होता है।

इसलिए कम-से-कम, यानी केवल शरीर-निर्वाहके लिए ही, संग्रह करना चाहिए। वह भी— 'अगाना मर्दनं कृत्वा श्रमसंजातवारिणा'—“शरीर-श्रम द्वारा शरीरमेसे पानी निकालकर”—करना चाहिए। केवल शरीर-कर्मसे शरीर-यात्रा चलानेमे पाप लगनेका डर नहीं होता— 'नाप्नोति किल्बिषम्' यह भगवान् श्रीकृष्णका आश्वासन है। परतु, जैसा कि कालिदासने रघुवशके राजाओका वर्णन करते हुए कहा है, उसमे भी त्यागकी वृत्ति होनी चाहिए। कारण, केवल तुम्हारा धन ही नहीं, तुम्हारा शरीर भी तुम्हारा निजका नहीं है, किन्तु सार्वजनिक है, ईश्वरका है। साराश, संग्रहका परिणाम अश्वत्थ या तात्कालिक, साधन शारीरिक श्रम,

हेतु केवल शरीर-यात्रा और वृत्ति त्यागकी हो, तो इतना भोग धर्मको मजूर है। 'तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः'।

अर्थ की राय में—

“ससारमें जीवन-कलह चिरस्थायी है। जो योग्य होगा वह टिकेगा, जो अयोग्य होगा उसका नाश होगा। इसलिए सबका सुभीता देखनेका प्रयास व्यर्थ है। इसके अलावा, विश्वका विस्तार अनंत है। उसका एक जरा-सा ही हिस्सा हमारे काबूमें आ पाया है। भौतिक शास्त्रो (विज्ञान) की ज्यो-ज्यो उन्नति होगी त्यो-त्यो हमारा प्रभुत्व भी अधिक विस्तृत होनेकी सभावना है। इसलिए अगर हम सबकी सुविधा देखनेकी अनावश्यक जिम्मेदारी स्वीकार कर भी लें, तो भी उसे पूरी करनेका एकमात्र उपाय हमारा अपना सग्रह कम करना नहीं है। सबके सामुदायिक सग्रहकी वृद्धि करनेका एक दूसरा रास्ताभी हमारे लिए अभी खुला है। और वही पौरुष का रास्ता है। सृष्टिमें अक्षय भण्डार भरा हुआ है। पर हमें उसका पूरा ज्ञान नहीं है। इसलिए वैज्ञानिक आविष्कारोंकी दिशामें प्रयत्न जारी रखकर भविष्यके लिए सग्रह करनेमें कोई हर्ज नहीं है—बल्कि, सग्रह करना कर्तव्य है। मनुष्यकी जरूरतें जितनी बढ़ेंगी उतना ही व्यापारको उत्तेजन मिलेगा और संपत्ति बढ़ेगी। इसलिए सग्रह अवश्य करना चाहिए।

“लेकिन बिल्कुल ही एकांतिक स्वार्थ ठीक नहीं होगा। कारण कि मनुष्य समाजबद्ध है इसलिए उसे दूसरोंके स्वार्थका भी विचार करना ही पड़ता है। ससारकी रोटीको स्वादिष्ट बनानेके लिए स्वार्थके आटेमें थोड़ा-सा परार्थका नमक भी मिलाना जरूरी हो जाता है। लेकिन याद रहे कि आटेमें नमक मिलाना है, न कि नमकमें 'आटा'। स्वार्थके गालपर परार्थका तिल बना देनेसे शोभा बढ़ जाती है। लेकिन तिलके बराबर बिंदी लगाना एक बात है और सारे गालमें काजल पोत लेना दूसरी बात है। परार्थके सिद्धांतको अगर अनावश्यक महत्त्व दिया जायगा तो परावलंबनको प्रोत्साहन मिलेगा। स्वार्थ स्वावलंबनका तत्त्व है। स्वार्थमय जीवन-संग्राममें जो दुर्बल ठंहरेंगे

उन्हे मरना ही चाहिए। और दुबलोंको मारनेमें अगर हम कारणीभूत हो, तो वह दूषण नहीं है किंतु भूषण ही है।

“एक दृष्टिसे तो दान करना दूसरोका अपमान करना है। प्याऊ खोलनेमें पुण्य माना जाता है, लेकिन स्वयं धर्म-शास्त्रोंने ही कहा है कि प्याऊपर पानी पीनेवाला पापका भागी होता है। इसका क्या मतलब है? क्या प्याऊ इसलिए होती है कि लोग उसका पानी ही न पिये? दूसरोको पानी पिलानेसे उन्हे हमारे पापका अंश मिलेगा और हमारा पाप कुछ अंशमें घटेगा, इस विचारमें कहा तक उदारता है? और फिर यह देखिए कि मैं लोगोकी चिंता करूँ और लोग मेरी चिंता करे, इस तरहका द्राविड़ी प्राणायाम करनेके बदले क्या यही श्रेयस्कर नहीं है कि हर एक अपनी-अपनी फिक्र करे? शहरोमें फूहड़ स्त्रियां अपने बच्चोको रास्तेपर शौच कराती हैं। लेकिन मजा यह कि अपने घरकी अगल-बगलमें गदगी न हो, इसलिए अपने बच्चोको दूसरोके धरोके सामने बैठाती हैं। और दूसरे भी प्रतियोगी-सहयोगके सिद्धांतके अनुसार उसके धरके सामने बैठाते हैं। इसके बदले सीधे अपने बच्चोको अपने धरके सामने बैठाये तो क्या हर्ज है? यह परार्थका तत्त्व भी इसी कोटिका है। इसलिए मनुष्यताका अपमान करनेवाली यह परार्थ-वृत्ति त्यागकर हर एक को स्वार्थ-साधना करते रहना चाहिए। दूसरेकी बहुत अधिक चिंता नहीं करनी चाहिए। सहानुभूतिके सुखके लिए या दूरदर्शी स्वार्थकी दृष्टिमें, तात्कालिक सुखका त्याग क्वचित् करना पड़ता है। उतना समझौता जरूर कर लेना चाहिए।”

काम, क्रोध और लोभ ये तीन नरकके दरवाजे माने हैं। इसलिए मोक्षका मुख्य आक्रमण इन्हीपर होना स्वाभाविक है। इसलिए इन तीनोंके विषयमें, समझौतेकी दृष्टिसे, धर्म और अर्थका क्या रुख हो सकता है, इसका विचार अबतक किया गया। आखिर काम भी एक पुरुषार्थ ही है। इसलिए उसका जो चित्र यहाँ खींचा गया है, वह शायद कुछ लोगोको अतिरजित मालूम होगा। लेकिन है वह बिलकुल वस्तु-स्थितिका निदर्शक। “स्वर्गकी गुलामीकी अपेक्षा तो नरकका अधिराज्य श्रेयस्कर है”, मिल्टनके शैतानका

यह वाक्य भी इसी अर्थका द्योतक है। 'पुरुषार्थ' का अर्थ है पुरुषको प्रवृत्त करनेवाला हेतु। यह आवश्यक नहीं कि यह हेतु 'सङ्केत' ही हो। हिन्दू-धर्मने कामको भी पुरुषार्थ माना है। इसका यह अर्थ नहीं है कि उसने कामपर मान्यता (स्वीकृति) की मूहर लगा दी हो। यहाँ तो इतना ही अर्थ है कि काम भी मनुष्यके मनमें रहनेवाली एक प्रेरक शक्ति है। आत्मवान् पुरुष शायद उसे स्वीकार भी न करे। इसके विपरीत 'मोक्ष' की गिनती भी 'पुरुषार्थों'में करके हिन्दू-धर्मने उमपर शक्यताकी मूहर नहीं लगाई है। वहाँ भी इतना ही अभिप्राय है कि मोक्ष भी मानवीय मनकी एक प्रेरक शक्ति है। देहधारी पुरुषके लिए उसकी आज्ञा मानना शायद असंभव भी हो।

शास्त्रकारोंने तो केवल मनुष्यकी अत्युच्च और अतिनीच प्रेरणाओकी तरफ सकेत मात्र किया है। मोक्ष परम पुरुषार्थ है, इसलिए इच्छा यह है कि मनुष्य उसकी तरफ अग्रसर हो। और काम अधम पुरुषार्थ है, इसलिए इरादा यह है कि जहाँतक हो सके, उसकी शकल ही न देखी जाय। लेकिन इन दोनोंका मिलाप करनेकी प्रेरणा होना मनुष्यके लिए स्वाभाविक है। इसलिए धर्म और अर्थ नित्यकी दो प्रेरणाएँ कही गई हैं। मनुष्यको सतोष देनेकी चेष्टा करनेवाले ये दो मध्यस्थ हैं। सत्कार-भेदसे किसीको धर्म प्रिय होगा, किसीको अर्थ प्यारा लगेगा।

वल्लभाचार्यकी व्यवस्थाके अनुसार मृष्टिके तीन विभाग होते हैं— (१) पुष्टि, (२) मर्यादा और (३) प्रवाह। जो आत्म-साक्षात्कारका अमृत पीकर पुष्ट हो गए हैं, मोक्ष-शास्त्रके ऐसे उपासक पुष्टिकी भूमिकापर बिहार किया करने हैं। माया नदीके प्रवाहमें बहे जानेवाले काम-शास्त्रके अनुयायी प्रवाह-पतित वासनाओके गुलाम होते हैं। ये दोनों तरह के व्यक्ति समाज-शास्त्रकी मर्यादाने परे हैं। काम-कामी पुरुष समाजके सुखका विचार ही नहीं कर सकता, क्योंकि उसे तो अपना सुख देखना है। मोक्षार्थी पुरुष भी समाज-सुखकी फिर नहीं कर सकता, क्योंकि उसे किसीके भी सुखकी चिन्ता नहीं। कामशास्त्र स्व-सुखार्थी है और मोक्ष-शास्त्र स्व-हितार्थी है। इस तरह दोनों स्व-अर्थी ही हैं। "प्रायेण देव-मुनय स्व-मुक्तिकामा"—

“देव या ऋषि भी प्रायः स्वार्थी ही होते हैं”, यह भगवद्भक्त प्रह्लादकी प्रेमभरी शिकायत है। इन दो एकांतिक वर्गोंके सिवा सामाजिक कानूनो या नियमोंकी मर्यादाओंमें रहनेवाले जो लोग होते हैं उनके लिए धर्मशास्त्र या अर्थशास्त्रकी प्रवृत्ति है।

अब मोक्ष-शास्त्रके साथ न्याय करनेकी दृष्टिसे इतना तो मानना ही पड़ेगा कि जैसे काम-शास्त्रको समाजकी परवा नहीं है वैसे समाजको मोक्ष-शास्त्रकी कदर नहीं है। अर्थात् समाज और काम-शास्त्रके अनबनकी जिम्मेदारी अगर काम-शास्त्रपर है तो समाज और मोक्ष-शास्त्रके अनबनका दायित्व समाजपर ही है। मोक्ष-शास्त्र स्वहित-परायण तो है, परन्तु जैसा स्व-सुख और पर-सुखका विरोध है वैसे स्वहित और पर-हितका विरोध नहीं है। इसलिए जो ‘स्व-हित’-रत होता है वह अपने आप ही ‘सर्व-भूत-हितेरत’ होजाता है।

लेकिन मनुष्य ‘सर्वभूत-हितेरत’ होते हुए भी समाज को प्रिय नहीं होता। कारण यह कि समाज सुख-लोलुप होता है, उसे हितकी कोई खास परवा नहीं है। सात्त्विकता का जुल्म भी वह ज्यादा सह नहीं सकता। यह मन्त्र है कि सत जगतके कल्याणके लिए होते हैं। लेकिन यदि वे जगतके सुखके लिए हो तो समाजको प्रिय होंगे। ईसा, सुकरात, तुकाराम आदि सत समाजको प्रिय हैं, परन्तु अपने-अपने समयमें तो वे समाजको काटेकी तरह चुभते थे। आज भी वे इसलिए प्रिय नहीं हैं कि समाज उतना आगे बढ़ गया है, बल्कि इसलिए कि वे आज जीवित नहीं हैं।

अब, कामशास्त्र च्कि बिलकुल ही तामस और समाजकी अवहेलना करनेवाला है, इसलिए वह समाजको दुखदायी होता है। काम-शास्त्र समाजको ‘दुःख’ देता है, मोक्ष-शास्त्र ‘हित’ देता है, इसलिए दोनों समाज-बाह्य हैं। कामशास्त्रका तामस ‘प्रवाह’ और मोक्ष-शास्त्रकी सात्त्विक, ‘पुष्टि’ दोनों समाजको एक-सी अपथ्यकर मालूम होती हैं। किसी-न-किसी मरीजकी ऐसी नाजुक हालत हो जाती है कि उसे अन्न दीजिए तो हजम नहीं होता और उपवास सहन नहीं होता। समाज भी एक ऐसा ही नाजुक

रोगी है। बेचारा चिकित्सकोंके प्रयोगका विषय हो रहा है। उसके लिए तामस प्रवाह और सात्त्विक पुष्टि दोनों वर्ज्य ठहरे हैं, इसलिए उसपर राजस मर्यादाके प्रयोग हो रहे हैं। धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र दोनों समाजके लिए मर्यादाएँ कायम करनेवाले शास्त्र हैं। दोनोंको राजस कहा जाय तो भी धर्मशास्त्रको सत्त्व-प्रचुर और अर्थशास्त्रको धर्म-प्रचुर कहना होगा। हमारे यहाँ मुख्यतः धर्मशास्त्रका विकास हुआ, पश्चिममें अर्थशास्त्रका हुआ।

धोडासा समुद्र-मथन करते ही विष निकल आया, परन्तु अमृत हाथ आनेके लिए बहुत परिश्रम करना पडा। उसी न्यायसे समाज-शास्त्रके जरा-से अध्ययनसे अर्थशास्त्रका जन्म होता है, लेकिन धर्मशास्त्रके उदयके लिए गभीर अध्ययनकी आवश्यकता होती है। हमारे यहाँ भी अर्थशास्त्र था। वह बिल्कुल रहा ही नहीं ऐसी बात नहीं है, परन्तु उसकी जहरीली तासीर जानकर समाज-शास्त्रका अधिक मथन किया गया और धर्मशास्त्र निकाला गया। आर्य-संस्कृतिमें अर्थशास्त्रका विकास नहीं हुआ, इसका यही कारण है। या फिर यह कहना ही गलत है कि विकास नहीं हुआ। पूर्ण विकास हुआ इसीलिए धर्मशास्त्रका उदय हुआ। पाश्चात्य अर्थशास्त्रके इतिहासमें भी इसी बातका प्रमाण मिल रहा है। “अर्थशास्त्रात्तु बलवद् धर्मशास्त्रमिति स्थिति” — “अर्थशास्त्रसे धर्मशास्त्र अधिक प्रमाणभूत है” इस सिद्धान्तका जन्म हुए बिना अर्थशास्त्रका छुटकारा ही नहीं हो सकता। इस सिद्धांतके जन्मके अरमान पाश्चात्य संस्कृतिको गत शताब्दीके उत्तरार्द्धमें होने लगे हैं।

अर्थशास्त्रके श्रम-विभागके तत्त्वमें अब सभी ऊबने लगे हैं। गरीब राष्ट्र आमरण ‘अहमन्नम्, अहमन्नम्, अहमन्नम्’ — “मैं खाद्य हूँ, मैं खाद्य हूँ, मैं खाद्य हूँ” — ऐसी उपासना करे और बलवान् राष्ट्र ‘अहमन्नाद, अहमन्नाद, अहमन्नाद’ — “मैं खानेवाला हूँ, मैं खानेवाला हूँ, मैं खानेवाला हूँ” — यह मन्त्र जपते रहे, ऐसे नीच श्रम-विभागसे अब दुनिया बिल्कुल उकता गई और चिड गई है। रस्किन-जैसे दार्शनिकोंने अर्थशास्त्रके विरुद्ध

जो मोर्चा शुरू किया उसे आगे चलानेवाले वीरोकी परपरा अव्याहृत चल रही हैं और उस मोर्चेका अंत विजयमे ही होनेके स्पष्ट लक्षण दिखाई देने लगे हैं। 'अर्थशास्त्र' को शकराचार्यने 'अनर्थशास्त्र' नाम कभीका दे रक्खा है। उसी नामका, 'डिस्मल साइंस' (काली विद्या) कहकर, जीर्णोद्धार पाश्चात्य लोग कर रहे हैं। इसीलिए अर्थशास्त्रके नये सशोधित संस्करण निकलने लगे हैं। इन सब लक्षणोंसे आशाकी जा सकती है कि पाश्चात्य संस्कृतिकी कोखमे धर्मका अवतार होगा। पिछले महायुद्धसे तो प्रसव-वेदना भी शुरू हो गई है, इससे कुछ लोगो का यह खयाल है कि अब यह अवतार जल्दी ही होनेवाला है।

यह अवतार कितनी देरमे होनेवाला है। यह कहना कठिन है। लेकिन इस अवतारके आने की प्रारम्भिक तैयारी करनेवाले नीति-शास्त्रका जन्म हो चुका है और वह दिन-पर-दिन बड़ा भी हो रहा है, धर्म-प्रधान पौरस्त्य संस्कृति और अर्थ-प्रधान पाश्चात्य संस्कृतिकी एक-वाक्यताकी आशा नीतिशास्त्रसे बहुत-कुछ की जा सकती है। लेकिन आकाश और पृथ्वीको स्पर्श करनेवाले क्षितिजकी रेखा जिस प्रकार काल्पनिक है उसी प्रकारकी स्थिति इस उभयान्वयी शास्त्रकी भी है। कोषका काम केवल भले-बुरे सभी तरहके शब्दोंका संग्रह करना है। इसलिए उसका अपना कोई भी विशेष संदेश नहीं होता। "तुम व्यवहार करते समय मेरा उपयोग कर सकते हो", इससे अधिक वह कुछ नहीं कह सकता। इसी तरह नीतिशास्त्रका कोई विशेष प्रमेय नहीं है। आशा लगाये 'मुझे बरतो, मुझे बरतो' कहते रहना ही उसके भाग मे लिखा है। उसकी गिनती पुरुषार्थों मे करने की किसी को नहीं सूझती।

नीतिशास्त्रका सिद्धांत ही यह है कि किसी भी सिद्धांतका अत्यधिक आग्रह नहीं रखना चाहिए। इसलिए इस बिन्दुपर सारी दुनियाको एक किया जा सकता है। लेकिन 'सतोषसे रहो', 'हिल मेलकर रहो' या 'जैसे चाहो वैसे रहो'—इस तरहकी सदिग्ध सिफारिश करनेसे अधिक नीति-शास्त्र आज कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए उसके झड़के नीचे

सारा विषय एकत्र होनेकी सभावना होते हुए भी इस भव्य दिग्बस्त्रकी अपेक्षा लोगोको लगेटोसे भी अधिक सतोष होता है। 'मरनेतक जीओगे', इस आशीर्वादमें सत्य है, परन्तु स्फूर्ति नहीं है। इसलिए इस आशीर्वादमें उतना सतोष देने की भी सामर्थ्य नहीं है, जितना सतोष कि परीक्षितको 'सात दिनमें मरोगे' इस शापसे हुआ होगा। मनुष्यको मनुष्यतासे व्यवहार करना चाहिए, यह नीति-शास्त्रका रहस्य है। और मनुष्यताके क्या मानी है? मनुष्यका स्वभाव! सत्ताके मानो (प्रत्येक पदार्थका) नाम! ऐसे व्यापक शास्त्रसे मनुष्यको सतोष कैसे हो सकता है? संस्कृत न्यायशास्त्रमें ऐसे ही प्रचंड प्रमेय होते हैं। "जिसमें घटत्व है वह घट है", "जिसमें पटत्व है वह पट है", "जिसमें पत्थरपन है वह पत्थर है। और जिसमें यह सब हो वह है न्यायशास्त्र।" ऐसी ही दशा नीतिशास्त्रकी हो रही है। इसलिए धर्ममोक्षकी बात तो जाने दीजिये, अर्थ-कामके बराबरकी स्फूर्ति भी उसमें नहीं है।

परन्तु इतना तो मानना ही पडेगा कि धर्म और अर्थ चाहे कितना ही समझीतेका स्वाग क्यों न भरे, फिर भी वे पक्षपाती ही हैं और नीतिशास्त्र निष्पक्षपात हैं। निष्पक्षपात वृत्तिके कारण आकर्षण शक्ति कुछ कम भले ही हो, तो भी वह उसका गुण ही माना जाना चाहिए। नित्यके भोजनमें आकर्षण नहीं होता। रोजकी खूराक होनेसे नीतिशास्त्रमें चाहे आकर्षकताका अभाव भले ही हो, परन्तु मारे समाजको देने योग्य उससे बढ़कर पीष्टिक दूसरी खूराक नहीं है। धर्म-मोक्ष पीष्टिक होते हुए भी महगे हैं। अर्थ-काम सस्ते तो हैं, मगर उनको गिनतो कुपथ्यमें होती है। इसलिए समारको आज नीतिशास्त्रके बिना गत्यतर नहीं है।

ऊपर कहा गया है कि हमारी संस्कृति धर्म-प्रधान है। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि हम धर्म-प्रधान हैं। हम तो अर्थ-कामके ही दास हैं। इसलिए यद्यपि हमारी संस्कृतिको नीतिकी परवाह नहीं, तथापि हमारे लिए नीतिकी उपासना करना नितात आवश्यक है। साराश, क्या हमारी और क्या इतरोकी—सारे मसार ही की—सामान्य भाषा नीतिशास्त्र ही

है, ऐसा कहा जा सकता है। सभी पुरुषार्थोंकी शिक्षा इसी भाषामे दी जानी चाहिए। नीति पुरुषार्थ भले ही न हो, किन्तु पुरुषार्थके शिक्षणका द्वार है। अगर पुरुषार्थोंका भाषातर नीतिकी भाषामे किया जाय तो सभी पुरुषार्थोंका स्वरूप सौम्य तथा परम्परानुकूल प्रतीत होगा।

वसिष्ठ ऋषिके आश्रममे गाय और बाघ एक ही भरनेपर पानी पीते थे, ऐसा वर्णन है। इसका केवल इकहरा ही अर्थ नहीं है, प्रत्युत दोहरा अर्थ है—अर्थात् न केवल बाघकी क्रूरता ही नष्ट होती थी, बल्कि गायकी भीरुता भी नष्ट हो जाती थी। मतलब गाय ऋण भय - शेर ऋण क्रौर्य। इस तरह मेल बँठता है। नहीं तो शेर को गाय बनानेकी सामर्थ्य तो सर्कमवालोमे भी है। उसके लिए ऋषिके आश्रमकी जरूरत नहीं है।

नीतिके आश्रममे भी सभी पुरुषोंका आग्रही या एकागी स्वरूप बदलकर उनका समन्वय हो सकेगा। नीतिके शीशेमेसे चारो पुरुषार्थोंके रंग बिलकुल बदले हुए नजर आयेगे। कामकी सुन्दरता, अर्थकी उपयोगिता, धर्मकी पवित्रता और मोक्षकी स्वतन्त्रताका एकत्र दर्शन होगा और सपूर्ण जीवनकी यथार्थ कल्पना होगी। सौदर्य, उपयोगिता, पावित्र्य और स्वातन्त्र्य, इन चारो दिशाओको नीतिका आकाश स्पर्श करता है, इसलिए अगर चारो पुरुषार्थ ये नई पोशाके पहना मजूर करे तो उनका द्वैत कम होकर मनुष्यको सतोष होनेकी सभावना है।

परन्तु आधुनिक नीतिशास्त्रका अपना कोई निश्चित सिद्धांत न होनेके कारण वह बिलकुल खोखला हो गया है। इसलिए उमसे ठोस सतोषकी आशा करना व्यर्थ है। दूसरी भाषामे, वर्तमान नीतिशास्त्रके आत्मा ही नहीं है, इसलिए उसका स्वरूप बहुत-कुछ शाब्दिक हो गया है। चार पुरुषार्थोंके मिलापकी सभावना दिखाई जानेपर भी उनमे समझौता करनेका कर्तृत्व इस शास्त्रमे नहीं है, इसलिए इस कमीकी पूर्ति करनेके उद्देश्यसे ऋषियोने कर्तृत्वान योगशास्त्रका निर्माण किया। समझौतेकी पूर्व

तैयारीके लिए नीतिशास्त्रको धन्यवाद देकर अगले कार्यके लिए इस योग-शास्त्रकी शरण लेनी पडेगी । 'अथ योगानुशासनम्' ।

'महाराष्ट्र धर्म' जनवरी १९२३

: ५ :

परशुराम

यह एक अद्भुत प्रयोगी लगभग पच्चीस हजार बरस पहले हो गया है । यह कोकणस्थोका मूल पुरुष है । मा की ओरसे क्षत्रिय और बापकी तरफसे ब्राह्मण । पिताकी आज्ञासे इसने माका सिर ही काट डाला था । कोई पूछ सकते हैं, 'यह कहा तक उपयुक्त था ?' लेकिन उमकी श्रद्धाको सशक्ता छूतक नहीं गई थी । 'निष्ठाने प्रयोग करना और अनुभवसे ज्ञान प्राप्त करना', यही उसका सूत्र था ।

परशुराम उस जमानेका सर्वोत्तम पुरुषार्थी व्यक्ति था । उमे दुनियोके प्रति दया थी और अन्यायोसे तीव्र म चिढ़ । उस समयके क्षत्रिय बहुत ही उन्मत्त हो गये थे । वे अपनेको जनताका 'रक्षक' कहते थे, लेकिन व्यवहारमे तो उन्होने कभीका 'र' को 'भ' मे बदल दिया था । परशुरामने उन अन्यायी क्षत्रियोका घोर प्रतिकार शुरु किया । जितने क्षत्रिय उसके हाथ आए, उन सबको उसने मार ही डाला । 'पृथ्वीको नि क्षत्रिय बनाकर छोडूंगा', यह उसने अपना बिगद बना लिया था ।

इसके लिए वह अपने पास हमेशा एक कुल्हाडी रखने लगा । और कुल्हाडीमे रोज कम-से-कम एक क्षत्रियका सिर तो उडाना ही चाहिए ऐसी उपासना उमने अपने ब्राह्मण अनुयायियोमे जारी की । पृथ्वी नि क्षत्रिय करनेका यह प्रयोग उसने इक्कीस बार किया । लेकिन पुराने क्षत्रियोको जानबूझकर खोज-खोजकर मारने और उनकी जगह अनजाने नये-नये क्षत्रियोका निर्माण करनेकी प्रक्रियाका फलित भला क्या हो सकता था ? आखिर रामचन्द्रजीने उसकी आखोमे अजन डाला । तबसे उसकी दृष्टि कुछ सुधरी ।

तब उसने उस समयके कोकणके घने जंगल तोड़-तोड़कर बस्तिया बसानेके रचनात्मक कार्यका उपक्रम किया। लेकिन उनके अनुयायियोंको कुल्हाडीके हिंसक प्रयोगका चस्का पड़ गया था। इसलिए उन्हें कुल्हाडीका अपेक्षाकृत अहिंसक प्रयोग फीका-सा लगने लगा। निर्धनको जिस प्रकार उसके संगे-सबधी त्याग देते हैं, उसी प्रकार उसके अनुयायियों ने भी उसे छोड़ दिया।

लेकिन यह शिष्टावान् महापुरुष अकेला ही वह काम करता रहा। ऐच्छिक दरिद्रताका कारण बननेवाले, आरण्यक प्रजाके आदि सेवक भगवान् शकरके ध्यानसे वह प्रतिदिन नई स्फूर्ति प्राप्त करने लगा और जंगल काटना, भोपडिया बनाना, वन्य पशुओकी तरह एकाकी जीवन व्यतीत करनेवाले अपने मानव बन्धुओको सामुदायिक साधना सिखाना—इन उद्योगोमे उस स्फूर्तिसे काम लेने लगा। निष्ठावत और निष्काम सेवा ज्यादा दिन एकाकी नहीं रहने पाती। परशुरामकी अदम्य सेवावृत्ति देख कं कणके जंगलोके वे वन्य निवासी पिघल गये और आखिर उन्होने उनका अच्छा साथ दिया। अपने आपको ब्राह्मण कहलाने वाले उसके पुराने अनुयायियोंने तो उसका साथ छोड़कर गहरोकी पनाह ली थी, मगर उनके बदले ये नये अवर्ण अनुयायी उमे मिले। उसने उन्हें स्वच्छ आचार, स्वच्छ विचार और स्वच्छ उच्चारका शिक्षा दी। एक दिन परशुरामने उनसे कहा, “भाइयो, आजसे तुम लोग ब्राह्मण हो गये।”

राम और परशुरामकी पहली भेट धनुर्भंग-प्रसंग के बाद एक बार हुई थी। उसी वक्त उसे रामचन्द्रजीसे जीवन-दृष्टि मिली थी। उसके बाद इतने दिनोंमे उन दो रोककी भेट कभी नहीं हुई थी। लेकिन अपने वनवासके दिनोंमे रामचन्द्र पंचवटीमे आकर रहा था। उसके वहाके निवासके आखिरी वर्षमे बागलाणकी तरफसे परशुराम उससे मिलने आया था। जब वह पंचवटीके आश्रम को पहुँचा, उस समय रामचन्द्र पीधोकी पानी दे रहे थे। परशुरामसे मिलकर रामचन्द्रको बडा ही आनंद हुआ। उसने उस तपस्वी

और वृद्ध पुरुषका साष्टांग प्रणाम-पूर्वक स्वागत किया और कुशल-प्रश्नादिके बाद उसके कार्यक्रम के बारेमें पूछा । परशुरामने कुल्हाडीके अपने नये प्रयोगका सारा हाल रामचन्द्र को सुनाया । वह सुन रामचन्द्रने उसका बड़ा गौरव किया । दूसरे दिन परशुराम वहासे लौटा ।

अपने मुकामपर वापस आते ही उसने उन नये ब्राह्मणोको रामका सारा हाल सुनाया और बोला,

“रामचन्द्र मेरा गुरु है । अपनी पहली ही भेटमें उसने मुझे जो उपदेश दिया, उससे मेरी वृत्ति पलट गई और मैं तुम्हारी सेवा करने लगा । अबकी मुलाकातमें उसने मुझे शब्दों द्वारा कोई भी उपदेश नहीं दिया । लेकिन उसकी कृतिमेंसे मुझे उपदेश मिला है । वही मैं अब तुम लोगोको सुनाता हूँ ।

“हम लोग जगल काट-काटकर बस्ती बसानेका यह जो कार्य कर रहे हैं, वह बेशक उपयोगी कार्य है । लेकिन इसकी भी मर्यादा है । उस मर्यादाको न जानकर हम अगर पेड़ काटते ही रहेगे, तो वह एक बड़ी भारी हिंसा होगी । और कोई भी हिंसा अपने कर्तापर उल्टे बिना नहीं रहती, यह तो मेरा अनुभव है । इसलिए अब हम पेड़ काटनेका काम खत्म करे । आजतक जितना कुछ किया, सो ठीक ही किया, क्योंकि उसीकी बदौलत पहले जो ‘अ-सह्याद्रि’ था, वह अब ‘सह्याद्रि’ बन गया है । लेकिन अब हमे जीवनों-पयोगी वृक्षोके रक्षणका काम भी अपने हाथमें लेना चाहिए ।”

यह कहकर उसने उन्हें आम, केले, नारियल, काजू, नटहल, अनन्नास, आदि छोटे-बड़े फलके वृक्षोके सगोपनकी विधि सिखाई । उसे इसके लिए स्वयं वनस्पति-सवर्धन-शास्त्रका अध्ययन करना पडा और उसने अपने हमेशाके उत्साहसे उस शास्त्रका अध्ययन किया भी । उसने उस शास्त्रमें कई महत्वपूर्ण शोध भी किये । पेड़ोको मनोज्ञ आकार देनेके लिए उन्हें व्यवस्थित काटने-छाटनेकी जरूरत महसूसकर उसने उसके लिए छोटेसे औजारका आविष्कार किया । इस औजारको ‘नव-परशु’ का नाम देकर उसने अपनी परशु-उपासना अखड जारी रखी ।

एक बार उसने अपनी समुद्रतटपर नागियलके पेड़ लगानेका एक सामुदायिक समारोह मपन्न किया। उस अवसरमे लाभ उठाकर उसने वहा आये हुए लोगोके सामने अपने जीवनके सारे प्रयोगो और अनुभवोका मार उपस्थित किया। सामने पूरे ज्वारमे समुद्र गरज रहा था। उसकी तरफ इशाग करके समुद्रवत् गभीर ध्वनिमे उसने बोलना आरभ किया—

“भाइयो, यह समुद्र हमे क्या मिखा रहा है, इसपर ध्यान दीजिए। इतना प्रचंड शक्तिशाली है यह, परन्तु अपने परम उत्कर्षके समय भी वह अपनी मर्यादाका उल्लघन नहीं करता। इसलिए उसकी शक्ति हमेशा ज्यो-की-न्यो रही है। मैंने अपने सारे उद्योगो और प्रयोगोमेसे यही निष्कर्ष निकाला है। छूटपनमे मैंने पिताकी आज्ञासे अपनी माताकी ह या की। लोग कहने लगे, ‘कैसा मातृ-हत्यारा है।’ मैं उस आक्षेपको स्वीकार करनेको तैयार नहीं था। मैं कहा करता, ‘आत्मा अमर है और शरीर मिथ्या है। कौन किसे मारता है ? मैं मातृ-हत्यारा नहीं हूँ, प्रत्युत पितृभक्त हूँ।’

“लेकिन आज मैं अपनी गलती महसूस करता हूँ। मातृवधका आरोप मुझे उस वक्त स्वीकार नहीं था, और आज भी नहीं है। लेकिन मेरे ध्यानमे यह बात नहीं आई थी कि पितृभक्तिका भी मर्यादा होती है। यही मेरा वास्तविक दोष था। लोग अगर अचूक उतना ही दोष बताते तो उससे मेरी विचार-शुद्धि हुई होती। लेकिन उन्होने भी मर्यादाका अतिक्रमण करके मुझपर आक्षेप किया और उसमे मेरी विचार-शुद्धिमे कोई सहायता नहीं पहुँची।”

“बादमे बडा होनेपर अन्यायके प्रतिकारका व्रत लेकर मैं जुल्मी सत्तामे डक्कीस बार लडा। हर बार मुझे ऐसा प्रतीत होता था कि मैं सफल हो गया हूँ, लेकिन प्रत्येक मर्तबा मुझे निश्चित असफलता ही नसीब हुई। रामचन्द्रने मेरी गलती मुझे समझा दी।

‘अन्याय-प्रतीकार मनुष्यका धर्म नो है, लेकिन उसकी भी एक शास्त्रीय मर्यादा है, यह ज्ञान मुझे गुरु-कृपाकी बदौलत प्राप्त हुआ।

“इसके उपरांत मैं जंगल काटकर मानव-उपनिवेश बसानेके, मानव सेवाके कार्यमें जुट गया, लेकिन आप जानते ही हैं कि जंगल काटनेकी भी-एक हद होती है, इस बानका ज्ञान मुझे ठीक समयपर कैसे हुआ।

“अबतक मैं निरंतर प्रवृत्तिका ही आचरण करता रहा। पर आखिर प्रवृत्तिकी भी मर्यादा तो है ही न? इसलिए अब मैं निवृत्त होनेकी सोच रहा हूँ। इसके मानी यह नहीं है कि मैं कर्म ही त्याग दूँगा। स्वतन्त्र नई प्रवृत्तिका आरंभ अब नहीं करूँगा। प्रवाह-पतित करता रहूँगा। प्रसंगवश आप पूछेंगे तब, सलाह भी देता रहूँगा।

“इसीलिए मैंने आज जानबूझकर इस समारोहका आयोजन किया और अपना यह ‘समुद्रोपनिषत्’ या ‘जोवनोपनिषत्’ चाहे जो कह लीजिए, आपसे निवेदन किया है। फिर-से थोड़ेमें कहता हूँ, पितृ-भक्तिकी मर्यादा, प्रतीकारका मर्यादा, मानव सेवाकी मर्यादा—साराश सभी प्रवृत्तियोकी मर्यादा—यही मेरा जीवनसार है। आओ, एक बार सब मिलकर कहें: ॐ नमो भगवत्स्वे मर्यादायै।”

इतना कहकर परशुराम शांत हो गया। उसके उपदेशकी यह गभीर प्रतिध्वनि सह्याद्रिकी खोह-कदराओमें आज भी गूँजती हुई मुनाई देती है।

ग्रामसेवा वृत्तसे · नागपुर जेल, १९४१

: ६ :

चिर-तारुण्यकी साधना

तुम्हारे खेल देखकर आनन्द हुआ। देशका भविष्य तुम बाल-गोपालोके हाथमें है। तुमने जो खेल दिखाए वे किसलिए हैं? शक्ति प्राप्त करने के लिए है, शक्ति किसलिए? गरीब लोगोकी रक्षाके लिए, इसलिए कि गरीबोके लिए हम उपयोगी हो सकें। शरीर घिसाने के लिए तगडा बनाना है। चाकूमें धार किसलिए लगाई जाती है? इस-

लिए नहीं कि वह पडा-पडा जग खा जाय, बल्कि इसलिए कि वह काम आ सके। शरीरमे धार लगानी है, उसे फुर्तीला, चपल और मजबूत बनाना है। उद्देश्य यह है कि आगे चलकर उसे हम चदनके समान घिस सकें। बल सेवाके लिए है।

गीतामे श्रीभगवान्ने कहा है, 'बलं बलवतामस्मि कामराग-विर्वाजितम्।' (बलवानोमे में वैराग्य-युक्त निष्काम बल हूँ।) शब्दोपर खूब ध्यान दो। सिर्फ 'बल' नहीं कहा। 'वैराग्य-युक्त निष्काम बल'। इस वैराग्य-युक्त निष्काम बलकी ही मूर्ति हम व्यायामशालाओमे रखा करते हैं। वह कौन-सी मूर्ति है? हनुमानजीकी पवित्र और सामर्थ्यवान् मूर्ति। हनुमानजी वैराग्य-युक्त निष्काम बलके पुतले थे। इसलिए वाल्मीकिने उनके स्तुति-स्तोत्र गाये। रावण भी महा बलवान् था। लेकिन रावणमे वैराग्य नहीं था। रावणका बल भोगके लिए था, दूसरोको सतानेके लिए था। रावण पहाड उठाता था, वज्र तोड डालता था, दस आदमियोका बल मानो उस अकेलेमे था। इसलिए उसके दस मुह और बीस हाथ दिखाये गये। इतना बलवान् होते हुए भी उसका सारा बल धूलमे मिल गया। हनुमानका बल अजरामर हो गया। वाल्मीकिने बलकी ये दो मूर्तिया, ये दो चित्र, उपस्थित किये हैं। रावणके बलमे भोग वासना थी। रावण बलके द्वारा भोग प्राप्त करना चाहता था। हनुमान बलके द्वारा सेवा करना चाहता था। सेवाको अर्पण किया हुआ बल टिकेगा, अमर होगा। भोगको अर्पण किया हुआ बल अपने और ससारके नाशका कारण होगा।

समुद्रके तीरपर सारे बानर बैठे थे। लकामे कौन जायगा, इसकी चर्चा हो रही थी। हनुमान एक तरफ राम-राम जपते बैठे थे। जामवत हनुमानके पास जाकर बोला, "हनुमान तुम जाओगे?" हनुमान बोला, "आपका आशीर्वाद हो, तो जाऊंगा।"

वह अकेला बानर किस शक्तिके बूते उन बलवान् राक्षसोमे निर्भय होकर चला गया? हनुमानने जब यह सवाल पूछा तब उसने क्या जवाब दिया यह कि मैं अपने बाहुबलके जोरपर आया हूँ। हनुमान बोला, "मैं

राम के भरोसे यहा आया हूँ। मेरे बाजुओमे जोर है या नही, यह मुझे नही मालूम। परन्तु रामका बल अवश्य मेरे पाम है।”

और जरा गहगईमे मोचो, तो बाहुबलका भी क्या अर्थ है ? बाहु-बलके मानी है शारीरिक श्रम करनेकी शक्ति। इसीके लिए यह हाथ है। सेवाके लिए ही हम हस्तवान् हैं। पशुके हाथ नही है। भुजाओके बलके प्रयोगमे हम अन्नका निर्माण करे, संवा करे। हमारी कलाइयोमे यह जो सेवा करनेकी शक्ति है, वह किसकी शक्ति है ? हनूमान जानता था कि वह आत्माकी शक्ति है, रामकी शक्ति है।

जिस बलकी आत्मामे श्रद्धा न हो, राममे श्रद्धा न हो, वह बल निकम्मा होता है। अमृतसरमे कत्ले-आम हुआ। उसके बाद लोगोने तेजोभंग करनेके इरादेसे, उन्हें शर्मिदा करनेकी मशामे, रास्तेमे पेटके बल चलाया गया। पहाड जैसे पजाबी लोग, ऊचे-पूरे, तगडे डील-डोलवाले। लेकिन वे भी पेटके बल रोगने लगे। क्योंकि राममे उनकी श्रद्धा नही थी। आत्माकी निभंयता वे जानते नही थे। आज बगालमे यही हाल है। लोगोपर मनमानी पाबन्दिया लगाई जा रही है। रास्तेसे फोज गजर रही हों तो सलाम करने आना पड रहा है। क्या कारण है ? आत्माकी निभंयता गले नही उतरती। जिमने रामका बल पहचान लिया, वह कलिकालमे भी नही डग करता। शरीरबल रामके लिए है। वह सेवाके लिए है भोगके लिए नही है।

दूसरी बात यह है भुजाओमे जो बल है वह तुच्छ वस्तु है। वह केवल बल निराधार है। वह बल आत्मश्रद्धापर सुप्रतिष्ठित होना चाहिए। निबंलोमे भी आत्मश्रद्धामे बल पैदा हो जाता है। उपनिषद् कह रहे हैं कि जिसमे श्रद्धाका बल है, वह दूसरे मी आदमियोंको कपा देगा। इसलिए आध्यात्मिक बलकी उपासना चाहिए।

हनूमानमे पशुबल नही था। हनूमानका जो स्तुतिश्लोक है, उसमे दूसरे सारे बलोका वर्णन है, परन्तु शरीर बलका उल्लेख कही नही है।

यथा—

मनोजव मासत-तुल्य-वेगम्,
जितेन्द्रियं बुद्धिमतांवरिष्ठम् ।
वातात्मज वानरयूथ-मुख्यम्,
श्रीराम-दूत शरण प्रपद्ये ॥

(मनके समान वेगवान, वायुके समान वेगवान, जितेन्द्रिय, बुद्धिमानोंमें वरिष्ठ, पवनसुत, वानरोंके सेनापति, रामदूतकी मैं शरण जाना हूँ !)

हनूमान मन और पवनके समान वेगवान थे । वह जितेन्द्रिय थे, वह अत्यंत बुद्धिमान थे, वह नायक थे, वह रामदूत थे—इन सारी बातोंका वर्णन है । हनूमान बलका देवता है । लेकिन इस स्तुतिमें बलका जिक्र तक नहीं । क्या यह आश्चर्यकी बात नहीं है ? परन्तु ये गुण ही वास्तविक बल हैं । ये गुण ही यथार्थ कार्य-शक्ति हैं ।

मनुष्यमें वेग चाहिए, स्फूर्ति चाहिए, मनके समान वेग चाहिए, सामने काम देखते ही उसे चटमें आनन्दमें छलाग मारनी चाहिए । सिंहगड फतह करनेका मदेशा आते ही तानाजी चल पडा । नहीं तो, मनमें सेवाकी मुराद है, लेकिन शरीर टस-से-मम नहीं होता, वह आलसमें लोट-पोट हो रहा है । ऐसा शरीर किस काम का ? जानेश्वरने बडा मुन्दर वर्णन किया है । मेवक कैसा चाहिए ? जानेश्वर कहते हैं—‘आग मनापुडें घे दौडा’—शरीर मनके आगे-आगे दौडता है । कोई बात मनमें आनेमें पहले ही शरीर दौडने लग जाता है ।

शरीरमें इस तरहका वेग होनेके लिए ब्रह्मचर्य चाहिए । जितेन्द्रियत्व चाहिए, इन्द्रियोपर काबू चाहिए । समयके बिना यह बल नहीं मिल सकता । वेग और समयके साथ-साथ बुद्धि भी चाहिए । कर्म-कुशलता भी चाहिए, कल्पना-शक्ति चाहिए और चाहिए प्रतिभा । सिर्फ फरमाबरदारी ही काफी नहीं है । इसके अलावा रामकी सेवाकी भावना चाहिए । जहा राम कहे, वहा जानेके लिए दिन-रात तैयार रहना चाहिए ।

हिन्दुस्तानके करोडो देवता तुम्हारी सेवाके इच्छुक हैं। उन्हें तुम्हारी सेवाकी जरूरत है। उस सेवाके लिए तैयार रहो। वेगवान, बुद्धिमान, सयमी, सेवाके शौकीन तरुण बनो। शारीरिक बल कमाओ, प्रेम कमाओ। अभी मैंने इम व्यायामशालाके अखाडेमें कुश्तियां देखी। एक कुस्ती एक हरिजन और ब्राह्मणमें हुई। मैंने उसमें समभाव पाया। अगर हम इसी समभावसे आइदा व्यवहार करेंगे तो समाज बलवान होगा। अगर तुम इस समभावका पोषण करोगे तो तुम जो खेल खेले, जो कुश्तिया लडे, उनमेंसे कल्याण ही होगा।

खेलमें हम समभाव सीखते हैं। शिस्त, (अनुशासन) व्यवस्थाका महत्व सीखते हैं। इन खेलोंके अलावा दूसरे भी अच्छे खेल खेले जा सकते हैं। खेतकी जमीन खोदना भी एक खेल ही है। एक साथ कुदालिया ऊपर उठती है, एक साथ जमीनमें धुस रही है,—कैसा मुन्दर दृश्य दिखेगा। इस खेलमें आदर्श व्यायाम होगा। उसमें बुद्धिके प्रयोगकी भी गुजाइश है। व्यायाममें बुद्धिको भी गति मिलनी चाहिए। इसलिए मेरे मतसे व्यायाम भी, कुछ-न-कुछ उत्पादन करने वाला होना चाहिए।

यहाके खेलोंसे तुम्हारे अदर शक्ति और प्रेम दोनों पैदा हो। सब तरहके सब जातियोंके, लडके एकत्र होते हैं, एक साथ खेलते हैं। इसमें प्रेमका विकास होता है। ये सम्मरण अगले जीवनमें उपयोगी होते हैं। हम साथ-साथ खेले, कुस्ती लडे, साथ-साथ शक्ति कमाई, ज्ञान कमाया, हाथ मिलाया, आदि सम्मरणोंसे आगे चलकर तुम एकत्र होगे। सघशक्ति और सहकार्य बड़ेगा।

तुम गणवेश (बर्दिया) पहने हो। इनका उद्देश्य भी आत्मीयता बढ़ाना ही है। परन्तु तुम्हारी पोशाक खादीकी ही हो। जो कमर-पट्टे तुम बरतोगे, वे भी मुर्दार चमडेके हो। हमको सर्वत्र सचेत रहना चाहिए। बूढ़-बूढ़में ही घडा भरता है। राष्ट्रमें सब तरफ सूराल-ही-सूराल हो गये हैं। सपत्ति लगातार बाहर जा रही है। इसकी तरफ ध्यान दो।

तुमने कसरत की। लेकिन दूध और रोटी न मिली, तो कैसे काम चलेगा ? अगर तुम्हें दूध चाहिए, तो गोरक्षण भी होना चाहिए। गोरक्षणके लिए गायके—मरी हुई गायके—चमड़ेसे बनी हुई चीजे ही बरतनी चाहिए। रोटीकेलिए किसानको जिलाना चाहिए। खादी खरीदकर हम उनकी थोड़ी सी मदद करेंगे, तो वे जीयेगे और हमें रोटी मिलेगी। तुम्हें अगर घरपर रोटी नहीं मिलती, तो यहाँ आकर कितनी उछल-कूद करते ? तुम जानते हो कि घरपर रोटी तैयार है, इसलिए यहाँ कूदे-फादे। अन्न कूदने-फादनेकी शक्ति देता है। इसलिए उपनिषद् कहता है—अन्नं वाक् बलाद् भूयः (अन्न, बल में श्रेष्ठ है) राष्ट्रमें अगर अन्न न होगा, तो बल कहा से आयेगा ? पहले अन्नका इतजाम करोगे, तब कहीं अखाड़े चलेगे। पहले अन्नका प्रबन्ध होगा तब ज्ञानदान का प्रबन्ध हो सकेगा।

एक बार भगवान् बुद्धका एक प्रचारक घूम रहा था। उसे एक भिखारी मिला। वह प्रचारक उसे धर्मका उपदेश देने लगा। उस भिखारीने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। उसमें उसका मन ही नहीं लगता था। प्रचारक नाराज हुआ। बुद्धके पास जाकर बोला, “वहाँ एक भिखारी बैठा है, मैं उसे इतने अच्छे-अच्छे सिखावन दे रहा था, तो भी वह मुनता ही नहीं।” बुद्ध ने कहा, “उसे मेरे पास लाओ।” वह प्रचारक उसे बुद्धके पास ले गया। भगवान् बुद्धने उसकी दशा देखी। उन्होंने ताड़ लिया कि वह भिखारी तीन-चार दिनोसे भूखा है। उन्होंने उसे भरपेट खिलाया और कहा, “अब जाओ।” प्रचारकने कहा, “आपने उसे खिला तो दिया, लेकिन उपदेश कुछ भी नहीं दिया।” भगवान् बुद्धने कहा, “आज उसके लिए अन्न ही उपदेश था। आज उसे अन्नकी ही सबसे ज्यादा जरूरत थी। वह उसे पहले देना चाहिए। अगर वह जीयेगा तो कल मुनेगा।”

हमारे राष्ट्रकी आज यही दशा है। आज राष्ट्रमें अन्न ही नहीं है। रामदासके जमानेमें अन्न भरपूर था। आजकी तरह उस समय हिन्दुस्तानकी संपत्तिका सोता सूखा नहीं था। इसलिए उन्होंने प्राणका, बलका, उपासनाका, उपदेश दिया। आज देहातोमें सिर्फ अखाड़े खोल देनेसे काम नहीं चलेगा।

जब राष्ट्रमें अन्नकी उपज और गोसेवा होगी, तभी राष्ट्रका सर्वधन होगा। बलवान तरुणको राष्ट्रमें अन्न और दूधकी अभिवृद्धि करनी चाहिए। हिंदुस्तानको फिरसे 'गोकुल' बनाना है। यह जब बनाओगे तब बनाओगे। परन्तु आज तो खादीकी पतलून पहनकर और मरे हुए—मारे हुए नहीं—जानवरके चमडेका पट्टा पहनकर अन्नदान और गोपालनमें हाथ बटाओ।

खाकी पोशाक करो। लेकिन वह पोशाक करके गरीबोके पेट मत मारो। तुम गरीबोके सरक्षणके लिए कवायद करोगे। लेकिन गरीब जब जीयेगे तभी तो उनका रक्षण करेगे न? तुम खाकी परिधान करके देशके बाहर पैसे भेजोगे और इधर गरीब मरेगे। फिर सरक्षण किसका करोगे? तुम पैसे तो विदेश भेजोगे और दूध-रोटी मांगोगे देहातियोमें? वे तुम्हें कहासे देगे, भैया? इसलिए खाकी ही पहननी हो, तो खाकी खादी पहनो।

तुम्हारे गणवेष (वर्दिया) खादीके हैं, तुम्हारी सस्थामें हरिजन भी आते हैं, ये बाने बड़ी अच्छी हैं। लेकिन मुसलमानोंको मुमानियत क्यों? हिन्दू-मुसलमानोंको एकत्र होने दो। कम-से-कम मुमानियत तो न करो। उन्हें यहा लानेकी कोशिश करो। तुम हिन्दू-मुसलमान एक ही देशके हो। एक ही देशके हवा-पानी, अन्न प्रकाशपर पल रहे हो। अगर हिन्दू यहांके हैं तो मुसलमान बाहरके कैसे? और अगर मुसलमान बाहरके हैं, तो हिन्दू भी बाहरके हैं। लोकमान्य कहते हैं कि हिन्दू लोग उत्तर ध्रुवकी तरफमें आये। हिन्दू अगर पाच-दस हजार साल पहले आये, तो मुसलमान हजार साल पहले आये। परन्तु आजकी भाषामें तो यहीके कहे जायेंगे। दोनो भारतमाताके ही लाल हैं।

सब धर्मोंके विषयमें उदार भावना रखो। जो सच्चा मातृ-भक्त है, वह सभी माताओंको पूज्य मानेगा। वह अपनी माताकी सेवा करेगा। लेकिन दूसरेकी माताका अपमान नहीं करेगा। हरएक अपनी माके दूध-पर पलता है। धर्म-माताके समान है। मुझे मेरी धर्म-माता प्रिय है। मैं मातृपूजक हूँ, इसलिए मैं दूसरेकी माताकी निंदा तो हरगिज नहीं करूंगा। उलटे, उस माताका भी बदन करूंगा।

दिलमें यह भाव पैदा होनेके लिए यथार्थ हरिभक्तिकी जरूरत है । चित्तमें यथार्थ भक्ति जाग्रत होनेपर यह सब होगा । बाहर उपासना और अंदर उपासना—दोनों चाहिए । बाहर खेल चाहिए, भीतर प्रेम चाहिए । खेलोके द्वारा शरीर फूर्तिला और मुभग बनाकर आत्माको सौपना है । शरीर आत्माका हथियार है । हथियार भली-भांति उपयोगी होनेके लिए स्वच्छ चाहिए । शरीर ब्रह्मचर्यके द्वारा स्वच्छ करके आत्माके हवाल करे ।

शरीर स्वच्छ रखो, उसी प्रकार मनको भी प्रसन्न, प्रेमल, निर्मल और सम रखो । खेलनेकी बाह्य क्रियासे शरीर स्वच्छ रहेगा । उपासनासे भीतरी शरीर याने मन, निर्मल रहेगा । अंतर बाह्य शुचि बनो, जंसा यह हनूमान है—बलवान् और भक्तवान्, सेवाके लिए निरंतर तत्पर । तुम उम्रसे तरुण होते हुए भी अग्न चपल न होगे, सेवाके लिए शरीर चटसे उठता न होगा, तां तुम बूढ़े ही हो । जिसके शरीरमें वेग है, वह तरुण है, चाहे उसकी अवस्था कुछ भी हो । हनूमान कभी बूढ़े नहीं हो सकते । वह चिर-तरुण है । चिरजीव है ।

ऐसे चिरतरुण तुम बनां । तुम दीर्घायु होकर उम्रसे वृद्ध होगे, उस वक्त भी तरुण रहो । वेग बनाये रखो । वृद्धि साबित रखो । मैं ईश्वरसे प्रार्थना करता हूँ कि हमारे तरुण इस प्रकार तन्मय वृद्धिसे जनताकी ओर उसके द्वारा परमेश्वरकी सेवा करनेमें जुट जायें ।

सर्वादय · नवंबर १९४१

१. 'बूलिया (खानदेश) की 'विजय व्यायामशाला' में दिए गये प्रवचनका मुख्य अंश ।

. ७ .

गृत्समद

१

यह एक मन्त्रद्रष्टा वैदिक ऋषि था। वर्तमान यवतमाल जिले के कलब गाँवका रहनेवाला था। गणपतिका महान् भक्त था। 'गणानांत्वा गणपति हवामहे' (हम आपका जो कि समूहोके अधिपति है, आवाहन करते हैं) यह सुप्रसिद्ध मन्त्र इसीका देखा हुआ है। ऋग्वेदके दस मडलोमेसे द्वितीय मडल समूचा इसीका है। इस मडलमे तैंतालीस सूक्त हैं और मन्त्र सख्या चार सौ के ऊपर है। ऋग्वेद जगतका अतिप्राचीन और पहला ग्रन्थ माना जाता है। ऋग्वेदके भी कुछ अंश प्राचीनतर हैं। इस प्राचीनतर अंशमे द्वितीय मडलकी गणना होती है। इसपरमे इतिहासज्ञ इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि गृत्समद करीब बीस हजार वर्ष पहले हुआ। गृत्समदका यह मडल सूक्तमह्य्या और मन्त्रमह्य्या के लिहाजसे ऋग्वेदके करीब पच्चीसवें हिस्सेके बराबर होगा।

गृत्समद हरहुनरी आदमी था। जानी, भक्त और कवि तो वह था ही। लेकिन इसके अलावा गणितज्ञ, विज्ञान-वेत्ता, कृषि-मशोधक और मजा हुआ बूनकर भी था। जीवनके छोटे-बड़े किसी भी अंगकी उपेक्षा वह सहन नहीं कर सकता था। वह हमेशा कड़ा करता था, "प्राये प्राये जिगीवासः स्याम"—"हमे हरएक व्यवहारमे विजयी होना चाहिए।" और उसके ज्वलन्त उदाहरणके कारण आमपाम रहनेवाले लोगोमे उत्साहका जाग्रत वातावरण बना रहता था।

गृत्समदके जमानेमे नर्मदासे गोदावरीतकका सारा भूप्रदेश जगलोमे भरा हुआ था। पाच-पच्चीस मीलोके अतरपर एकाध छोटी-सी बस्ती हुआ करती थी। शेष सारा प्रदेश निर्जन। आसपासके निर्जन वनमे बसी हुई गृत्समदकी एकमात्र बड़ी बस्ती थी। इस बस्तीने ससारका, कपासकी खेतीका, सबसे पहला सफल प्रयोग देखा। आज तो बरार कपासका भंडार

बन गया है। गृत्समदके कालमें बरारमें आजकी अपेक्षा बारिशका परिमाण ज्यादा था। उतना पानी सोख लेनेवाला कपासका पौधा गृत्समदने तैयार किया और उसे एक छोटे-से प्रयोगक्षेत्रमें लगाकर उससे दस सेर कपास प्राप्त किया। गृत्समदकी इस नई पैदावारको लोगोंने 'शात्संमदम्' नाम दिया। क्या इसीका ही लैटिन रूप 'गीतिपियम्' हो सकता है ?

उसकी बस्तीके लोग ३ व कानना बुनना अच्छी तरह जानते थे। यह कार्य मुख्यतः स्त्रियोंके सिपुदं था। आज बुननेका काम पुरुष करते हैं और स्त्रिया कुकड़ी भरने, माड़ी लगाने आदिमें उनकी मदद करती हैं। किन्तु वैदिक काल में बुनकरोंका एक स्वतन्त्र वर्ग नहीं बना था। खेतीकी तरह बुनना भी मभीका काम था। उस युगकी ऐसी व्यवस्था थी कि सारे पुरुष खेती करते थे और सारी स्त्रिया घरका काम काज सम्हालकर बुनती थी। 'साभको सूर्य जब अपनी किरणें समेट लेता है, तब बुननेवाली भी अपना अधूरा बुना हुआ तागा समेट लेती है'—'पुनः समव्यत् बितत वयंती'—इन शब्दोंमें गृत्समदने बुननेवालीके जीवन-काव्यका वर्णन किया है।

गृत्समदके प्रयोगके फलस्वरूप कपास तो मिल गया, लेकिन, 'कपडा कैसे बनाया जाय' ? यह महान प्रश्न खड़ा हुआ ? ऊन कातनेकी जो लकड़ी की तकली होती थी, उसीपर सबने मिलकर कपासका सूत कात लिया। यद्यपि बनाई स्त्रियोंके ही सिपुदं थी, तो भी कातनेका काम तो स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध सभी किया करते थे। सूत तो निकला, लेकिन बिलकुल रट्टी। अब उसे कोई बुने भी कैसे ?

गृत्समद हिम्मत हारनेवाला व्यक्ति नहीं था। उसने खुद बुनना शुरू किया। बुननेकी कलाकी सारी प्रक्रियाओंका सागोपाग अभ्यास किया। सारा सूत दोष सपन्न पाया। लेकिन उसमेंसे जो थोडा पक्का था, उससे उसने 'ततु' बनाया। 'ततु' के माने वैदिक भाषामें धागा है। बाकी बचे हुए कच्चे सूतको 'ओतु' कहकर रख लिया। लेकिन माड़ी लगानेमें कटाकट-कटाकट तार टूटने लगे। गृत्समद गणितज्ञ होनेके कारण टूटे हुए कितने तारोंको जोड़ना पडा इसका हिसाब भी करता था। पहली बारके माड़ी

लगानेमें टूटे हुए तारोकी सख्या चार अकोकी (हजारकी) थी । बादमें तागा करघेपर चढ़ाया गया । हत्येकी पहली चोटके साथ चार-पाच तार टूटे । उन्हें जोड़कर फिरसे ठोका, फिरसे टूटा । इसी तरह कितने ही हफ्तोके बाद पहला थान बुना गया । उसके बाद सूत धीरे-धीरे सुघरता चला । लेकिन फिर भी शुरूके बारह वर्षोंमें बुनाईका काम बड़ा ही कष्टकर हो गया था । गुत्समदकी आयुके ये बारह वर्ष यथार्थ तपश्चर्याके वर्ष थे । वह इतना उत्साही और तनु-ब्रह्म ओतु-ब्रह्म ठोक-ब्रह्म और टूट-ब्रह्मकी ब्रह्ममय वृत्तिमें बुनाईका काम करनेवाला होता हुआ भी, जब सूत लगातार टूटने लगते थे तो वह भी कभी-कभी पस्त-हिम्मत हो जाता था । ऐसे ही एक अवसरपर उसने ईश्वरमें प्रार्थना की थी, 'देवा, मा सतुच्छेदि वयतः'—बुनते वक्त तनु टूटने न दे । लेकिन ऐसी गलत प्रार्थना करनेके लिए वह तुरन्त ही पछताया था । इसलिए उम प्रार्थनामें 'धिय मे' याने 'मेरा ध्यान' ये दो शब्द मिलाकर उमें मवार लिया । "जब मैं अपना ध्यान बुनता हूँ, तो उसका तनु टूटने न दे"—ऐसा उम मशोचिन्त और परिबद्धित प्रार्थनामेंसे मुशोभित अर्थ निकला । उसका भावार्थ इस प्रकार है । —"मैं जो खादी बुना करता हूँ यह मेरी दृष्टिसं केवल एक बाह्य क्रिया नहीं है । यह तो मेरी उपासना है । वह ध्यानयोग है । बीच-बीचमें धागोके टूटने रहनेमें मेरा ध्यान-योग भग होने लगता है, इसका मुझे दुःख है । इसलिए यह इच्छा होती है कि धागे न टूटने चाहिए । लेकिन यह इच्छा उचित होते हुए भी, प्रार्थनाका विषय नहीं हो सकती । उसके लिए सूतमें उन्नति करनी चाहिए । और वह कर लगा । लेकिन जबतक सूत कच्चा रहेगा तबतक वह टूटता ना रहेगा ही । इसलिए अब यही प्रार्थना है कि सूतके साथ-साथ मेरी अन्तवृत्तिका, मेरे ध्यानका, धागा न टूटे ।

गुत्समद अखण्ड अन्तर्मुख वृत्ति रखनेका प्रयत्न करता हुआ भी प्रतिदिन कोई-न-कोई शरीर-परिश्रमात्मक और उत्पादक कार्य करता ही रहता था । 'माहं अन्यकृतेव भोजम्'—मैं दूसरोके परिश्रमोमें भोग कदापि प्राप्त न करूँ ।—यही उसका जीवन-सूत्र था । वह लोक-सेवा-परायण

था। इसलिए उसके योग क्षेमकी चिन्ता लोग किया करते थे। लेकिन वह अपने मनमें सदा यही चिंतन किया करता था कि 'लोगोंसे मैं जितना पाता हूँ, क्या उमें शतगुणित करके उन्हें लौटाता हूँ ?' और उसमें भी क्या नवीन उत्पादनका कोई अंश होता है ?'

इसी चिंतनके फलस्वरूप ही मानो एक दिन उसे अचानक गुणाकारकी कल्पना स्फुरित हुई। गणितशास्त्रको लोक-व्यवहार-सुलभ बनानेकी दृष्टिसे वह फुरसतके समय उसमें आविष्कार करता रहता था। उसके समयमें पद्मविषयोंमेंसे लोग सिर्फ जोड़ना और घटाना ही जानते थे। जिस दिन गृत्समदने गुणन-विधिका आविष्कार किया, उस दिन उसके आनन्दका पारावार ही नहीं रहा। उमने दोमें लेकर नौ तकके नौ पहाड़े बनाये और फिर तो वह बासो उछलने लगा। पहाड़े रटनेवाले लड़कोंको कही इस बातका पता लग जाय तो वे गृत्समदको बिना पत्थर मारे नहीं रहेंगे। लेकिन गृत्समदने आनन्दके आवेशमें आकर इन्द्रदेवका आवाहन पहाड़ोंसे ही करना शुरू किया—“हे इन्द्र ! तू दो घोड़ोंके और आठ घोड़ोंके और दस घोड़ोंके रथमें बैठकर आ। जल्दी-से-जल्दी आ। इसके लिए तेरी मर्जी हो, तो दो के पहाड़े के बदले दसके पहाड़ोंमें काम ले। दस घोड़ोंके, बीस घोड़ोंके, और तीस घोड़ोंके और चालीस घोड़ोंके और सौ घोड़ोंके रथमें बैठकर आ।”

गृत्समद चौमुखा आविष्कारक था। पौराणिकोंने उसके इम महान् आविष्कार का लेखा किया है कि चन्द्रमाका गर्भकी वृद्धिपर विशेष परिणाम होता है। वैदिक मंत्रोंमें भी इसकी ध्वनि पाई जाती है। चंद्रमामें मातृवृत्ति रम गई है। और कलावान् तो वह है ही। इसलिए सूर्यकी ज्ञानमय प्रखर किरणोंको पचाकर और उन्हें भावनामय सौम्य रूप देकर माताके हृदयमें रहनेवाले कोमल गर्भतक उस जीवनामृतको पहुँचानेका प्रेमपूर्ण और कुशल कार्य चन्द्र कर सकता है और वह उसे निरन्तर करता रहता है—यह गृत्समदका आविष्कार है। आधुनिक विज्ञानने अबतक इस विषयपर विशेष प्रकाश नहीं डाला है। परावृत्त-किरण-विज्ञान, प्राण-विज्ञान और मनोविज्ञान,

इन तीनोंका यहाँ मिलाप होनेके कारण प्रश्न कुछ पेचीदा और सूक्ष्म है, इसमें शक नहीं। लेकिन गृत्समदका सिद्धांत साधारण अविज्ञ मनको भी भाने लायक तो है। बालकका सौम्य रूप यदि 'सोमकृत' हो, तो क्या आश्चर्य है ? जब हम सूर्यवंशी राम को भी 'रामचन्द्र' कहते हैं, तब चन्द्रकी उपमा सूचित करते हैं न ? कवियोने चन्द्रामृत पीनेवाले एक चकोरपक्षीकी कल्पना कर ली है। वह चकोरपक्षी अगर माताके उदरमें रहनेवाला गर्भ साबित हो, तो भी कवि तो हरगिज नाराज नहीं होंगे। अपने-अपने अल्प प्रकशसे टिमटिमानेवाले तारे भी अपनी जगह छोड़कर चन्द्रसे मिलने कभी नहीं जायेंगे। परन्तु चन्द्र विनम्र होकर प्रत्येक नक्षत्रसे भेंट करने उसके घर जाता है। इतना बड़ा प्रेम-मूर्ति अगर गर्भस्थ बालककी चिन्ता नहीं करेगा तो और कौन करेगा ? चन्द्रकी कलाबोकी पूर्णता पूर्णिमाको ही होती है। पूर्णिमाको उद्देश्य करके गृत्समद कहता है, 'हे पूर्णिमे, गर्भके टाके तू खूब मजबूत सुईसे लगा और शतगुणित प्रदान करने वाला पराक्रमशील, प्रशसनीय सेवक उत्पन्न कर—'बहातु वीरं खलवार्य उष्यम्,'

प्रभसेवा-वृत्तसे : सर्वोदय, सितम्बर, १९४१

८

ग्रामलक्ष्मीकी उपासना

हमारा यह देश बहुत बड़ा है। इसमें सात लाख देहात हैं। हमारे देशमें शहर बहुत थोड़े हैं। अगर औसत निकाला जाय, तो दसमेंसे एक आदमी शहर में रहता है और नौ देहातमें रहते हैं। पैंतीस करोड़ लोगोंमेंसे, ज्यादा-से-ज्यादा, चार करोड़ शहरीमें रहते हैं। इकतीस करोड़ देहातमें रहने हैं। लेकिन इन इकतीस करोड़का ध्यान शहरीकी तरफ लगा रहता है। पहले ऐसा नहीं था। देहात मुहताज होकर शहरीका मुह नहीं ताकते थे। लेकिन आज सारी स्थिति बदल गई है।

आज किसानके दो ईश्वर हो गये हैं। आजतक एक ही ईश्वर था ।

किसान आकाश की तरफ देखता था। पानी बरसानेवाले ईश्वरकी तरफ देखता था। लेकिन आज चीजोके भाव ठहरानेवाले देवताकी तरफ देखना पडता है। इसीको आस्मानी-मुलतानी कहते हैं। आस्मान भी रक्षा करे और मुलतान भी हिफाजत करे। परमात्मा खूब फसल दे और शहर भरपूर भाव दे। इस तरह इन देवताओको—एक आकाशका और दूसरा अमेरिकाका—किसानको पूजना पडता है। लेकिन ऐसे दो-दो भगवान काम नहीं आयेंगे। गाँधी कहते हैं ऊपरवाले ईश्वरको बनाये रखो और इस दूसरे देवताको छोडो। एक ईश्वर बस है।

अब इस दूसरे देवताकी, याने शहरिये भगवानकी, भक्तिसे छुटकारा पानेका उपाय में तुम लोगोको बतलाता हूँ। हमारे गाँवोकी सारी लक्ष्मी यहाँसे उठकर शहरोमे चली जाती है। अपने पीहरसे चल बसती है। इस ग्रामलक्ष्मीके पैर गाँवमे नहीं ठहरते। वह शहरकी तरफ दौडती है। पहाडपर पानी भरपूर बरसता है, लेकिन वह वहाँ कब ठहरता है, वह चारो तरफ भाग निकलता है। पहाड बेचारा कोरा-का-कोरा, नग-बडग, गजा-बूचा, खडा-का खडा, रह जाता है। देहातकी लक्ष्मी इसी तरह चारो दिशाओमे भाग खडी होती है। शहरोकी तरफ बेतहाशा दौडती है। अगर हम उसे रोक सके तो हमारे गाँव सुखी होंगे।

यह देहाती लक्ष्मी कौन-कौन-से रास्तोसे भागती है, सो देखो। उन रास्तोको बन्द कर दो, तब वह रुकी रहेगी। उसके भागनेका पहला रास्ता बाजार है, दूसरा शादी-व्याह, तीसरा साहूकार, चौथा सरकार और पाँचवाँ व्यसन। इन पाँचो रास्तोको बन्द करना शुरू करे।

सबसे पहले व्याह-शादीकी बात लीजिए। तुम लोग व्याह-शादीमे कोई कम पैसा खर्च नहीं करते। उसके लिए कर्ज भी करते हो। लडकी बडी हो जाती है, अपने ससुरालमे जाकर गिरस्ती करने लगती है। लेकिन शादीके ऋणसे उसके माँ-बाप मुक्त नहीं होते। यह रास्ता कैसे मूढा जाय, सो बताता हूँ। तुम कहोगे, 'खर्चमे कतरब्योत करो। भोज न दो, समारोह की क्या जरूरत है?'—वगैरा वगैरा। यह ठीक नहीं। समारोह खूब करो।

ठाठबाठमे कमी नही होनी चाहिए। लेकिन मे अपनी पद्धतिसे कम खर्चमे पहल्लेसे भी ज्यादा ठाठ-बाट तुम्हे देता हूँ।

लडके-लडकीकी शादी माँ-बाप ठीक करे। लेकिन वहाँ उनका काम खत्म हो जाना चाहिए—शादी करना, समारोह करना, यह सारा काम गाँव का होगा। माँ-बाप शादीमे एक पाई भी खर्च नही करेगे। जो करेगे उनको जुर्माना होगा ऐसा कायदा गाँववालोको बना लेना चाहिए।

मान लीजिए मेरे यहाँ शादी है। गाँवके हरेक आदमीको दी-दो, चार-चार आने—जो कुछ तय हुआ हो—मेरे पास लाकर देने चाहिए। मानो सबने मिलकर मुझे वह भेट दी। उसमंसे मैं सारे गाँव का नेवता कर सकूगा। बगैर पैसा इकट्ठा किए और बगैर कर्ज किये शादी हो जायगी। गाँवमे हरसाल बीस पच्चीस या पचास शादियाँ होती होगी। तो मुझे दान आनेके हिसाबसे, पचास दूने सौ आने, याने मोटे तौरपर छ रुपये देने पडेगे। हरएक जातिकी शादियाँ की जायँ, तो इससे भी कम खर्च लगेगा। मेरे यहाँ दस सालमे शादीका मौका आया। मुझे हरसाल दो-तीन रुपयेके हिसाबसे दस वर्षोमे तीस रुपये देने पडे, अब मेरे यहाँ शादीका मौका आया। मुझे कोई खर्च नही आयगा। मुझे लोग भेट देगे। सब गाँववाले जमा होंगे। बडा भारी समारोह होगा। और खर्च कितना आयगा? दस वर्षोमे तीस रुपये मैने दिये है, वही। याने मेरे यहाँ की शादी तीस रुपयेमे हो गई और उसमे सारा गाँव, सारी जाति शामिल हुई। सभी भोजमे सम्मिलित हुए। लडके-लडकीको कितनी खुशी होगी? दुलहे-दुलहिनको सबके आशीर्वाद मिलेगे। सबके आशीर्वाद पानेसे और बडी खुश किस्मती कौन-सी हो सकती है? शादीमे लोगोको क्यो बुलाया जाता है? इसीलिए कि सबकी सद्विच्छा, सबके आशीर्वाद मिले। इन लडके-लडकीकी गिरस्तीके लिए सब अपनी शुभ-कामनाएँ और आशा व्यक्त करे। लडके सिर्फ माँ-बापके ही नही होते। वे सारे समाजके होते है। लडके कोई अच्छा काम करेगे, तो सारे गाँवका भला होगा, बुरा काम करेगे तो सारे गाँवकी बुराई होगी।

अगर कोई अपने पैसेसे शादी करे, तो वह पाप मानो। गाँववाले उसे

अपना अपमान समझे। लड़के जितने अपने माँ-बापके हैं, उतने ही समाजके भी हैं। माँ-बापके मर जानेपर क्या वे घूरपर फेंक दिये जाते हैं? गाँव उन्हें सम्हालता है, मदद करता है। शादी भी करेगा। आप इस रास्तेसे जाकर देखिए। प्रयोग कीजिए। साहूकारका ऋण कम होता है या नहीं, देखिए। आपका कर्ज घटेगा। भगड़े कम होंगे। सहयोग और आत्मीयता बढ़ेगी।

दूसरा रास्ता बाजारका है। तुम देहाती लोग कपास बोते हो। लेकिन सारा-का सारा बेच देते हो। फिर बुवाईके वक्त बिनौले शहरसे मोल लाते हो कपास यहाँ पैदा करते हो। उसे बाहर बेचकर बाहरसे कपडा खरीद लाते हो। गन्ना यहाँ पैदा करते हो। उसे बेचकर शक्कर बाहरसे लाते हो। गाँवमें मूगफली, तिल्ली और अलसी हर्ती है। लेकिन तेल शहरकी तेल-मिलसे लाते हो। अब इतना ही बाकी रह गया है कि यहाँसे अनाज भेजकर रोटियाँ बबईसे मगाओ। तुम्हे तो बैल भी बहारसे लाने पडते हैं। इस तरह सारी चीजे बाहरसे लाओगे तो कैसे पार पाओगे?

बाजारमे क्यों जाना पडता है? जिन चीजोकी जरूरत होती है, उन्हें भरसक गाँवमे ही बनानेका निश्चय करो। स्वराज्य माने स्वदेशका राज्य, अपने गाँवका राज्य। घर जानेपर तुम लोग सोचो कि अपने गाँवमें क्या-क्या बना सकते हो। देखो, तुम्हे कौन-कौन-सी चीजे चाहिए। तुम्हारी खेतीके लिए बढिया बैल चाहिए। उन्हें मोल कहाँतक लोगे? तुम्हे बढिया बैल यही गाँवमे पैदा करने चाहिए। गायोकम अच्छी तरह पालन करो। एक दो बढिया साँड उनमे रखो। बाकीके सबको बधिया करो। इससे गायोकी नम्ल सुधरेगी। अच्छे बैल मिलेगे। बैलोके लिए बागडोर, नथनी वगैरा चाहिए। गाँवमे सन, पटुआ वगैरा से यही बना लो। तुम्हे कपडेकी जरूरत है, उसे भी यही बनाना चाहिए। गाँवमे बुनकर न होतो दो लडकोको सिखा लाओ। हरएकको अपने घरमे कातना चाहिए। उतना समय जरूर मिल जायगा। मूगफली गाँवमे हो होती है। यही धानी शुरू करो, तो यही ताजा तेल मिलेगा। गन्ना गाँवमे होता है। उसका गुड बनाओ। शक्करकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। गुड गरम होता है, लेकिन पानीमे मिलानेसे ठढा

हो जाता है। गुडमें स्वास्थ्यके लिए पोषक द्रव्य है। गुड बनाओ। खोई जलानेके काम आयगी। गाँवके चमारसे ही जूते बनवाओ। इस तरह गाँवमे ही सारी चीजे बननी चाहिए। पुराने जमानेमे हमारे गाँव ऐसे स्वावलम्बी थे। उन्हें सच्चा स्वराज्य प्राप्त था।

गावका ही अनाज, गावका ही कपडा, गावका ही गुड, गावका ही तेल, गावके ही जूते, गावके ही डोर, गावके ही बैल, गावका ही घरका पिसा आटा—इस रवैयेको अपनाओ। फिर देखो तुम्हारे गाँव कैसे लहलहाते हैं? तुम कहोगे यह महगा पडेगा। यह केवल कल्पना है। मैं एक उदाहरणसे समझाता हू। मान लो, तुम्हारे गावमे एक रगरेज है, एक बुनकर है, एक तेली है, एक चमार है। आज चमार क्या करता है। वह कहता है 'मैं तेलीसे तेल नही लूंगा; वह महगा पडता है। तेली क्या कहता है? 'गावके चमारका बनाया हुआ जूता महगा है। मैं शहरमे जूता खरीदूंगा'। बुनकर कहता है—'मैं गावका सूत नही लूंगा। पुतलीघरका अच्छा होता है'। किसान कहता है—'मैं बुनकर का कपडा नही लूंगा। मिलका लूंगा। वह सस्ता होता है'। इस तरह आज हमने एक-दूसरेको मारनेका घघा शुरू किया है। एक-दूसरेको निबाह लेना धर्म है। उसे छोडकर हम एक-दूसरेको भटियामेट कर रहे हैं।

लेकिन जरा मजा देखिए। तेली चार आने ज्यादा देकर चमारसे महगा जूता खरीदता है। उसके जेबसे आज चार आने गये। आगे चलकर वह चमार तेलीसे चार आने ज्यादा देकर महगा तेल खरीदता है। याने उसके चार आने लौट आते हैं। अर्थात् वह महगा नही पडता। जहाँ पार-स्परिक व्यवहार होता है वहाँ 'महगा' जैसा कोई शब्द ही नही है। गये हुए पैसे दूसरे रास्तेसे लौट आते हैं। मैं उसकी महगी चीज खरीदता हूँ, वह मेरी महगी चीज खरीदता है। हिसाब बराबर। इसमे क्या बिगडता है? जुलाहेने खादी बनाई और तेली ने वह खरीद ली। तेलीके लिए खादी महगी है, जुलाहेके लिए तेल महगा है। बात एक ही है। तेलमे जो पैसे गये वे खादीमे वापस मिले और खादीमे गये सो तेलमे मिल गए। 'इस हाथ देना

उस हाथ लेना' इस तरहका भाईचारेका, सहयोगका व्यवहार पहले होता था। लेकिन वह आज लोप हो गया है।

देहातमें प्रेम होता है, भाईचारा होता है। देहातके लोग अगर एक-दूसरेकी जरूरतोंका ख्याल नहीं करेंगे तो वह देहात ही नहीं है। वह तो शहर के जैसा हो जायगा। शहरमें कोई किसीको नहीं पूछता। सभी अपने-अपने मतलबके लिए वहाँ इकट्ठे होते हैं, जैसे गोबरका ढेर देखकर सैकड़ो कीड़े जमा होते हैं। उस सड़नेवाले गोबरमें सैकड़ो कीड़े कुलबुलाते हैं। वे कीड़े वहाँ क्यों इकट्ठे हुए? किसी कीड़ेसे पूछो, 'यहाँ क्यों आया? तेरे कोई भाई-बहन यहाँ हैं?' वह कीड़ा कहेगा, 'मैं गोबर खानेके लिए यहाँ आया हूँ और गोबर खानेमें चूर हूँ। मुझे ज्यादा बोलनेकी फुरसत नहीं है।' कलाकन्द, गुड आदिपर मक्खियाँ बैठती हैं, सो क्या प्रेमके कारण? उसी तरह शहरोमें मक्खियोंके समान जो आदमी भिनभिनाते रहते हैं, चीटियोंकी नाईं जिनका ताँता लगा रहता है, वह क्या प्रेमके लिए? शहरमें स्वार्थ और लोभ है। गाँव प्रेमसे बनता है। गावमें आग लग जाय, तो सब लोग अपना-अपना काम छोड़कर दौड़ आयेगे। घरमें कोई बँठा थोड़े ही रहेगा? लेकिन बम्बईमें क्या दशा होगी? सब कोई कहेंगे 'पानीका बम्बा जायगा, मुझे अपना काम है।' इसीलिए एक कवि ने कहा है—'गाँवोको ईश्वर बनाता है और शहरोको मनुष्य।'

हमारे बाप-दादा गाँवोमें रहते थे। आज तो हर कोई शहरमें जाता है। वहाँ क्या घरा है? पीले पत्थर है और धूल है। यथार्थ लक्ष्मी देहातमें है। पेड़ोमें फल लगते हैं। खेतोमें गेहूँ होता है, गन्ना होता है। यही सच्ची लक्ष्मी है। यह सच्ची लक्ष्मी बेचकर सफेद या पीले पत्थर मत लो। तुम शहर जाकर वहाँसे सस्ती चीजे लाते हो। लेकिन सभी ऐसा करने लगे, तो देहात वीरान दिखाई देगे। अगर देहातोको सुखी देखना है, तो शहरके बाजारको छोड़ो। गावकी चीजे खरीदो। जो चीज गावमें बन ही न सकती हो वह अलबत्ते बाहरसे लाओ। बाहरसे लानेमें भी, अगर वह दूसरे गावमें होती हो, तो वहाँसे लाओ। मान लो यहाँ चूडियाँ नहीं होती, तो सोनगीरसे

लाओ। यहाँ अच्छे लोढ़े नहीं बनते, तो सोनगीरसे लो। यहाँ रंगरेज न हो, तो मालपुरसे रगाकर मगाओ। मालपुरका रंगरेज तुम्हारे यहाँसे गुड लेकर जायगा, तुम उसके यहाँसे कपड़े रगवाओ। तुम्हारे गावमें जो चीजें न बनती हो, उनके लिए दूसरे गाव खोजो। शहरमे कोई चीज खरीदने जाओ तो पहले यह सवाल पूछो कि क्या यह चीज देहातमे बनी है?—हाथकी बनी हुई है? पहले उन चीजोंको पसद करो। जहाँतक हो सके, यन्त्रोंसे बना हुआ शहरका माल निषिद्ध मानो।

तुम्हारी ग्राम-पचायतोंको यह काम अपने जिम्मे लेने चाहिए। गावके भगड़े-टटे करनेका काम तो पचायतोंका है ही। लेकिन यावसे कौन-कौन सी चीजे बाहर जाती हैं, कौन-कौन-सी बाहरसे आती हैं, इसका ध्यान भी पचायतको रखना चाहिए। नाका बनाकर फेहरिस्त बनानी चाहिए। बादमें, वे चीजे बाहरसे क्यों आती हैं, इसकी जाच-पड़ताल करके उन्हें गावमें ही बनवानेकी कोशिश करनी चाहिए। बुनकर नहीं है? दूसरे गावको दो लडके सीखनेके लिए भेज देगे। हरएकको यह सकल्प कर लेना चाहिए कि गावकी ही चीज खरीदुगा। जो चीज मेरे गावमें न बनती हो, उसे वही बनवानेकी कोशिश करुगा। गावके नेताओंको इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। 'कैसे होगा? क्या होगा?'—न कहो। उठो, काम शुरू कर दो; चट-से सब हो जायगा। फिर तुम ही चीजों के दाम ठहराओगे। तेली तेल किस भाव बेचे, चमार जूता कितनेमे बना दे, बुनकरकी बुनाई क्या हो?—सब-कुछ तुम तय करोगे। जब सभी एक दूसरेकी चीजें खरीदने लगेंगे तो सब सस्ता-ही-सस्ता होगा। 'सस्ता' और 'महगा' ये शब्द ही नहीं रहेंगे।

बतलाओ, तुम्हारे यहाँ क्या-क्या नहीं हो सकता? एक नमक नहीं हो सकता। ठीक, नमक लाओ बाजारसे। दो, मिट्टीका तेल। दरअसल तो मिट्टीके तेलकी जरूरत नहीं होनी चाहिए। परन्तु उसके बिना काम ही न चलता हो तो खरीदो। तीसरी चीज, मसाले। मिर्च तो यहाँ होती ही है। दरअसल तो मिर्च भी बन्द कर देनी चाहिए। मिर्चकी खरीदको जरूरत नहीं है। दियासलाई खरीदनी पड़ेगी। कुछ औजार खरीदने पड़ेगे। दूसरा कोई

चारा नहीं है। ये चीजें खरीदो। मिट्टीका तेल धीरे-धीरे कम करो। उसके बदले अडीका तेल काममें लाओ।

परन्तु इनके सिवा बाकी सारी चीजे गावमें ही बनाओ। खादी गावमें बननी चाहिए। खादीके कपड़ेके लिए सूतके बटन भी यही बन सकते हैं। उन दूसरे बटनोकी क्या जरूरत है? अगर छातीपर वे बटन न हो तो क्या प्राण छटपटायेगे? ऐसी बात तो नहीं है। तो फिर उन्हें फेक दो। इस कठीकी क्या जरूरत है? उसके बिना चल नहीं सकता? ऐसी अनावश्यक चीजे गावमें लाओगे तो ये कठिया पैरोकी जजीरकी तरह जकड़ेगी या फासीकी रस्सीकी तरह गला घोट देंगी। बाहरसे ऐसी कठिया लाकर अपने शरीरको मत सजाओ। भगवान् श्रीकृष्ण कैसे सजता था? वह क्या बाहरसे कठिया लाता था? वृन्दावनमें मोरोके जो पख गिर जाते थे, उन्हींसे वह अपना शरीर सजाता था। पख उखाडकर नहीं लाता था। वह मोरके पखसे सजता था। सो क्या सिडी हो गया था? क्या पागल हो गया था? 'मेरे गावके मोर हैं, उनके पखोंसे मैं अपने शरीरको सजाऊ तो कोई हर्ज नहीं है। इसमें उन मोरोकी भी पूजा है'—ऐसी भावनासे वह मोरमुकुट लगाता था। और गलेमें क्या पहनता था? वनमाला। मेरी यमुनाके तीरके फूल—वे सबको मिलते हैं। गरीबोंको मिलते हैं, अमीरोंको मिलते हैं। वह स्वदेशी वनमाला, देहातकी वनमाला, गलेमें पहनता था। और बजाता क्या था? मुरली। देहातके बासकी बामुरी—वह अलगोजा। यही उसका वाद्य था।

हमारे एक मित्र जर्मनी गये थे। वह वहा का एक प्रसंग सुनाते थे। "हम सब विद्यार्थी इकट्ठे हुए थे। फ्रासीसी, जर्मन, अंग्रेज, जापानी, रूसी, सब एक साथ बैठे थे। सबने अपने-अपने देशके राष्ट्रीय वाद्य बजाकर दिखाये। फ्रांसिसियोने वायोलिन बजाया, अंग्रेजोंने अपना वाद्य बजाया। मुझसे कहा गया, 'तुम हिन्दुस्तानी वाद्य सुनाओ'। मैं चुपचाप बैठा रहा। वे मुझसे पूछने लगे, 'तुम्हारा भारतीय वाद्य कौनसा है?' मैं उन्हें बता नहीं सका। "

मैंने तुरन्त अपने उस मित्रसे कहा, “अजी, हमारा राष्ट्रीय वाद्य बासुरी है। लाखों गावोंमें वह पाई जाती है। सीधी-सादी और मीठी। कृष्ण-भगवानने उसे पुनीत किया है। एक बासकी नली ले लो, उसमें छेद बना लिये, बस वाद्य तैयार हो गया।”

ऐसा वाद्य श्रीकृष्ण बजाता था। वह गोकुलका स्वदेशी देहाती वाद्य था। अच्छा, श्रीकृष्ण खाता क्या था? बाहरकी चीनी लाकर खाता था? वह अपने गोकुलकी मक्खन, मलाई खाता था। दूसरोको खाना सिखाता था। म्वालिन गोकुलकी यह लक्ष्मी मथुराको ले जाती थी। परन्तु गावकी इस अन्नपूर्णाको कन्हैया बाहर नहीं जाने देता था। वह उसे लूटकर सबको बाट देता था। सारे गोकुलके बालक उसने हृष्ट पुष्ट किये। जिन्होंने गोकुलपर चढाई की, उनके दात उसने अपने मित्रोंकी मददसे खट्टे किये। गोकुलमें रहकर भी वह क्या करता था? गायें चराता था। उसने दावानल निगल लिया, याने क्या किया? देहातोको जलानेवाले लडाई-भगडोका खातमा किया। सब लडकोको इकट्ठा किया। प्रेम बढ़ाया। इस तरह यह श्रीकृष्ण गोपालकृष्ण हैं। वह तुम्हारे गावका आदर्श हैं। गोपालकृष्णने गावोका वैभव बढ़ाया, गावोकी सेवा की, गावोपर प्रेम किया, गावोके पशु-पक्षी, गावकी नदी, गावका गोवर्धन पर्वत—इन सबपर उसने प्रेम किया। गाव ही उसका देवता रहा। आगे चलकर वह द्वारिकाधीश बने। लेकिन फिर भी गोकुलमें आते थे, फिर गाय चराते थे, गोबरमें हाथ डालते थे, गोशाला बुहारते थे, वनमाला पहनते थे, बसी बजाते थे, लडकोके साथ, गोपबालोके साथ, खेलते थे। ‘ब्रजकिशोर’ उनका प्यारा नाम था। ‘गोपाल’ उनका प्यारा नाम था। उन्होंने गोकुलमें असीम आनन्द और सुख पैदा किया।

गोकुलका सुख असीम था। ऐसे गोकुल के अन्नके चार कणोंके लिए देवता तरसते थे। प्रेममस्त गोपालबाल जब भोजन करके दही और ‘गोपाल’-कलेवा खाकर यमुनाके जलमें हाथ धोने जाते थे, तब देवता मछली बनकर वे जूट अन्नकण खाते थे। उनके स्वर्गमें वह प्रेम था क्या? उन देवताओंको

पैसेकी कमी नहीं थी। लेकिन उनके पास प्रेम नहीं था। हमारे शहर आपके स्वर्ग है न? अरे भाई, बहा प्रेम नहीं है। बहा भोग है, पैसे हं परन्तु आनन्द नहीं है। अपने गावोको गोकुलके समान बनाओ। तब वे शहरके नगरसेठ तुम्हारे गावकी नमक रोटीके लिए लालायित होकर दौड़ते आयेगे। हमे देहातोको हराभरा गोकुल बनाना है—स्वाश्रयी, स्वावलम्बी, आरोग्य-सपन्न, उद्योगशील, प्रेमल। ईखका कोल्हू चल रहा है, चरखा चल रहा है, धुनिया धुन रहा है, तेलका कोल्हू चू-चर बोल रहा है, कुएँपर मोट चल रही है, चमार जूता बना रहा है, गोपाल गाये चरा रहा है, और बशी बजा रहा है—ऐसा गाव बनने दो। अपनी गलतीसे हमने गावोको मरघट बनाया। आइए अब फिर उसको गोकुल बनाये।

कागज एरडोलका खरीदो। दतमजन राखका बनाओ। ब्रश दतौनके बनाओ। विदेशी कागजकी झडिया और पताकाए हमे नहीं चाहिए। अपने गावके पेडोके पल्लव—ग्राम-पल्लव लो। उनके तोरण और बदनवार बनाओ। गावके पेडोका अपमान क्यों करते हो? बाहरसे चीजे लाकर बदनवार लगाओगे तो गावके दरख्त रुठेगे। वे समारोहमे हाथ बटाना चाहते हैं। उनके कोपल लाओ। हमारे धार्मिक मंगल उत्सवोके लिए क्या कागजके तोरण विहित हैं। आमके शुभ पल्लव चाहिए और घडा चाहिए। कलश चाहिए। सो क्या टिन-पाँटका होगा? वह पवित्र कलश मिट्टीका ही चाहिए। तुम्हारे गावके कुम्हार का बनाया हुआ चाहिए। देखो हमारे पूर्वजोने गावके चीजोकी कैंसी महिमा बढ़ाई है। उस दृष्टिको अपनाओ। सारा नूर पलट जायगा। जिधर-उधर दूसरी ही दुनिया दिखाई देने लगेगी। समृद्धि और आनन्द दिखाई देने लगेगे।

हमने ब्याह-शादीकी बातका विचार किया। बाजारके सवालका विचार किया। अब, पहले ब्यसनोकी बात लेता हूँ। अपने बशकी बात पहले ले लें। बादमें सरकार और साहूकारकी बात सोच लगे।

कोई दिन भर फू-फू बीडी फूकते रहते हैं। कहते हैं, 'बीडियां तो घरकी ही हैं। वे बाहरसे नहीं आती।' अरे भाई, जहर अगर घरका हो तो क्या

खा लोगे ? घरका जहर खाकर पूरी सोलह आने स्वदेशी मृत्युको स्वीकार करोगे ? जहर चाहे घरका हो या बाहर का, त्याज्य ही है । उसी तरह सभी व्यसन बुरे हैं । उन सबको छोड़ना चाहिए । वे प्राणघातक हैं । शराबके बारेमें कहोगे तो पहले मह राष्ट्रमें शराब नहीं थी । महाराष्ट्रका पहला गवर्नर एल्फिस्टन साहब था । उसने महाराष्ट्रका इतिहास लिखा है । उसमें वह कहता है—‘पेशवोंके राजमें शराबसे आमदनी नहीं थी । लेकिन आज तो गाव-गाव में पियक्कड़ है सरकार उल्टे उन्हें सुभीता कर देती है । लेकिन सरकार सुविधा कर देती है, इसलिए क्या हम शराब पीये ? हिंदुस्तानमें दो मुख्य धर्म हैं—हिंदू-धर्म और इस्लाम । इन दोनों धर्मोंमें शराब पीना महान पाप माना गया है । इस्लाममें शराब हराम है । हिंदू-धर्ममें शराबकी गिनती पंच महापातकोंमें होती है । शराब पीकर आखिर हम क्या साधते हैं ? प्राणोंका, कुटुम्बका, धनका और इन सबसे प्रिय धर्मका—सभी चीजोंका नाश होता है ।

बीड़ी और शराबके बाद तीसरा व्यसन है बात-बातमें तकरार करना । कृष्णने भगडोंके दावानल निगल लिये । तकरार मत करो, और अगर भगड़ा हो ही जाय तो गावके चार भले आदमी बैठकर उसका तस्फिया करो । अदालतकी शरण न लो । अदालत तुम्हारे गावोंमें ही चाहिए । जिस प्रकार और चीजे गावकी ही हो, उसी प्रकार न्याय भी गावका ही हो । तुम्हारे खेतोंमें सब कुछ पैदा होता है । लेकिन न्याय तुम्हारे गावमें न पैदा होता हो तो कैसे काम चलेगा ? गावका धान्य, गावका वस्त्र और गाव का ही न्याय हो । बाहरकी कचहरी, अदालत किस काम की ? चीजोंके लिए जिस तरह हम परावलम्बी न होंगे, उसी तरह न्याय के लिए भी नहीं होये । प्रेमसे रहो । दूसरेको थोड़ा-बहुत अधिक मिल जाय, तो भी वह गावमें ही रहेगा, लेकिन दूर चला जानेपर, न हमें मिलेगा, न तुम्हें मिलेगा, सारा भाड़में जायगा । गावमें ही पचोमें परमेश्वर है । उसकी शरण लो ।

भोजन वगैरा दीगर बातोंकी ऊहापोह यहा नहीं करता । जीवन

निर्मल और विचारमय बनाओ। हरएक काम विवेक-विचारसे करो।

चौथी बात साहूकारकी है। तुम ही अपने घर कपास लोडकर बीजके लायक विनीले सभालकर रख लोगे, घरमे ही कपडा बना लोगे, मूंगफली, अलसी घरमे रखकर गावके कोल्हूसे तेल निकलवा लोगे, अदालत-इजलासमें जाना बन्द कर दोगे, गावहीमे सारे भगडे तय कर लोगे और मेरे बतलाये ढगसे ब्याह-शादिया करोगे तो साहूकारकी जरूरत बहुत कम पडेगी। लेकिन तिसपर भी सभी लोग साहूकारके पाशसे छुटकारा नही पायेगे। कर्जदार फिर भी रहेगे। लेकिन कर्जकी तादाद कम हो जायगी।

तुम्हारी कर्जदारीका सवाल स्वराज्यके बिना पूरी तरह हल नही होगा। स्वराज्यमे सबके हिसाब जाचे जायेंगे। जिस साहूकारको मूलधनके बराबर व्याज मिल चुका होगा, उसका कर्ज अदा हो चुका ऐसा घोषित किया जायगा। जिस साहूकारका मूलधन भी न मिला होगा, सूदके रूपमे भी न मिला हो, उससे समझीता करेगे। इसी तरहके उपायसे वह सवाल हल करना होगा। तटस्थ पंच मुकर्रर करके तहकीकातके बाद जो उचित होगा, किया जायगा। तबतक आजके बतलाये उपायोमे काम लेना चाहिए और धीरे-धीरे साहूकारसे दूर रहनेकी कोशिश करना चाहिए। परन्तु कर्ज चुकानेके फेरमे बाल-बच्चोको उपेक्षा न करो। बच्चोको दूध-धी दो। भरपूर भोजन दो। लडके सारे समाजके है। मैं अपने साहूकारसे कहूंगा, “मैं अपने बच्चोको थोडा दूध दू ? उन्हे दूधकी जरूरत है।” बच्चे जितने मेरे है, उतने ही साहूकारके भी है। वे सारे देशके है। लडकोको देनेमे तुम साहूकारको ही देते हो। इसलिए पहले भरपेट खाओ, बालबच्चोको खिलाओ,। घरकी हाजत पूरी होनेपर कुछ बकाया रहे, तो जाकर दे दो। कर्ज तो देना ही है। खा-पीकर देना है। भोग-विलासके बाद नही। ‘कुछ बचा तो ला दूंगा’—साहूकारसे कह दो।

इस तरह चार बाते बतलाई। गावकी लक्ष्मीके बाहर जानेके चार दरवाजे बताये और उन्हे बन्द करनेके उपायोकी दिशा भी बताई। अब

पांचवी बात सरकार है । यह सरकार कैसे बन्द की जाय ? तुम अपनी चीजे बनाने लगे, अपने गावमे बनाने लगे, तो सरकार अपने आप सीधी हो जायगी । सरकार यहा क्यों रहती है ? विलायतका माल आसानीसे तुम बेवकूफोके हाथ बिक सकता है, इसलिए । कल बुद्धिमान बनकर अगर अपने गाव स्वावलंबी बनाओगे, तो सरकार अपने आप नरम हो जायगी । जिस चीजकी जरूरत हो उसे गावमे ही बनाओ । जो इस गावमे न बन सके उसे दूसरे गावसे लाओ । शहरके कारखानोका बहिष्कार करो । विदेशी चीजोकी तो बात ही कौन पूछता है ? विदेशी और स्वदेशी कारखानोको तुम अपने गावसे जो खाद्य पहुँचाते हो, उसे बंद करो । आपसमे एकता करो । लडना-भगडना छोड दो । अगर लडो भी तो गावमे ही फैसला कर लो । कचहरी-अदालतका मुह न देखनेका सकल्प करो । गावकी ही चीजे, गावका ही न्याय । अगर ऐसा करोगे तो एक पय दो काज होंगे । दरिद्रताका कष्ट दूर होगा और सरकार अन्तर्धान हो जायगी । तुम इस तरह स्वावलंबी, निर्भयसनी, उद्यमी और हिलमिलकर रहनेवाले बनो, तब सरकार तुम्हारे हक दिये बिना रह ही नहीं सकती । तुम्हारी इतनी ताकत बढ़ने पर भी अगर सरकार तुम्हारे हक न देगी, तो फिर सत्याग्रह तो है ही । उस हालतमे जो सत्याग्रह होगा, वह ऐसा पचास-साठ हजारका टुटपूजिया सत्याग्रह न होगा । उसमे तो पचास-साठ लाख लोग शरीक होंगे ।

तुम लगानके रूपमे दस हजार रुपया देते हो । लेकिन कपडोके लिए पच्चीस हजार देते हो । अब, मानलो कि यह सरकार यहासे जल्दी नहीं टलती । उसका लगान कम नहीं होता । स्वराज्य मिलनेपर कम करेगे । लेकिन वह पराक्रम जब होगा तब होगा । फिर भी अगर कपडा गावमें ही बनानेका सकल्प कर ले, तो क्या होगा ? हरएकको तीन सेर रूईकी जरूरत होगी । हर कुटुंबमे अगर पाच आदमी हो, तो पन्द्रह सेर रूई हुई । बोनके लिए जितने विनोलीकी जरूरत हो, उतनी बडिया कपास खेतसे बीनकर घरपर ही लोडो । बडिया विनोले मिलेगे । जो रूई होगी उसमेंसे

अपने परिवारके कपडोके लिए आवश्यकतानुसार रख लो और बाकीकी बेच दो। फी आदमी पक्की तीन सेर रुईके दाम सवा रुपया होंगे। बत्तीससौ आदमियोंको चार-पाचहजार की रुई रखनी होगी। कपडा पच्चीस हजारका होगा। उसमेसे पाच हजार घटा दीजिए, तो बीस हजार गावमें रहेगे। सरकार लगानके दस हजार ले जायगी। लेकिन तुम बीस हजार बचाओगे। इसलिए गांधी कहते हैं कि खादी ही स्वराज्य है। अकेले खादीकी बढौलत बीस हजार रुपये गावमे रह गए। कल स्वराज्य मिल जाय तो क्या होगा? लगान आधा याने दस हजारका पांच हजार, हो जायगा। याने तुम्हारे पाच हजार रुपये बचेगे। लेकिन खादी बरतनेसे बीस हजार बचेगे। इसलिए वास्तविक स्वराज्य किस बस्तुमे है यह जानो।

पहले दूसरे कई राज्य हुए तो भी देहातका यह वास्तविक स्वराज्य कभी नष्ट नहीं हुआ था। सीलिए हमे रोटियोंके लाले नहीं पडे। परन्तु इस राज्यमे यह खादीका स्वराज्य, देहाती उद्योग-धंधोका स्वराज्य, नष्ट हो गया है। इसीलिए देहात वीरान और डरावने दिखाई देने लगे। इंग्लैण्डका मुख्य आधार कर या किसान नहीं है, बल्कि करोडो रुपयेका व्यापार है। लगानके रूपमे उसे दस हजार ही मिलेगे। लेकिन तुम्हे कपडा बेचकर वह बीस हजार ले जायगा। शक्कर, घासलेट वगैरा सैकड़ों ऐसी ही चीजें हैं। इसलिए वास्तविक स्वराज्यको पहचानो। हम सरकारको अपने पराक्रमसे कब निकाल सकेगे, सो देखा जायगा। परन्तु तबतक मेरे बतलाये उपायोसे अपने गाव स्वावलंबी, उद्यमी, प्रेममय बनाओ। इसीमे सब कुछ है।

महाराष्ट्र धर्मसे : सर्वोदय, दिसंबर, १९४१

१. कस्तारा (खानदेश) में दिया गया एक भाषण।

· ९ :

आत्माकी भाषा

मैं पहले-पहल मद्रास आया हूँ। मुझे इस वक्त यहा आने का ख्याल भी नहीं था। आप लोग जानते हैं कि मैं जेल-यात्री हूँ। तीसरी बार मैं जेल हो आया हूँ और सरकारके हिसाबसे मैं पक्का कैदी बन गया हूँ। फिर भी ये क्रिसमसके दिन हैं और क्रिसमसके दिनोमे सत्याग्रह स्थगित रखनेकी हमारी नीति है। लड़नेवाले सबके सब यूरोपियन राष्ट्र ईसाई हैं। जापान अभी लड़ाईमे उतरा है। उसे छोडकर बाकीके सब राष्ट्र ईसाई होनेपर भी क्रिसमसके दिनोमे लड़ाई बन्द नहीं रखते। अहिंसा धर्मको माननेवाले इसका खयालकर कम-से-कम क्रिसमसके दिनोमे सत्याग्रह स्थगित करते हैं। फिलहाल बकिंग कमेटी विचार कर रही है, इस बीच मुझे आपके सामने आनेका मौका मिल गया है अन्यथा, मैं शातिसे नागपुर-जेलमे होता।

प्यारे भाइयो, आपको देखकर मुझे अत्यंत आनन्द हुआ है, खासकर विद्यार्थियोके सामने होनेपर मेरा हृदय समुद्रकी तरह उमडता है। इसका कारण यह है कि मैं अभीतक विद्यार्थी रहा हूँ, आगे भी ऐसा ही बना रहनेकी उम्मीद है।

आपसे एक बातके लिए मुझे क्षमा मांगनी चाहिए। पदवी-दान समारंभके अवसरपर पहले लिखकर लाने और अवसरपर उसे दुहरा देनेका एक रिवाज-सा हो गया है। मैं ऐसा नहीं कर सका। मैं निर्गुण भक्तिसे सगुण भक्तिकी ओर कुछ विशेष ध्यान रखता हूँ। उसकी ओर मेरा विशेष आकर्षण है। मैंने सत्यनारायणजीसे कहा कि विद्यार्थियोके चेहरे देखने अर्थात् सगुण और साकार दर्शनके बाद ही मुझे कुछ बोलना सूझेगा। पहले नहीं। इसलिए वह रिवाज तोडकर बोल रहा हूँ। जिस काममे हम पडे हैं वह महान् कार्य है। उसकी महत्ता क्या है, उस विषयमे हमें क्या करना है, इसकी कुछ रूप-रेखा मैं आप लोगोके सामने रखने वाला हूँ। मैं दक्षिण

भारतमें एक विशेष भक्तिभाव लेकर आया हूँ, यानी दक्षिणवासियोंके प्रति मेरे मनमें पूज्य भाव है। मैंने भागवतमें पढ़ा है कि जब पृथ्वीके अन्य स्थानोंसे मानवता और भक्तिका लोप हो जायगा, तब भी द्राविडमें वह मानवता और भक्ति कायम रहेगी। मुझे भविष्यवाणी करना नहीं आता। अगर मैं भविष्यवाणी करना चाहूँ तो मैं कहूँगा कि दुनियामें दिन-ब-दिन भक्ति बढ़ेगी। यद्यपि फिलहाल चलनेवाले युद्धसे बात उल्टी दिखाई दे रही है।

हम जानते हैं कि दुनियाका पहला ग्रन्थ ऋग्वेद है। इसके पहलेका कोई लिखित ग्रन्थ हमको अबतक नहीं मिला। इसलिए ऋग्वेद ही हमारे लिए एक बहुत प्राचीन प्रामाणिक वस्तुके रूपमें है। मैं देख रहा हूँ कि हिन्दुस्तानकी एकता का खयाल ऋग्वेदमें भी मौजूद है। ऋग्वेदका एक मन्त्र कहता है कि इस देशमें दो तरफसे—दो बाजुओंसे दो हवाएँ बह रही हैं। एक समुद्रकी तरफसे आती है दूसरी पर्वतकी तरफसे। जिस समुद्रकी तरफसे हवा आती है उसको हम हिंद महासागर कहते हैं। मैं देख रहा हूँ कि हिमालयकी गहन गुफाओंसे एक हवा आती है और दूसरी सिंधुसे बहती है। इस खयालसे हिन्दुस्तान समुद्रसे लेकर हिमालयतक एक है। इसका आध्यात्मिक अर्थ भी है। हम जो स्वासोच्छ्वास लेते हैं उसकी उपमा वे ऋषि दे रहे हैं। वे कहते हैं कि प्राणायाम करने वाले योगी अन्दर एक हवा लेते हैं और बाहर दूसरी हवा छोड़ते हैं। जैसे योगीके अन्दरकी गुफा और बाहरका अतिरिक्त दो भाग हैं वैसे ही भारतका हिमालय और समुद्र है। भारत भूमि भी इसी तरह प्राणायाम कर रही है। हिमालयसे बायु छोड़ती है और समुद्रसे लेती है। अब जो अर्थ निकला उससे यह साफ है कि हिन्दुस्तानकी एकता अभीकी नहीं है बल्कि हजारों वर्ष पहलेकी है। रामायणमें एक स्थानपर वाल्मीकिने श्री रामचन्द्रजीको समुद्रके समान गभीर और पर्वतके समान स्थिर कहा है। उन्होंने रामचन्द्रजीको एक राष्ट्र-पुरुषके रूपमें चित्रित किया है। हजारों बरस पहले ही जब पारस्परिक सबंध के कुछ साधन नहीं थे तभी हमारे पूर्वजोंने इस भूमिको एक विशाल राष्ट्र मान लिया था। इतने विशाल देशको एक राष्ट्र मानना इस जमानेके लिए कोई नई बात नहीं है।

आजके यूरोपके युद्ध जैसे अनेक युद्धोका प्रयोग यहा हो चुका है और हिन्दुस्तानके लोगोने उससे सीखा भी है। मैं उम्मीद करता हूँ, यूरोपवाले भी इस युद्धके बाद देखेंगे कि यूरोपको एक राष्ट्र मानना अच्छा है। हमारी पुरानी एकताका साधन क्या था ? हमारी संस्कृत भाषा। उस समय हमारी भाषा संस्कृत थी। अब संस्कृतके अनेक अंग बन गए और अलग-अलग भाषाएँ बन गईं। अलग-अलग सूबोमें अलग-अलग भाषाका प्रयोग होने लगा। इतना होते हुए भी जो लोग राष्ट्रीयताका खयाल करते थे वह संस्कृतमें बोलते और लिखते थे। आप देखेंगे कि केरलमें पैदा हुए शंकराचार्यजीने दक्षिणसे हिमालयतक अपने अद्वैतका प्रचार संस्कृत द्वारा किया, जब मालाबारकी भाषा दूसरी थी। कारण, वह उस वक्त भी राष्ट्रीयताका खयाल रखते थे। सवाल उठता है कि अपने अद्वैतका प्रचार करनेके लिए उन्हें हिन्दुस्तान भरमें घूमनेकी क्या जरूरत थी। अद्वैतकी दृष्टिसे ही देखा जाय तो उनका अद्वैत जहा उनका जन्म हुआ था वही पर पूर्णतया प्रकट हो सकता था। उनको घूमनेकी जरूरत क्या पडी ? एक और बात यह है कि वह हिन्दुस्तान के बाहर नहीं गये। इस तरह आप समझेंगे कि उन्होंने एक राष्ट्रीयताका खयाल करके अपने अद्वैत का प्रचार सिंधुसे लेकर परावर्तित किया। लेकिन उनमें भी एक मर्यादा थी। उन्होंने आम लोगोकी भाषा छोड़कर सिर्फ संस्कृतमें ग्रन्थ लिखे। उनके बादके सतको लाचार होकर आम लोगोकी भाषामें लिखना पडा। और संस्कृतको छोड़ना पडा। अलग-अलग भाषामें अलग-अलग ग्रन्थ लिखे जाने लगे। अलग-अलग भाषा हो जानेके कारण प्रातीयताका भाव पैदा होने लगा। इसका नतीजा हुआ कि अंग्रेजोने लश्करके दो विभाग किये—दक्षिणी हिस्सा और उत्तरी हिस्सा। उन्होंने देखा कि उत्तरवाले दक्षिणकी भाषा नहीं समझते और दक्षिणवाले उत्तरकी भाषा नहीं समझते। अगर दक्षिणमें बलवा हुआ तो उत्तरी सेना यहा पर काम देगी। यह आपको कोई काल्पनिक बात नहीं बता रहा हूँ। १८५७ के बलवेको मैं भारतीय स्वातन्त्र्यका संग्राम मानता हूँ। उसको दबानेके लिए मद्राससे सेना भेजी गई

थी। यद्यपि भारत हजारों सालसे एकत्र रहा फिर भी बादको भाषाका सबध टूट गया और अंग्रेजोंने इसका फायदा उठाया। गांधीजीने देखा कि अगर हम एक राष्ट्र बनाना चाहते हैं और अपने प्राचीनतम राष्ट्रोंको (जो हिमालयसे सिन्धुतक फैला है) ताकतवर बनाना चाहते हैं तो एक राष्ट्रभाषाकी सख्त जरूरत है। अब संस्कृत राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती। इसलिए अभी हिन्दुस्तानमें जो प्रचलित भाषा है उसका अभ्यास सबको करना होगा। इसलिए गांधीजीने हिन्दी भाषाको सबके सामने रखा कि सब उसका अभ्यास करे। अब वस्तु-स्थिति यह है कि जब हिन्दुस्तानमें कांग्रेसका जन्म हुआ तब शुरू-शुरूमें आपसके व्यवहारके लिए अंग्रेजी काममें लाई गई। इस तरह हमारे पढ़े-लिखे आदमी अंग्रेजी भाषाका उपकार मानते थे और शुरू-शुरू में अंग्रेजीसे काम चलाते थे। लेकिन किसीको यह न सूझाकि सबके लिए अंग्रेजी सीखना मुश्किल है। वह हिन्दुस्तानकी राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती। यह बात सिर्फ गांधीजीको सूझी।

जैसे हिन्दीमें तुलसी रामायण लिखी गई है, वैसे ही तामिलमें या बगलामें क्या सौ बरसके अदर ऐसा कोई उत्तम ग्रन्थ लिखा गया है जो गाव-गावमें फैला हो? प्राचीन जमानेमें ऐसा कोई साधन नहीं था जैसा हमारे यहां अब है। जैसे प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस जैसे महान् प्रचारकके होते हुए भी ऐसा क्यों नहीं हुआ? मैं तामिल नहीं जानता। लेकिन मेरे भाइयोंने बताया है कि ऐसा कोई ग्रन्थ नहीं जिसका प्रचार देहाततक हुआ हो। बहुतसे प्रकाशक मुझसे मिल चुके हैं। और मैं उनसे पूछ आया हूँ कि आप प्रकाशक हैं या अप्रकाशक? पुराने जमानेमें जब कोई पुस्तक लिखता था तो उसको लेकर घूम-घूमकर उसका प्रचार भी करता था। मगर आज हम मान बैठे हैं कि प्रिंटिंग-प्रेससे हमारा काम बन गया। तुलसी-रामायणने जनताकी सच्ची सेवा की है। नागपुरमें मुझे जब तुलसी-रामायण कहनेका मौका मिला तो एक बातपर मेरा ध्यान गया। आजकल छोटे बच्चोंको (जो प्रारंभिक शिक्षा पाते हैं) अक्षर सिखानेके लिए ऐसा पाठ लिखा जाता है जिसमें सयु-ताक्षर नहीं होते। नागरी और बगलामें सयुक्ताक्षरका प्रचार है।

इसलिए वहा जो बिना सयुक्ताक्षरके लिखा जाता है, वह कुछ कृत्रिमसा बन जाता है। लेकिन तुलसी-रामायणमे ५० सँकडे शब्द ऐसे मिलेगे जिनमे एक भी सयुक्ताक्षर नही है। यह तुलसीदासकी विशेषता है। उत्तर भारतमे श, ष, स का उच्चारण एक ही तरह किया जाता है। लिखेगे अलग-अलग पर, उच्चारण करेगे एक ही ढगसे। तुलसीदास सस्कृतके प्रकाड विद्वान् थे, परन्तु वह लोगोको उठानेके लिए स्वयं भुके, जैसे माता भुक्कर अपने बच्चेको उठा लेती है। पर आजकलके हमारे पब्लिशर लोग क्या करते है ?

हम लोग गुलाम बन गये और गुलामीको प्यार भी करने लगे। अब अभिमान भी करते है। आप देखेगे कि हमारी भाषा और देहाती भाषामे अंतर पड रहा है। हमारे ग्रन्थ आम जनतातक नही पहुँच सकते। सतोने देखा कि हमको देहाती भाषामे बोलना और लिखना चाहिए। गाधीजीने देखा कि जबतक अंग्रेजी भाषामे सोचते रहेगे, तबतक हम गुलाम ही रहेगे। में मानता हूँ कि अंग्रेजीसे हमारा कुछ फायदा हो सकता है। लेकिन अंग्रेजी भाषा और हमारी भाषामे बडा फर्क है। हम लोग कहते है 'आत्म-रक्षा'। आत्माके मानी शरीर नही है। पर अंग्रेजीमे आत्मरक्षा है 'सेल्फ-डिफेस'। हरेक भाषामे उसका अपना-अपना स्वतन्त्र-भाव रहता है। जबतक हम अंग्रेजीद्वारा ही सोचते रहेगे, तबतक हममे स्वतन्त्रभाव पैदा नही होगा; यह गाधीजीने देखा। लोग समझते है कि अंग्रेजीसे ही हमे ज्ञान मिलता है। अगर किसी देशके बारेमे जानकारी प्राप्त करनी हो तो अंग्रेजी पुस्तक पढना पर्याप्त समझते है। अंग्रेजी-नेत्र द्वारा ही सभी बातोको देखते है और खुद अंधे बनते है। अबतक हमने प्रत्यक्ष परिचय नही पाया है। अंग्रेजी किताबो द्वारा ही ज्ञान-संपादन करते आये है। अंग्रेजी भाषाके कारण हम पुरुषार्थ-हीन हो गये है। यहा ऐसा मेने मुना कि दो श्रेणी पढनेके बाद बच्चोको अंग्रेजी पढाई जाती है। वर्धाकी शिक्षा-योजनाके अनुसार हमने सात बरसकी पढाईमे अंग्रेजीको बिलकुल स्थान नही दिया है। क्योकि हम मातृभाषाको पहले स्थान देना चाहते है और उसी माध्यम द्वारा सभी विषय पढाना चाहते है। अंग्रेजी भाषा-

द्वारा जब हम कोई बात समझते हैं तो वह अस्पष्ट होती है। मैंने देखा कि एक अनपढ़ किसानका दिमाग साफ रहता है, पर एक एम० ए० का दिमाग साफ नहीं होता। इसका कारण यह है कि एम० ए० जितना विषय सीखता है सब-का-सब पराई भाषाके द्वारा सीखता है। बच्चा पहले मातृभाषामे सीखता है। यह सब गांधीजीने देखा और यह सोचकर कि राष्ट्रभाषा बननेसे कम-से-कम दस करोड़ लोग तो अपनी भाषा को अच्छी तरह सीख पायेंगे, हिन्दीको राष्ट्र भाषाका रूप दिया। २३ सालोमे, मैंने सुना है कि दक्षिणमे करीब १२ लाख लोग हिन्दी सीख चुके हैं।

आजकल हिन्दी, हिन्दुस्तानी और उर्दू का भगडा है। मुझसे जब कोई पूछता है कि आप हिन्दीको चाहते हैं, हिन्दुस्तानीको या उर्दूको ? तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आप 'माता' को चाहते हैं या 'मा' को ? मुझे हिन्दुस्तानी और उर्दूमे फर्क नहीं मालूम होता। दाढी बनानेमे और उसकी हजामत करनेमे जितना फर्क है उतना ही हिंदी और उर्दूमे है —बड़ी दाढी उर्दू है, सफाचट हिंदी। क्योंकि हम देखते हैं कि दाढी १५ मिनटमे बढती है। अंग्रेजीमे मिलटन और वर्डस्वर्थकी भाषामे जितना फर्क है उतना ही फर्क हिन्दी और उर्दूमे है। दो-चार उर्दू शब्दो या सस्कृत शब्दोसे भाषा कभी नहीं बदलती। मैं मद्रासमे अब जो भाषा बोल रहा हूँ उसमे सस्कृत शब्दोका प्रयोग कर रहा हूँ। अगर मैं पजाब गया तो उर्दू शब्दोका, जो मैं जानता हूँ इस्तेमाल करूँगा। अतएव आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप हिन्दी, हिन्दुस्तानी और उर्दूमे कुछ भी फर्क न करे। उनमे फर्क नहीं है। हिंदी और उर्दूमे जो बैलेस लाया गया है वह है हिन्दुस्तानी। आपको मालूम है, गांधीजी 'बैलेस्ट डायट' के हिमायती हैं और उन्होंने इसको हिन्दुस्तानी नाम दिया है। आप इन भगडोमे मत पडिये। जिस भगडेमे कोई अर्थ नहीं उस भगडेमे पड़नेसे फायदा ही क्या ?

और एक बात मुझे कहनी है। आप जिस कार्यमे लगे हैं वह युद्ध-विरोधी कार्य है। आज जो युद्ध चल रहा है वह दुनियामे केवल द्वेष बढ़ाने वाला है। हिंदीका प्रचार प्रेमका प्रचार है। इसलिए मैं इसको युद्ध-विरोधी प्रचार

मानता हूँ। अगर कोई हिन्दुस्तानी बच्चेसे पूछे कि तुम्हारे कितने भाई हैं तो उसको कहना चाहिए—“हम चालीस करोड़ हैं।” आजकल हममें प्रांतीय झगडा भी है। एक प्रांतकी सीमापर दो तरहके लोग रहते हैं और वे झगडते हैं कि अमुक स्थान हमारा है। अगर कोई मुझसे यहा पूछे कि डेनजिग कहा है तो मैं कहूंगा कि डेनजिग वही पर है जहा वह खडा है। हिन्दुस्तानमें अनेक भाषाओको और अनेक धर्मोंको रहना है। इसलिए अगर यहा ऐसे छोटे-मोटे झगडे हुए तो हिन्दुस्तान जैसा कोई बदनसीब देश नहीं होगा। हम सब एक हैं, यह भाव पैदा करनेके लिए हमारे पास कोई साधन होना चाहिए। वह साधन है राष्ट्रभाषा।

राष्ट्रभाषा प्रांतीय भाषाकी जगह नहीं लेगी। मातृभाषाके लिए भी प्रेम की जरूरत है। पाश्चात्य लोगोसे हमने ‘अभिमान’ शब्द सीखा है। पर इसमें देशप्रेम नहीं है। पेट्रियाटिज्म क्या चीज है? वह देश-प्रेमका अपभ्रंश है। राष्ट्रभाषाका अपभ्रंश है पेट्रियाटिज्म। इसलिए आप लोगोको मातृभाषाका अभिमान नहीं, प्रेम रखना चाहिए। राष्ट्रका अभिमान नहीं, राष्ट्र-प्रेम रखना चाहिए। हम राष्ट्रभाषाका प्रेम चाहते हैं। राष्ट्रभाषाका प्रचार युद्ध-विरोधी सदेशका प्रचार है। अगर हम मानव-समाजमें प्रेम बढ़ाना चाहते हैं और मानव-समाजको प्रेमकी नीवपर स्थापित करना चाहते हैं तो एक-दूसरेका सबध कायम रखनेके लिए रेलवे काम नहीं देगी, रेडियो काम नहीं देगा। आपके अतरात्माका प्रेम काम देगा। इसी प्रेमके प्रचारके लिए हिन्दी-प्रचार-सभा स्थापित है।

सर्वत्र आत्मा एक है। आत्माकी भाषा सर्वत्र समान होती है। जैसे दुनिया भरका कौवा एक ही भाषा बोलता है वैसे ही दुनियामें मानव-भाषा एक है। यह हृदयके अतरतमकी भाषा है। मानव-मात्रकी एक भाषा है। जो आत्मभाव उपनिषद्में है वह ईसप्स फेबल्समें है। लडकोको ईसप्स फेबल्स पढनेमें बडा आनंद आता है। क्योंकि वे आत्माको पहचानते हैं। आत्माकी भाषाके प्रचारमें राष्ट्रभाषाका प्रचार पहला कदम है। आत्माकी भाषा जब समझ लेंगे तब सबकी आत्माको समझेंगे। स्त्री-पुरुषकी आत्मा

एक है, हिंदू-मुसलमानकी आत्मा एक है। उत्तर और दक्षिणकी आत्मा एक है, इसको पहचाननेके लिए ही यह राष्ट्रभाषाका प्रचार है। मैंने अपने हृदयकी बाते आपके सामने रखी इससे ज्यादा और कुछ कहना नहीं है।'

हृ० प्रचार समाचार : मद्राससे—जनवरी, १९४२

: १० :

सरकार की चुनौतीका जवाब

जब-जब मैं जन-समूहके सामने बोलने खड़ा होता हूँ, तब-तब हमेशा मेरे हृदयमें अत्यंत उत्साह भरा होता है। क्योंकि आप भाई-बहनोके दर्शनमें एक प्रकारकी पावनता अनुभव होती है। मगर मुझे कबूल करना चाहिए कि आज आपके सामने बोलनेमें मुझे हमेशाका-सा उत्साह अनुभूत नहीं होता। इसका कारण यह है कि जिस तरह हम लोगोकी रिहाई हुई है और आपके सामने बोलनेका प्रसंग आया है, उसमें उत्साहका कारण नहीं है; उल्टे उदासीनताका कारण है। आपमेंसे बहुतोको आनन्द होता होगा कि जेलमेंसे हमारे भाई छूटकर हमारे बीचमें आ गये हैं और हमसे मिलेगे। परन्तु मिलनेका आनन्द भी, परिस्थिति विपरीत हो, तो विलीन हो जाता है। जरा-सा विचार करके देखनेसे ध्यानमें आ जायगा कि आजका मिलना आनन्दका विषय नहीं है।

सरकारने सत्याग्रही कैदियोंको छोड़नेका निश्चय किया है, इसकी जड़में सद्भावना प्रतीत होती, तो वह अलग चीज होती। परन्तु आजतक एमरी साहबके जो व्याख्यान-प्रवचन, आये दिन सुननेको मिले, उनपर ध्यान देनेसे दूसरा ही दृश्य दिखाई देता है। हम जेलमें अपने आप गये थे। हमारे सामने भाषण-स्वातन्त्र्यका बड़ा भारी सवाल था। वह जबतक हल न हो जाय,

१. व० भा० हिंदी प्राचर सभा, मद्रासके ग्यारहवें पब्लीकान समारंभपर दिए गए वीक्वांत भाषणकी रिपोर्ट—।

तबतक जेलसे बाहर रहना हमारे लिए जहर जैसा है। परन्तु सरकारने एक जाल बिछाया है। हमें छोड़नेमें उसकी ऐसी कल्पना और इच्छा मालूम होती है कि हम लोग जो वाक्-स्वतन्त्रताके सग्राममें सत्याग्रह करके जेलमें गये वे बाहर आनेपर लोप हो जायेंगे और सरकारका काम अपने आप हो जायगा। यह सरकारने बड़ी चतुराईका काम किया है। हमें चाहिए कि हम इस जालमें फसकर अपनी लड़ाई बन्द न करें, बल्कि और भी तीव्र बनावें। अहिंसाके उपासकके नाते ससारमें चलनेवाली हिंसाका विरोध करनेका हमारा यह मूलभूत अधिकार और कर्तव्य जबतक सिद्ध नहीं होता, अर्थात् जनताके सामने हमें अपने विचार अहिंसक रूपसे आजादीके साथ रखनेका अधिकार नहीं मिल जाता, तबतक हमारा यह धर्म है कि हम अपना अहिंसक युद्ध जारी रखें। जारी रखनेका यह अर्थ है कि हम उसे और भी जोरके साथ चलायें।

अधिक जोरके साथका क्या अर्थ है? हिंसक और अहिंसक युद्धकी परिभाषामें अंतर है। हिंसक युद्धमें साधनोकी हिंसकता बढ़ाई जाती है और अहिंसक युद्धमें उनकी शुद्धता। हिंसक युद्धमें हम क्या करते हैं? विरोधीके हथियारोके सामने जब हमारे हथियार असमर्थ साबित होते हैं तो उनसे भी ज्यादा भयानक हथियार हम खोजते हैं और उसका प्रयोग करते हैं। यह प्रक्रिया आज यूरोपकी लड़ाईमें प्रत्यक्ष हो रही है। चर्चिल साहब कहते हैं कि अगले साल हम जर्मनीसे भी ज्यादा हिंसक और भयानक शस्त्रास्त्र तैयार करेंगे। हिटलरकी रणगाडियो (टैंको) से अधिक तादाद में और अधिक भयानक रणगाडिया बनायेंगे; तब हमारी जीत होगी। इस प्रकार एक-दूसरेकी अपेक्षा ज्यादा हिंसक शस्त्रोका निर्माण दोनों दल करते हैं।

अहिंसक युद्धकी रीति इससे जुदी है। अंग्रेज सरकारने हमें छोड़कर यह चुनौती दी है कि, "अरे, हिंदुस्तानके छूटे हुए गुलामो! अगर तुम्हें स्वतन्त्रता चाहिए, तो तुम और जोशसे लड़ो।" मगर इसका जवाब हम अहिंसक रीतिसे कैसे देंगे? हिंसक लड़ाईमें ऐसी चुनौतीका जवाब साधनोकी

हिंसकता बढ़ाकर दिया जाता है। अहिंसक लड़ाई ज्यादा जोशके साथ चलानेका तरीका दूसरी तरहका है। अहिंसक युद्ध अधिक जोरसे चलाना का मतलब साधनोकी शुद्धता बढ़ाना और अधिक आत्मशुद्धि करना है। हमारे इस छुटकारेकी बुराईमेंसे यह भलाई निकली है। ईश्वरकी कृपासे अंग्रेज सरकारको हमे जेलमे डालनेकी प्रेरणा हुई। इसलिए हमे आत्म-परीक्षणका और जिन साधनोको हमने शुद्ध समझकर अपनाया था, उनकी शुद्धता परखनेका सुयोग मिल गया। हमारे साधनोमे जो कुछ अशुद्धि रह गई हो, उसे दूर करके अब हमे अधिक तीव्रतासे लड़ना चाहिए। अहिंसक प्रक्रियामे ज्यादा जोरके साथ लड़नेका अर्थ यही है।

अपने साधनोमे छिपी हुई अशुद्धिका निरीक्षण करनेका अवसर हमे जेलमे मिलता है। लेकिन मुझे खेदके साथ स्वीकार करना पड़ता है कि जेलमे जितनी सयमशीलता और मर्यादा रखनी चाहिए थी उतनी हममेसे बहुत से न रख सके। शायद इसीलिए परमेश्वरने हमे फिर विचार करनेका यह अवसर दिया है कि हम अपने औजारोको कैसे शुद्ध करे। जेलमे हमें छूट मिले या हमारे साथ डीलका बर्ताव हो तो भी हमारे सयम, विवेक और तपश्चर्याका सरकार, अधिकारीवर्ग और दूसरे लोगोपर अनुकूल परिणाम होना चाहिए। लेकिन हमने तो यह किया कि जितने भाग प्राप्त हो सके प्राप्त किये। ऐसी हालतमे अगर हमे लड़ाई जोरसे चलानी है तो ज्यादा शुद्ध कसौटीपर उतरकर सत्याग्रह करना चाहिए। तभी हमारे अगले सत्याग्रहमे अधिक बल आवेगा। अगर हम अपनी लड़ाई अधिक शुद्ध मनसे, अधिक शुद्ध जनसे और अधिक शुद्ध योजना से चलायेगे तो वह नि मशय सफल होगी।

एक सवाल यह उठाया गया है कि इस छुटकारेको सरकारकी सद्भावना समझकर हमे अपना कार्यक्रम क्यों न बदलना चाहिए? इसपर मुझे रवि-बाबूकी एक उक्ति याद आती है। उन्होने कहा है कि भारतवर्ष एक महा-मानव-सागर है। यह यूरोपके एक-एक करोडके नन्हें-नन्हें देशोके समान टूटपुजिया नहीं है। जिनके अलग-अलग धर्म, अलग-अलग भाषाएँ, अलग-

अलग रहन-सहन, भिन्न-भिन्न प्रान्त, जुड़े-जुड़े रीति-रिवाज है, ऐसे चालीस करोड़ भाई-बहनोका यह देश एक महान् सयुक्त कुटुम्बके समान है। यह हमारा सद्भाग्य है। इस विविधताके कारण इतने बड़े सागरमे तरह-तरहकी लहरे उठती हैं, भिन्न-भिन्न विचार उत्पन्न होते हैं। इसी तरहका एक खयाल यह भी है कि कार्यक्रम बदला जाय। लेकिन सवाल यह है कि क्यो बदला जाय ? क्या जिस मुद्देपर हमारी लड़ाई शुरू हुई थी वह मान लिया गया ? उसकी खातिर हम बाहर से जेलके भीतर गये थे। अब वह माग स्वीकार किये बिना हमे फिर बाहर भेज दिया गया। तो भी अगर कार्यक्रममे परिवर्तन करना है तो हम जेल गये ही क्यो थे ? जेल जानेसे पहले तो हम आजाद थे ही। हमारी माग स्वीकार न होनेपर भी अगर हम कार्यक्रम बदल देते हैं तो उसका अर्थ यह है कि वह माग ही छोड़ देने योग्य है। मैं आपसे कहना चाहता हू कि जिस मुद्देपर हमने यह अहिंसक लड़ाई छोड़ी है वह छोड़नेके लायक नहीं है। बहुतसे अधिकार ऐसे होते हैं कि उनका व्यवहारमे लाना सदा आवश्यक नहीं होता। लेकिन भाषण स्वातन्त्र्यके अधिकारपर अमल न करनेसे काम नहीं चलेगा।

भाषण-स्वातन्त्र्य तो हमारा अधिकार ही नहीं है, धर्म है। धर्मका तो पालन सदा करना ही पडता है। हमे आज जो भी बल मिला है, वह पिछले बीस वर्षकी अहिंसाकी साधनासे मिला है। आप लोगोमेसे जो मुझसे बड़े या मेरी उम्रके हैं, वे जानते हैं कि तीस वर्ष पहले हिन्दुस्तानकी क्या हालत थी। उस वक्त हम 'वदेमातरम्' बोलनेसे घबडाते थे और 'स्वराज्य चाहिए', कहना भयानक था। शरीरको सुगठित करनेके लिए अखाडे खोलते, तो वे भी भयानक माने जाते। बीस-पच्चीस वर्ष पहले हमारी ऐसी हीन-दीन दशा थी। होती भी क्यों न ? जब कि दो सौ वर्षसे हम नि शस्त्र और परतत्र थे। हम अपनी बुद्धि, लक्ष्मी और शक्ति सब कुछ गवा चुके थे। ऐसी हालतमे हम कैसे समर्थ हुए ? इतनी बलवान सरकारका विरोध—और सो भी पचास वर्षतक—लगातार करनेकी शक्ति क्योकर काग्रेसमे आई ? यह किस जादूकी लकडीका प्रताप है ?

परसो एक जर्मन वक्ताने बड़े गर्वसे कहा था कि अब यूरोप नि शस्त्र हो गया और हमारी रणगाडियां शांति कायम रख लेगी । यह विश्वास रिबन ट्रापको इसी आधार पर हुआ कि टेकोके सामने निहत्थी प्रजा क्या कर सकती है ? वह जरा भी ची-चपड करेगी तो दबा दी जायगी । यही श्रद्धा अग्रेजोंकी थी कि जिस हिन्दुस्तानके हथियार छीन लिये हैं, उसपर हमारा पजा आरामसे रहेगा । वे समझते थे कि हम अपने शस्त्रास्त्रोंके जोरपर नि शस्त्र हिन्दुस्तानमें बड़ी आसानीसे शांतिका प्रचार करेंगे । किंतु इस तरहकी दुर्दशामें पड़े हुए देशने इतने जबरदस्त साम्राज्यसे टक्कर लेनेवाली काग्रेस-जैसी महान् सस्या कैसे खडी कर ली ? यह अहिंसाका ही चमत्कार है । अहिंसाके तत्वमें सगठन करनेकी बड़ी शक्ति है ।

यह युग सघ-बलका युग है । पहले तो इक्के-दुक्के आदिमियोंके बलसे भी काम चल जाता था, परतु इस जमानेमें बलवान सघटनके बिना सत्ता नहीं मिल सकती । यूरोपमें वह सगठन हिंसाके आधारपर होता है । तो भी वहा के देशोंको हिंसाको राष्ट्रव्यापी बनाना पडता है ; तभी वे मुकाबिला कर सकते हैं । देखिए, रूसने एक करोड सेना खडी की है । यह कोई छोटी बात नहीं है । फिर भी, उसके पैर लडखडा रहे हैं । बात यह है कि हिंसामें शत्रुसे भी प्रचड होना चाहिए । फुटकर हिंसक बेकार होता है । या तो अत्यन्त व्यापक और तीव्र स्वरूपका सघटन होना चाहिए, या बिल्कुल नहीं । और कोई चारा नहीं है । गुप्तरूपसे षड्यंत्र करके दो-चार खून करनेसे विजय नहीं मिलती । राष्ट्रके तमाम लोगोंको उसी काममें जुट जाना पडता है । इंग्लैंडको देखो । वहा स्त्रियोतककी भरती हो रही है । साढे अठारह वर्षसे ऊपरके तो सभी स्त्री-पुरुष जबरन भर्ती किये जा रहे हैं । सोलहसे साढे अठारह वर्षके तरुण-तरुणियों को भी भरती होनेके लिए प्रेरणा, उत्तेजन और प्रोत्साहन दिया जा रहा है । इतना भयानक सगठन करने पर कही आशा हो सकती है । नहीं तो चुपचाप गुलाम बनकर टेकके आमें सिर झुकाओ । यूरोपमें ये ही दो मार्ग पाये जाते हैं ।

लेकिन महात्माजीने हमारी सस्कृति और स्थिति देखकर हमें एक नया

हथियार दिया है। वह है अहिंसा। इसमें जागृति और सगठनकी कितनी विलक्षण शक्ति है। यह हमारे जैसे निःशस्त्र, विशाल और पराधीन देश की आजकी निर्भयतासे साबित है। चोरी-चुपकेकी हत्यामें यह शक्ति नहीं है। क्या हम इतनी बड़ी शक्तको खो बैठे ? फिर तो अग्नेजोकी शरण जानेके सिवा हमारे पास और कोई उपाय ही नहीं रह जायगा। हम ऐसे शस्त्रको हरगिज न छोडेगे। उसे हम और भी तेजस्वी बनायेगे। चुपचाप नहीं बैठेगे। जब इतना भयकर हिंसा-कांड हो रहा है, दुनिया तबाह की जा रही है और हमारे देश को भी उसमें घसीट लिया गया है, तो हम उसके विरोधमें प्रचार किये बिना कैसे रह सकते हैं ? — लोगोसे यह कहें बिना हम कैसे रह सकते हैं कि लडाईमें शामिल मत होओ। इस वक्त अगर हम चुप रहेगे तो सारा राष्ट्र खस्ती हो जायगा। हम गुलाम बने रहेगे। यह भाषण-स्वातंत्र्य कोई मामूली अधिकार नहीं है, वह हमारा महान् कर्तव्य है। जबतक उसे पूरा करनेका अधिकार न मिले, तबतक खाली छुटकारेके जालमें फसकर हम अपनी लडाई बंद कैसे कर सकते हैं ? यह हुआ शुद्ध, अर्थात् आत्यंतिक अहिंसाके पहलू विचार।

एक दूसरी भी दृष्टि है। वह यह कि 'हमारे लिए हिंसा-अहिंसाका मुद्दा प्रधान नहीं है। हम तो साम्राज्यवादी युद्धमें मदद नहीं करना चाहते। और जबतक सिर्फ अग्नेजोका ही सवाल था, तबतक उनका साथ न देना ठीक था। लेकिन रूसके शामिल होनेसे लडाईका स्वरूप ही बदल गया है। वह साम्राज्यवादी राष्ट्र नहीं, समाजवादी मुल्क है। अब तो जो लोग इस युद्धको साम्राज्यवादी और साम्राज्यवादको बढ़ानेवाला समझकर उसका विरोध करते थे, उन सबको चुप रहना चाहिए। लेकिन इस बारेमें एक सवाल उठता है—'अग्नेज और रूसकी दोस्तीका क्या मतलब है ?' या तो इंग्लैंडने साम्राज्यवाद छोड़ा होगा या रूस अपने आदर्शसे कुछ नीचे उतर आया होगा। अबतक जो घटनाएँ घटी हैं, उनसे साफ है कि रूस ही अपने आदर्शसे गिर रहा है। यो तो रूस अपने आदर्शसे पहिले भी कुछ कुछ गिर चुका था। इस पतनके बीज रूसी ऋतिमें ही थे। और उसकी योजनामें भी हिंसाको स्थान है।

मतलब यह कि रूसमें पहले हीसे हिंसक शक्ति थी। अब वह बढ़ गई है।

हिंसक शक्तिका विरोध कांग्रेसके तत्त्वज्ञानमें है। लेकिन साम्राज्यवाद की बिनापर जो विरोध किया जाता था वह भी कायम ही रहता है। क्योंकि इंग्लैंडकी साम्राज्यवादी मनोवृत्तिमें कोई फर्क नहीं हुआ है। अगर हुआ होता तो उसका प्रकाश हिन्दुस्तानमें जरूर पडता। इंग्लैंडके रूसमें कोई फर्क नहीं पडा है। ऐसे साम्राज्यवादी राष्ट्रसे रूसने हाथ मिलाया है। ऐसी हालतमें यह नहीं कहा जा सकता कि युद्धका स्वरूप बदल गया है। उल्टे रूस और इंग्लैंडके मिल जानेसे तो युद्धकी हिंसकता और भी बढ़ेगी और इंग्लैंडके साम्राज्यवादकी छूट रूसको भी लगेगी। इसलिए साम्राज्यवादके विरोधके कारण भी हमें सत्याग्रह जारी रखना चाहिए।

एक तीसरी बात यह कही जाती है कि पार्लमेटरी कार्यक्रम क्यों न शुरू किया जाय ? यह कौसिलोका मोह उसी हालत में अच्छा हो सकता है, जब राष्ट्रके हाथमें सच्ची सत्ता होती है। आज वह सत्ता कहा है ? आज तो पार्लमेटरी कार्यक्रम फिरसे शुरू करने का मतलब सरकारके जालमें फसना होगा। एसेबलीमें जाकर कमांडर-इन-चीफकी हा-मे-हा मिलानी होगी। ठीक वही हाल होगा जैसा कि हमारे यज्ञयागादि धार्मिक समारंभोंमें होता है। पति सकल्प करता है, पत्नी उसके हाथमें हाथ लगाकर अनुमोदन देती है। इसके माने यह है कि हिन्दुस्तान खुशीसे युद्ध में धन-जनकी सहायता दे। इसका यही अर्थ हुआ कि हम सरकारके दरबारमें जाय और वहा भारतके सेनापति बेवैल साहबके प्रवचन सुनकर हिंसक कार्यमें उनकी मदद करे। फिर तो कांग्रेसको अहिंसा-द्वारा स्वराज्य लेनेका अपना उद्देश्य बदल देना होगा। लेकिन गांधीजीको और मुझ-जैसे असह्य व्यक्तियोंको यह बात नहीं जचती कि हिंसाके मार्गसे स्वराज्य मिलेगा। इसीलिए हमें पार्लमेटरी प्रोग्राम (दरबारी राजनीति) नहीं जचती।

इसलिए हमें इस युद्धका यथाशक्ति विरोध करना ही चाहिए। हा हमको अपने साधन पहले की अपेक्षा अधिक शुद्ध रखने होंगे। जो लोग जेल

जाय, उन्हें अधिक समयशीलता, अधिक कर्तव्यनिष्ठा और अधिक भक्ति रखनी होगी। इसका वातावरणपर शुभ परिणाम होगा। इतनी दक्षता और सावधानीसे हमें आगे बढ़ना चाहिए।

मगर जेल जानेवालोमें युद्धके प्रतिकारकी शक्ति कहामें आयेगी ? वह तो तब आयेगी, जब आप सबका सहयोग और अनुमोदन होगा, हम आप सबके प्रतिनिधि होकर जायगे और आपमें और हममें एकसूत्रता रहेगी। तभी युद्ध-विरोधी प्रचारमें शक्ति पैदा होगी। जब हमारे विचारके पीछे आपका समर्थन होगा, तभी सत्याग्रहमें प्रचण्ड शक्ति आयेगी। खाली हाथ उठाकर समर्थन करनेसे काम नहीं चलेगा। देखिए, यूरोपवाले अपनी आजादीके लिए कितना बलिदान कर रहे हैं ? लाखों आदमी और विपुल धन कुर्बान किया जा रहा है। इसी तरह आपको प्रत्यक्ष सहयोग देना होगा। वह सहयोग इसी तरह हो सकता है कि लाखों लोग रचनात्मक-कार्यक्रममें भाग लें। केवल हाथ उठानेके त्यागसे काम नहीं चलेगा। अगर आप लोगोका सहयोग सजीव और व्यापक हो तो जेलमें भले मुट्ठीभर ही आदमी चले जाय, तो भी हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हनूमान का उदाहरण आपको मालूम है। वह अकेला लकामे पहुँचा था। महाबली राक्षसोंके बीच इस तरह पहुँचकर पराक्रम करनेकी शक्ति उसमें कैसे आई ? यह पराक्रम उसने किसी अखाड़ेमें कसरत करके प्राप्त नहीं किया था। जब इस निर्भयताका कारण उससे पूछा गया, तो उसने कहा, 'मेरा असली बल शरीरबल नहीं है। श्रीरामचन्द्रका पृष्ठ-पोषण ही मेरे इस पराक्रमका आधार है। मैं रामका दास हूँ।'

कहावत है कि 'पंचोमें परमेश्वर' होता है। जनता ही जनार्दन है। उस देवताका समर्थन हमारा सच्चा बल है। वह समर्थन रचनात्मक आचारके रूपमें ही हो सकता है।

हिंसात्मक युद्धकी तैयारीमें भी अखंड विधायक कार्यक्रमकी आवश्यकता होती है। हिंसक युद्धमें सिर्फ सेना ही नहीं लड़ती। समूचे राष्ट्रको विधायक कार्यमें जुटजाना पड़ता है। जब प्रचण्ड विधायक सगठन होता है, तभी

हिसक युद्धकी तैयारी होती है। युद्धकी सामग्री बनाने के लिए बड़े-बड़े कारखाने खोलने और चलाने पड़ते हैं, रास्ते और पुल बनवाने पड़ते हैं, बर्दिया बनवानी पड़ती है, खेती और दूसरे उद्योगों-द्वारा खुराक और रसद का प्रबंध करना पड़ता है, लड़के-लड़कियोंको पाठशालाएँ छोड़कर इस काममें लग जाना पड़ता है, स्त्रियोंको घरका काम सम्हालकर युद्धकी विधायक तैयारीमें हाथ बटाना पड़ता है। जरा हिटलरसे पूछिये तो वह कहेगा कि मुझे चौदह आने विधायक कार्य करना पड़ता है और सिर्फ दो आने प्रत्यक्ष लड़ाईका काम। सेना लड़ती है, परंतु सारा राष्ट्र उसके पीछे काम करता है। स्त्रियाँ सीने-पिरोनेका, मरहम-पट्टीका और सेवा शुश्रूषाका कार्य करती हैं। छोटे-छोटे बालक भी कारखानोंमें अपने बूतेका काम करते हैं। बूढ़े अपने लायक काम करते हैं। हा, इस सारे विधायक कार्यका उपयोग तो हिंसक लड़ाईके ही लिए होता है। लेकिन वह कार्य अपनेमें विधायक ही होता है। जब हिंसात्मक युद्धमें जनताके इतने विधायक-सहयोगकी आवश्यकता है, तब अहिंसक लड़ाईकी तो बात ही क्या? उसमें तो सोलह आने शक्ति रचनात्मक कार्यकी ही है।

खाली युद्ध-विरोध सफल कैसे हो सकता है? युद्ध-विरोधी सत्याग्रह तो ऐसा है जैसे चिरागको दियासलाई लगाकर सुलगाते हैं। लेकिन चिराग किस शक्तके आधारपर प्रकाश देता है?—बत्ती और तेलके आधारपर। वह न हो तो दिया प्रकाश नहीं दे सकता। सारी बत्तीको तेलसे पोषण मिलता है। दियासलाई तो निमित्तमात्र होती है। बत्तीका एक सिरा दियासलाईसे जला देने पर चिराग अखंड जलता रहता है। उसी तरह सिर्फ युद्धविरोधकी दियासलाईसे काम नहीं चलेगा। जबतक रचनात्मक-कार्य-क्रमका तेल और बत्ती नहीं होगी, तबतक प्रकाश नहीं पड़ेगा, दिया नहीं जलेगा। अगर तेल और बत्ती होगी और बत्तीको तेलकी खुराक बराबर मिलती रहेगी, तो युद्ध-विरोध सफल होगा, तेजस्वी होगा। लाखों नर-नारी जब रचनात्मक कार्य-द्वारा सत्याग्रह-रूपी दीपकको तेल-बत्ती पहुंचाते

रहेगे, तभी उसकी ज्योति अखड और प्रचड रहेगी।

इस तैलके भंडारको भरपूर रखनेके लिए हिंदू-मुस्लिम एकता होनी चाहिए। लेकिन वह कैमे हो? हमे एक-दूसरेका विश्वास करना सीखना चाहिए। हजार-हजार और बारह-बारह सौ वर्षसे हम एकत्र रह रहे हैं। फिर भी आपसमे अविश्वास और डर है। उसे बिलकुल नष्ट कर देना चाहिए। दूसरी महान् विधायक प्रवृत्ति हरिजन-सेवा है। हमे अपने हरिजन भाइयोको नजदीक लेकर उनके साथ कुटुंबियोका-सा बर्ताव करना चाहिए। घर-घरमे चर्खा भी चलना जरूरी है। हमारा राष्ट्र गरीब है। वह तो जब दोनो हाथोसे काम करेगा, तभी भूख मिटेगी।

एक गृहस्थने मुझे कहा, "मेरे यहा तो खानेवाले छ-सात मुह है।" जवाबमे मानो ईश्वरकी वाणी ही मेरे मुहसे निकली। मैंने कहा, "धबडानेकी क्या बात है? सात मुह है तो चौदह हाथ भी तो है? यह तो ईश्वरकी दया और प्रेममय योजना है कि उसने एक मुहके पीछे दो हाथ दिये है, दो हाथोके पीछे एक मुह नहीं।" हम चालीस करोड है। हमारे अस्सी करोड हाथोमे कितनी शक्ति भरी है! यह हमारा दुर्भाग्य या मुसीबत नहीं है, महान् सद्भाग्य और लक्ष्मी है। दोनो हाथ काममे लगाइए। सूत कातनेका काम बिलकुल आसान है। लडाईकी वजहसे आज मिलका कपडा बहुत महगा हो गया है। लडाईका कोई ठिकाना नहीं कबतक चले। मुझे तो वह लवी जाती दोखती है। ऐसी हालतमे महगाईके कारण कदाचित कपडेके अभावमे हम सभीको जाडेके दिनोमे ठिठुरना पडे। पराबलबीका यही हाल होता है। लेकिन सूत कातनेका काम तो बच्चे, बूडे, कमजोर सभी कर सकते है।

स्वावलबनके अलावा एक दूसरी दृष्टि भी है। देशके लिए हररोज कुछ-न-कुछ करना चाहिए। इस तरहकी प्रत्यक्ष क्रिया कौन-सी हो सकती है? हमे अपने बच्चोको कातनेके सस्कारमे भी बँसीही भावना देनी चाहिए जैसी तुलसीकी पूजामे। छुटपनमे हमारी मा हमे तुलसीमे पानी डालनेके लिए कहा करती थी। हर एक घरमे इस तरह प्रत्यक्ष क्रियाके द्वारा बच्चोके दिलमे

धर्म-प्रीतिका सस्कार पैदा किया जाता था। प्रत्यक्ष उपासना सिखाई जाती थी। हम भी छोटे बच्चोंसे प्रतिदिन देशप्रीतिके प्रतीकके रूपमें प्रत्यक्ष कार्य करावे। राष्ट्र-प्रेमकी द्योतक इस क्रियामे हमे अभिमान मालूम होना चाहिए।

इसी तरह सब तरहके व्यसन छोड़ने चाहिए।

याद रखो अगर सब लोग रचनात्मक काम करोगे, तो हमारी सत्याग्रहकी लड़ाईमे वह जोर पैदा होगा जिसको कोई शक्ति दबा न सकेगी। फिर आपके लिए 'पराजय' जैसा कोई शब्द ही नहीं रहेगा। मुझे हमारी अंतिम विजयके बारे मे तनिक भी सदेह नहीं है। मेरे मित्रो, सिर्फ आपका सक्रिय समर्थन चाहिए।'

सर्वोदय : जनवरी, १९४२

११ .

हमारी तर्कशुद्ध भूमिका

मुझे पता नहीं था कि मैं यहाँ अपने अधिकारकी कक्षामे आनेवाला काम करने आ रहा हूँ। परंतु प्रारंभमे इस कॉलेज के आचार्यका जो भाषण सुना उससे मालूम हुआ कि मैं अपने अधिकारके ही कामके लिए यहाँ आया हूँ। अभी कहा गया कि यह कॉलेज अगले सत्रमे नागपुर जानेवाला है और इसलिए यह अंतिम प्रसंग है। अक्सर अंतिम अवसरोपर ही मेरी बुलाहट होती है। मालूम होता है वही मेरा अधिकार है। योग्य स्थानपर योग्य व्यक्तिकी नियुक्ति अपने-आप कैसे हो जाती है यह देखकर आश्चर्य होता है। मैंने जब इस निमंत्रणको स्वीकार किया तो मेरे आसपास रहनेवालीको जरा आश्चर्य ही हुआ। वे सोचने लगे, 'यह कहाका प्राणी कहा पहुँचेगा?' ज्ञानदेवने लिखा है, "एक जगली जानवर पकड़कर राजमहलमे—कोलाहलसे भरे राजमहलमे—लाया गया। बेचारा हैरान हुआ कि कैसे शून्य

१. रिहाईके बाद (७ दिसंबर, १९४१ को) बर्धामें बिया गया भाषण।

स्थानमें आ पहुँचा हूँ। उसे दसो दिशाएँ सुन-सान प्रतीत होने लगी।” साधियोने सोचा कि यहाँ मेरा भी वही हाल होगा। क्योंकि कॉलेज जैसे स्थानोंका वातावरण और होता है और हमारा वातावरण कुछ और तरहका। इसलिए उनकी शकाके लिए गुंजाइश जरूर थी।

परतु मेरे दिलमें इस तरहकी कोई शका जरा भी नहीं थी। क्योंकि विद्यार्थी चाहे कहीका हो, चाहे कौन-सा भी हो,—वह दूसरे प्रकारका हो सकता है—लेकिन उसकी वृत्ति मेरी वृत्तिसे मेल खाती है। वह मुझे मेरी आत्मा ही प्रतीत होता है। यह अनुभव मुझे कई बार, याने जब-जब मैं विद्यार्थियोंके सामने बोला हूँ तब-तब, हुआ है। जब मैं विद्यार्थियोंसे बोलता हूँ तो मुझे ऐसा मालूम ही नहीं होता कि मैं किसी दूसरेसे बोल रहा हूँ। ऐसा मालूम होता है मानो मेरी आत्मा ही साकार होकर सामने खड़ी है, मैं अपने-आपसे ही बोल रहा हूँ। कारण मैं एक विद्यार्थी हूँ। अगर मैं विद्यार्थी न होऊँ तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। यह स्थिति है। आजतक विद्यार्थी रहा हूँ और, अगर इस जन्मकी ही बात करूँ, तो अततक भी रहूँगा, ऐसी आशा करनेमें हर्ज नहीं। इसलिए वातावरण चाहे कितना भी भिन्न क्यों न हो, मेरे सामने जब विद्यार्थी होते हैं तो उनमें और मुझमें भेद नहीं रहता। इस विषयमें मुझे कोई सदेह नहीं था। इसीलिए यह निमन्त्रण मैंने स्वीकार किया।

लेकिन यहाँ आनेपर मैं किस विषयपर बोलूँ? मैं समझता हूँ कि मैं कौन-से काममें लगा हूँ, यह जानते हुए, या यो कहिए, यह जाननेके कारण ही मुझे यहाँ बुलाया है। इसलिए मुझे क्या बोलना चाहिए इसके विषयमें आपकी अपेक्षा स्पष्ट ही है। मैं उस अपेक्षित विषयपर ही बोलनेवाला हूँ।

परतु एक बात मुझे कह देने दीजिए। कारण, प्रस्तावित भाषणमें मुझसे यह अपेक्षा की गई है कि मैं विद्यार्थियोंको कुछ उपदेश दूँ। लेकिन मैं उपदेश हरगिज नहीं दूँगा। क्योंकि मैंने यह सूत्र ही बना लिया है कि जो विद्यार्थियोंको उपदेश देता है वह एक ‘पढ़त-मूर्ख’ (पठित-मूर्ख) है और जो ऐसे उपदेश सुनता है वह दूसरा पढ़त-मूर्ख है। रामदासने पठितमूर्खके लक्षण

बतलाये हैं। आप उन्हें जानते हैं। लेकिन मैं देख रहा हू कि वे लक्षण बराबर बढ़ते चले जा रहे हैं। अब वह पुरानी तालिका कामकी नहीं है।

विद्यार्थियोंको उपदेश देना मूर्खता का लक्षण है, यह कहनेसे मेरा यह अभिप्राय है कि ससारमें यदि कोई सपूर्ण स्वतंत्रताका हकदार हो सकता है तो विद्यार्थी ही। क्योंकि दूसरे सब लोगोंके पीछे कोई-न-कोई दंड, कठिनाई, दबाव, अकुश मर्यादा लगी ही रहती है और लगी रहना उचित भी है। लेकिन विद्यार्थी किसी बधनसे बधा हुआ नहीं होना चाहिए। मैं अपने अनुभवसे यह कह रहा हू। मैं भी विद्यार्थी ही हू। एक विद्यार्थीकी हँसीयत्तसे मैं कोई भी बधन स्वीकारनेको तैयार नहीं हू। एक नागरिकके नाते मुझपर कुछ बधन है। मैं अपने माता-पिता का बेटा हू इसलिए भी कुछ बधन है। मैं अपने मित्रोंका सहयोगी हू इस कारण भी कुछ बधन प्राप्त होते हैं। उन्हें मैं स्वीकार करूंगा, यह बात और है। परंतु विद्यार्थीके नाते मैं किसी बधनको स्वीकार करनेके लिए तैयार नहीं हू। विद्यार्थीसे यही अपेक्षा रखी जानी चाहिए कि वह तटस्थ वृत्तिसे हरएक बातकी जाच-पड़ताल करे। उसके सामने कोई विषय या ज्ञान इसी अपेक्षासे उपस्थित किया जाना चाहिए। 'क्या उपयुक्त है और क्या अनुपयुक्त है' इसका निश्चय करनेका उसको हक है। इसलिए मैं उपदेश नहीं दूंगा।

ज्ञान का कार्य दर्पणके समान है। दर्पण स्वयं स्वच्छ है। वह देखनेवालेको उसका रूप दिखायेगा। लेकिन आइना उठकर किसीकी नाक साफ नहीं करेगा या जबरदस्तीसे अथवा समझा-बुझाकर नाक साफ नहीं करायेंगा। यह काम माता खुशीसे करे। आइना तो इतना ही बतायेगा कि नाक साफ है या गंदी। वह अपनी स्वच्छताके द्वारा सिर्फ दिखानेका काम करता है। अगला कार्य वह देखनेवालेको सौंप देता है। वह उसकी मर्जीकी बात है, उसका हक है। अपने स्वच्छताके गुणकी बदौलत दर्पण देखनेवालेके हकमें दखल नहीं देता। ज्ञानकी प्रक्रियामें उपदेशके बराबर दूसरी गलती नहीं है। हमारे शास्त्रकार इसी सिद्धांतके अनुसार चले। इसीलिए उन्होंने शासन किया। उन्होंने समाजका शासन किया; इसलिए वे शास्त्रकार कहलाये।

परतु उनका शासनका तरीका यह था कि वे वस्तुका स्वरूप स्पष्टरूपसे दिखाकर चुप हो जाते थे। शास्त्रकारोकी इस रीतिके अनुसार तुम्हारे सामने विषय उपस्थित करके उचित-अनुचितके निर्णयका अधिकार तुम्हे देकर—वह अधिकार तुम्हे पहलेसे ही प्राप्त है—मैं भाषण करूंगा।

तुम कॉलेजके विद्यार्थी हो। इसलिए वर्तमान परिस्थितिकी तरफ तुम्हारा ध्यान अवश्य गया होगा। उस सबधमे तुम्हारा श्रवण और वाचन आप्रत होगा। जरा देखो, आजका जमाना कैसा है? सारे मानव-समाजके पेटमे जबरदस्त दर्द हो रहा है। पृथ्वीके पेटमे भी इसी प्रकारकी वेदना होती है और भूकप जैसे उत्पात होते हैं। इस भयानक वेदनामेसे कौन-कौन-से उत्पात ससारमें होनेवाले हैं, यह कोई नहीं बतला सकता। इधर कई सदियोसे इतना उत्पाती समय हुआ ही नहीं। लोगोका यह खयाल है कि मानव-समाजका इतिहास पाच-दस हजार वर्षोका पुराना है। तुम इतिहासकी जो पुस्तके पढते हो, उनमे मुश्किलसे दो-तीन हजार वर्ष पहलेका इतिहास दिया हुआ होता है। उसके पहलेके करीब हजार-दो-हजार वर्षोका हाल मोटे तौरपर अदाजसे बतलाया जाता है। परतु वस्तुत मानव-समाजका इतिहास कम-से-कम दस लाख वर्षोका है। इसलिए हमे जो इतिहास सिखाया जाता है वह तो मानवसमाजके इतने लबे इतिहासका इधरका आखिरी सिरा है। इतने बडे अवकाशमे कई क्रातिया हुई होगी, कई उदर-पीडाए हुई होगी। परतु पिछले सारे ज्ञात इतिहासमे इतनी भयानक उदरवेदना आजतक कभी नहीं हुई थी।

आजके इस युद्धमे समूची दुनिया शामिल हुई-सी है। समूची दुनिया। मैं लाक्षणिक या अलकारिक अर्थमे नहीं कहता। अक्षरशः सारी दुनिया इस युद्धमे शरीक है। यह बात हमे खूब अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। आजका युद्ध सारी दुनियाका 'सकुल युद्ध' है। 'टोटल वॉर'के लिए मने 'सकुल युद्ध' शब्दका प्रयोग किया है। मतलब, यह ऐसा युद्ध है जिसमे समूचे राष्ट्र दूसरे राष्ट्रोके दुश्मन माने जाते हैं—यहाके पुरुषोका वहाके पुरुषोसे वैर है, यहाकी स्त्रियोकी वहाकी स्त्रियोसे अदावत है, यहाके जानबरोकी वहाके जानबरोसे

दुग्मनी हैं, यहाके पेडोका बहाके पेडोसे शत्रुत्व है, यहाके औजारोका बहाके औजारोसे, यहाके जड पदार्थोका बहाके जड पदार्थोसे सीधा, तिरछा, आडा-टेडा, ऊपरसे, नीचेसे, चारो तरफसे, सारे शब्दयोगी और उभयान्वयी अव्ययोसे व्यक्त होनेवाला, सब तरहका, बर है। इसे और कोई विधि-निषेध लागू नहीं है—जिसकी बदौलत विजय होगी वह विधि और जिसके कारण पराजयकी सभावना हो वह निषेध। इसलिए मैं जो यह कह रहा हू कि समूचा जगत इस युद्धमे शामिल है, उसका आप अक्षरार्थ लीजिए।

अभी उसी दिन पढा कि इंग्लैंडने जो बात अपने इतिहासमें कभी नहीं की वह आज की है। वहा ऐसा कानून बना दिया गया है कि अठारह सालसे अधिक उम्रवाली जो स्त्रिया अविवाहित हो उन्हे, और विवाहित होते हुए भी जिनके सतान नहीं है उन्हे, युद्धमे शामिल होना चाहिए। यह भी हिसाब लगाया गया है कि इस तरहकी सोलह लाख औरतें मिल सकती है। लेकिन इतनेसे भी तसल्ली नहीं हुई है। वे कहते है कि सोलह और अठारहके बीचकी उम्रकी स्त्रियोको युद्धमे शामिल होनेके लिए उत्तेजन दिया जायगा। हमारे यहा कहा करते है कि 'प्राप्तुषु षोडशे वर्षे पुत्र मित्रवदाचरेत्।' 'पुत्र सोलह वर्षका होते ही उससे मित्रके समान बर्ताव करना चाहिए।' उसी न्यायसे सोलह वर्षकी होते ही स्त्री युद्धके काबिल मानी गई।

उधर रूसने एक दूसरा ही ऐलान निकाला है। कहा जाता है कि इन पाच महीनोकी लडाईके बाद, मैदानमे मारे गए, घायल हुए या कैद किये गये मिलाकर, कोई एक करोड सैनिक लडाईके लिए अयोग्य हो गए है। अठारह करोडके राष्ट्रमे, किसी भी हिसाबसे कृतिये, तो लडाईके लायक साडे चार करोडसे ज्यादा आदमी होनेकी सभावना नहीं है। और उनमेसे भी सभी लडाईपर नहीं, भेजे जा सकते। प्रत्यक्ष लडाईपर जानेवाले हरएक सिपाहीके पीछे तीन दूसरे आदमियोकी जरूरत होती है। विजली, पानी, आदिका इतजाम करना, रास्ते बनवाना, औजार बनवाना आदि-आदि कई काम होते है। मतलब यह कि प्रत्यक्ष सिपाही और उसके मददगारोका अनुपात एक और तीन माना जाय, तो सवा करोडसे ज्यादा सैनिक सेनामे

दाखिल नहीं किये जा सकते। बहुत तो डेढ़ करोड़ समझ लीजिये। इन सब या डेढ़ करोड़मेंसे एक करोड़ सिपाही युद्धके लिए अक्षम हो गये। इसका साफ यह मतलब है कि अब उन्हें आदमियोंकी कमी महसूस होने लगी। लेकिन इतनेसे वे हारनेवाले नहीं हैं। उन्होंने घोषित किया कि जिस पुरुष या स्त्रीके सतान न हो, उसपर कर लगाया जायगा। बिवाहकी निर्धारित उम्रके बाद जिसकी शादी न हुई हो, उसपर भी कर लगाया जायगा। सतान होनेके बाद ही इससे छुटकारा मिल सकता है। याने, टैकोकी कमी महसूस होते ही जिस प्रकार कारखानों द्वारा उनकी उत्पत्ति बढ़ानेकी कोशिश होती है, उसी प्रकार मरनेके लिए आदमियोंकी कमी महसूस होते ही मनुष्य-निर्माणके कारखानोंको यह प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इस योजनासे मरनेके लिए तुरत आदमी मिल जायगे, ऐसी बात नहीं है। कम-से-कम सत्रह-अठारह साल लगेंगे। लेकिन कभी-न-कभी मनुष्योंकी कमी पूरी होनी चाहिए। इसलिए यह मनुष्य-निर्माणकी योजना है। कैसी भयानक परिस्थिति है यह!

इस भयानक परिस्थितिमेंसे क्या निष्पन्न होगा? सड़ उदर-वेदनामेंसे आगे जो नव-निर्माण होगा उसीको ये लोग 'नवीन रचना' (न्यू आर्डर) कहा करते हैं। आज वे जो विध्वंसक कार्य कर रहे हैं, उसे वे तात्त्विक दृष्टिसे निराईका काम कहते हैं। जिस तरह हम अपने खेतोंमें पहले निराई करके फिर नई फसलके लिए उसे तैयार करते हैं, उसी तरहका उनका यह काम है। वे कहते हैं—उन्हे यह आशा है—कि इन युद्धके बाद मानव-समाजकी रचना और तरहकी होगी। माना कि होगी। लेकिन विद्यार्थियोंको यह सोचना चाहिए कि जो कुछ अपने आप होगा उसे हम स्वीकारना चाहते हैं या हम अपनी योजनानुसार कोई निश्चित परिणाम चाहते हैं। इसका खूब विचार कर लीजिए। इस युद्धके बाद मानव-समाजकी आज जो स्थिति है वह नहीं रहेगी; इसमें कोई शक नहीं।

जिन्होंने युद्ध शुरू किया उनके लिए उसे शुरू कर देना आसान था। परंतु ज्यों-ज्यों युद्धकी प्रगति होती जाती है, त्यों-त्यों ये लोग युद्ध नहीं करते,

बल्कि युद्ध इन्हे करता है। ये युद्धके नियामक नहीं रहते; उसके नियम्य बन जाते हैं। युद्ध उनका नियमन करता है। इन्हें युद्धके पीछे-पीछे जाना पड़ता है। कहा जाता है कि हिटलर सबसे बलवान् और योजना-कुशल है। लेकिन आज जो जागतिक युद्ध चल रहा है, वह उसकी रचनाके अनुसार नहीं कहा जा सकता। अर्थात् इस युद्धकी निष्पत्ति जो होगी सो होगी। लेकिन इतनी भयकर क्षति और त्यागके बाद जो निष्पत्ति होगी; वह प्राप्त करनेके लायक भी होगा? कोई-न-कोई नतीजा तो होगा ही।

प्रचंड भूकंपके बाद कुछ अघटित घटनाएँ हो जाती हैं। इधरका समुद्र उधर हो जाता है, यहाँका पर्वत उधर चला जाता है। ऐसी कुछ-न-कुछ उथल-पुथल होती है। भूकंपसे ऐसी प्राकृतिक क्रांतियाँ होती हैं। लेकिन वह क्रांति मनुष्यकृत या मानवनिर्वाहयोजित नहीं होती—चाहे उसका परिणाम मनुष्योंपर भले ही होता हो। वह स्वैर क्रांति है। आजकी लड़ाईमेंसे अगर हम अपना बाह्य परिवर्तन उपस्थित कर सकें, तब तो उसे नियोजित कह सकते हैं। अन्यथा अपने-आप परिवर्तन तो यो भी होने ही वाला है। तो क्या आजकी स्थिति बदलकर उसकी जगह कुछ-न-कुछ नया स्वरूप आ जावे, इतने हीके लिए यह सारी मार-काट शुरू की गई? योजनाके अनुसार कोई निश्चित फल प्राप्त करनेके लिए ही तो इतनी भयानक लड़ाई शुरू की गई न?

लेकिन आज यह साफ-साफ दिखाई दे रहा है कि ये बड़े-बड़े तगड कहलानेवाले लोग—चर्चिल, हिटलर, स्टैलिन, रूजवेल्ट, सभी—युद्ध-परतंत्र हो गये हैं। इनके वशमे युद्ध नहीं है। ये उसके अधीन हैं। जिधर वह ले जायगा, उधर जानेके लिए ये बाध्य हैं। मैं इतना भयानक युद्ध भी हज़म करनेके लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर उसके बाद मैं जैसा परिवर्तन चाहता हूँ वैसा परिवर्तन हो सके तभी। वरना, 'जो होगा सो होगा'. कहनेकी नीबत आयेगी। नवीन रचनाके लिए वर्तमान युद्ध बेकार है। वह इष्ट या निश्चित दिशामें प्रगति नहीं कर रहा है। इसके बारेमें तो लार्ड हैलिफेक्सने जो जवाब दिया था वही यथार्थ है। उनसे पूछा गया, 'इस युद्धका उद्देश्य क्या है?'

बेचारेके मुहस सच बात निकल गई। उसने कहा, 'विजय ही इस लडाईका उद्देश्य है।' पहले तो 'हम प्रजातंत्रके लिए लड़ते हैं' इत्यादि-इत्यादि स्वरूपकी भाषा थी। लेकिन अब भेद खुल गया। दूसरा क्या उद्देश्य बताते बेचारे? विजय प्राप्त करनेके आनदके लिए या लडनेके मजेके लिए ही क्या कभी लडाईकी जाती है? लडाईके लिए उद्देश्योकी जरूरत होती है। लेकिन यह लडाई शुरू करनेके समय उद्देश्य भले ही रहे हों, परंतु अब युद्ध-चक्र शुरू हो जानेके उपरांत उसे गति देनेवाला हाथ ही उसमें उलभ गया है। अब यत्र उस हाथके काबूमे नहीं रहा। ऐसी लडाईमेंसे इष्ट निष्पत्ति, निश्चित निष्पत्ति, नियोजित निष्पत्ति होना अशक्य है।

तब हम इसमें शामिल क्यों हो? फलाना युद्धमें शामिल हो गया। डिमाका शामिल हो गया, इसलिए हमारा भी शामिल होना कहातक उपयुक्त है? बुद्धिमान लोगोको इसका विचार करना चाहिए। सिर्फ हिंदुस्तानके बुद्धिमानोको नहीं। दुनियाभरके समझदार लोगोको इसका विचार करना चाहिए। 'जिस युद्धसे हमारा अभीष्ट परिणाम नहीं निकल सकता, ऐसे अनाडी, स्वैर, जडमूढ, युद्धमें हम शरीक हो या न हो?' इसका उत्तर एक ही हो सकता है—'शरीक होना मुनासिब नहीं है।'

एक बार शरीक न होनेका निश्चय हो जानेके बाद दूसरा सवाल यह होता है कि हमारा तटस्थ प्रेक्षक बनकर रहना कहातक उचित होगा? हमारे सब भाई ऐसे युद्धमें फस गए हैं जो कि अब उनके कामूबे नहीं रहा है, उलटे, उनकी छातीपर सवार हो गया है। 'उनकी ऐसी बेबसीमें क्या हमारा युद्धमें शामिल न होना काफी होगा? क्या हमारा तटस्थ साक्षी होकर रहना उचित होगा?' —इस प्रश्नका कोई भी सयाना आदमी यही उत्तर देगा कि तटस्थ रहकर देखते रहना उचित नहीं है।

तो अब दो बातें पक्की हो गईं। तुम कॉलेजके विद्यार्थी हो। आगे चलकर दुनिया तुम्हारे ही हाथोमें आनेवाली है। तुम इस प्रश्नका निष्पक्षपात रीतिसे विचार करके निर्णय दो। देखो, यह बात तुम्हें कहातक जचती है। थोड़ी देरके लिए यह भूल जाइए कि यह युद्ध अत्यन्त हिंसक है। लेकिन जो

युद्ध मनुष्य के वश में नहीं रहा, वरन् मनुष्य ही जिसके अधीन हो गया है; उस युद्धमें सम्मिलित होना उचित नहीं है—यह पहला सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत यह है कि जो लोग इस युद्धमें शरीक हुए हैं, उनका विनाश स्पष्ट रूपसे देखते हुए भी युद्धमें शामिल न होनेवाले शेष लोगोंको तटस्थ रहकर देखते रहना शोभा नहीं देता। ये दो सिद्धांत निश्चित हुए। अब आगे क्या हो ? अगर चुपचाप नहीं बैठना है तो क्या किया जाय ? इसका विचार करने पर हम काफ़ेसी लोग जो कुछ कर रहे हैं, उसकी उपयुक्तता आपके ध्यानमें आवेगी। यह युद्ध आरम्भ करके जगत्में विचारोकी जो भूमिका आज उपस्थित की गई है, उसकी विरोधी दूसरी विचारसरणि और भूमिका का निर्माण करना हमारा कर्तव्य हो जाता है। यह तीसरा सिद्धांत है।

लोग पूछते हैं, “अजी इससे क्या होगा ? सभी लोग इस युद्धमें शामिल हो गये हैं। तुम्हारे मुट्ठीभर आदिमियोंके प्रतिकार करते रहनेसे क्या होने जानेवाला है ?” मैं कहता हूँ, “तो फिर क्या मेरे पहले दो सिद्धांत फ़िज़ूल गये ?” इससे क्या होगा, सो बादमें देखा जायगा। पहले अपना कर्तव्य निश्चित कीजिए। युद्धकी भूमिकाकी विरोधी भूमिका बनाना हमारा कर्तव्य साबित होता है न ? इसका क्या कोई नतीजा नहीं होगा ? क्यों नहीं होगा ? विरुद्ध भूमिकाका क्रियात्मक विचार तो उपस्थित कीजिए। मन्तव्यो और विचारोकी शक्तिपर भरोसा क्यों नहीं है ? मैं यह नहीं कहता कि विचारोकी क्रियात्मक भूमिकाका निर्माण करनेसे वर्तमान युद्ध बन्द हो जायगा। ऐसी कोई आशा मुझे नहीं है। परन्तु बुद्धिमान मनुष्य अगर विरुद्ध विचारोकी भूमिका अपने मनमें और जनतामें दृढ़ करेवे, तो मानसिक शक्तिका एक फ़ट (मोर्चा) बन जायगा। और जब युद्ध कुठित होगा या बन्द होगा, उसके उपरांत तुम्हारे विचारोकी भूमिका जाग्रत होगी और उस समय मानव-समाजकी नक्करचनाके कार्यके तुम्हारे हाथोंमें आनेकी सभावना होगी। उस दिनके लिए क्या आज ही से तैयारी नहीं करनी होगी ? करनी ही चाहिए। लेकिन जब हम वह तैयारी करने लगते हैं, तो सरकार कहती है, “हम तुम्हें रोकेंगे।” लेकिन ऐसा मोर्चा बनाना

हमें अपना कर्तव्य प्रतीत होता है। इस मोर्चेकी बदौलत युद्ध-समाप्तिके अन्तर हम ससारको निश्चित मार्गपर मोड़ सकेंगे। ये मतवाले आज युद्धमें चूर हैं। युद्ध अब उनके हाथोंमें नहीं रहा। निश्चित फल पानेकी कोई आशा नहीं रही। इसलिए जो समझदार लोग युद्धसे बाहर रहना चाहते हैं, उन्हें युद्ध प्रतिकारकी भूमिका रचनी चाहिए। कारण, युद्धके बाद इन लोगोंके शरीरोंकी तरह बुद्धि भी थक जायगी; बल्कि शरीरसे बुद्धि ज्यादा थकी हुई होगी। आप ऐसी भूमिका रचिये कि उन्हें सहज ही आपके रास्तेपर आना पड़े। इसलिए इसमें सख्याका सवाल नहीं है। जिनका दिमाग साबित है, वे मार्ग दर्शन करनेके अधिकारी हैं। नियोजित समाज-रचना करनेका कार्य उन्हींके जिम्मे आनेवाला है। इसलिए युद्ध-विरोधी विचारकी सक्रिय भूमिकाका निर्माण करना उन्हींका कर्तव्य है।

लेकिन यह कर्तव्य हमें आरामसे कौन करने देगा ? विद्यमान राज्य-कर्ता और व्यवस्थापक हमारा दडन और दमन अवश्य करेंगे। अगर वे ऐसा करेंगे तो वह भी एक अन्याय ही होगा, और अन्यायका प्रतिकार करना तो हमारा परम कर्तव्य है।

साराश, युद्ध किन कारणोंसे शुरू हुआ इसका विचार करके उसके विरुद्ध कारणोंका निर्माण करना हमारा कर्तव्य है। हमारा पहला सिद्धांत यह है कि अन्यायका प्रतिकार करना ही चाहिए। दूसरा यह कि प्रतिकारकी रीति भिन्न होगी, उनका हथियार अनीखा होगा। ससारको गांधीजीकी यह देन है। अन्यायके प्रतिकारका उनका तरीका अगर ससार स्वीकार कर लेता, तो यूरोपमें आज जो दृश्य दिखाई देता है, वह न दिखाई देता। उस दिन रिबनट्राप ने कहा न, कि अब यूरोपकी शांतता भंग होनेका डर ही नहीं है। क्यों ? इसलिए कि यूरोपकी सारी जनता निःशस्त्र बना दी गई है और उसके बन्दोबस्तके लिए जर्मनीके टैंक जहां-तहां गश्त दे रहे हैं। ये उन्मत्त लोग अग्रेजोंसे ही यह गुरुमन्त्र सीखे हैं। अग्रेजोंने हिन्दुस्तानके हथियार छीन लिये और वे सोचने लगे कि 'अब हम कुशल से हैं। इनके पास हथियार नहीं है और हम शस्त्रास्त्रोंसे लेंस हैं। अब मनमानी हुकूमत करनेमें हर्ज

नहीं है। रिबनट्रॉप भी यही कहता है। जो उसका सूत्र है वही और सबका है। दीगर फुटकर भेद भले ही हो; लेकिन सूत्र एक ही है। शांतिके लिए लोगोको निःशस्त्र बना देना और व्यवस्थापकोका नखशिख सुसज्जित हो जाना—यही इंगलैण्ड, रूस, जापान, और अमेरिका इन सबकी युक्ति है।

कार्लमाक्सने एक बड़ा भारी सिद्धांत पेश किया है। उसे जानेके बाद गांधीजीके दिये हुए विचारकी महिमा आपके ध्यानमे आ4गी। कार्लमाक्सका नाम तो आप जानते ही है। उसकी किताबें भी आपने पढ़ी होगी।

उसका यह सिद्धांत है कि जब कोई प्रमेय ससारमें प्रसृत होता है, तो उससे कुछ फायदे होते हैं और कुछ नुकसान भी होता है। एकतन्त्र राज्य-पद्धति, पूजीवाद आदि किसी भी पद्धतिको ले लीजिये। जबतक लाभकी मात्रा अधिक और हानिकी मात्रा कम होती है, तभीतक वह प्रमेय टिकता है। लेकिन जब फायदेकी बनिस्वत नुकसान ही ज्यादा होने लगता है, तो एक तीसरा तद्विरोधी प्रमेय ससारमे प्रवृत्त होता है और उस पुराने प्रमेयपर आक्रमण करता है। इस आक्रमणसे एक तीसरा ही तत्व उदय होता है, जिसमे पहलेके दोनो तत्वोके गुण ही शेष रह जाते हैं। उदाहरणके लिए वर्णव्यवस्थाका सिद्धांत ले लीजिये। समाजमे मनुष्योके भिन्न-भिन्न समूहोकी कार्य-श्रमता भिन्न-भिन्न प्रकारकी होती है। इन समूहोको उनकी विशेष भूमिकाके अनुरूप काम सौपा जाता है। इस व्यवस्थाको वर्ण-व्यवस्था कहते हैं। इस व्यवस्थामे गुण और दोष दोनो हैं। भिन्न-भिन्न शक्तियोंका भिन्न-भिन्न सगठन करना इसका गुण है और उच्च-नीच-भाव एव परस्पर-विरोध इसके दोष है। परन्तु जबतक गुणोका अंश अधिक रहेगा, तबतक यह व्यवस्था बनी रहेगी। लेकिन जब उच्च-नीच-भाव और पारस्परिक हित-विरोध जैसे दोष प्रकट होकर जोर पकडने लगते हैं, तो उनके खिलाफ 'अभेद', 'अभेद', 'अभेद', 'साम्य', 'साम्य', साम्य', का एक ही तत्व वेगके साथ अग्रसर होता है। इन दिनोका सघर्ष होगा और उस सघर्षमेंसे एक ऐसा तीसरा तत्व उदय होगा जिसमें वर्ण-व्यवस्था और अभेदवादके भी

गुण होंगे, ठीक उसी तरह जिस तरह कि हम कलमे बांधते हैं। नीबूपर मोसबीकी कलम बांधते हैं—जिससे खट-मिट्ठा सतरा पैदा होता है, जिसमें नीबू और मोसबी दोनोंके गुण होते हैं। लेकिन यह सामाजिक क्रिया कोई योजना पूर्वक नहीं करता। वह अपने आप होती रहती है। एक तत्वके अन्दर छिपे हुए दोष प्रकट होने लगते हैं और उसीकी कोखसे तद्विरोधी दूसरा तत्व पैदा होता है। जैसा कि बुद्धने कहा है—‘तदुद्भाय तमेव ज्ञादति’ ‘उसमेंसे पैदा होकर उसीको खाता है।’ जिस प्रकार यह तीसरा तत्व अपने आप पैदा होता है, उसी प्रकार प्रतिकारका यह नया तरीका मार्क्सके सिद्धातानुसार इतिहासमेंसे ही पैदा हुआ है। गांधी केवल निमित्तमात्र हुआ है।

आजतककी यह प्रणाली थी कि सशस्त्रोंको परास्त करके हम खुद विशेष सगठित और विशेष सुसज्जित रहे। उसमेंसे अब दूसरी यह प्रणाली उत्पन्न हुई कि सामनेवालेको पूरी तरह निःशस्त्र बनाकर हम खुद सशस्त्र रहे। अब उसीमेंसे इन शस्त्रहीन लोगोंको प्रतिकारकी यह नई युक्ति सूभी है। इस सूझका निमित्त गांधी है। वह न होता तो दूसरा कोई हुआ होता। पंतीस-बालीस करोड़ लोग अगर हमंशाके लिए गुलाम ही रहे, तो वे मनुष्य ही नहीं होंगे। और अगर वे मनुष्य हो, तो उनके लिए स्वतन्त्र होनेका रास्ता होना ही चाहिए। वह रास्ता उन्हें सूझता है, इसीमें उनकी मानवता है। इस सिद्धातको ‘वितर्कवाद’ कहते हैं। सामान्य तर्कसे यह विशेष और भिन्न है, इसलिए उसे ‘वितर्क’ यह पारिभाषिक सजा दी गई है। सबसे पहले पूर्ववर्ती तर्कका विरोधी तर्क उत्पन्न होता है, फिर उन दोनोंका समन्वय होकर उन दोनोंमेंसे तीसरा तर्क उत्पन्न होता है—यह वितर्ककी प्रक्रिया है। यह ‘वैतर्किक सरणि’ मने सक्षेपमें आपके सामने उपस्थित की है।

समचे राष्ट्रोंके निःशस्त्रीकरणकी प्रक्रिया मध्ययुगके लोगोंकी खोपडीकी उपज है। जिन लोगोंने समूचे राष्ट्रको निःशस्त्र बनाया और ऊपरसे उसकी रक्षा की जिम्मेदारीको स्वीकार किया, उन्होंने एक बड़ा ही खतरनाक प्रयोग किया है। अग्नेजोने हिन्दुस्तानको निःशस्त्र कर दिया है। लेकिन आज इंग्लैण्डके लोग जरूर महसूस कर रहे होंगे कि हमने यह कोई अक्लका

काम नहीं किया। इसीलिए अब कहने लगे हैं कि “आओ, लडाईंमें शामिल हो हम तुम्हे हथियार चलाना सिखाते हैं।”

लेकिन उनका यह उत्पाती प्रयोग एक दृष्टिसे बड़ा लाभकारी साबित हुआ। क्योंकि निःशस्त्र होनेके कारण ही हम प्रतिकारके इस अनोखे शस्त्रका आविष्कार कर सके। गांधी तो केवल उसे व्यक्त करनेवाला मुख है। गांधीके रूपमें हिन्दुस्तानकी सारी प्रजा बोलती है। बीस वर्षतक उन्होंने इस नये शस्त्रकी महिमा लोगोपर प्रकट की। तलवारकी शक्ति भी कोई स्वतन्त्र शक्ति नहीं है। तलवार भी आखिर लोहा ही तो है। वह तो खदानमें पडा ही है। उसे कारीगरीसे उपयोगी आकार दे दिया गया, तो भी आखिर लोहा ही है। घडा और मिट्टी क्या अलग-अलग है? शस्त्र जड ही है। शस्त्रके पीछे चेतन शक्ति है। इसलिए उसमें बल आ जाता है। अगर चेतन शक्ति न हो, तो वह तलवार या बन्दूक अपने आप नहीं चलती। तलवार या बन्दूक की शक्ति चलानेवाले पर, धारण करनेवालेपर, निर्भर करती है। पहले यह बात समझमें नहीं आती थी। परन्तु परिस्थितिकी प्रेरणासे गांधीके ध्यान में यह बात आ गई कि शस्त्रकी शक्तिका आधार चैतन्य है।

नहीं तो हथियार होते हुए भी कैंसी फजीहत होती है, इसका एक किस्सा हमारे एक मित्र सुनाया करते हैं। एक सज्जनके घरमें चोर घुस गये। चोरोको देखते ही उसके होश-हवास उड गये और वह चिल्लाने लगा, “अरे मेरी बन्दूक! बन्दूक! बन्दूक!” उससे ‘बन्दूक’ शब्द भी नहीं कहते बना। बन्दूक उसके होती भी किस कामकी। हा, अगर चोर अपनी बन्दूक लाना भूल गये हो, तो उन्हें अलबत्ते उसका उपयोग हो सकता था।

भावार्थ यह कि शस्त्र स्वतन्त्र रीतिसे काम नहीं कर सकते। अगर हम निःशस्त्र न होते तो यह पृथक्करण हमारी समझमें न आता। परिस्थिति की निरपेक्ष कल्पना सहसा सूझती भी नहीं। ऋषियोको भी विचार और स्फूर्ति तथा प्रेरणा परिस्थितिमेंसे मिलती है। गांधीको यह जो स्फूर्ति हुई उसमें उनकी बुद्धिकी कुछ विशेषता जरूर है, परन्तु उसका वास्तविक कारण भी हिन्दुस्तानकी परिस्थिति ही है।

इस शस्त्रका भला-बुरा प्रयोग हमने बीस सालतक किया और यह अनुभव हुआ कि नि.शस्त्र होते हुए भी इस युक्तिकी बदौलत हम लड़ सकते हैं। लेकिन लोग पूछते हैं, "इसका क्या परिणाम निकला ?" मैं कहता हूँ "अरे परिणामवादियो. जरा सब्र तो करो। तुमने दस हजार वर्षतक हिंसाके प्रयोग देखे हैं। क्या अब भी हिंसाके प्रयोग होना बाकी है ? इतने वर्षोंके बाद भी फिर नित्य शस्त्र चलाने ही पडते हैं न ?" छुटपनमे हम रटा करते थे। 'चटनीवाला रातदिन पीसता ही रहता है'। उसी तरह यह तलवारिये रात दिन तलवार घिस-घिस घिसते आये हैं। इन लोगोको इतना समय दिया इतना मौका दिया। हमे तो बीस ही साल हुए। हमे भी तो प्रयोग करने के लिए मौका दोगे ? यह भी तो देखो कि हमने बीस सालमे कितनी योग्यता प्राप्त की।

नागपुर जेलमे नित्य इसकी चर्चा हुआ करती थी। वहा जमा हुए सब 'सत्याग्रही' (१) ही थे 'मिथ्यावादी' (१) कोई नहीं थे लेकिन हम सोचते रहते थे कि ऐसे दिखावटी साधनोसे जो प्रयोग किया या प्रयोगका स्वाग रचा उसका भी अगर इतना असर हो सकता है, तो असली चीज प्रवृत्त होनेपर कितना प्रचंड कार्य होगा ?

दस हजार सालतक हिंसाके प्रयोग करते रहनेके बाद भी उसकी यह दशा है और हमारी टूटी-फूटी अहिंसाका प्रयोग केवल बीस ही सालका है, तो भी हम इतना प्रतिकार कर सके। तो बतलाइये क्या हम आगेके लिए आशा नहीं कर सकते ? कम-से-कम इस शकाकी तो गुजाइश है कि शायद हिंसा असफल साबित हो और अहिंसाके मार्गसे ही बहुत-सा कार्य हो जाय। यह शका भी अगर तुम्हारे दिलमे पैदा हो गई, तो मैं समझूंगा कि मेरे व्याख्यानसे बहुत बड़ा काम हो गया।

अगर यह विचार यूरोपके गले उतर जाता, तो आजकी परिस्थितिमे हिटलरको चैन नहीं पडता। वह देशके बाद देश फतह करता चला गया। उधर रूस जैसे प्रतापी राष्ट्र से उलभ गया। ऐसी हलातमे भी इंग्लैण्डको जर्मनीपर धावा बोल देनेकी हिम्मत नहीं हुई। बहुतोको इस बातका आश्चर्य

हुआ। वे सोचने लगे कि जर्मनीपर हमला करनेके लिए इससे अच्छा मौका और कौन-सा हो सकता था ? लेकिन इंग्लैण्ड एक कोनेमें चोरी-चुपकेसे लीबियामें लड़ने लगा। सारास, इंग्लैण्ड-सरीखे बलवान्, सामर्थ्यशाली और संपन्न राष्ट्रको भी प्रतिकार करना इतना मुश्किल मालूम होता है। तो दूसरे राष्ट्र क्या करे ? कर ही क्या सकते हैं ? चुपचाप बैठें और टैकके आते ही उसके सामने सिर झुका दे। और कुछ सूझता ही नहीं।

लेकिन गांधीजीने हमें यह नया हथियार दिया है। अगर प्रतिकारका व्रत लेना है तो इस हथियारके बलपर ही लिया जा सकता है। तलवारके बलपर अगर प्रतिकारकी शपथ ली जाय, तो जबतक तलवार हाथमें है, तभीतक आप उस शपथको निबाह सकेंगे। तलवार हाथसे गिरने ही व्रत खुल जायगा, उसका पारण हो जायगा, एकादशी समाप्त होकर द्वादशी शुरू हो जायगी। अन्यायके प्रतिकारकी प्रतिज्ञाका पालन करनेके लिए अहिंसाका ही आश्रय जरूरी है। जो अहिंसक प्रतिकारका व्रत लेगा वह पुरुष या वह स्त्री जहा खड़ी हो वही से प्रतिकार शुरू कर सकती है।

इसलिए आप इस सारी परिस्थितिका शांतिपूर्वक विचार कीजिए। कहा जाता है कि महाराष्ट्रके लोग बुद्धिवादी और तार्किक हैं। महाराष्ट्रपर लगाया जानेवाला यह बुद्धिवादका आरोप अगर सही होता, तो मुझे आनंद हुआ होता। लेकिन मुझे दुःख है कि यह आरोप वास्तविक नहीं है। महाराष्ट्र एक तरहकी तामसी श्रद्धासे प्रेरित हुआ है। हम समझते हैं कि हमारा वह पुराना मराठी बाना और नाना फडनवीसकी परंपरा हमारे खूनमें है। भाई मेरे अब वह नाना फडनवीसकी पुरानी विद्या और परंपरा इस बदली हुई परिस्थिति और समयमें बिल्कुल निरूपयोगी और बेकार साबित होगी। य लोग कहते हैं कि नाना बडा बुद्धिमान था और इसलिए उसने बड़ी सिफतसे राज्यकी रक्षा की। लेकिन नानाकी बुद्धिमानी इस बातमें थी कि वह भाप गया था कि अंग्रेजोंका आसन हिंदुस्तानमें जमनेवाला है। य लोग कहते हैं कि अहिंसक प्रक्रिया हमारे खूनमें नहीं है, हमारी विचारधारामें नहीं है। लेकिन ज्ञानदेव, तुकाराम आदि सतोंने जिस प्रक्रियाको गौरवान्वित

किया, वह हमारे रक्तमें नहीं है, यह माननेके लिए मैं तैयार नहीं हूँ। लेकिन अगर ऐसा ही हो तो समझ लीजिए कि आप हमेशाके लिए पिछड़ जायेंगे। अब फिरसे आप कभी समाजका नेतृत्व नहीं कर सकेंगे। उस पेशवाई और नाना फडनवीसकी परंपराके भरोसे बैठेंगे तो बैठे ही रहेंगे, उठ नहीं सकेंगे।

जिससे शस्त्रके आधारपर दुर्बल भी बलवान बन सकता है, उसे चलानेकी विद्या अगर तुम खुद सीखोगे, दूसरोको सिखाओगे तो युद्धके बाद शरीर, बुद्धि और प्राणके थके हुए लोगोका नेतृत्व सहज ही तुम्हें प्राप्त होगा।'

सर्वोदय : जनवरी, १९४२

१२

तीन मुख्य वादोंकी समीक्षा

आज मैं जो कहना चाहता हूँ उसे कहनेके पहले थोड़ी-सी प्रस्तावना करनी होगी। एक मित्रकी चिट्ठी आई है। वह लिखते हैं, "कृपया हिंदीमें बोलें"। इसमेंसे 'कृपया' शब्दको मैं स्वीकार करता हूँ। याने 'कृपया' मराठीमें बोलनेवाला हूँ। नागपुर-जेलमें हमारी चर्चा और व्याख्यान सदैव हिंदीमें ही होते थे। वहाँ जो सत्याग्रही थे उनमेंसे अधिकांश हिंदी जानते थे। मराठी जाननेवाले थोड़े ही थे। इसलिए उनसे हिंदीमें ही बातें और चर्चा हुआ करती थी। इस प्रकार हिंदीके द्वारा हमें एक-दूसरोके विचार ज्ञात हुए और सहवासमें आनंद मालूम हुआ। फलतः अब मुझे व्याख्यान देने लायक हिंदीका अभ्यास हो गया है।

लेकिन यहाँ मराठीमें बोलनेमें मेरी तत्त्व-दृष्टि है। हमें अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी अथवा हिंदुस्तानी अथवा उर्दू अवश्य सीखनी चाहिए। सभी प्रांतोंके लोगोको सीखनी ही चाहिए। लेकिन साथ-साथ यह भी जरूरी है कि जो

१. वासुदेव आर्ट्स कालेज (वर्धा) के स्नेह सम्मेलनके अवसरपर (१४ दिसंबर, १९४१ को) दिया हुआ भाषण।

लोग दूसरे प्रातोंमें आकर रहते हैं, वे भी उन प्रातोंकी भाषाएँ समझने और बोलने लायक सीखें। अन्यथा समूचे राष्ट्रकी सधि नहीं जुड़ेगी। मेल दोनों तरफसे होता है। विभिन्न प्रातीय भाषाभाषियोंको राष्ट्रभाषा सीखनी चाहिए और हरएक प्रातमें रहनेवाले अन्य प्रातीयोंको स्वदेशी धर्मके अनुसार दयालुतासे उस प्रातकी भाषा अवश्य सीखनी चाहिए। यह तत्त्व-दृष्टि तुम्हें उपलब्ध करानेकी कृपा करके अर्थात् 'कृपया' में मराठीमें बोलनेवाला हूँ।

विद्यार्थियोंके लिए हाल हीमें मेरा एक व्याख्यान हो चुका है। मैं मान लेता हूँ कि आप लोगोमेंसे अधिकतर लोगोंने वह सुना होगा। उस व्याख्यानमें मैंने एक विचार पेश किया था। वही विचार मैं सब जगह उसी भाषामें पेश किया करता हूँ। कारण मेरे दिलमें वह उसी भाषामें जम गया है। वह विचार यह कि सपूर्ण स्वतंत्रता पर अगर किसीका अबाधित और निरकुश अधिकार हो सकता है तो विद्यार्थियोंका। दूसरोंके लिए बधन होते हैं और वे उचित भी होते हैं। परंतु विद्यार्थियोंको कोई बधन नहीं होना चाहिए। इस अधिकारका अमल अगर अबतक शुरू न किया हो, तो आज शुरू करो। विद्यार्थी एक हैसियत हैं। उस हैसियतको लक्ष्य करके मैं बोल रहा हूँ, विद्यार्थी व्यक्तिकी दृष्टिसे नहीं। एक व्यक्तिके नाते उसे अनेक बधन होना संभव है। लेकिन विचार या सत्यका शोध करते समय सपूर्ण और केवल विद्यार्थियोंकीही हैसियत होनी चाहिए। अमुक विद्या इसलिए ग्राह्य नहीं है कि उसे अमुक महात्मा, गुरु या सन सिखाता है। 'यह सतवाणी है, यह हमारे पथकी वाणी है', इसलिए प्रमाण है, इस तरहका बोझ ज्ञानार्जनके विषयमें या विचार बनाने के विषयमें उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। विद्यार्थी-व्यक्तिपर पुत्र, मित्र, शिष्य या दूसरी हैसियतसे अनेक बधन लागू हो सकते हैं। पर विद्यार्थियोंके नाते ही तुम्हारा अधिकार है। यह बहुत महत्वपूर्ण, बिलकुल मूलभूत, अधिकार है। सपूर्ण स्वतंत्रता इस मूलभूत अधिकारकी अगर तुम अवहेलना करोगे या अवहेलना होने दोगे, तो सच्ची विद्या प्राप्त होनेकी आशा नहीं रहेगी।

आजकल जर्मनी, रूस इत्यादि सभ्य राष्ट्रोंमें इतिहास, संस्कृति, व्यापार, भूगोल, इत्यादि सिखानेके बहाने विद्यार्थियोंका यह अमूल्य अधिकार छीन

लिया गया है। गणेशजीकी मूर्ति बनानेवाला आजका शौकीन मूर्तिकार यह भूल जाता है कि 'गणपति' नामक एक तत्त्व है और मिट्टीको मनमाना आकार दे देता है। मूर्तिकार समझते हैं कि गणपतिकी प्रतिमा बनाना हमारे हाथकी बात है। इसलिए उसे अपनी मर्जीका आकार दे देते हैं। कोई उसके हाथमें त्रिशूल और बल्लम दे देते हैं, कोई चरखा देते हैं और कोई तो उसे सिगरेटका चस्का लगा देते हैं। इस तरह बेचारे गणेशजीकी मिट्टी पलीद की जाती है। वही हाल विद्यार्थियोंका होनेवाला है। सयाने विद्यार्थी इसके लिए तैयार नहीं थे; आज भी नहीं हैं। तुम्हें ऐसी दुर्दशा सहनेके लिए हरगिज तैयार नहीं होना चाहिए। जर्मनीमें क्या होता है ? 'विद्यार्थीको कौनसी विद्या सिखाई जाय, कौन-से-ढाचेमें ढाला जाय', यह सरकार तय करती है। विद्या और गुणोका नियंत्रण तथा नियमन सरकार करती है। सरकारको जो विकार और विचार इष्ट जान पड़ते हैं, उन्हें भिन्न-भिन्न विद्यार्थियोंके मगजमें ठूसनेका अमोघ साधन माने शिक्षक। सरकारके इष्ट विचारोकी दृष्टिसे शिक्षणकी योजनाए बनती हैं। ऐसी ज्यादातिया अगर तुम सह लोगे तो तुम्हारा, हमारा और ससारका बुरा हाल होगा। पूजीवादी राष्ट्र इस प्रकार की योजनाए बनाया करते हैं। उनका पूरी तरह विरोध करना हमारा—विद्यार्थियोंका—फर्ज है।

यह पहली बात है। यह उस ऋषिके ध्यानमें आया। इसलिए उस वैदिक ऋषिने कहा। क्या कहा उसने ? "मेरे प्यारे शिष्यो, तुम बारह वर्षतक मेरे पास रहे, विद्या सीखे, लेकिन तुम मुझे अपना आदर्श न मानना। सत्यकोही प्रमाण मानो। मेरी कृतियो या शब्दोको प्रमाण मत मानो। मेरे शब्द और आचरण सत्यकी कसौटीपर परखो। जो खरे उतरे उनको स्वीकार करो। जो घटिया ठहरे उन्हें छोड़ दो। सत्यकी कसौटी हरएककी बुद्धिके लिए सहजगम्य है। उसे काममें लाओ।—'यान्वस्माकं सुचरितानि तानि त्व धोपास्थानि नो इतराणि' उस ऋषिने कहा, 'हमारे केवल अच्छे चरित्र अपनाओ, बुरोकी छोड़ो।' क्योंकि वह यथार्थ ज्ञानदाता गुरु था। उसका बतलाया तत्त्व नवीन नहीं है। लेकिन उसका अमल नहीं होता। इसलिए

अतिशय दयालु गुरु के नाते ऋषिने विद्यार्थियोंको यह सदेश दिया। उसे खूब याद रखिए। अपना विचार-स्वातन्त्र्य का यह मूलभूत अधिकार अक्षुण्ण रखिए। उसे गवाइये नहीं।

मैंने कहा कि स्वतन्त्र-बुद्धि विद्यार्थीका पहला और मुख्य लक्षण है। स्वतन्त्र बुद्धि माने वह बुद्धि जिसपर कोई दबाव नहीं है। वही सत्याग्रहीबुद्धि है। इस बुद्धिके द्वारा तुम ससारकी तरफ देखो। तुम्हे अनत चमत्कार दिखाई देगे। बुद्धिसे उन्हे समझो। इस युगमें खोलला भेजा रखनेकी गुजाइश नहीं है। अगर तुम अपने सुनिश्चित और पक्के विचार नहीं रखोगे तो उसमें किसी दूसरेके विचार घुस जायगे। आजकी दुनिया कहती है, 'दिमाग खाली नहीं रहना चाहिए। उसमें कुछ-न-कुछ भरना ही चाहिए।' सद्विचार भरो। और अगर सद्विचार नहीं भरना है तो आलू भरो, पत्थर भरो, जो चाहे सो भरो। इस-युगकी यह प्रतिज्ञा है कि तुम्हारा सिर खाली नहीं रह सकता। खुद विचार न करोगे तो वह रेडियो रेक-रेककर तुम्हारी खोपड़ीमें विचार ठूसता है। समाचारपत्र विचार करनेको बाध्य करते हैं। बिना विचारका दिमाग रखना संभव नहीं है। इसलिए सत्याग्रही बुद्धि रखो। सद्विचार करो। सद्विचारोकी दृढ़ करना और सचित करना, यही एक रास्ता है। अगर तुम कहोगे कि मैं विचार नहीं बनाऊंगा, तो लोग तुम्हे बनायेगे। बनो मत। दुनियाके हाथोंमें महज मिट्टी बनकर न रहो।

आजकी दुनियामें उदासीन रहना असंभव है। केवल एकात्ममें अध्ययन करनेकी गुजाइश नहीं है। समाजशास्त्रके विचार और अध्ययनके बिना गति नहीं है। उसके बिना किसी भी विषयका अध्ययन नहीं हो सकता। इतिहास, अर्थशास्त्र और राज्यशास्त्रका अध्ययन तो हो ही नहीं सकता। लेकिन गणित जैसे स्वतन्त्र और तटस्थ विषयका अध्ययन भी समाजशास्त्रके बिना नहीं होता। साधारण नीति, गणित, साधारण विज्ञान, भौतिकशास्त्र—किसी भी विषयका विचार समाजशास्त्र-निरपेक्ष करना संभव नहीं है। मानो समाजशास्त्रमेंसे ही ये सारे शास्त्र निकले हों। इसलिए नित्य जागरूक रहकर विधायक विचार करना नितांत आवश्यक है।

आज संसारमें तीन बहुत बड़े विचार-प्रवाह पाये जाते हैं । पहला 'फासीवाद' और 'नासीवाद' है—दोनों वस्तुतः एक ही हैं । एक जर्मनीमें पैदा हुआ और दूसरा इटलीमें । वह किसी-न-किसी रूपमें सारे संसारमें हैं । हमारे हिन्दुस्तानमें भी हैं । दूसरा साम्यवाद है । समाजवाद इत्यादि उसके पेटमें हैं । यह वाद रूसमें प्रवृत्त हुआ और दुनिया भरमें फैला । तीसरा महात्मा गांधीका विचार है । ये तीन ही यथार्थ विचार-प्रवाह हैं । इंग्लैंड, अमेरिका आदिके विचारोंकी विचारकी दृष्टिसे कोई गिनती नहीं है । गिनती करनी हो तो ये 'फासी-नासी' के ही भाईबद हैं । विजय किसीकी भी हो, विचारकी दृष्टिसे इनमें कोई दम नहीं है । इसलिए इनकी गिनती करनेकी जरूरत नहीं है । इनके विचार नष्ट होने वाले हैं । इनकी विजय भी हो जाय तो वह उसी तरहकी होगी, जैसे किबुफनेके पहले एक क्षणके लिए चिरागका बड़ा होना । अतमें इनका विचार नष्ट होनेवाला है ।

इन तीनों वादों की प्रगति हमारे सामने है । उनका तुम तटस्थभावेसे खूब अध्ययन करो । इनमेंसे गांधीवादका तो उदय करीब-करीब हिन्दुस्तानमें ही हुआ है । 'करीब-करीब' इसलिए कहा कि दूसरे देशोंके विचारको ने भी इस तरहके विचार व्यक्त किये हैं । प्राचीनकालमें कुछ व्यक्तियोंने प्रयोग भी किये हैं । लेकिन इस सिद्धांत को साकार बनाकर उसे सगुण रूप देकर उसके प्रत्यक्ष प्रयोग गांधीने ही और राष्ट्रीय पैमानेपर हिन्दुस्तानमें ही किये हैं । इसलिए 'करीब-करीब' कहनेमें हर्ज नहीं है । गांधीके प्रयोग के लिए हिन्दुस्तानमें अनुकूल परिस्थिति और वातावरण था ।

दूसरे दो वाद यूरोपमें पैदा हुए—साम्यवाद और नाजीवाद । ये क्यों और कैसे पैदा हुए, इसका विचार हम करना चाहिए ।

मैंने अपने जीवनके विषयमें एक न्याय (नियम) बनाया है । वह आपके सामने रखता हूँ । वह न्याय है—'इद्राय-तक्षकाय स्वाहा' । सापोसे तकरार हो जानेके कारण एक ब्राह्मणने सापोका यज्ञ किया । उसमें बहुत-से सापोकी

आहुतिया दी। लेकिन तक्षक इद्रके आसनके नीचे जा छिपा। इधर ब्राह्मणने कहा, 'तक्षकाय स्वाहा', लेकिन तक्षकका पता नहीं। तब तो ब्राह्मणने सूक्ष्मदृष्टिसे खगोलका निरीक्षण किया। उसे पता चला कि तक्षकके इद्राश्रित होनेके कारण आहुति व्यर्थ गई। इसलिए उसने कहा, 'इद्राय-तक्षकाय स्वाहा'। ब्राह्मणने उद्दतासे दोनोकी आहुतिका सकल्प पढा। पृथक्करणका कष्ट नहीं किया। लेकिन इद्र तो अमर ठहरा। इसलिए उसकी आहुति होना असंभव था। ब्राह्मणने पृथक्करणकी भ्रष्टसे बचना चाहा, इसलिए इद्रके साथ तक्षक भी अमर हो गया।

ऐसा कोई भी वाद नहीं जिसमें एक-न-एक गुण न हो। अगर हम किसी वादको सर्वथा दुष्ट या दोषयुक्त करार देकर उसके गुणोका भी त्याग करे तो वह वाद अमर हो जाता है। यदि किसी वादके गुणदोषोका पृथक्करण न किया जाय तो दोषोसे भरा हुआ वाद भी पनपता है। इसलिए हरएक वादमें जो गुण हो, उन्हें जान लेना जरूरी है। जिसमें गुण ही न हो, ऐसा वाद ही नहीं है। इसीलिए नाजीवादको सर्वथा दुष्ट करार देनेसे वह जोर पकडता है और पनपता है। हम उसके गुणोको नहीं देख सकते और न साम्यवादके ही सत्यका अन्वेषण होता है। किसी भी वादके सिर्फ दोष ही देखनेसे वह खंडित नहीं होता।

अगर हम हरएक वादका गुण अपना ले तो फिर उस वादमें स्थायी रहने लायक कुछ नहीं बचता। इस दृष्टिसे हम नाजीवादके गुणकी खोज करे। नाजीवाद एक प्रकारके पूर्व-अभिमानपर स्थित है। प्राचीन परंपरा और पूर्व-इतिहासके अभिमानपर अधिष्ठित है। "हम जर्मन लोग श्रेष्ठ हैं। हमारे इतिहासमें भव्यता है। इसलिए परमात्मा या कालात्माने एक बड़े महत्वका कार्य हमें सौंपा है। हम अपनी पुरानी संस्कृतिका रक्षण और पोषण करके ही उस कर्तव्यको पूरा कर सकेंगे। इसलिए इस जर्मन वंशको अक्षुण्ण रखना चाहिए। हमारे अंदर श्रेष्ठ गुण हैं। इसीलिए तो यह महत्कार्य हमारे सिपुर्द किया गया है। व्यक्तिकी तरह समाज और राष्ट्रमें भी विशेष गुण पाये जाते हैं। ये हमारे विशिष्ट गुण हमारा अपनापन, हमारा निजत्व है। हमारी

संस्कृति शुद्ध है। हम शुद्धरक्तके, शुद्ध बीजके, शुद्ध विचारके जर्मन लोग ही यह कार्य पूरा करनेके योग्य हैं। शुद्ध याने पूर्व परंपरासे प्राप्त। मेढकको मेंढककी परंपरासे मिले हुए गुण शुद्ध हैं। सापको सापोकी परंपरासे मिले हुए गुण शुद्ध हैं। शेरको शेरकी परंपरासे मिले हुए गुण शुद्ध हैं। उसी प्रकार हमें हमारी परंपरासे मिले हुए विशिष्ट गुण ही हमारी संस्कृति है। इसलिए हमें जर्मनवशका अभिमान रखकर अपनी परंपराकी रक्षा करनी चाहिए।”

नाजीवादमें दूसरे दोष होंगे, लेकिन यह एक बड़ा आकर्षक गुण है। हाँ, आकर्षक होते हुए भी वह सर्वथा ग्राह्य नहीं है। पूर्वपरंपराका सातत्य बनाय रखना, उसका धागा टूटने न देना, संस्कृतिकी परंपरा अविच्छिन्न रखने के लिए अपने पूर्वजोंकी संस्कृतिके प्रति आदर तथा प्रेम रखना—यह उसका वास्तविक ग्रहणांश है। वशाभिमान रक्षण करने—जैसी वस्तु नहीं है।

इसके विपरीत साम्यवादमें दूसरे ही प्रकारका गुण है। वह देखता है कि सारी दुनियाके गरीब उत्तरोत्तर अधिक गरीब होते जाते हैं और अमीर ज्यादा अमीर। गरीबोंके पेटकी खाई गहरी होते-होते प्रशांत महासागरके बराबर हो गई है और श्रीमानोंके धनकी पहाड़ी ऊँची होते-होते हिमालयके सदृश हो गई है। यह अंतर सहा न जानेके कारण साम्यवाद पैदा हुआ। वह कहता है कि बहुमतके नामपर आज जो प्रणाली जारी है, वह यथार्थ लोकसत्ता नहीं है। सिर गिननेकी लोकसत्ता सच्ची लोकसत्ता नहीं है। क्योंकि ऐसी लोकसत्तामें गरीबोंके सिर श्रीमानोंके हाथमें रहते हैं। इसलिए गरीबोंके मतदानका कोई मूल्य नहीं। जबतक श्रीमतोंका नाश नहीं होगा, दोनोंको समान अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। मौजूदा मतदान-पद्धति सिर्फ आकारमें लोकसत्ताके समान है। हम आकारमें नहीं, अपितु प्रकारमें भी लोकसत्ता स्थापित करना चाहते हैं। वह पक्षपातहीन लोकसत्ता होगी। आज यदि निष्पक्ष रहना हो तो गरीबोंका पक्षपात करना ही होगा। आजतक समान-अधिकारके नामपर श्रीमानोंकी प्रतिष्ठा खूब बढ़ाई गई। समत्व, न्याय और समान-अवसरका स्वाग रचा गया। समान-अवसर माने गरीबोंकी पिसाई। गामा पहलवान और लकड़ी-पहलवानकी कुस्ती तब कराकर दोनों को

समान-अवसर देनेका दम भरा जाता है। गामा पहलवानकीजीत निश्चित है। पहले गरीबोंका उद्धार कीजिए; बादमें समान-अवसर आदि सिद्धांतोंकी बात कहिए। गरीबोंके उद्धारके लिए चाहे जैसे साधनका प्रयोग करना पाप नहीं है। इस प्रकार साम्यवादमें गरीबोंके प्रति पराकाष्ठाकी आस्थाका गुण है।

इस प्रकार दो गुणोंकी बदौलत ये दो वाद ससार और हिन्दुस्तानमें फैल रहे हैं। हमारे महाराष्ट्रमें भी फैलना चाहते हैं। मैं महाराष्ट्रके ही विषयमें बोलता हूँ। क्योंकि अगर मैं महाराष्ट्रके दोष दिखाऊँ तो वह मेरा प्रात होनेके कारण, गलतफहमी नहीं होगी। महाराष्ट्रमें 'हमारा महाराष्ट्र धर्म' 'हमारी पेशवाई' (पेशवाशाही), हमारा 'मदं मराठा सिपाही', 'हमारी सस्कृति', 'हमारे समर्थ (रामदास) और उनकी बजरगबलीकी उपासना', आदि भावनाओंको जो प्रोत्साहन देता है, उसके प्रति तरुणोंमें आकर्षण पैदा होता है। इसी कारण महाराष्ट्रके तरुणोंको हिंदू महासभावालों के विचार पसंद आते हैं। वह उन विचारोंमें प्राचीन इतिहासके अभिमानका बहुत बड़ा गुण देखता है। दासनवमी (श्रीरामदास जयती); हनुमान जयती, भीष्माष्टमी, शिवाजी-उत्सव आदिसे प्रेरणा और आवेश मिलते हैं। अतः उस पक्षमें दूसरे कितने ही दोष क्यों न हों तो भी वह तरुणोंको आकर्षक प्रतीत होता है। उसमें पूर्वपरपराके अभिमानका गुण है।

मुसलमानोंमें यही विचार मुस्लिमलीगने फैलाया—'इस्लाम कितना वैभवशाली था, हिन्दुस्तानमें किसी समय उसका साम्राज्य किस प्रकार था', इत्यादि। पूर्वपरपराके अभिमानका गुण उसमें है।

इस प्रकार हिंदूसभा और मुस्लिमलीगका कार्य नाजी-परपराका है। वे जब आपसमें खुलकर बोलते हैं, तब कभी-कभी यह बात मान लेते हैं। आम तौरपर नहीं बोलते। लेकिन उनकी सहानुभूतिका स्थान वह है। शपथविधि, गुप्तता, आदि सारे लक्षण विद्यमान हैं। वह हरा भडा, वह कुरानकी कसम, वह हनुमानजीकी साक्षी, वह शपथ, वह ध्वज—यह सारा देखकर एक तरहका उत्साह मालूम होने लगता है। ऐसा अनुभव होने लगता है कि ये लोग हमें बिल्कुल ही गलत रास्तेसे नहीं ले जा रहे हैं—पूर्वजोंके

परिचित मार्गसे ले जा रहे हैं। इस भावनाके आधारपर ये नाजी-संप्रदाय हिंदुस्तानमें बढे हैं।

हिंदुस्तानकी गरीबी उपनिषत्के ब्रह्मके समान है, उसकी कोई उपमा या तुलना नहीं है। ब्रह्मके समान 'वह एकमेवाद्वितीय' है। इसलिए गरीबीके लिए आस्था और अमीरोंके प्रति चिढ़ रखनेवाला साम्यवाद आपक मालूम होता है और फँलता है।

इस तरह दो भिन्न कारणोंसे ये दो भिन्नवाद आकर्षक हो गए हैं। पूर्व-परंपराके अभिमानकी बदौलत नाजीवाद आकर्षक हो उठा है। हिंदू और मुसलमानोंको अभिमानका स्थान दिखाकर वह हिंदुस्तानमें फँला है। दरिद्रताके कारण साम्यवाद आसानीसे गले उतरता है। मैं दोषाविष्करणके उद्देश्यसे इन वादोंकी समीक्षा नहीं करता। क्योंकि हमें केवल उनके गुण ही देखने हैं।

अब तीसरे वादकी समीक्षा करता हूँ। वह गांधीने उपस्थित किया है। हमें उसके रूपको भलीभांति समझ लेना चाहिए। कुछ लोग समझते हैं—यह बेचारा गुजराती 'सामलूमार्ड' (ढीलाढाला, पिलपिला आदमी) ठहरा। इसका क्या 'वाद-आद' हो सकता है। ये बेचारे गुजराती डरपोक, गाय-जैसे सीधे, सापको भी न मारनेवाले लोग हैं। इन्होंने व्यापारके सिवा और कुछ नहीं किया है। तलवार कभी उठाई नहीं है। उस परंपराका यह 'सामलूम' है। उसका वाद उसी तरहके लोगोंको जचेंगा।

लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि बात ऐसी नहीं है। अगर ऐसी बात होती—याने इस वादमें डरपोकपन और 'सामलूपन' होता—तो एक महाराष्ट्रीके नाते मैंने उसे कभीका फेंक दिया होता। 'सामलूपन' कड आ, मीठा, खट्टा, चाहे किसी भी तरहका क्यों न हो, मैं तुमसे उसकी सिफारिश नहीं करूँगा।

परतु मैं कह चुका हूँ कि वस्तुस्थिति वैसी नहीं है। तुम जाच-पडताल कर देख लो। अगर इस वादकी जाच तुम नहीं करोगे तो मैं कहूँगा कि तुम विद्यार्थी बुद्ध बन चले हो। दूसरा आरोप नहीं करूँगा। सिर्फ 'बुद्ध' कहूँगा।

हिंदुस्तान आज डेढ़ सौ वर्षोंसे निःशस्त्र है। न शस्त्र-शक्ति है, न द्रव्य-शक्ति ही रह गई है। इस तरह यह एक केवल शक्तिहीन राष्ट्र था। इस राष्ट्रके सामने यह प्रश्न उपस्थित था कि वह कमर सीधी रखनेकी शक्ति कैसे हासिल करे। इस विषयमे विचार-मथन शुरू हुआ। शस्त्र और द्रव्य दोनों तरहकी शक्ति गायब हो जानेके बाद भी क्या कमर सीधी रह सकती है? क्या अपनी पूर्वपरंपरापर कायम रहते हुए यह सिद्ध हो सकता है? इस तरहके विचारका मथन शुरू हुआ। चालीस करोड़ लोगोमे सीधे खड़े होनेकी शक्ति निर्माण करनी है।

किसीने समझा पाश्चात्योका अनुकरण करना चाहिए, उनकी विद्या सीखनी चाहिए। किसीकी रायमे धर्म-सुधारसे ही हमारी उन्नति होगी। धर्म-सुधारकी शक्ति उत्पन्न करनेके लिए ब्राह्मणसमाज, प्रार्थनासमाज, आर्यसमाज, थिअॉसाफी आदि सस्थाएँ स्थापित हुईं। ये सारे समाज ऊपरसे धार्मिक भले ही प्रतीत होते हो, उनकी जड़मे दूसरी ही बात थी। 'हमारी द्रव्यशक्ति और शस्त्रशक्ति जाती रही, अब हम बुद्धिशक्तिके बल सीधे कैसे खड़े हो सकेंगे?'—यह वृत्ति उन सबके पीछे थी।

बुद्धि-शक्तिकी प्राप्तिके लिए ही शिक्षण-विषयक सुधार शुरू हुए। बुद्धि-शक्ति ही एकमात्र आशा रह गई थी। इसलिए गांधीके पूर्वकालमे धर्म-सुधारके साथ शिक्षण-सुधार जोड़ दिया गया था। राजा राममोहन राय, स्वामी दयानन्द, देवेन्द्रनाथ ठाकुर, रानडे, रविबाबू, अरविन्द प्रभृतिने बुद्धिके जोरपर आगे आनेका यत्न किया। जब शस्त्रकी ताकत न रही, द्रव्यकी ताकत न रही तो और क्या करते?

शिक्षण-विषयक सुधारमे अंग्रेजी विद्याका अनुसरण शुरू हुआ। तब दूसरा एक पक्ष सामने आया। वह कहने लगा, "हमे अंग्रेजीकी उपासना नहीं चाहिए। प्राचीन विद्याओको गति देकर नवीन स्वरूप दो।" इस विचारके अनुसार गुरुकुल आदि सस्थाएँ खुली। उसमेसे तीसरा आंदोलन राष्ट्रीय शिक्षाका निकला। प्राचीन संस्कृत विद्या और नवीन विद्यासे लाभ उठानेका यह प्रयत्न था। ऐसा माना जाने लगा कि पुनरुज्जीवन और सुधारका शिक्षण

ही राष्ट्रीय शिक्षण है। लेकिन तीनों प्रकारोंके मूलमें विचार एक ही था। वह यह कि बुद्धिके द्वारा शक्ति निर्माण करेंगे। शक्ति निर्माणके तीन द्वार हैं—धन, बल और बुद्धि। लक्ष्मी और शक्तिके दरवाजे प्रायः बन्द हो गये। तब अग्रेजोंसे टक्कर लेनेके लिए तीसरा विद्याका ही द्वार बाकी रह गया। इस विचारसे यह आंदोलन शुरू हुआ। कई सुधारकोंने उसमें भाग लिया।

लेकिन बुद्धिमें शक्ति कैसे आवे ? बुद्धिका क्या स्वतंत्र पोषण होता है ? क्या आचारहीन बुद्धि शक्तिशालिनी हो सकती है ? निराचार बुद्धि शक्तिशाली नहीं हो सकती। जबतक बुद्धि आचारमें परिणत करनेकी प्रक्रिया सिद्ध नहीं होती, तबतक स्वतंत्ररूपसे बुद्धि शक्तिशाली नहीं होती। जब यह ध्यानमें आया, तब कांग्रेस स्थापित हुई। उसके पहले बुद्धिमान लोग कहने लगे कि, “आओ, हम गरीबोंकी शिकायतें दूर करनेके लिए अपनी बुद्धि काममें लायें, अर्थात् उसे सक्रिय बनायें। लेकिन शिकायतें पेश करके उनका निराकरण कराने का प्रयत्न एक मर्यादा तक ही सफल होता है। पूर्ण सफल नहीं होता। अव्यक्त शिकायतें व्यक्त हो जाती हैं। लेकिन बुद्धि जबतक क्रियात्मक नहीं होती, तबतक सफल नहीं होता। इसलिए कांग्रेस शिकायतों तो पेश करती थी; लेकिन उसकी बात हवामें उड़ जाती थी। उसका प्रयत्न सफल नहीं होता था। क्यों नहीं होता था ? इसलिए कि शिकायतोंके दूर होनेकी सभावना नहीं थी। सो कैसे ?—इसलिए कि सारी शिकायतोंका मूल कारण, शिकायतोंकी शिकायत, परतन्त्रता ही है।

यह बात कांग्रेसके ध्यानमें आ गई। सहज ध्यानमें आनेवाली है। मनुष्य और सब डालिया काट सकता है, लेकिन जिस शाखापर वह खडा हो उसे नहीं काट सकता। अग्रेज सरकार कई सुधार कर सकती है। लेकिन उसकी सत्ता अकेली हमारी गुलामीकी डालपर खडी है। उस मुख्य शाखाको वह कैसे तोड़ेगी ? तुम बुद्धिवाद करके कितना ही समझाओ, जैसे उन्होंने मुझसे कहा ‘कृपया हिंदी में बोलिए’, उसी तरह तुम भी कहो, ‘कृपया इतनी शाखा तोड़िए’, तो वह कैसे सुन सकती है ? वह कृपा उसकी जान ले लेगी। सरकार फुटकर टहनिया तोड़ेगी। कहेगी “कहतमें मदद करेंगे, मराठी-हिंदीको

विश्वविद्यालयोंकी परीक्षाओंमें स्थान देंगे; लेकिन मुख्य शाखाको हाथ न लगाइए। 'स्वतंत्रताकी जय' न बोलिए, 'अंग्रेज सरकारकी जय' बोलिए।'

बात लोगोंके ध्यानमें आ गई। जिस शाखापर अंग्रेजोंकी सत्ता खड़ी है, उसे काट डालिए कहनेसे सरकार कैसे काटेगी? यह बात ध्यानमें आनेपर सवाल यह हुआ कि अब क्या करे? तब पता चला कि शक्तिसे ही राज्य मिलते हैं और युक्तिसे यत्न होता है। मतलब, शक्ति प्राप्त करनी चाहिए। गुप्तरूपसे कार्य करना ही युक्ति है, ऐसा समझा जाने लगा। अब, 'अधिकारियोंको मारे, षड्यंत्र करके बम बनावे'—इस प्रकारके विचार शुरू हुए। अफसरोके खून हुए। यह सब शूद्र बुद्धिसे हुआ। जिन लोगोंने बमका प्रयोग किया उनका स्मरण मैं भी पवित्र मानता हूँ।

लेकिन उन्हें क्या अनुभव हुआ? बम बनानेके लिए पैसोंकी जरूरत है। शिवाजी महाराजने भी षड्यंत्र किये। उन्हें भी साधन जुटाने पड़े। उसके लिए सूरत शहर लूटना पड़ा। मराठोंने बगालमें डाके डाले। अब ये लोग भगवद्गीताकी दुहाई देकर सद्भावनासे डाके डालने लगे। लेकिन पहलेसे ही जो पैसेवर गरीब लुटेरे थे, वे भी डाके डालने लगे। इनकी अपेक्षा वे निपुण थे। उन्हींने ज्यादा डाके डाले। लेकिन इसका लोगोको कैसे पता चले? लोग कैसे जाने कि कौन-सा डाका किसका है? बकरा क्या जाने कि छुरी किसकी है? उसे क्या पता कि उसकी गरदन काटनेवाली छुरी उसे यज्ञके लिए मारनेवाले ब्राह्मणदेवताकी है, या मास बेचनेवाले कसाईकी? लोग डाकोको पहचान न सके। 'हमें बचाओ' इतना ही कहने लगे। इसलिए सरकारकी अच्छी बन आई। अराजक और डाकूमें फर्क न कर सकनेकी वजहसे बमोका मार्ग बेकार हुआ।

बादमें महात्मा गांधी आए। उन्होंने कहा, "अराजकोका पथ तो ठीक है; लेकिन पद्धति सही नहीं है। मुख्य शाखा ही तोड़नी चाहिए। इसलिए उनका पथ उचित है। लेकिन वह हिंदुस्तानमें हिंसासे हो नहीं सकता।" संसारमें कही नहीं हो सकता। संगठित हिंसापर रची हुई यह प्रक्रिया जब व्यापक परिणाममें आजमाई जाय, तभी सफल हो सकती है। आजकी

सरकारे अत्यन्त संगठित और व्यापकतम हिसाकी सरकारे है। उतना व्यापक हिसक सगठन प्रजा नहीं कर सकती। इसलिए उसकी हिसा किसी कामकी नहीं साबित होती। प्रजाके हिसक सगठनमेसे शक्ति निर्माण नहीं होती। बहुत हो तो राष्ट्र प्रेमकी प्यास बुझती है। कुछ-न-कुछ करनेकी तमन्ना शांत होती है। व्यक्तिगत सतोष मिलता है। लेकिन सगठनके लिए यह पद्धति उपयोगी नहीं है। राष्ट्रीय उत्थानकी दृष्टिसे कार्यक्षम नहीं है।

इसलिए गांधीने कहा, “आम जनताका खुले तौरपर सगठन करनेकी मेरी पद्धति ही परिणामकारक ठहरेगी। सरकार स्व-सत्तापर नहीं टिकती। लोगोसे मिली हुई सत्तापर टिकी हुई होती है। उसे लोगोके आधारकी जरूरत होती है। सरकार और लोग, इन दोनों हाथोसे राज्यकी ताली बजती है। आप अपना हाथ हटा लीजिए, उमका हाथ अपने-आप ढीला पड जायगा। लोग अपनी दी हुई सत्ता हटा ले तो सरकार नहीं टिक सकती। इस प्रकारके सगठन-द्वारा ही हम प्रतिकारकी शक्ति निर्माण कर सकेगे।”

हिंदुस्तान इतना बड़ा चालीस करोडका राष्ट्र कैसे बना? हमारी पूर्वपरपराके गुणकी बदौलत इतना बड़ा राष्ट्र बना। यह हलका-पतला राष्ट्र नहीं है। हमारे परमपूज्य राष्ट्र-कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुरने भारतको ‘एह भारतेर महामानबेर सागरतीरे’ कहा है। सारी दुनियासे आ-आकर लोग यहा बसे है। सभी तो आक्रमण करके जबरदस्ती आकर नहीं बैठे है। हमने उन्हे जान-बूझकर आश्रय दिया। पारसियोने आक्रमण नहीं किया था। हमने समझ-बूझकर उन्हे जगह दी। हमारे राष्ट्रकी मर्यादाकी एक पुरानी परपरा है—हम दूसरोको अवसर दे सकते है और दूसरोपर आक्रमण नहीं करते।

इस परपरामेसे गांधीको यह विचार मिला। हमारे पास प्रतिकारका शस्त्र है। शस्त्र माने शासन या नियमन करनेवाला। यह अर्थ हाथपर घटित होता है। हथियार तो शस्त्र ही नहीं है। वह औजार है, जड वस्तु है। वह स्वतंत्र चीज नहीं है। उसकी दरकार नहीं।

हिंदुस्तानकी महान् आवश्यकता, उसके इतिहासकी एकमात्र माग, पूरी करनेके लिए विचार उत्पन्न हुआ। इसीलिए वह फैला। ससारमे इतरत्र अहिंसाको स्थान नहीं है। हिंदुस्तानमे तरुण भी इसकी चर्चा करते हैं कि राष्ट्रीय व्यवहारमे हिंसा बड़ी है या अहिंसा? अहिंसाके मार्गपर यह बहुत बड़ी प्रगति है। हम यह नहीं कहते कि सब-के-सब फौरन अहिंसावादी बन जाए। सबको विचार ही करना चाहिए। आज तरुणोंने भी हिंसाका नये सिरेसे विचार शुरू किया है, यह सच्ची प्रगति है। इसमे अधिक तेजीसे गांधीका विचार फैलना मुमकिन नहीं था। फैलना भी नहीं चाहिए। धीरे-धीरे, विचार करनेके बाद, सोच-समझकर ही उसको स्वीकार होना चाहिए।

यह विचार-धारा हिंदुस्तानकी पूर्वपरपरामेसे पैदा हुई है या नहीं? मेरा मतलब हिंदुस्तानकी मुख्य पूर्वपरपरामे है, फुटकर प्रवाहसे नहीं। हिंदुस्तानमे परपरामे बहुत-से फुटकर प्रवाह हैं। मराठोकी, राजपूतोकी, सिक्खोकी, ऐसी कई परपरामे हैं। लेकिन असख्य धर्मों और जातियोको एकत्र रखनेवाली जो परपरा है, वही मुख्य परपरा है। उसीमेसे इस विचारका निर्माण हुआ। उस परपरामेका अभिमान धारण कीजिए।

इस प्रकार नाज वादका तत्त्व, अर्थात् उसका गुण, भी इस विचारसे भलीभांति मेल खाता है। जेलमे मैंने इस परपरामेका विचार किया। महाराष्ट्र और हिंदुस्तानका विचार किया। ठेठ वेद-कालसे लेकर आजतक सारे भारतके इतिहासमे जिन-जिन व्यक्तियोने क्रांति की, उनका विचार किया। शक, हूण, द्राविड, आध्र, मुसलमान प्रभृतिमे हुए क्रांतिकारक व्यक्तियोका इतिहास देखा। उसमे महाराष्ट्रकी परपरा इतनी छोटी ठहरती है, ब्राह्मणोकी इतनी क्षुद्र ठहरती है कि उनका अलग विचार करनेकी जरूरत नहीं। हिंदुस्तानकी परपरा एक महान् वटवृक्षकी परपरा है। उस वटवृक्षका आश्रय करनेके बदले उसकी शाखाएँ काटकर सिर फोड़ लेना उदात्त अभिमानका लक्षण नहीं है। हिंदुस्तानकी परपरा हिंदू, मुसलमान, पारसी, सिक्ख, जैन, बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात आदि सबके श्रेष्ठ शास्त्रकारोकी और

असंख्य साधुसतोकी परंपरा है। अगर मैं इस परंपराको छोड़ूंगा तो अपने राष्ट्रका तेजोबध करूंगा; राष्ट्रको खस्सी करूंगा, इसके विषयमें मुझे सदेह नहीं रहा।

इस अर्थमें नाजीवादका पूर्वसंस्कृतिके अभिमानका गुण भिन्न स्वरूपमें गांधीवादमें है। लेकिन उसका स्वरूप इतना भिन्न है कि उसमें नाजीवादके वशाभिमानका दोष नहीं है। हमारी पूर्वपरंपरा व्यापक है। इसलिए उसका अभिमान भी करीब-करीब विश्वव्यापी है। उस पूर्वपरंपराका सातत्य बनाये रखनेका, उससे अनुसंधान रखनेका, गुण गांधीवादमें है। वह 'नाजीवाद'के पूर्वपरंपराके अभिमानके सदृश है। उतना ही आकर्षक भी है। लेकिन 'नाजीवाद'के वशाभिमानकी सकुचितता उसमें नहीं है। इसलिए उसे अभिमान भी नहीं कह सकते। प्राचीन कालके सांस्कृतिक प्रयत्नोंसे अनुसंधान रखना ही उसका मुख्य लक्षण है।

कुछ साम्यवादियोंकी यह भाषा कि गरीबोंका उद्धार करना चाहिए, गलत है। 'गरीबोंका उद्धार करनेवाला, उन्हें उबारनेवाला, मैं अलग हूँ, यह भावना उसमें छिपी हुई है। 'अगर मैं उन्हें न बचाऊँ, तो उनका उत्थान नहीं हो सकता', यह मिथ्या अभिमान उसमें है। गरीबोंका उद्धार उन्हींके हाथोंमें है। गांधीने आम जनताको ऐसी शक्ति प्रदान की है। साम्यवादने रूसमें जो किया, वह यहाँ नहीं हो सकता। रूस सरीखी सुविधा यहाँ असंभव है। और न आवश्यक ही है। कारण उससे गरीबोंको शक्ति नहीं मिलेगी। गरीबोंका उद्धार गरीबोंके ही द्वारा होना चाहिए। यह साम्यवादका सार है। उसे हम अपना लेते हैं। बादाम और दूधका भी शरीरके लिए उपयोगी अंश ही हम स्वीकार करते हैं। साम्यवादके बारेमें भी सारासार विचार करना चाहिए। गरीबोंका उद्धार गरीबोंको ही करना चाहिए उसका यह सारभूत अंश हमें स्वीकार कर लेना चाहिए और निःसार अंश त्याग देना चाहिए।

साम्यवादकी प्रक्रियामें हिंसाके द्वारा क्रान्तिका प्रतिपादन है। यह उसका निःसार अंश है। हिंसाकी शक्ति जनताकी शक्ति नहीं हो सकती। विद्वत्ता भी आम जनताकी शक्ति नहीं है। बुद्धितो मुट्ठीभर ब्राह्मणोंकी शक्ति मानी

जाती थी। वह उन्हीके ताले-कुजियोमे बंद रहती थी। तलवार भी आम जनताकी शक्ति नहीं है। बूढ़े, स्त्रियां, बच्चे, अशक्त, इनकी वह शक्ति नहीं है। वह तो बत्तीस इंच या चौतीस इंच छातीवाले तगड़े प्राणियोकी शक्ति है। इतने चौड़े सीनेवाले ऊचे-पूरे प्राणी हमेशा सज्जन ही नहीं होते। उनकी शक्ति स्थायी नहीं होती। हिंसाकी शक्तिसे जो अर्जन करोगे, उसे सभालनेके लिए निरंतर हिंसा ही करनी पडगी। गरीबोकी, आम जमताकी, वह शक्ति नहीं हो सकती।

जर्मनी-द्वारा रूसके आक्रमणका नैतिक समर्थन नहीं हो सकता। लेकिन सात्त्विक समर्थन हो सकता है। रूसका फौजी खर्च सालाना सोलह सौ करोडका है। मामूली, शातिके समय इतनी प्रचंड सैनिक शक्ति बढती हुई देख उसे अनिरुद्ध बढने देनेके लिए जर्मनी गधा नहीं है। रूस इतनी फौज किसलिए बढा रहा था ? क्या सिपाहियोको गौरीमैयाकी तरह सजाकर उनकी आरती उतारनेके लिए ? साम्यवादको ससारमे हिंसासे रूढ करनेकी रूसने ठान ली है। इसलिए वह इतना फौजी खर्च करता है। साम्यवादी विचारोकी परपरा पनपने देना जर्मनोके लिए इष्ट नहीं है। इसलिए रूसकी ताकत तोड देना जर्मनीकी दृष्टिसे बुद्धियुक्त ठहरता है।

रूसकी शक्तिसे लाभ उठाना इंग्लैंडकी दृष्टिसे बुद्धिमानीका लक्षण है। इंग्लैंड कहता है, "रूसकी फौजी शक्तिके प्रयोग द्वारा आज जर्मनीका सामना कर ले। साम्यवादसे बादमे निपट लेगे।" रूस अमेरिकासे कहता है, "भाई, हमने धर्मकी बिलकुल ही मिट्टी पलीत नहीं की है। तुम हमारी मदद कर सकते हो।"

अर्थात् रूसको पाखण्डियोकी खुशामद करनी पडती है। यह क्या हो रहा है ? यह उस राष्ट्रकी पराबलबी दशा है। क्या इससे साम्यवाद टिकेगा ? क्या वह सैनिक सत्तावादसे बच सकेगा ? अगर असाम्यवादी और वैषम्यवादी राष्ट्रोकी मददसे विजय भी होजाय, तो भी साम्यवाद नहीं रह सकता। पराजय हो तो बिलकुल ही नहीं रह सकता। जो रूसमें संभव नहीं है—ससार

मे कही सभव नही है—वह हिदुस्तानमे कैसे हो जायगा ? हिंसा जनताकी शक्ति ही नही है। हम जनतामे तेज निर्माण करे।

हमने साम्यवादका सार—गरीबोंकी उन्नति करनेके लिए, उन्हें अपना उद्धार अपने तर्ई करनेको समर्थ बनानेकी आस्था—ग्रहण किया। नि सार वस्तु त्याग दी। नाजोवादका सदेश—पूर्वपरपरासे अनुसंधानका गुण भी ग्रहण किया। लेकिन हमारे अभिमानको 'अभिमान' शब्द ही लागू नही है। इतना बह व्यापक है। जो राष्ट्र एकरगी है, उनका देशाभिमान सकुचित होता है। हिदुस्तानकी परपरा मिश्र और व्यापक है। व्यापक भारतकी, इस महामानव-समुद्रकी, मिश्र परपराका अभिमान सकुचित हो ही नही सकता। वह निष्कलक है। इस प्रकार व्यापक भारतका अभिमान और गरीब लोगोंकी शक्ति प्रकट करना—ये दो गुण दो बादोंमे लेनेवाला यह तीसरा वाद मने यथासभव तटस्थतासे तुम्हे बतलाया।

'यथा सभव' कहनेका कारण एक अर्थमे मे भी पक्षपाती हू। मे उस वादको मानता हू। वह मेरे जीवनमे दाखिल हो गया है। फिर भी, मे उसे जितनी तटस्थतासे रख सका, उतनी तटस्थतासे मने आपके सामने रक्खा है। मेरा पहला सूत्र याद रहे। मे कहता हू इसलिए या गांधी कहते है इसलिए उसे न स्वीकारिये। व्यापक बुद्धि और तटस्थ वृत्तिसे विचार कीजिए।

यह बतला चुका हू कि हिंसा जनताकी शक्ति नही है। अब यह दिखाना बाकी है कि अहिंसा जनताकी शक्ति कैसे हो सकती है ? याने अहिंसाको सामाजिक रूप कैसे दिया जा सकता है ? एक-एक व्यक्तिकी विजयके उदाहरण हमारे यहा और ससारमे पाये जाते है। एकनाथ महाराज, ईसा, सुकरात ने दृढताकी सामर्थ्य प्रकट की है।

प्रयोगकी प्रक्रिया ऐसी ही होती है। विज्ञानके क्षेत्रमे भी एक-एक व्यक्ति प्रयोगशालामे प्रयोग करता है। उसके सिद्ध होनेपर उस सिद्धांतका व्यापक प्रयोग अथवा सामाजिक विनियोग होता है। भापकी शक्ति का आविष्कार व्यक्तिगत प्रयोगसे हुआ है। चायकी केटलीकी भापपरसे आविष्कार हुआ। तदुपरांत समाजमे उसका विनियोग हुआ। यदि वह शोध

व्यक्तित्व ही सीमित रह जाती, तो बेकार साबित होती अहिंसा में व्यक्तिगत प्रयोग भी अकारण नहीं जाता। अहिंसा की शक्ति व्यक्तिगत होने पर भी कार्य करती है, उसे सामाजिक रूप दिया जाय तो बहुत बड़ा कार्य करती है।

एक शका की जाती है 'क्या सारा समाज एकनाथ, बुद्ध या ख्रीस्त बन सकता है? यदि बन सकता, तो तुम्हारे सामने योजनाएँ ही पेश न करनी पड़ती। हम-तुम सामान्यजन उनके प्रयोगसे लाभ उठा सकते हैं। उसके लिए उनके बराबर शक्तिकी जरूरत नहीं है। गुरुत्वाकर्षणके शोधके लिए न्यूटनमें विशेष बुद्धि होनी चाहिए। लेकिन उस शक्तिसे काम लेनेके लिए मिस्त्रीमें उतनी बुद्धिकी जरूरत नहीं है। हिटलर भी अपने क्षेत्रमें अद्वितीय है। वह नये-नये शस्त्रोंका शोध करता है। लेकिन उसे जिस बुद्धिकी जरूरत होती है, वह उन अस्त्र-शस्त्रोंको बरतनेवाले सिपाहीको नहीं होती।

प्रथम शोध करनेवालोंको अद्भुत और अलौकिक होना ही चाहिए। लेकिन सामाजिक प्रयोगके लिए हरएकमें अलौकिक शक्तिकी जरूरत नहीं है। गांधीको अलौकिक, अद्वितीय शक्तिकी आवश्यकता है। अन्यथा वे आविष्कार नहीं कर सकते। लेकिन उस शक्तिके सामाजिक प्रयोगके लिए अलौकिक सामर्थ्यकी आवश्यकता नहीं है।

गुण्य-गुणकका उदाहरण लीजिए। तकली बिलकुल छोटी-सी है। उसपर चालीस ही तार कत सकते हैं। लेकिन अगर उसे चालीस करोड हाथ चलाने लगे, तो चालीस करोड गुने चालीस तार होंगे। अहिंसा भी ऐसी है। तकलीकी तरह वह सीधी-सादी, सुविधाजनक और छोटीसी है। उसे बूढ़े, बच्चे, स्त्रिया सब चला सकते हैं। मिलके लिए हाँसपावरकी जरूरत होती है। तकलीके लिए नहीं। एक ईसाको जितनी शक्तिकी जरूरत होती है, उतनी सामाजिक प्रयोगके लिए नहीं होती। फ्राइस्ट अहिंसाके प्रयोगकी मिल और हम चालीस करोड लोग अहिंसाके प्रयोग की तकलियाँ हैं। हम एक-एक तोला अहिंसक शक्ति प्राप्त करें, तब भी वह समाजके लिए हजरत ईसाकी अहिंसा की अपेक्षा अधिक उपयोगी ठहरेगी। खेतमें एक ही

जगह मनो खाद डालनेसे काम नहीं चलता। अगर एक-एक इंच ही खाद सारे खेतमे बिखेर दिया जाय और वह जमीनमे गले, तो ज्यादा उपयोगी साबित होता है। हम भी अगर थोड़ी-थोड़ी अहिंसक शक्ति कमाए, तो हिमालयसे भी बुलद कार्य होगा, जो ईसाकी मनो अहिंसाकी अपेक्षा अधिक प्रभावोत्पादक होगा।'

सर्वोच्च : फरवरी, १९४२

: १३ :

गो-सेवाका रहस्य

आज आपके सामने मैं जो थोड़ा-सा जिज्ञास करना चाहता हूँ, उसकी प्रस्तावनामे कुछ कहनेकी जरूरत मानता हूँ। कल हमलोगोकी जो सभा हुई थी, उसमे मैंने कहा था कि आप लोग मुझे अध्यक्ष बना रहे हैं, लेकिन मैं कुछ जगली जानवर हूँ। इसीलिए अगर आपको कुछ असभ्यता मेरे बर्तावमे दिखाई पड़े, तो उसे बरदाश्त करना होगा, वैसे भी मेरा जन्म जगलमे हुआ, और जिसे आधुनिक शिक्षण कहते हैं, वह मुझे मिला न मिला, इतनेमे मुझे उपनिषद् पढ़नेकी इच्छा हुई। आपमेसे कुछ लोग जानते ही होंगे कि उपनिषद् एक जगली साहित्य है। उसको संस्कृत भाषामे 'आरण्यक' कहते हैं। उसका हिंदीमे सीधा तर्जुमा 'जगली साहित्य' ही होगा। उसमे ईश्वरके स्वरूपका वर्णन करते हुए दो लक्षण बतलाये हैं—'अबाकी अनाबरः'। यानी वह न बोलता है और न किसी चीजकी परवाह करता है। मेरे स्वभावमे भी यह बात आ गई। और ऐसी छोटी-मोटी कई बातें हो सकती हैं, जिनकी कि मैं परवाह करता हूँ या नहीं करता, उसका भी पता मुझे नहीं रहेगा। कृपया उनको आप सह लेंगे।

१. वर्षाके 'जीवन समीक्षक मंडल' में (२२ दिसंबर १९४१ को) दिया गया भाषण।

दूसरी बात, जो उसीका हिस्सा है, मुझे यह कहनी थी कि मेरी मातृ-भाषा मराठी है, और मराठी भाषामें यद्यपि अद्भुत सामर्थ्य भरी हुई है, तो भी एक चीजकी कमी है। वह यह कि जिसको दरबारीपन या सभ्यता कहते हैं—जो उर्दू, हिंदी, हिंदुस्तानी भाषामें है—वह मराठीमें मौजूद नहीं है। हम हजार कोशिश करे तो भी 'आप आइएगा, बैठिएगा' का तर्जुमा मराठीमें ठीक-ठीक कर नहीं सकते। इसलिए इस दृष्टिसे जो कुछ कमिया मुझमें रह गई हो, उन्हें आपको बर्दाश्त करना होगा।

इसके बाद प्रस्तावनामें एक बात और मुझे कहनी होगी। मुझे सूचित किया गया था कि मैं अपना व्याख्यान लिखकर दे दू। शायद यह एक सभ्यताका ही रिवाज है। लेकिन वह मैं नहीं कर सका। क्योंकि अक्सर लोयोको देखे बिना मुझे कुछ सूझता ही नहीं, यह तो हमेशाकी बात हुई। लेकिन इस वक्त एक खास वजह यह भी थी कि यहाँ पर बापूका व्याख्यान होनेवाला था। मैंने सोचा कि उनका व्याख्यान मैं सुनूँगा और उसके प्रकाशमें बोलूँगा, यानी उन बातोंको दुहराऊँगा जिनका उन्होंने विस्तार किया होगा, और उन्होंने जो बातें नहीं कही होंगी, उन्हें मैं कहूँगा। यह सोचकर मैंने अपना भाषण लिखकर नहीं भेजा और अब वह व्याख्यान जबानी ही हो रहा है। अगर इस चीजके लिए क्षमा मागनेकी जरूरत मानी जाती हो, तो वह मैं माग लेता हूँ।

पहले तो मैं नामसे ही शुरू करूँगा। क्योंकि नामकी महिमा सभी जानते हैं। हमारे सघका नाम 'गो-सेवा सघ' है। उसको सुनते ही सहज सवाल होता है, कि "क्या आपने कभी 'गो-रक्षा' शब्द सुना है? उसे जानते हुए भी 'गो-सेवा' शब्द आपने रक्खा है, या यो ही बे-सोचे-समझे या अनजानमें गो-सेवा नाम रख दिया है?"—इसका जवाब देना जरूरी है।

संस्कृतमें 'गो-सेवा' शब्द हमको शायद ही मिलेगा। वहाँ 'गो-रक्षा' शब्दका प्रयोग है। इसलिए हम सब लोग वह शब्द जानते हैं। लेकिन जानकर भी हेतुपूर्वक, उसको छोड़ा है और 'गो-सेवा' शब्द अधिक नम्र समझकर चुन लिया है। यानी हम अपनेमें गो-रक्षा की सामर्थ्य नहीं पाते, इसलिए

गो-सेवासे सतोष मान लिया है। अर्थात् दयाभावसे, हमसे जितनी हो सकेगी, उतनी हम गायकी सेवा करेंगे और भगवान्की कृपासे जब हममे ताकत आ जायेगी, तब फिर हम गो-रक्षा करेंगे।

लेकिन, जब हम 'गो-सेवा सघ' कहते हैं, तो यह पूछा जायेगा कि "आप लोग गायकी क्या सेवा करना चाहते हैं? अगर आप गायका दूध और घी बढ़ाना चाहते हैं, और अच्छे बँल पैदा करना चाहते हैं, तो उसमे कौन-सी 'गो-सेवा' है? उसमे तो आप लोग अपनी खुदकी ही सेवा करना चाहते हैं। अग्रेज लोगोने 'पब्लिक सर्विस' शब्द निकालाहै वँसी ही आपकी यह 'गो-सेवा हुई"—ऐसा आक्षेप हो सकता है। उसके जवाबमे कुछ कहना ठीक होगा।

हम लोग अपनी मर्यादा समझते नहीं। इसीलिए यह सवाल उठ सकता है। 'सेवा' और 'उपयोग'के बीच कोई आवश्यक विरोध नहीं है, यह समझनेकी जरूरत है। हम जिस प्राणीका उपयोग नहीं करते, उसकी सेवा करनेकी ताकत हममे नहीं होती, यह हमारी मर्यादा है। उसमे स्वार्थका कोई मुद्दा नहीं है। एक-दूसरेकी सेवा करनेका यही एक रास्ता हमारे लिए ईश्वरने खुला रक्खा है। नहीं तो, जैसा कि बापूने बताया, पिजरापोलोमे जो होता है, वही सारे समाजमे होता रहेगा। आज भी हम यही हाल देखते हैं। पक्षीको खिलाने हे और आदमीको भूखा रखते हैं। इस तरह दया या सेवा तो नहीं होगी, बल्कि निर्दयता या असेवा होगी।

ईश्वरके अनंत गुण है, उनमेसे हमें अनेक गुणोका अनुकरण करना है। लेकिन ईश्वरका जो विशेष गुण है, उसका अगर हम अनुकरण करेंगे, तो वह अहंकार होगा। ईश्वरके और सब गुणोका अनुकरण शक्य है, परंतु उसके विशेष गुणका, यानी उसके ऐश्वर्यका, अनुकरण शक्य नहीं। वह सृष्टिका पालन करता है और सहार भी करता है। इसमे हम उसका अनुकरण नहीं कर सकते। बहुत तो चीटियोके लिए गक्कर डाल देगे। चीटिया बहा इकट्ठी हो जायेगी, और अगर सयोगसे बहा पर एकाध बेल आ जाये, तो उसके पँरके नीचे वे खतम हो जायेंगी। जब ऐसी बात होगी, तो उसकी जिम्मेदारी मैं कैसे उठाऊगा? मैं तो कह दूँगा कि यह तो ईश्वरकी करतूत है!

यहां मुझे एक घटना याद आती है। एक थी बुद्धिया। उसके एक बेटा था। बेटा उसकी मानता नहीं था। इसलिए वह बहुत दुःखी रहती थी। जब उसके पास मैं पहुंचा, तो वह कहने लगी, "मैंने इसको पाला-पोसा, लेकिन यह मेरी सुनता ही नहीं।"

मैंने उससे पूछा, "तेरे क्या यह अकेला ही लडका है?"

उसने कहा, "हां, तीन-चार और थे, वे सब मर गये।"

तब मैंने अपने जगली ढंगसे सीधा सवाल पूछा, "भाजी, तुमने अपने तीन-चार लडकोको क्यों मार डाला?"

आप समझ सकते हैं कि मेरे इस जगली सवालसे उसके दिलपर कितनी चोट लगी होगी! थोड़ी देरके लिए वह सहम गई और बादमे कहने लगी, "मैं क्या करूँ? भगवान्ने चाहा सो हुआ।" तब मैं उससे पूछता हूँ, "अगर तुम्हारे तीन लडकोको भगवान्ने मार डाला है, तो तुम्हारा यह जो चौथा बेटा है, उसको पाला-पोसा किसने? पाला-पोसा तो तुमने और मार डाला भगवान्ने, यह कैसे हो सकता है? या तो दोनो जिम्मेदारिया उठाओ या दोनोको छोड़ दो।"

जिस प्राणीका हमे उपयोग नहीं है उसकी सेवा हमसे नहीं हो सकती। गो-सेवाका रास्ता सीधा है। गायका हमे ज्यादा-से-ज्यादा उपयोग तो है ही। वह करनेकी कोशिश करेंगे और उसके साथ-साथ उसकी सेवा, अधिक-से-अधिक जितनी हो सकती है, करेंगे, जैसे कि हम अपने बच्चोकी सेवा करते हैं। यही उसका सीधा अर्थ होता है।

गो-सेवाका प्रथम पाठ हमे वैदिक ऋषि-मुनियोने सिखाया और समझाया है। कुछ लोगोका कहना है कि गो-सेवाका पाठ पढाकर ऋषियोने हमसे अनुचित पूजाके भाव पैदा किए हैं। ऐसी पशु-पूजा वैज्ञानिक नहीं है। वस्तु-स्थिति ऐसी नहीं है। जिस तरह हम उपयोगकी दृष्टिसे विचार करते हैं, उसी तरह सीधे उपयोगकी दृष्टिसे ऋषि-मुनियोने भी विचार किया। उसी दृष्टिसे उन्होने बतलाया है कि हिंदुस्तानके लिए गो-सेवा मुफीद है। इसलिए वही धर्म हो सकता है। तब हमारा यह कर्तव्य हो जाता है कि हम

गायका जितना हो सकता हो उतना उपयोग करे। वेदका वचन है—

सहस्रधारा पयसा मही गौः।

ऐसी गाय जिससे कि हजार धाराएँ रोज पैदा होती हो। आप समझ सकते हैं कि दूधकी एक धारा कितनी होती है। हिसाब करनेपर मालूम होगा कि वैदिक गायका दूध चालीस-पचास रतल होता था। इसपरसे आप समझ लेंगे कि उनकी मशा क्या थी और गायोसे वे क्या अपेक्षा रखते थे। आजकल गायका दूध नहीं मिलता, ऐसी शिकायत आती है। वैदिक ऋषियोने गो-सेवा की दिशा भी बतलाई है।

अक्सर सुना जाता है कि दूध तो गायोसे ज्यो-त्यो मिल सकता है, परंतु घीके लिए तो भैंसकी ही शरण लेनी पड़ेगी। लेकिन हमारे प्राचीन वैदिक ऋषि यह नहीं मानते। वे कहते हैं—

यूय गावो मेदयथाः कृश चित् ।

“हे गायो, जिसका शरीर (स्नेहके अभावसे) सूख गया हो, उसे तुम अपने मेदसे भर देती हो।” यहाँ ‘मेदयथा’ यानी ‘मेदती हो’ का इस्तेमाल किया गया है। मेद कहते हैं चरबीको, स्नेहको, जिसे हम ‘फैट’ कहते हैं। इसका मतलब यह है कि दुबले-पतलेको मोटा-ताजा बनाने लायक चरबी गायके दूधमें पर्याप्त मात्रामे होनी चाहिए और अगर आज गायके दूधमें घीकी मात्रा कम मालूम होती है, तो उसे बढाना हमारा काम है। वह कसर गायमें नहीं, बल्कि हमारी कोशिशमें है।

उसीकी पुष्टिमें उन्होंने गायका वर्णन यो किया है—

अश्रीरं चित् कृणुथा सुप्रतीकम् ।

जो शरीर अ-श्रीर है, उसे गाय श्रीर बनाती है। ‘श्रीर’ का अर्थ शोभन है और ‘अश्रीर’ का अर्थ ‘शोभाहीन। ‘अश्रीर’ से ही ‘अल्लील’ शब्द बना है। इसपरसे आप समझ लेंगे कि हमको गो-सेवाका पहला पाठ वैदिक ऋषियोने पढाया है, उसके विकासकी दिशा भी बतला दी है और वह दिशा अनुचित

पूजाभावकी नहीं, बल्कि शुद्ध वैज्ञानिकताकी है। यानी परम उपयोगिता की है।

सेवासे मतलब उपयोगहीन सेवा नहीं है। उपयोगके साथ-साथ उपयोगी जानवरकी यथासभव अधिक-से-अधिक सेवा करना ही उसका अर्थ है। उसका भाव यह है कि उपयोगी जानवरको हमे अधिकाधिक उपयोगी बनाना है और इसी तरह हम उसकी अधिक-से-अधिक सेवा कर सकते है, जैसाकि हम अपने बाल-बच्चोके विषयमे करते है। इस तरह हमारे लिए सेवाका उपयोगके साथ नित्य सबध है। अब मैं जरा और आगे बढ़ूंगा। जैसे हम उपयोगहीन सेवा नहीं कर सकते, वैसे ही सेवा-हीन उपयोग भी हमें नहीं करना चाहिए। गो-सेवा-सधके नाममे 'सेवा' शब्दका यही अर्थ है। यानी हम बगैर सेवाके लाभ नहीं उठायेगे। यह आज भी होता है। हम ढोरोकी सेवा कुछ-न-कुछ तो करते ही है। लेकिन शास्त्रीय दृष्टिसे जितनी करनी चाहिए उतनी नहीं करते। क्योंकि शास्त्रीय दृष्टि हमारे पास नहीं है, विशेषज्ञोसे इस काममे हम सहायता जरूर लेगे। लेकिन हमे सब काम उनपर नहीं छोडना चाहिए हमे गायकी प्रत्यक्ष सेवा करनी चाहिए। जब ऐसा होगा, तब उसमे से गो-सेवाका थोडा-बहुत शास्त्र हमारे हाथ आ जायेगा।

पवनारमे हमारे आश्रमके एक भाई, नामदेवने दो-चार गाये, पाली है। बाजारके लिए उसे एक दिन सेलू जाना पडा। शामको नामदेव वापस लौटा और गाय दुहनेके लिए बैठा, तो गायने दूध नहीं दिया। उसने काफी कोशिश की। तब उसने पूछा, "आज गायको क्या हो गया है?" जवाब मिला, "कुछ तो नहीं। पता नहीं दूध क्यों नहीं देती? बछडा भी तो बधा हुआ था। इसलिए वह भी दूध नहीं पी सका होगा' निदान नामदेवने पूछा, "किसीने उसे मारा-पीटा तो नहीं?" एक भाईने कहा, "हा मारा तो था।" नामदेवने कहा, "बस तो वह इसीलिए दूध नहीं देती।" फिर नामदेव गायके पास पहुचा, उसने उसके शरीरपर हाथ फेरा, उसे पुचकारा। तब गाय कुछ देरके बाद दूध देने के लिए तैयार हो गई। यह किस्सा इसलिए कहा कि हमे समझना चाहिए कि जब हम नामदेवकी तरह सेवा करेगे, तो उसीमेसे

गो-सेवाका रहस्य धीरे-धीरे स्पष्ट हो जायेगा और गो-सेवाका शास्त्र बनेगा।

कालिदासने, जो कि हिंदू सस्कृतिका अप्रतिम प्रतिनिधि हैं, हमारे सामने उस सेवाका कितना सुन्दर आदर्श पेश किया है। महाराज दिलीप ऋषिके आश्रममें रहनेको आता है। ऋषि उसे गायकी सेवाका काम देते हैं, क्योंकि आश्रममें कोई बिना सेवाके रह ही नहीं सकता। आश्रम तो सेवाकी ही भूमि है। हा, तो वह गो-सेवाका काम कितनी लगनसे करता है? उसकी कैसी सेवा-टहल करता है? उसके पीछे-पीछे कैसे रहता है?—इसका चित्र गधुवशमें एक श्लोकमें यो खीचा है—

स्थितः स्थितामुच्चलितः प्रयातां,
निषेदुषीमासनबंधधीरः ।
जलाभिलाषो जलमावदानां,
छायेव तां भूपतिरन्वगच्छत् ॥

शरीरका छायाकी नाई राजा गायका अनुचर बन गया था। जब वह गाय खड़ी होती थी, तब वह भी खड़ा हो जाता था। जब वह चलती तो वह भी चलता, वह बैठ जाती, तब वह बैठता, वह पानी पीती, तभी वहभी पानी पीता, गायको खिलाये-पिलाये बिना खुद नहीं खाता-पीता था।

गाय एक उदार प्राणी है। वह हमारी सेवा और प्रेमको पहचानती है और अधिक-से-अधिक लाभ देनेके लिए तैयार रहती है। 'सेवा' शब्दका दोहन करके मैंने यह दूध आपके सामने रख दिया है, एक तो हम बिना उपयोगके किसी की सेवा नहीं कर सकते, और दूसरे सेवा किए बिना यदि हम उपयोग करेंगे तो वह भी गुनाह होगा। हमें यह हरगिज नहीं करना है। ये दो बातें मैंने आपके सामने रखी।

अब हम 'सघ' शब्दका मनन करेंगे।

क्या 'सघ' शब्दमें कोई विशेष दृष्टि नजर आती है? चरखेके लिए सघ हरिजनोके लिए सघ—इस तरह हमने कई सघ बनाये हैं। इसी तरह गो-सेवाके लिए भी यह सघ बना है। इसके साथ-साथ और भी एक अर्थ

इसमें लक्ष्य है। हिंदुस्तानकी भूमिकी और गायकी जो हालत है, उसे देखिए। सम्भवतः बिना साभेके यह काम आगे नहीं बढ़ सकेगा। शायद जगह-जगह इसे सघका स्वरूप देकर ही यह काम करना होगा। गो-सेवा-‘सघ’ शब्दसे इस तरहका भाव दोहन करके अगर हम निकालेंगे, तो उसमें एक गुण और मिल जायेगा। गो-सेवा कार्यमें साभेदारी या साधिक प्रयत्नकी जितनी जरूरत है, उतनी और किसी कार्यमें शायद ही हो। हिंदुस्तानकी आजकी हालतमें हर एक किसान अपने-अपने घरमें गाय पाले, शास्त्रीय दृष्टिसे उसकी हिफाजत करे, यह बात मुश्किल मालूम होती है। इसीलिए गाबोमें साधिक रचना करनी पड़ेगी। यह एक विशेष अर्थ ‘गो-सेवा-सघ’ शब्दसे निकल सकता है।

अब मैं और भी आगे बढ़ता हूँ। गो-सेवा-सघ के कार्यका आरम्भ प्रतिज्ञासे होता है। अभिप्राय यह है कि अगर हम गायके ही दूध-धीका सेवन करेंगे, तो उसकी सेवा करनेकी इच्छा पैदा होगी। इसलिए आरम्भमें गायके ही दूध-धीके सेवनकी प्रतिज्ञा रखनी गई है। कई लोग पूछते हैं, “प्रतिज्ञाकी क्या जरूरत है? बिना प्रतिज्ञाके काम नहीं हो सकेगा?” उत्तरमें मैं अपना अनुभव बता दूँ। मैंने देखा है कि जिस प्रयत्नका आरम्भ सकल्पसे होता है वह जैसे फलता है, वैसे केवल मशाका प्रयत्न नहीं फलता। कोई महान् कार्य सकल्पके बिना नहीं होता। अगर सकल्पसे आरम्भ करते हैं, तो आधेसे अधिक कार्य बही हो जाता है। प्रतिज्ञा मिफं यही नहीं है कि धी-दूध खायेगे या नहीं खायेगे। गायके दूध-धीकी पैदाइश बढ़ानेकी कोशिश करेंगे, यही प्रतिज्ञाका मतलब है।

प्रतिज्ञा लेनेमें अक्सर यह आपत्ति उठाई जाती है कि हम दूसरोंके घर ऐसे नियम लेकर जायेगे तो उनको तकलीफ होगी। इसीलिए इसका जवाब बापूने अपनी अहिंसाकी भाषामें दिया है। मैं अपनी ‘अनादर’ की भाषामें बताना चाहता हूँ। इतना तकल्लुफ हमें क्यों रखना चाहिए। सूर्यको हम उसकी किरणोंसे जानते हैं। वह जहाँ जाता है, अपनी किरणें साथ ले जाता है, चाहे वे किसीको ताप दे, या आह्लाद दे, वह इस बातकी परवाह नहीं

कर सकता। सूर्य अगर अपनी किरणोंको छोड़ता है, तो उसका सूर्यत्व ही जाता रहता है। वैसे ही हमें भी अपनी किरणोंको, यानी अपने उसूलोंको, अपने साथ ले जाना चाहिए। अगर मैं किसीके घरमें अपने सिद्धांतों और विचारोंको छोड़कर प्रवेश करू तो मैं अपने मेरेपनको ही छोड़ देता हूँ,—मैं 'मैं' ही नहीं रह जाता। अगर हम 'स्वत्व' छोड़कर किसीके घर जायेंगे, तो उसको आनंद होगा ऐसी बात नहीं है। इसलिए प्रतिज्ञा जरूर लेनी चाहिए और लोगोंकी कल्पित तकलीफोंके विषयमें निर्भय रहना चाहिए।

अब एक बात और। गाय और भैंसके विषयमें बहुत कुछ कहा गया है। दोनों मनुष्यको दूध देने वाले जानवर हैं। दोनोंमें कोई मौलिक विरोध तो नहीं होना चाहिए। फिर भी, हम गायका ही दूध बरतनेकी प्रतिज्ञा लेते हैं, तो उसका तत्त्व हम लोगोंको जान लेना चाहिए। हिंदुस्तानका कृषि-देवता बैल है। और यह तो सब जानते ही हैं कि हिंदुस्तान कृषिप्रधान देश है। बैल तो हमें गायके द्वारा ही मिलता है। यही गायकी विशेषता है। उसके साथ-साथ गायकी अन्य उपयोगिता हम जितनी बढ़ा सकते हैं, जरूर बढ़ायेगे। लेकिन उसका मुख्य उपयोग तो बैलकी जननीके नाते ही है। बिना बैलके हमारी खेती नहीं होती। इसलिए हमें गायकी तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए और उसकी सार-सभाल करनी चाहिए। ऐसा अगर हम नहीं करने, तो हिंदुस्तान की खेतीका भारी नुकसान करते हैं। जब हम इस दृष्टिसे सोचते हैं, तो भैंसका मामला सुलभ जाता है। और यह सहज ही समझमें आ जाता है कि गायको ही प्रोत्साहन देना हमारा प्रथम कर्त्तव्य क्योंकर हो जाता है।

मुझे याद आता है एक दफा मेरे एक मित्रने उनके प्रातमें अकालके समय जानवर किस क्रमसे मरे, उसका हाल सुनाया था। उन्होंने कहा, सबसे पहले भैंसा मरता है। क्योंकि हम भैंसकी उपेक्षा करके उसे मार डालते या मरने देते हैं। वर्षाके बाजारमें भैंसे ऐसी अवस्थामें लाई जाती हैं जब कि वे एक-दो घंटों में ही ब्यानेको होती हैं। हेतु यह होता है कि लोग उसे तुरत खरीद लें। एक बार एक आदमी ऐसी एक भैंस बाजारको ला रहा था। उसी समय मनोहर-जीने, जो कि उन दिनों येलीकैलीमें महारोगीसेवा मंडल-द्वारा महारोगियोंकी

सेवा करते थे, उसको देखा। रास्तेमें ही वह भैंस व्यायी—पुत्र जन्म हो गया। लेकिन उस आदमीको उस पुत्रजन्मसे बड़ी भुभुलाहट हुई। उसने सोचा, यह पुत्र कैसा? यह तो एक बला आ गई। मनुष्यको तो पुत्र-जन्मसे आनन्द होता है, लेकिन भैंसके पुत्रको वह सहन नहीं करता। उसने उस पुत्रको वही छोड़ दिया और भैंसको लेजाकर वर्षाके बाजारमें बेच दिया और जो कुछ पैसा मिला वह लेकर अपने घर चलता बना, बेचारा भैंस-पुत्र वही पड़ा रहा। मनोहरजी बेचारे दयालु ठहरे। फिरमें पडे कि अब इसका क्या किया जावे? जिस खेतमें वह रहते थे उस खेतके मालिकके पास गये और उससे कहा, “भैया, इसको सभालोगे?” मालिकने कहा, “यह क्या बला आ गई? मैं उसको कैसे रखूँ? आखिर उसका उपयोग ही क्या है? मैं उसकी परवरिश क्यों करूँ? उसको आखिर दशहरेके दिन कत्ल होनेके लिए ही बेचना होगा। इसके सिवा और दूसरा कोई रास्ता नहीं है।”

मैंने यह एक नित्यकी घटना आपके सामने रखी। तो, सबसे पहले बेचारा भैंसा मरता है। फिर उसके बाद गाय मरती है। उसके पश्चात् भैंस मरती है और सबसे आखिरमें बैल। बैल सबसे उपयोगी है और इसीलिए उसकी हिफाजत करनेकी विशेष कोशिशकी जाती है। लोग किसी-न-किसी तरह उसको खिलाते रहते हैं और उसे जिलानेकी कोशिश करते हैं। यह तो हुई उपयोगिताकी बात। बैल इन सब जानवरोंमें सबसे ज्यादा उपयोगी तो साबित हुआ। लेकिन मवाल यह है कि गायकी सेवाके बिना अच्छे बैल कहासे आयेगे? हिंदुस्तानका आदमी बैल तो चाहता है, लेकिन गायकी सेवा करना नहीं चाहता। वह उसे धार्मिक दृष्टिसे पूजनेका स्वाग रचता है। दूधके लिए तो भैंसकी ही कद्र करता है। हिंदुस्तानके लोगोकी यह मशा है कि उनकी माता तो रहे भैंस और बाप हो बैल! यह योजना तो ठीक है, लेकिन वह भगवान्को मजर नहीं है। इसलिए यह मामला बहुत टेढ़ा हो गया है। भैंस और गाय दोनोंका पालन हिंदुस्तानके लिए आज बड़ी मुश्किल बात हो गई है।

लेकिन हमें यह समझ लेना चाहिए कि गो-सेवामें गायकी ही सेवाको

महत्व देना पड़ता है। बापूने कहा कि अगर हम गायको बचा लेंगे, तो भैंसका भी मामला तय हो जायगा। इसका पूर्ण दर्शन तो अभी मुझे भी नहीं हुआ है और शायद उसकी कभी जरूरत भी नहीं है।

गाय और भैंसको एक-दूसरेकी विरोधी माननेकी जरूरत नहीं है। लेकिन हमें तो गो-सेवासे आरंभ कर देना है और वही हो भी सकता है। हमें समझना चाहिए कि आज हम दरअसल भैंसकी सेवा भी नहीं करते। आज हम जो भैंसकी सेवा करते हैं, वह दरअसल न तो गो-सेवा है और न भैंसकी सेवा ही है। हम उसमें केवल अपना स्वार्थ देखते हैं। हम भैंसका केवल सेवाहीन उपयोग करते हैं। जिस प्रकार उपयोग-हीन सेवा हम नहीं कर सकते, उसी प्रकार सेवा-हीन उपयोग भी हमें नहीं करना है।

जैसा कि मैं बता चुका हूँ, आज भैंसकी हर तरहसे उपेक्षाकी जाती है। वस्तुस्थिति यह है कि हिन्दुस्तानके कुछ भागोंमें भैंसका उपयोग भले ही किया जाता हो, लेकिन साधारणतः हिन्दुस्तानकी गरम हवामें भैंसा ज्यादा उपयोगी नहीं हो सकता, भैंसका हम केवल लोभसे पालन कर रहे हैं। नागपुर-बरारमें गर्मियोंमें गर्मीका मान एकसौ पंद्रह अंश तक चला जाता है। खासकर उन दिनोंमें भैंसको पानी जरूर चाहिए। मगर यहाँ तो पानीकी कमी है। पानीके बगैर उसको बेहद तकलीफ होती है। क्योंकि भैंस पूरी तरह जमीनका जानवर नहीं है। वह आधा जमीनका और आधा पानीका प्राणी है। गाय तो पूरी तरह थलचर है। और अक्सर देखा जाता है कि जो पानीवाला जानवर हो, उसके शरीरमें भगवान्ने चरबीकी अधिकता रम्बी है। क्योंकि ठंड और पानीमें बचनेके लिए उसकी उसे जरूरत होती है। मछलीके शरीरमें स्नेह भरा हुआ रहता है। पानीके बाहर निकालने ही वह सूर्यके तापमें जल जाती है। वैसे ही कुछ-कुछ हालत भैंसकी भी है। उसे धूप बरदाश्त नहीं होती। इसीलिए लोग गर्मीके दिनोंमें उसीके मलमूत्रका उसकी पीठपर लेप करते हैं, ताकि कुछ ठंडक रहे। वे जानते हैं कि उस जानवरको उस समय कितनी तकलीफ होती है। देहातोमें जाकर आप लोगोंमें पूछेंगे कि आपके गाँवमें कितनी भैंसें और कितने पाडे हैं, तो वे कहेंगे कि भैंसें हैं करीब सौ-डेढसौ और पाडे हैं

कुल दस, या बहुत तो बीस। अगर हम उनसे पूछेंगे कि इन स्त्री-पुरुषों या नर-मादाओंकी सख्यामे इतनी विषमता क्यों है? तो हमारे देहातोंके लोग जवाब देगे, 'क्या करे? भगवान्की करतूत ही ऐसी है कि भैंसा ज्यादा दिन जीता ही नहीं'। आखिर यहा भी भगवान्की करतूत आ ही गई! यह हमारे बुद्धिनाशका लक्षण है। हम उसकी तकलीफका ध्यान न करते हुए भैंसका उपयोग करते हैं, कि भैंसे जिंदा ही नहीं रहते और नहीं रहेंगे। मतलब, हम भैंसकी सेवा करते हैं, ऐसी बात नहीं है। उसमे हम सिर्फ भैंसका उपयोग ही करते हैं। बाकी उसकी सेवा कुछ भी नहीं करने। इसलिए आपकी समझमे आगया होगा कि सेवा-सघकी स्थापना हम किसलिए करते हैं।

चद लोग पूछते हैं, "हिंदुस्तान एक कृषि-प्रधान देश है, इसलिए खेतीके वास्ते बैल चाहिए और बैल चाहिए तो गाय भी चाहिए, इत्यादि विचार-श्रेणी तो ठीक है, मगर क्या हिंदुस्तानका यही एक अर्थशास्त्र हो सकता है? क्या दूसरा कोई अर्थशास्त्र ही नहीं हो सकता? समय आनेपर हम खेतीका काम ट्रैक्टरमे क्यों न करे?"

उसके जवाबमे मैं यह पूछता हूँ कि ट्रैक्टर चलायेंगे तो बैलका क्या होगा? जवाब मिलता है, "बैलको हिंदुस्तानके लोग खा जाये। हिंदुस्तानके लोग दूसरे कई जानवरोंका मांस बगबर खाते हैं, उसी तरह बैलका मांस भी खा सकते हैं। यह रास्ता क्यों न लिया जाये?" इस तरह जब बैलको खा जानेकी व्यवस्था होगी, तभी ट्रैक्टर द्वारा जमीन जोतनेकी योजना हो सकती है। कहा जाता है कि बैलको अगर हिंदू नही खायेंगे, तो गंर-हिंदू खाये। आज भी हिंदू गायको बेचते ही है। खुद तो कसाईसे पंसा लेते हैं और गो-हत्याका पाप उसे दे देते हैं। ऐसी सुंदर आर्थिक व्यवस्था उन्होंने अपने लिए बना ली है। वह कहता है कि अगर मैं कसाईको गाय मुफ्तमे देता, तो गो-हत्याके पापका भागी होता। लेकिन मैं तो उसे बेच देता हूँ—इसलिए पापका हिस्सेदार नहीं बनता, उस व्यवस्थाको आगे बढ़ायेंगे, तो सब ठीक हो जायेगा। हम भैंससे दूध लेंगे, बैलको खा जायेंगे और यंत्रोंके द्वारा खेती करेंगे—इस तरह तीनोंका सवाल, हल हो जायेगा।

इसके जवाबमें मैं आप लोगोको यह समझाना चाहता हूँ कि बैलको क्यों नहीं खाना चाहिए ? पूर्वपक्षकी दलील यह है कि कुछ प्रेज्युडिस्ड लोग यानी पूर्वग्रह दूषित लोग बैलको भले ही न खाये, लेकिन बाकीके तो खायेंगे और हम यत्रके द्वारा मजेमें खेती करेंगे। इस विषयमें हमारे विचार साफ होने चाहिए। मैं मानता हूँ कि हिंदुस्तानकी आजकी जो हालत है और आगे उसकी जो हालत होनेवाली है, उसहालतमें अगर हम मासका प्रचार करेंगे और यत्रसे खेती करेंगे, तो हिंदुस्तान और हम जिदा नहीं रह सकेंगे। यह समझनेकी जरूरत है। हिंदुस्तानके लोग भी अगर गाय-बैल खाने लगेंगे, तो कितने प्राणियोकी जरूरत होगी ? उतने बैलोकी पैदाइश हम यहाँ नहीं कर सकेंगे। सिर्फ मास, या गोष्ठ खानेका ढोंग तो नहीं करना है। मास अगर खाना है तो वह हमारे भोजनका नियमित हिस्सा होना चाहिए। तभी तो उससे अपेक्षित लाभ होगा। लेकिन हम जानते हैं कि लोग खा सकें इतने बैल पैदा नहीं हो सकेंगे। अगर हम इस तरह करने लगे और खेती ट्रैक्टरके द्वारा होने लगी, तो ट्रैक्टरका खर्च बढ़ेगा और गोष्ठ भी पूरा नहीं पड़ेगा और आखिरमें गाय और बैलका वश ही नष्ट हो जायेगा और उसके साथ मनुष्य भी।

यूरोप और अमेरिकाकी क्या स्थिति है ? दक्षिण अमेरिकाके अर्जेंटाइनके बदरगाह व्युनॉस-आयरिसमें गोज करीब-करीब दस हजार बैल कटते हैं, और वहाँसे गोष्ठके पीपे दूर-दूरके देशोको भेजे जाते हैं। अब तो यह व्यवस्था यूरोपके कामकी नहीं रही। लेकिन वैसे भी अगर यह मिलसिला जारी रहा, तो आगे चलकर लोगोको गोष्ठ मिलना कठिन हो जायेगा, इसलिए यूरोपके डॉक्टरोंने अब यह शोध की है और बहुत सोच-विचारकर निर्णय किया है—संभव है उममें मतभेद होगा, क्योंकि डॉक्टरोंमें मतभेद तो हुआ ही करता है—कि गोष्ठके मुकाबिलेमें दूधमें गुण अधिक है। यह शोध हमारे आयुर्वेदिक वैद्यो और हकीमोंने, बहुत पहले किया है। मैं मानता हूँ कि आज यूरोपके लोग जिस तरह मासाहार करते हैं, उसी तरह हिंदुस्तानके लोग भी पुराने जमानेमें मासाहार करते थे। आखिर वे इस नतीजे पर पहुँचे कि

अगर हम मासके बजाय दूधका व्यवहार करेंगे, तो हम भी जिंदा रहेगे और जानवर भी जिंदा रहेगे। इसलिए ट्रैक्टरका उपयोग हमारा सवाल हल नहीं कर सकता और हमें यह समझना चाहिए कि गोशतके बजाय दूधपर भरोसा रखना सब तरहसे लाजिमी होगा।

मेरी यह भविष्यवाणी है कि जैसे-जैसे जन सख्या बढ़ती जायेगी, वैसे-वैसे दुनिया भरमें गोशतकी महिमा कम होगी और दूधकी बढ़ेगी। पूछा जाता है कि 'आखिर दूध भी तो प्राणिजन्य वस्तु है?' हाँ है तो सही, 'फिर दूधको पवित्र क्यों माना गया?' उसका जवाब अभी मैंने जो कुछ कहा उसी में मिल सकता है। जैसाकि अभी मैंने कहा, एक समय था जब कि हिंदुस्तानमें मासाहार ही चलता था। उस वक्त उसमेंसे बचनेके लिए क्या किया जाये, यह सवाल उत्पन्न हुआ। योगियों और वैद्योंने जब लोगोंके सामने गायके दूध कि महिमा रखी, तबसे दूध ऐसी चीज हो गई जिसने लोगों की मासहारसे छुड़ाया। इसलिए दूध पवित्र माना गया। इसके सबूत आपको वेदोंमें मिल सकते हैं। ऋग्वेदमें यह वचन

गोभिष्टरेम अमतिं दुरेवां,

यवेन क्षुधं पुरुहूत विश्वाम्।

पाया जाता है। इस मंत्रका अर्थ मैंने इस तरह किया है—'भूखको तो हम अन्नके द्वारा मिटा सकते हैं। लेकिन 'दुरेवा अमति' का यानी दुर्भाग्यमें ले जानेवाली अबुद्धिका, अर्थात् गोशतकी तरफ ले जानेवाली अबुद्धिका, गायके दूधके द्वारा ही हम निवारण कर सकते हैं।' सब तरहकी अबुद्धि मिटानेके लिए और उसमेंसे जहर निकालनेके लिए गायका दूध हमारे काम आता है। इसीलिए गायका दूध पवित्र माना गया है। मतलब यह कि कुल मिलाकर यत्रवादी जो ट्रैक्टरपर आधार रखनेकी बात कहते हैं, वह गलत है।' **सर्वोदय : मार्च, १९४२**

१. गोसेवा-संघके सम्मेलनके अवसरपर (१ फरवरी, १९४२ को) अध्यक्षपदसे दिया गया भाषण।

: १४ .

जीवित मृत्यु

कल शामको चार बजे महिलाश्रममें मेरा व्याख्यान था। उस व्याख्यानके लिए मैं बहा पहुँचा। बहने आ बैठी। मैं अपना व्याख्यान शुरू करनेवाला था कि इतनेमें मोटर आई। सदेश मिला कि जमनालालजी बीमार हैं। मुझे बुलाया है। जमनालालजी ऐसे खास बीमार तो थे ही नहीं, सदाकी भाँति वे दोपहरतक अपना काम करते रहे थे इसलिए उनकी बीमारीकी गभीरता में न समझ सका। किंतु व्याख्यान छोड़कर मैं ग.धी-चौक पहुँचा। गाडीसे उतरने ही दिलीप ऊपरसे नीचे आये। उनके चेहरेपर दुःखकी छाया थी, परंतु फिर भी मैं पूरी कल्पना नहीं कर सका। स्वास्थ्यके बारेमें पूछनेपर उन्होंने कहा—“बह तो गये।”

ऐसी अनपेक्षित दुःखदाई, चित्तको हिला देनेवाली खबर सुनकर मुझे क्या महसूस हुआ होगा यह आप समझ सकते हैं। खबर तो क्लेशदायी थी, परंतु मुझे अपने भीतर एक आनंदका आभास हुआ। मनकी उसी अवस्थामें मैं उनके कमरेमें गया। वहाँ जो लोग बैठे थे उन सबके चेहरेपर जब मैंने दुःखकी छाया देखी तो मैंने महसूस किया कि घटना ऐसी ही हुई है जिससे कइयोको दुःख हो सकता है। फिर भी मुझे मानना चाहिए कि मेरी आनंदकी भावनामें कमी नहीं हुई व अग्निदाहपर गीता व उपनिषदों का पाठ करते समय आनंदकी उस भावनाकी सीमा नहीं रही।

मेरी यह अवस्था रातभर ऐसी ही रही। प्रात उठनेपर जमनालालजीके चले जानेसे हम लोगोंकी जो वृत्ति हुई व हमपर जो जिम्मेदारी आ पड़ी उसकी भी पूरी कल्पना हुई। आगेका सब हाल आप समझ सकते हैं।

परंतु मेरी खुशीका कारण मुझे आपको जनाना होगा। जेलमें मुझे मालूम हुआ था कि जमनालालजीने गो-सेवाके कामकी जिम्मेदारी ली है। मुझे सतोष हुआ था। यह कार्य जमनालालजीने उठाया, तो देशको इससे लाभ तो होगा ही, उनके चित्तको भी शांति मिलेगी, लेकिन उनके थके हुए शरीरके

लिए यह काम बहुत ज्यादा होगा, ऐसा मेरा खयाल था। जेलसे छूटनेपर उन्होंने इस नये कामके बारेमे मेरी राय पूछी। मैंने अपना सतोष व्यक्त किया। उनकी अ खोमे आसू चमके। तबसे आजतक इन दो महीनोमें मैंने देखा कि वह खुश थे, उनके चित्तमे प्रसन्नता थी, इसलिए कि उन्हें एक पवित्र तथा आत्मोन्नतिमे सहायता देनेका कार्य मिला और जब वे चल बसे, तब उनकी मानसिक अवस्था जितनी अच्छी थी, उतनी उनके पिछले बीस वर्षोंमे कभी नहीं थी। पिछले बीस वर्षोंसे उन्हें सूक्ष्म आत्मनिरीक्षणकी आदत थी। परंतु मनकी जो उन्नत अवस्थावे अबतक प्राप्तन कर सके थे वह इन दो-तीन महीनोमे उन्होंने बड़ी तेजीसे हासिल कर ली थी। अबकी बार ही मैं देख सका कि जमनालालजीके दिलमे देह-भावका अवशेष भी नहीं रहा था, केवल सेवा-ही-सेवा रही। इससे अच्छी मृत्यु और क्या हो सकती है? अंतिम समयपर सेवा करते रहनेपर मृत्युका प्राप्त होना कितने भाग्यकी बात है! इसलिए इस दुःखदायी घटनामे भी जो सुखदायी बात छिपी हुई है, वह आपके सामने रखनेकी मेरी इच्छा हुई। हमें भी ऐसी मृत्युकी परमेश्वरसे याचना करनी चाहिए।

तुलसीदासने रामायणमे राम-बाली-सवाद दिया है। भगवान् रामका बाण लगनेपर बालीने रामको उलहना दिया। तब वे कहते हैं "ओ मेरे प्यारे बालक, मैंने तो तुझपर बाण नहीं, प्रेम बरसाया है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें जिंदा रख सकता हू। बालीने उस समय जो जवाब दिया वह मननीय है। उसने कहा, "आज तो आपके दर्शन भी मिले और मृत्यु भी। आगे जब मृत्यु मिलेगी तब आपका दर्शन मिलेगा यह कौन बता सकता है? इसलिए मैं अभी मरना ही पसंद करता हूँ। जब आपके दर्शन हो रहे हैं तभी मृत्युका आलिंगन करना मैं अपना भाग्य समझता हू।" इतना कहकर बाली मुक्त हो गये। उन की आत्मा राममय हो गई। चित्तका शोधन करते-करते उच्च अवस्था प्राप्त करनी चाहिए और उसी हालतमे देह छोडनी चाहिए। मेरा विश्वास है कि जमनालालजीको भी ऐसी ही मृत्यु प्राप्त हुई है। इसलिए यह दुःखकी बात नहीं, खुशी और ईर्ष्याकी बात है।

हम उनके अनेक गुणोका वर्णन कर सकते हैं। उनका सबसे बड़ा गुण यह था कि सेवा करते समय वे अपनी सेवाका हिसाब तो रखते ही थे, परन्तु इस सेवाका मापन मुख्यतः अपने हृदयकी परीक्षा लेकर ही करते थे। उनका विश्वास था कि जिस सेवाका परिणाम चित्त-शुद्धिके रूपमें होता हो वही सेवा सच्ची है। जितनी मात्रामे यह परिणाम कम दिखाई देगा उतनी ही वह सेवा अधूरी व जिस सेवासे चित्त-शुद्धि बिल्कुल ही नहीं होती हो वह झूठी। वे हर प्रकारकी सेवाको चित्त-शुद्धिकी कसौटीपर कसा करते थे और चित्त-शुद्धिकी कसौटीको ही वह सेवाकी कसौटी मानते थे। मनकी ऐसी पवित्र अवस्थामे जो जीव शरीर छोड़कर चला जाता है वह जाता ही नहीं बल्कि छोटासा शरीर त्यागकर समाज रूपी व्यापक देहमें प्रवेश करता है। शरीर आत्माके विकासके लिए है, परन्तु जिनकी आत्मा महान् है उनके विकासके लिए मानव-देह छोटा-सा पडता है। ऐसे समय वह महान् आत्माएँ कभी-कभी अपने दुर्बल शरीरको छोड़ जाती हैं व देहरहित अवस्थामे अधिक सेवा करती हैं। जमनालालजीकी यही स्थिति है। आपके व हमारे शरीरमें उन्होंने प्रवेश किया है, ऐसा मैं तो मानता हूँ। इसका असर हम सबपर होगा ही, परन्तु हमे अपने हृदयके द्वार खुले रखना चाहिए। एक छोटी-सी मिसाल उनकी पत्नीकी मैं दूँ। वह एक सीधी-सादी देवी है, विशेष पढी-लिखी भी तो नहीं है, परन्तु जमनालालजीकी मृत्युने उन्हें अपना जीवन सेवा-कार्यमें समर्पण करनेकी प्रेरणा दी। अपनी सारी निजी संपत्ति भी देश-कार्यके ही लिए समर्पण करनेका सकल्प उन्होंने किया। जमनालालजीकी मृत्युका यह परिणाम हुआ। सदेह आत्मा जितना असर नहीं कर पाती उतना या उससे कितना ही अधिक विदेह (यानी देह बिना) आत्माने किया। यह एक ऐसी ही मिसाल है। भविष्यमें ऐंमे और भी उदाहरण हो सकते हैं क्योंकि महान् विभूतियाँ देह छोड़नेपर ही अधिक बलवान् बनती हैं। सतोके उदाहरण हमारे सम्मुख है ही। उनके जीवनकालमें समाजने उनका आदर करनेके बजाय छल ही किया। देह जानेके बाद देह बिना रहकर ही वे लोगोके चित्तपर अधिक प्रभावशाली परिणाम अकित कर सके। ऐसे सतोमें छोटा-सा

ही क्यों न हो जमनालालजीका महत्त्वपूर्ण स्थान है। इसलिए उन्होंने जिस प्रकार अपनी सारी ताकत लगाकर जो सेवा-कार्य किया, उससे भी अधिक शक्तिसे वह कार्य आगे बढ़ाते रहने की प्रेरणा ईश-कृपासे हमें मिल सकती है। यह प्रेरणा ग्रहण करनेके लिए हमारे हृदय-द्वार खुले रहे, इतनी ही प्रार्थना परमात्मासे कर मैं अपनी श्रद्धाजलि समाप्त करता हूँ।^१

सर्वोच्च : मार्च, १९४२

: १५ .

खादीका समग्र-दर्शन

जेलमें तटस्थ चिंतनके लिए थोड़ा-बहुत अवकाश मिल जाता है। इसलिए हमारे आंदोलनके विषयमें और हिंदुस्तान तथा ससारकी सारी परिस्थितिके विषयमें बहुत-कुछ विचार हुआ, चर्चा भी हुई। कुल मिलाकर परिस्थिति बहुत बिगड़ी हुई मालूम होती थी। ऐसे समय कौन-से उपाय करने चाहिए, इसका चिंतन हम बहा करते थे। लेकिन हमारे जेलसे छूटनेके थोड़े ही दिन बाद जापान और अमेरिकाके लड़ाईमें शामिल हो जानेसे परिस्थिति और भी बिगड़ गई। इसलिए जेलमें किये हुए कुछ विचार अधूरे मालूम हुए और कुछ दृढ़ हुए। इस युद्धके विरोधमें हम प्रायः तीन कारण दिया करते थे पहला कारण था युद्धकी हिसकता, दूसरा दोनो पक्षोकी—चाहे वह न्यूनाधिक भले ही हो—साम्राज्यवादी तृष्णा, और तीसरा यह कि हिंदुस्तानकी सम्मति नहीं ली गई। लेकिन जापान और अमेरिकाके मैदानमें कूद पडनेके बाद तो अब करीब-करीब सारा ससार ही युद्धमें शामिल हो गया है। अब यह युद्ध मनुष्यके हाथमें नहीं रहा, बरन् मनुष्य ही युद्धके आधीन हो गया है। इसलिए यह युद्ध स्वैर या मूढ है। हमारे युद्धविरोधका यह और

१. श्री जमनालाल बजाजके निधनपर हुई शोक सभा में (१२ फरवरी, १९४२ को) बिया गया भाषण।

एक नया कारण है। वासुदेव कॉलेज (वर्धा) में भाषण देते हुए मैंने इसीपर जोर दिया था।

लेकिन इस प्रकार ससारके सभी बड़े राष्ट्रोंके युद्धमें शरीक हो जानेसे, हिंदुस्तानकी, जो कि पहलेसे ही एक दरिद्र और विषम परिस्थितिमें ग्रस्त देग है, हालत और भी विषम हो गई है। अंग्रेजी राजसे पहले हिंदुस्तान स्वावलंबी था। इतना ही नहीं, वह अपनी जरूरतें पूरी करके विदेशोंको भी थोड़ा-बहुत माल भेजा करता था। लेकिन आज तो पक्के मालके लिए हिंदुस्तान करीब-करीब पूरी तरह परावलंबी हो गया है। राष्ट्रीय रक्षाके साधन, युद्धविषयक सर्जाम, बगैरामे जो परावलम्बन है, उसकी बात मैं नहीं कहता। हालांकि अगर अहिंसाका रास्ता खुला न हो, तो राष्ट्रीय दृष्टिमें इस बातका विचार भी करना ही पड़ता है। लेकिन मैं तो सिर्फ जीवनोपयोगी नित्य आवश्यकताओंकी ही बात कह रहा हूँ। ये चीजें आज हिंदुस्तानमें नहीं बनती और फिलहाल वे बाहरमें कम आ सकेंगी। लड़नेवाले राष्ट्र युद्धोपयोगी सामग्री बनानेकी ही फिक्रमें होंगे, उनके पाम बाहर भेजनेके लिए बहुत कम माल रहेगा। और इसके बाद भी जो माल तैयार होगा, उसे दूसरे राष्ट्रोंतक न पहुंचने देनेकी व्यवस्था शत्रुराष्ट्र अवश्य करेगे। अमेरिकासे माल आने लगे, तो जापान उसे डूबो देगा और जापानसे तो माल आ ही नहीं सकेगा। इस तरह अगर बाहरसे माल आना कम हो गया या बन्द हो गया, तो हिंदुस्तानका हाल बहुत ही बुरा होगा। पक्का माल यहां बनानेके विषयमें सरकार, अगर हेतुपूर्वक नहीं तो परिस्थितिके कारण उदासीन रहेगी। उसका सारा ध्यान लड़ाईपर केन्द्रित है, इसलिए उसे दूसरी गंभीर योजनाएं नहीं सूझेंगी। गंभीरतासे जो कुछ विचार होगा, वह केवल युद्धक विषयमें ही होगा। अगर सरकारकी यही वृत्ति रही कि हिंदुस्तानका जैसे-तैसे रक्षण—यानी उसे अंगरेजोंके कब्जेमें बनाये रखना—भर हमारा कर्तव्य है, तो कोई ताज्जुब नहीं।

ऐसी अवस्थामें हम कार्यकर्ताओंपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ पड़ती है। उस दिन दादा धर्माधिकारी मेरे पाम आये थे। उनसे मैंने अपनी इस

दशाका जिक्र किया था। उसके विषयमें उन्होंने 'सर्वोदय'में एक टिप्पणी लिखी है। यो लोगोपर यह इलजाम लगाया जाता था कि खादीकी बिक्री काफ़ी नहीं होती, उसके लिए लोगोकी मिन्नते करनी पडती है। अब हमपर यह इलजाम आनेवाला है कि इस लडाईकी परिस्थितिमें लोगोकी माग हम पूरी नहीं कर सकते। ऐसे सकटके समय अगर हम खादीके कामको तरक्की न दे सके, तो खादीके भविष्यके लिए बहुत कम आशाकी गुजाइश रहेगी।

जाजूजीने 'खादी जगत्' द्वारा हाल हीमें एक योजना पेशकी है। उसमें उन्होंने यह प्रमाणित किया है कि सरकार बेकारोको जितने उद्योग दे सकती है, उतने अवश्य दे, लेकिन सरकारकी शक्ति खतम होनेपर भी अगर भूख बाकी रह जाय, तो उतने अशमें खादीको प्रोत्साहन देना सरकारका कर्तव्य है। किसी भी सरकारको खादीका यह कार्यक्षेत्र प्राय मजूर करना पडेगा।

लेकिन इस योजनाका स्वरूप तो ऐसा है कि मानो जहा हम प्रवेश नहीं पा सकते, वहा धीरे-से अपनी पोटली रख देते हैं। हमारे घरपर कब्जा करनेवालेसे हम कहते हैं, "भैया, मकान तेरा ही सही। लेकिन तेरा यह खयाल गलत है कि मकान बिलकुल भर गया है। वह देखो, उस कोनेमें थोडी-सी जगह खाली है। मेरी यह पोटली वहा पडी रहने दो।" हमारा यह आक्रमण मनुष्यसे अपेक्षित न्यूनतम सद्गुणोपर होता है, इसलिए उसका परिणाम अवश्य होता ही है।

परतु इस प्रकारकी अकाल-पीडित खादी खादीकी बुनियाद नहीं हो सकती। आज जिस तरह खादीका उत्पादन और बिक्री हो रही है, वह भी उसकी बुनियाद नहीं है। खादीकी इमारतका वह एक भाग जरूर है। खादीकी अंतिम योजनामें भी उत्पत्ति-बिक्रीका स्थान रहेगा, और आजसे कही अधिक रहेगा। लेकिन वह खादीकी सम्पूर्ण योजनाका एक अंगमात्र है।

उसी तरह आज जगह-जगह जो बस्त्र-स्वावलबन जारी है उससे, यानी इस गावमें चार बस्त्र-स्वावलबी आदमी हैं, उस तहसीलमें सौ-दो-सौ हैं, इसी प्रकार दूसरे गावोंमें भी बस्त्र-स्वावलबन शुरू करते रहनेसे, भी हमारा मुख्य काम नहीं होता। यह तो चौराहोपर जगह-जगह म्युनिसिपैलिटीकी

बतियां लगानेके समान है। इन बतियोका भी उपयोग तो है ही। उनके कारण चारो तरफका वातावरण प्रकाशित रहेगा। लेकिन चौककी बतिया घरके चिरागोका काम नहीं देती। इसलिए यह इस तरह बिखरा हुआ वस्त्र-स्वावलबन भी खादीका मुख्य कार्य नहीं है।

खादीकी नीव तो यह है कि किसान जैसे अपने खेतमें अनाज उपजाता है उसी तरह वह अपना कपडा अपने घरमें बनावे। शायद शुरूसे ही हम इस तरह काम न कर सकते। इसलिए हमने खादीका काम दूसरे ढंगसे शुरू किया। लेकिन यह भी अच्छा ही हुआ। इससे खादीकी गति मिली और लोगोको थोड़ी-बहुत खादी हम दे सके।

लेकिन अब तो लोगोकी खादीकी माग बढेगी। आजके तरीकेसे हम उसे पूरा नहीं कर सकेगे। ऐसी स्थितिमें अगर हम लाचार होकर चुपचाप बैठे रहेगे, तो हम दोषी समझे जायेगे। और यह दोषारोपण न्यायानुकूल ही होगा। क्योंकि खादीको बीस सालका समय मिल चुका है। हिटलरने बीस वर्षोंमें एक गिरे हुए राष्ट्रको खडा कर दिया। उन्नीस सौ अठारहमें जर्मनीकी पूरी तरह हार हो गई थी और उन्नीस सौ अठतीस में वह एक आला दर्जेका राष्ट्र बन गया। रूसने भी जो कुछ ताकत कमाई, वह इन बीस बरसोंमें ही कमाई। इतने समयमें उसने दुनियाको मुग्ध कर देनेवाली विचार और आचारकी एक प्रणालीका निर्माण किया। ये दोनों प्रयोग हिंसामय या हिंसाश्रित है, इसलिए उनकी स्थिरता खतरेमें है, यह बात अलग है। कहा तो यही जायगा कि खादीको भी इसी प्रकार बीस वर्षतक मौका दिया गया। इतने समयमें खादी अधिक प्रगति नहीं कर सकी, इसकी कई वजहे है। इसलिए जर्मनी या रूससे तुलना करके हमें अपने तई अपना धिक्कार करनेकी जरूरत नहीं है। फिर भी ऐसे सकटके मौकेपर अगर हम लाचार बन गए, तो, जैसा कि मैं कह चुका हू, खादीके लिए एक कोना दिखाकर उतनेमें सतुष्ट रहना पडेगा। लेकिन यह खादीकी मुख्य दृष्टि—जिसे अहिंसाकी योजनामें करीब-करीब केन्द्रस्थान है—छोड़ देनेके समान है। कम-से-कम हिंदुस्तानमें तो खादी और अहिंसाका गठ-बंधन अटूट समझना चाहिए।

जब लोगोकी मांग बढ़ेगी तो हम उनसे कहेंगे, 'सूत कातो।' तब लोग कहेंगे, 'हमें पूनिया दो।' हमारे आदोलनमें पूनियोकी समस्या बड़ी टेढ़ी है। पूनियोके बादकी क्रिया अपेक्षाकृत सरल है। लेकिन पूनियोका सवाल हम शास्त्रीय या लौकिक पद्धतिसे अबतक हल नहीं कर सके हैं। तब, लोगेंसे कहना होगा, 'तुम अपने लिए धुनो।' इसमें तातका सवाल आयेगा। पक्की तातकी व्यापक मांग एकदम पूरी नहीं की जा सकती। इसलिए काम रुक जायगा। इसका ज्यो-ज्यो मैं विचार करता हूँ त्यो-त्यो मेरी निगाह उस 'दशयत्र पीजन'पर ठहरती है। पाच और पाचदस अगुलियोसे जो कामहोता है, उसे 'दशयत्र' कहते हैं। सोम रस दस अगुलियोसे निचोडा जाता है। इसलिए वेदोमें 'दशयत्रा सोमा' का उल्लेख है। उसी तरह यह तुनाईका दशयत्रपीजन है। वह बहुत लाभदायी और सारी दिक्कतोसे बचानेवाला साबित होगा। रबर लगानेके नये तरीकेकी खोजने इस दशयत्र-पीजनमें क्रांति कर दी है। उसके कारण यह काम आसान हो गया है। यह बात सच है कि रबर सर्वसुलभ नहीं है। लेकिन उसका भी विचार हो सकता है। और वह भी इस कामके लिए अनिवार्य तो नहीं है। उस दिन मैं खरागना गया था। वहाँ मैंने इस दशयत्र-पीजनका प्रदर्शन किया। दर्शकोमेंसे एकने कहा, 'जरा मैं भी देखू।' और देखते-देखते उसने पन्द्रह-बीस मिनटोमें, अगर अच्छी नहीं तो, साधारण पूनी बना ली। इसे सीखना इतना आसान है। उसकी गति भी व्यवहार-सुलभ है। इस सम्बन्धके कुछ आकड़े वल्लभभाई (भगवानजी) ने अपने एक लेखमें दिये हैं। नागपुर जेलमें मैंने जो प्रयोग किये उनके आधारपर मैंने भी जेलसे ही एक लेख भेजा था। रामदासजी गुलाटीको जब तुनाई करके दिखाई गई, तब वह कहने लगे कि मिल की पूनीके लगभग सभी गुण इस पूनीमें हैं और वैज्ञानिक दृष्टिसे यह पूनी करीब-करीब निर्दोष है। इस दशयत्र-पीजनका सर्वत्र प्रचार करनेके लिए ग्रामसेवा-मंडलमें और अधिक शोध और प्रयोग होने चाहिए।

दूसरी महत्त्वकी बात यह है कि बुनकर खुद कातकर उसी सूतकी स्वादी बुने। इसकी तरफ जाजूजीने सबका ध्यान दिलाया है। हिंदुस्तानमें बुनकरो-

का बहुत बड़ा वर्ग है। लडाईके समय उनके लिए कोई इतजाम नहीं हो सकेगा। इसलिए उन्हें भी इस खादीके काममें लगाना चाहिए। मैं कई तरहके आकडोपर-से इस परिणामपर पहुँचा हूँ कि आज दूसरोका काता हुआ भला-बुरा सूत बुननेके लिए बुनकर जो मजदूरी पाता है, उससे कम मजदूरी उसे अपना सूत बुननेमें नहीं मिलेगी। अपना सूत बुनना उसके लिए अधिक आसान तो होने ही वाला है। इस विषयमें भी व्यापक प्रयोगकी आवश्यकता है।

इसीके साथ-साथ वस्त्र-स्वावलंबी लोगोका सूत जहाका वही बुनवानेका प्रवर्ध करना होगा। इसके लिए स्वावलंबी व्यक्तियोंके सूतमें उन्नति होना जरूरी है। सूतमें उन्नतिकी बात आते ही फिर 'दशयत्र-पीजनपर ही ध्यान जाता है। साधारण 'यत्र-पीजन' वैसे उपयोगी भले ही मान लिया जाय, तोभी लडाईके जमानेकी व्यापक योजनामें वह निरुपयोगी है। मेरा यह दावा है कि उस यत्रसे उतनी शास्त्रीय पूनी नहीं बनती, जितनी इस दशयत्रसे बनती है।

परन्तु इसमें यह मानी हुई बात है कि यह दशयत्र-पीजन या तुनाई कपास में ही होनी चाहिए। आज सब जगह प्रायः सारी क्रियाओंमें रुई ही काममें लाई जाती है। अब रुईकी जगह कपासका उपयोग करना चाहिए। किसानको अपने खेतमेंसे अच्छी बड़ी-बड़ी डोडीवाली कपासका सचय करना चाहिए। फिर उसे सलाई-मटरी जैसे साधनसे ओट लेना चाहिए। इसमें प्रायः एक भी विनोला नहीं बिगड़ेगा। किसान छोट-छोटकर अच्छी-अच्छी डोडिया बीनेगा। इसलिए उसे अच्छा बीज मिलेगा और उसका खेत समृद्ध होगा। इस प्रकार कपाससे शुरू करनेमें अनेक लाभ हैं। रुईसे शुरू करनेमें हम उन्हें गवा देते हैं।

खादीका अर्थ-शास्त्र सचमुच इतनी पुस्तक नीवपर खड़ा है कि उससे सस्ता और कुछ भी नहीं सिद्ध हो सकता। लेकिन उसकी जगह बीचकी ही किसी अलग प्रक्रियाको खादीकी प्रक्रिया मान लेना खादीको नाहक बदनाम करना है।

कार्यकर्ताओंको समग्र-दर्शनके इस विचारपर अच्छी तरह ध्यान देना चाहिए, कहा जाता है किमिले सस्ती पडती है। हम हिसाब करके दिखादेते हैं कि वे महंगी हैं। मिलोमे व्यवस्थापक वर्गका जबरदस्त खर्च, यत्र, यत्रोका घिसना, मालका लाना-लेजाना, मालिकोका अजस्र मुनाफा, आदि कई आपत्तिया स्पष्ट ही हैं। लेकिन फिर भी अगर मिल सस्ती मालूम होती है, तो, या तो उसमे कोई जादू होना चाहिए या फिर हमारे एतराज गलत होने चाहिए। एतराज तो गलत नहीं कहे जा सकते। तो फिर अवश्य तिलस्म है। वह जादू यह है कि मिल एक विराट् यात्रिक रचनाकी जजीरकी एक कडी है। बडे कारखानोमे मुख्य उद्योगके साथ-साथ उससे सबध रखनेवाले दूसरे भी फुटकर उद्योग कराये जाते है। कारखाना उन उद्योगों के लिए नहीं चलता। इसलिए उन्हे गौण पैदावार कहते हैं। इन गौण उद्योगोसे जो आमदनी होती है उससे प्रधान उद्योगको लाभ होता है और यह सब मिला वह कारखाना आर्थिक दृष्टिसे पुसाता है। मिलकी यही स्थिति है। वह एक समग्र विचार-श्रृंखलाकी कडी है।

मिलोके साथ-साथ रेल आई। शक्तिके समय माल लाना-लेजाना उन्का प्रधान कार्य है। यात्रियोको भी उनसे लाभ होता है। लोगोको लबे सफर करनेकी आदत हो जाती है। उनके विवाह-सम्बन्ध भी दूर-दूरके स्थानोमे होने लगते हैं और इस तरह रेल उनके जीवनकी एक आवश्यकता हो जाती है। फिर उससे फायदा उठाकर मिलोके विषयमे सस्तेपनका एक भ्रम पैदा किया जा सकता है।

मने रेलका उदाहरण दिया। ऐसी कई चीजे मिलकी मददके लिए उप-स्थित है। इसलिए मिल सस्ती प्रतीत होती है। अगर सिर्फ मिलका ही विचार किया जाय, तो वह बहुत महंगी होती है। यही नियम खादीके लिए भी लागू करना चाहिए। अगर अकेली खादीका ही विचार किया जाय, तो वह महंगी मालूम होगी। लेकिन ऐसा असबद्ध विचार नहीं किया जा सकता। किसी सुंदर आदमीके अवयव अलग-अलग काटकर अगर हम देखने लगे, तो क्या होगा ? कटी हुई नाक खूबसूरत थोडे ही लगेगी ? उनमे तो आरपार छेद

दिखाई देगे। लेकिन ऐसे पृथक् किए हुए अवयव अपनेमें सुंदर न होते हुए भी, सब मिलकर शरीरको सुन्दर बनाते हैं। जब हम समग्र जीवनको दृष्टिमें रखकर खादीको उसका एक अंग मानेंगे, तब खादीजीवन मिलजीवन की अपेक्षा कहीं सस्ता साबित होगा।

खादीमें लाने-लेजानेका सवाल ही नहीं है। वह तो जहाकी वही होती है। घरकी घर हीमें व्यवस्थित-रूपसे रहती है। याने व्यवस्थापकोका काम नहीं रह जाता। कपड़ेकी जरूरतसे ज्यादा कपास फिजूल बोई ही नहीं जायगी इसलिए कपासका भाव हमारे हाथमें रहेगा। चुनी हुई डोडिया घरपर ही ओटी जायगी, जिससे बोनके लिए बढिया बिनौले मिलेंगे और खेती विशेष सपन्न और प्रफुल्लित होगी। बचे हुए बिनौले बेचने नहीं पडेगे। वे सीधे गायको मिलेंगे और फलस्वरूप अच्छा दूध, घी और बैल मिलेंगे। वस्त्र-स्वावलबनके लिए आवश्यक डोडिया सलाई-पटरी या उसीकी विशेषताए रखनेवाली ओटनीपर ओट ली जायगी। वह ताती साफ रहई आसानीसे धुनी जा सकेगी। वह दशयत्रसे भलीभाति धुनी जायगी और सूत समान तथा मजबूत कत सकेगा। सूत अच्छा होनेके कारण बुननेमें सुगमता होगी। अच्छी बुनावटके कारण वह शरीरपर ज्यादा दिन टिकेगा और कपडा ज्यादा दिन चलनेके कारण उतने अंशमें कपासकी खेतीवाली जमीनकी बचत होगी। अब इस सबमें तेलकी घानी आदि ग्रामोद्योग और जोड दीजिये और और देखिए कि वह सस्ती पडती है कि महगी। आप पायेंगे कि वह बिलकुल महगी नहीं पडती। जब खादीका यह 'समग्र दर्शन' आपकी आंखोंमें समा जायगा, तो खादीकार्यका आरंभ कपासकी बजाय रहईसे करनेमें कितनी भारी भूल होती है, यह भी समझमें आ जायगा। और इसके अतिरिक्त सारा खादीकार्य सागोपाग करनेकी दृष्टि भी प्राप्त होगी।

और एक बात, जिससे समग्र दर्शन और स्पष्ट होगा। यह एक स्वतंत्र विषय भी है। पाच-छ साल पहले मैं रेलमें अपना चरखा खोलकर कातने लगा। वैसे भी मेरी आंखें कमजोर हैं, उसमें फिर गाडीके धक्के लगते थे, इसलिए धीरे-धीरे सम्हलकर कातनेपर भी थोडा-बहुत टूटता ही था।

टूटते ही मैं अपने सिद्धांतके अनुसार उसे फिर जोड़ लेता था। मेरी बगलमें एक बेंठे थे। बी० एस्-सी० पास थे। बड़े ध्यानसे ये सारी बातें निहार रहे थे। थोड़ी देरके बाद बोले, “कुछ पूछना चाहता हूँ।” “पूछिए”, मैंने कहा। वह बोले, “आप टूटे हुए तारोको जोड़नेमें इतना बक्त खोते हैं, इससे उनको वैसे ही फेक देना क्या आर्थिक दृष्टिसे लाभकारी नहीं होगा ?” मैंने उनसे कहा, “अर्थशास्त्र दो तरहका है। एक आंशिक अथवा एकांगी और दूसरा परिपूर्ण। इनमेंसे एकांगी अर्थशास्त्रको छोड़कर परिपूर्ण अर्थशास्त्रकी कसीटीपर परखना ही उचित है।” वह बोले, “दुस्त है।” तब मैंने उनसे पूछा, “आप कहते हैं कि थोड़ा-सा टूटा हुआ सूत अगर अकारण जाय तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन उसकी क्या मर्यादा हो ? कितना फीसदी आप माफ़ फरमायेंगे ?” उन्होंने कहा, “पाच प्रतिशत तक माफ़ कर देनेमें हर्ज नहीं है।” तब मैंने कहा, “पाच प्रतिशत सूत, जो कि जुड़ सकता है, फेक देनेका क्या नतीजा होता है, यह देखने लायक है। इसका यह मतलब है कि कातनेवाला इस तरह सौ एकड़ कपास खेतीमेंसे बेंठे-बेंठे पाच एकड़की उपज यो ही फूक देता है। तातके सौ कारखानोमेंसे पाच कारखानोको बेकार कर देता है। कातनेवालोंके लिए बनाई गई सौ इमारतोमेंसे पाच गिरा देता है। हिसाबकी सौ बहियोमेंसे पाच फाड़ होता है।” इत्यादि इत्यादि।

इसके अलावा, जिसने पाच-प्रतिशत का न्याय स्वीकार कर लिया, उसके सभी व्यवहारोको वह ग्रास कर रहेगा। उससे होनेवाली हानि कितनी भयानक होगी, यह समझना मुश्किल नहीं है। भोजनके वक्त अगर कोई चालीमें बहुत-सी जूठन छोड़कर उठ जाता है, तो हम उसे मस्ताया हुआ कहते हैं। क्योंकि जूठन छोड़नेका यह मतलब है कि वह, किसानके बैलसे लेकर रसोई बनानेवाली मा तक, सबकी मेहनतपर पानी फेर देता है। इसलिए जूठन छोड़नेसे माका नाराज होना काफी नहीं है। हल चलानेवाले बैलको चाहिए वह उसे एक लात मारे और किसानसे लेकर दूसरे सब एक-एक धौल जमाये।

इसीलिए हर चीज सामग्र्यकी दृष्टिसे देखनी चाहिए। इसीलिए

भगवद्गीतामें ईश्वरके ज्ञानके पीछे "असशय समग्रम्" ये विशेषण लगाये गए हैं। हमारे खादीके आंदोलनमें समग्र-दर्शनकी बहुत जरूरत है। हम जब खादीको समग्र-दर्शनपूर्वक आगे बढ़ायेगे, तभी, और केवल तभी, वह व्यापक हो सकेगी। यह हमारी कसौटीका समय है।^१

ग्राम-सेवा-वृत्तसे : सर्वोदय, अप्रैल, १९४२

: १६

उद्योगमें ज्ञान दृष्टि

कलके भाषणमें मैंने सर्वजनोके लिए जो कुछ मुझे कहना था, सो कहा। आज मेरे सामने विशेषकर स्कूलके लड़के और शिक्षक हैं। उन्हींके लिए कुछ कहूंगा।

मेरी दृष्टिसे हमारे शिक्षणमें सबसे बड़ी जरूरत अगर किसी चीजकी है तो विज्ञानकी। हिंदुस्तान कृषिप्रधान देश भले ही कहलाता हो, तो भी उसका उद्धार सिर्फ खेतीके भरोसे नहीं होगा। यूरोपीय राष्ट्र उद्योग-प्रधान कहलाते हैं। हिंदुस्तानमें खेती ही प्रधान व्यवसाय होते हुए भी यहाँ फी आदमी सवा एकड़ जमीन है। इसके विपरीत फ्रांसमें, जो एक उद्योग-प्रधान देश कहलाता है, प्रति-मनुष्य साढ़े तीन एकड़ जमीन है। इसपरसे मालूम होगा कि हिंदुस्तानकी हालत कितनी बुरी है। इसका मतलब यह है कि हिंदुस्तानमें अकेली खेती ही होती है, और कुछ नहीं होता। अमेरिका (सयुक्त राज्य) ससारका सबसे सघन देश है। उसमें खेती और उद्योग दोनों बहुत बड़े परिणाममें चलते हैं। वह युद्धके लिए रोज पचपन करोड़ रुपये खर्च कर रहा है। हमारे देशकी जनसंख्या चालीस करोड़ है। इतने लोगोंको हर रोज भोजन देने के लिए, यहाके हिसाबमें प्रति दिन पाच करोड़ रुपया खर्च लगेगा।

१. ग्राम-सेवा मंडलकी सर्वसाधारण सभामें (९ जनवरी १९४२ को) दिया गया भाषण।

अमेरिका इतना धनवान देश है कि वह रोज जितना खर्च करता है, उसमें हिंदुस्तानको ग्यारह दिन भोजन दिया जा सकता है। हिंदुस्तानकी फी आदमी सालाना आमदनी खेतीसे पचास-साठ रुपये और उद्योगसे बारह रुपये है। इसलिए हिंदुस्तानको कृषिप्रधान कहना पड़ता है। अब जरा इंग्लैण्डकी तरफ नजर डालिए। वहां भी खेतीकी आमदनी, यहाकीही तरह फी आदमी पचास-साठ रुपये सालाना होती है, और उद्योगकी होती है पाच सौ बारह रुपये। इस परसे आपको पता चलेगा कि हमारा देश कहा है। यह हालत बदल देनेके लिए हमारे यहाके विद्यार्थी, शिक्षक और जनता, सभीको उद्योगमें निपुण बन जाना चाहिए। उसके लिए उन्हें विज्ञाप सीखना चाहिए।

(अ) हमारा रसोईघर हमारी प्रयोगशाला होना चाहिए। वहां जो आदमी काम करता हो, उसे किस खाद्य पदार्थमें कितना उष्णाक, कितना ओज, कितना स्नेह है, आदि सारी बातोंकी जानकारी होनी चाहिए। उसमें यह हिसाब करने की सामर्थ्य होनी चाहिए कि किस उन्नके मनुष्य को किस कामके लिए कैसे आहारकी जरूरत होगी।

(आ) शौचको तो सभी जानते हैं। लेकिन स्कूलवालोकाम इतनेसे नहीं चलेगा। 'मैलेका क्या उपयोग होता है? सूर्यकी किरणोंका उसपर क्या असर होता है? मैला अगर खुला पड़ा रहे तो उससे क्या नुकसान है? कौनसी बीमारिया पंदा होती है? जमीनको अगर उसका खाद दिया जाय, तो उसकी उर्वरता कितनी बढ़ती है?'—आदि सारी बातोंका शास्त्रीय ज्ञान हमें हासिल करना चाहिए।

(इ) कोई लडका बीमार हो जाता है। वह क्यों बीमार हुआ? बीमारी मुफ्तमें थोड़े ही आई है? तुमने उसे गिरहसे कुछ खर्च करके बुलाया है। अतिथिकी तरह उसका खयाल रखना चाहिए। वह क्यों आई, कैसे आई, आदि पूछना चाहिए। उसकी उपयुक्त पूजा और उपचार कैसे किया जाय, यह सीखना चाहिए। जब वह आ ही गई है, तब उससे सारा ज्ञान ग्रहण कर लेना चाहिए। इसमें शिक्षणकी बात है। 'वह ज्ञानदाता रोग

आया और गया; हम कोरे-के-कोरे रह गये ।' यह दूसरोके साथ भले ही होता हो, हमारे साथ हरगिज नहीं होना चाहिए ।

(ई) तुम यहा सूत कातते हो, खादी भी बना लेते हो । तुम्हे बघाई है । लेकिन खादी-क्रियाके बारेमें शास्त्रीय प्रश्नोके जबाब यदि तुम न दे सके, तो पाठशाला और उत्पत्ति केन्द्र यानी कारखानेमें फर्क ही क्या रहा ? लेकिन मैं तो अपने कारखानेसे भी इस ज्ञानकी आशा रखूंगा ।

मुझसे कहा गया है कि यहाके लडके अंग्रेजी बगैराकी परीक्षामे पास होते हैं, दूसरे विद्यालयोके लडकोसे किसी तरह कम नहीं है, आदि आदि । लेकिन लडके पास होते हैं इसमें कौनसी बड़ी बात है । हमारे लडके नालायक थोडे ही हैं ? जरा विलायतके लडकोको इतिहास और भूगोल मराठीमें सिखाकर देखिए तो ? देखे कितने पास होते हैं । कई साल पहले बडीदेमें एक साहब आया था । उसने गीताका पूरे बीस वर्षतक अध्ययन किया था । यो उसने अच्छा भाषण दिया । परन्तु वह संस्कृतके वचनोके उच्चारण ठीक नहीं कर सका । उसने कहा—

‘कुरु कर्मैव तस्माद् त्वम्’

(कुरु कर्मैव तस्मात् त्वम्)

बीस-बीस साल अध्ययन करनेपर भी उनका यह हाल है । हमारे यहा सैकड़ो आदमी उनकी भाषामे खूब बोल लेते हैं । लेकिन यह हमारी इस भूमिका ही गुण है । हजारो वर्षोंसे यहा विद्याकी उपासना होती आई है । यह कोई यहाके पाठकोका गुण नहीं है । इसलिए हमे अंग्रेजी भाषाके ज्ञानसे सतोष नहीं मानना चाहिए । हमे आरोग्यशास्त्र, रसायनशास्त्र, पदार्थविज्ञान, यंत्रशास्त्र आदि शास्त्र सीखने चाहिए । शास्त्रो और विज्ञानोकी इस तालिकाको देखकर आप घबराइये नहीं । आप उन्हें उद्योगके साथ बडी आसानीमें सीख सकेगे ।

दो बिद्याएँ सीखना आवश्यक है एक हमारे आसपासकी चीजोको परखनेकी शक्ति, अर्थात् विज्ञान । और दूसरी, आत्मज्ञानपूर्वक सयम करनेकी शक्ति, अर्थात् आध्यात्म । इसके लिए बीचमें निमित्तमात्र

भाषाकी जरूरत होती है। उसका उतना ही ज्ञान आवश्यक है। भाषा चिट्ठीरसाका काम करती है। अगर मैं चिट्ठीमें कुछ भी न लिखू, तो वह कोरा कागज भी चिट्ठीरसा पहुंचा देगा। भाषा विद्याका वाहन है। यह भी कोई कम कीमती बात नहीं है। विज्ञान और आध्यात्म ही विद्या ह। उसीका मैं विचार करूंगा। मेरा चरखा अगर टूट गया, तो क्या मैं रोता बैठूंगा? मैं बढईके पास जाकर उसे सुघरवा लूंगा। उसी तरह, अगर मुझे बिच्छूने काट खाया, तो मुझे रोते नहीं बैठना चाहिए। उसका उपचार करके छुट्टी पानी चाहिए। इसी प्रकार आत्मा की अल्पताका ज्ञान होना चाहिए। उसकी मुझे आदत हो जानी चाहिए। यही मेरी शालाकी परीक्षा होगी। मैं भाषाका पर्चा निकालनेकी भ्रष्टमें नहीं पडूंगा। लडकोकी बोलचालसे ही मैं उसका भाषा-ज्ञान भाप जाऊंगा।

विद्यार्थी भोजन करते हैं और दूसरे लोग भी भोजन करते हैं। लेकिन दोनोंके भोजन करनेमें फर्क है। विद्यार्थीको भोजन ज्ञानमय होना चाहिए। जब विद्यार्थी अनाज पीसेगा और छानेगा, तो वह देखेगा कि उसमेंसे कितना चोकर निकलता है। मान लीजिए कि सेरमें आठ तोले चोकर निकला। यानी दस-प्रतिशत चोकर निकला। यह बहुत ज्यादा हुआ। दूसरे दिन वह पडोसीके यहा जाकर बहाका चोकर तौलेगा। वह देखता है कि उसके आटेमेंसे ढाई तोले ही चोकर निकला है। दस-प्रतिशत चोकर निकलनेमें क्या हर्ज है? उतना चोकर अगर पेटमें जाय, तो नुकसान क्यों होगा?— आदि प्रश्न उसके मनमें उठने चाहिए और उनके उचित उत्तर भी उसे मिलने चाहिए। जब ऐसा होगा, तो, जैसा कि गीतामें कहा है, उसका हर एक काम ज्ञान-साधन होगा। अगर बुखार आया, तो वह ज्ञान दे जायगा। वह भी प्रयोग ही होगा। फिर उस तरहका बुखार नहीं आयगा। जहा हर एक काम इस तरह ज्ञान-दृष्टिसे किया जाता है, वह पाठशाला है और जहा वही ज्ञान कर्म-दृष्टिसे होता है वह कारखाना है।

इस प्रकार प्रयोगबुद्धिसे, ज्ञानदृष्टिसे प्रत्येक काम करनेमें थोडा खर्च तो होगा। लेकिन उससे उतनी कमाई भी होगी। स्कूलमें जो चरखा होगा

वह बढ़िया ही होगा। चाहे जैसे चरखेसे काम नहीं चलेगा। स्कूलमें काम चाहे थोड़ा कम भले ही हो, लेकिन जो कुछ काम होगा, वह आदर्श होगा। कपास तौलकर ली जायगी। उसमेंसे जितने बिनौले निकलेंगे, वे भी तौल लिए जाएंगे। रोजियामेसे जब इतने बिनौले निकले, तब व्हेरममेंसे इतने क्यो, इस तरहका सवाल पूछा जायगा। और उसका जवाब भी दिया जायगा। बिनौला मटरके आकारका होकर भी दोनोंके वजनमें इतना फर्क क्यो? बिनौलेमें तेल होता है, इसलिए वह हलका होता है। फिर यह देखा जायगा कि इसी तरहके दूसरे धान्य कौन-से हैं। इसके लिए तराजूकी जरूरत होगी। वह बाजारसे नहीं खरीदा जायगा। स्कूलमें ही बनाया जायगा। जब हम यह सब करनेका विचार करेंगे, तभीमें विज्ञान शुरू हो जायगा। हरएक काम अगर इस ढंगसे किया जाय, तो वह कितना मनोरंजक होगा? फिर उसे कौन भूलेगा? अकबर किस सन्में मरा, यह रटनेकी क्या जरूरत है? वह तो मर गया, लेकिन हमारी छातीपर क्यो सवार हुआ? मैं इतिहास रटनेको नहीं पैदा हुआ हू। मैं तो इतिहास बनानेके लिए पैदा हुआ हू।

शिक्षककी दृष्टिसे हरएक चीज ज्ञान देनेवाली है। उदाहरणके लिए, मैलेकी ही बात ले लीजिए। वह बहुत बड़ा शिक्षण देता है। मैंने तो उसके बारेमें एक श्लोक ही बना डाला है “प्रभाते मलदर्शनम्” (सबेरे मैलेका दर्शन करो)। सबेरे मैलेके दर्शनमें मनुष्यको अपने स्वास्थ्यकी स्थितिका पता चलता है। मैलेमें अगर मूगफलीके टुकड़े हो, तो वे पेटपर पिछले दिन किए हुए अत्याचार तथा अपचनका ज्ञान और भान करावेंगे। उसके अनुसार हम अपने आहार-विहारमें फर्क कर लेंगे। आप चाहे कितनी ही सावधानी और सफाईसे रहिये, आखिर मैला तो गदा ही रहेगा। सबेरे उसके अवलोकनसे देहासक्ति कम होगी और वैराग्य पैदा होगा। मा जाडोमें जिस तरह बच्चोको कपड़ेसे ढकती है, उसका कोई भी अंग खुला नहीं रहने देती, उसी तरह हम भी बड़ी सावधानीसे सूखी मिट्टीसे अगर मैलेको ढक दे और यथासमय उसे खेतमें फेंका दे, तो वही मैला हमारी लक्ष्मीको बढ़ायेगा।

इसी तरह पाठशालामें प्रत्येक काम ज्ञानदायी और व्यवस्थित होगा । लडका बैठेगा, तो सीधा बैठेगा । अगर मकानका मुख्य खभा ही झुक जाय, तो क्या वह मकान खडा रह सकेगा ? नहीं । उसी तरह हमें भी अपने मेरु-दडको हमेशा सीधा रखना चाहिए । पाठशालामें यदि इस प्रकारसे काम होगा, तो देखते-देखते राष्ट्रकी कायापलट हो जायगी । उसका दुःख-दैन्य गायब हो जायगा, सर्वत्र ज्ञानकी प्रभा फैलेगी ।

स्कूलमें होनेवाला प्रत्येक काम ज्ञानका साधन बन जाना चाहिए । इसके लिए स्कूलको सजाना होगा । अच्छे-अच्छे साधन जुटाने होंगे । श्री रामदास स्वामीने कहा है, 'देवताका वैभव बढाओ ।' लोगोको अपने घर मजानेके बदले शालाएँ सजानेका शौक होना चाहिए । उन्हें शालाकी आवश्यक चीजे उपलब्ध करा देने चाहिए । लेकिन इतना ही बस नहीं है । एकाध दानवीर मिल जाता है और कहता है, 'मैंने इस शालाको इतनी सहायता दी ।' लेकिन अपने लडकोको किस स्कूल में भेजता है ?— सरकारी स्कूलमें । सो क्यों ? अगर आप राष्ट्रीय पाठशालाओको दानके योग्य मानते हैं, तो उन्हें सब तरहसे सपन्न और सुशोभित करके अपने लडकोको वही क्यों नहीं भेजते ?

लडके राष्ट्रके धन हैं । लेकिन उनके भोजनमें न दूध है, न घी । फी लडकेका मासिक भोजन खर्च ढाई रुपये है । इसे क्या कहा जाय ? हम सारे राष्ट्रकी अवस्थाको भूल नहीं सकते, यह तो माना । लेकिन फिर भी जितना कम-से-कम जरूरी है, उतना तो मिलना ही चाहिए । पिछले दिनोंमें यह गिकायत थी कि जेलमें कैदियोंको उचित खुराक नहीं मिलती, दूध नहीं मिलता । गांधीजीकी सूचनासे बाहरके डाक्टरोंने यह तय किया कि निरामिषभोजी व्यक्तिके लिए कम-से-कम कितने दूधकी जरूरत है । उनके निर्णयके अनुसार हरएक व्यक्तिको कम-से-कम तीस तोले दूध मिलना चाहिए । और सरकार अगर कैदियोंको रखती है, तो उसे उनकी कम-से-कम आवश्यकता पूरी करनी ही चाहिए । लेकिन अगर हम अपने विद्यालयोंमें ही इस नियमपर अमल नहीं करते, तो सरकारसे आशा

करना कहातक शोभा देगा ? लडकोको दूध मिलना ही चाहिए । उन्हे अच्छा अन्न मिलना ही चाहिए । वरना उनमे तेज नही पैदा होगा ।

मैने कुछ बाते शिक्षकोके लिए, कुछ छात्रोके लिए और कुछ औरोंके लिए कही हे । ये सब मेरे अनुभवकी बाते हे । आशा हे कि उनका उचित उपयोग होगा ।'

ग्राम-सेवा वृत्तसे : सर्वोदय, मई १९४२

. १७

ग्राम-सेवाका तंत्र

मैने आज मुख्यत मगनवाडीके विद्यार्थियोंके दर्शनके लोभसे यहा आना स्वीकार किया । मै प्रमाणपत्र देने आया ही नही हू । क्योंकि प्रमाणपत्रमे मुझे श्रद्धा नही हे । जिन विषयोमे मुझे प्रमाणपत्र मिले, उन विषयोका मेरा ज्ञान नहीके बराबर हे और जिन विषयोमे मैने परीक्षा ही नही दी, उनका मुझे अच्छा ज्ञान हे । लेकिन यहा दिये गये प्रमाणपत्र परीक्षाके नही हे, इसलिए मै आशा करता हू कि वे निरर्थक नही ठहरेगे ।

यहासे विद्यार्थी देहात जायेगे । उन्होने देहातकी सेवाके लिए ही शिक्षण पाया हे । इस समय देहातमे कार्य करनेकी काफी गुजाइश हे । और मै समझता हू कि आप सब लोग गावोमे जाकर किसी-न-किसी उद्योगको शुरू करेगे । लेकिन आपको वहा बहुत सावधानीसे रहना होगा । देहातियोके जीवनका मान (दर्जा) बहुत कुछ नीचा हे । लेकिन उनका सेवाका मान बहुत ऊचा हे । इसलिए आजतक केवल सतोने ही देहातोकी सेवा की हे । दूसरोने तो उन्हे अपने फायदेके लिए चूसा हे । इसलिए वहा सेवाका प्रमाण पत्र आसानीसे नही मिलता । वहा हमें रातदिन अतद्रित रहकर काम करना होगा । देहातके लोग अपढ हे; इसलिए हमे यह न समझना चाहिए

१. तुमसरकी 'तिलक राष्ट्रीय शाला'के विद्यार्थियों और गांवके तरुणोंकी सभामें (१४ फरवरी, १९४२ को) किया प्रवचन ।

कि हमारी अल्पस्वल्प विद्यासे काम चल जायगा। यह सही है कि देहातियोमे इल्म और हुनरकी कमी है। लेकिन वे अपने कामसे बाकिफ हैं। जो काम करते हैं, सो ठीक-ठीक करते हैं। उदाहरणके लिए खेतीके कामको ही ले लीजिए। उस उद्योगमे वे काफी होशियार होते हैं। इसलिए यह नही समझना चाहिए कि हमारे अधकचरे ज्ञानसे काम चल जायगा। हमारे ज्ञानकी कसौटी होगी। इसलिए हमें अतन्द्रित रहना होगा। यह कहनेका रिवाज-सा पड गया है कि देहाती लोग आलसी होते हैं। यह आक्षेप बिल्कुल ही बेबुनियाद हो, सो बात नही। लेकिन बहुत बड़े अशमे वह दत्तकया ही है। शहरोकी तरह देहातोमे भी कुछ लोग निठल्ले होते हैं। लेकिन जिस कामको वे करते हैं, उसे इतना करते हैं कि उससे अधिककी अपेक्षा नही की जा सकती। ऐसी स्थितिमे देहातमे अगर हमारी उद्योगशीलता अपर्याप्त साबित हुई, तो हमे परीक्षामे फेल हुए समझना चाहिए।

जब हम देहातमे जायगे, तो हमारे सामने एक विराट जगत खुलेगा। कई स्त्री-पुरुषोसे सपर्क होगा। हमारा ध्यान अचूक उनके गुणोकी तरफ ही जाना चाहिए। दोषोकी तरफ प्रवृत्ति हरगिज नही होनी चाहिए। मनुष्यके चित्तको घरकी उपमा दिया करता हू। घरमे दीवारे होती हैं। और दरवाजे होते हैं। मनुष्यके गुण उसके चित्तके दरवाजे हैं और दोष दीवारे। बिल्कुल गरीब से गरीब के मकानमे भी एकाध दरवाजा तो होता ही है। गुणके दरवाजेमेमे ही मनुष्यके चित्तमे प्रवेश करना चाहिए। दरवाजे मेसे अन्दर जाना सगल है। दीवारमे से घुसनेकी कोशिश की जाय, तो सिर फूटेगा। वं घोमेसे जो किसीके चित्तमे प्रवेश करनेकी चेष्टा करेगा, उसकी यही हालत होगी। इसलिए गुणग्राहक वृत्ति होनी चाहिए। दर-असल हमे सभी स्त्री-पुरुषोमे भगवान्की मूर्तिया दिखाई देनी चाहिए। जब ऐसा होगा, तब हमारा कार्य सुकर होगा।

हम ससारमे नाना वादोकी चर्चा सुनते हैं। अनेक पक्ष देखते हैं। लेकिन सेवकोको सभी वादो और पक्षोसे अलग रहना चाहिए। हमारे लिए सारे ससारमे दो ही पक्ष हैं। एक सेवक और दूसरा सेव्य या स्वामी।

हम खुद सेवक हैं और दूसरे सब स्वामी । हमे स्वामीकी सेवासे ही सतोष मानना है । यही सेवकका धर्म है । सेवकको दलबदियोसे क्या मतलब ? देहातमे गुटबन्दिया भरपूर होती हैं । यह भी नहीं कि उनके पीछे कोई सिद्धांत होता हो । प्रायः द्वेष और स्वार्थ होता है । सेवकको इस तरहके किसी भी दलमे नहीं पडना चाहिए । उसे निष्पक्ष रहकर सेवा करनी चाहिए । सेवा करना ही उसका काम है । हमारी सेवासे कौन खुश होता है और कौन नाराज, इससे हमे क्या करना है ? हृदयस्थ-भगवान् प्रसन्न हो, इतना काफी है ।

उद्योग और विद्या अलग-अलग नहीं हैं । जहा इन्हे अलग कर दिया जाता है, वहा दोनो बेकार हो जाते हैं । विद्याको अगर सिर कहा जाय, तो उद्योग उसका धड़ कहलायेगा । दोनोको अलग करना, दोनोको मार डालना है । अर्थात् राहूके जैसी हालत हागी । लेकिन यहा तुम्हे विद्या और उद्योगका लाभ एकत्र हुआ है । तुम्हे उद्योगके साथ-साथ ही विद्या दी गई है । अतः तुम्हारी विद्या वीर्यहीन नहीं होगी । तो भी अब देहातमे जानेपर तुम्हे कई भिन्न-भिन्न काम करने पडेगे । प्रबध देखना, हिसाब लिखना, पढाना, प्रसंगवश व्याख्यान देना, आदि कई बाते ग्राम सेवाके सिलसिलेमे करनी ही पडती है । लेकिन मैं कहूंगा कि इन सब कामोको करते हुए भी तुम्हे रोज कुछ समय प्रत्यक्ष उद्योगमे बिताना चाहिए । इससे तुम्हारी विद्या ताजी रहेगी, तुम्हे नये-नये शोधोका ज्ञान रहेगा और नये शोध सूझते रहेंगे । कई बार ऐसा पाया जाता है कि अच्छे-अच्छे उद्योगमे निपुण लोग भी जब सेवा-कार्य करने लगते हैं, तो शरीरश्रम करना भल जाते हैं । कहते हैं, 'वक्त ही नहीं मिलता ।' लेकिन इससे कार्यकर्ताओकी तथा उनके कार्यकी हानि ही हुई दिखाई देती है । उद्योगसे नित्य परिचय न रहनेके कारण ज्ञान पिछड जाता है । फिर पुराने ज्ञानकी पूजीसे ही काम चलाया जाता है । यह ठीक नहीं है । इसलिए ग्राम-सेवकको प्रतिदिन कुछ समय—मेरे विचारमे, अगर सभव हो तो, आधा समय—उद्योगके लिए देना चाहिए । उसे ग्रामसेवाका अंग ही समझना चाहिए ।

आप देहातोमे जायंगे; लेकिन वहाकी जमीन कडी होती है। यहां सस्थामे तुम्हारे लिए सारी सुभीतेकी चीजे मौजूद है। देहातोमें सब अ-सुविधाए मौजूद होगी। फच्चर टूट गई, बढईगीरी आती नही, बढई मिलता नही, कोलू रूका पडा है—ऐसी अवस्थामे हिम्मत नही हारनी चाहिए। धीरज रखना चाहिए। छोटी-से-छोटी बातका पूरा-पूरा ध्यान होना चाहिए। बल्कि छोटी चीजोको अधिक महत्व देना चाहिए। बडी बाते सहसा कोई भूलता ही नही; क्योकि वे बडी ठहरी। इसलिए छोटी मालूम पडनेवाली बातोपर ही अधिक ध्यान देना चाहिए। अन्यथा उनके ज्ञानके अभावमे कही गाडी न रुक जाय। बुनाईमें खासी निपुणता प्राप्त करके एक आदमी देहातमे करघा लगाकर बैठे। लेकिन वह बुननेमे निपुण होते हुए भी करघा जमाना भली-भांति नही जानता था। इसलिए उसके करघेपर कपडा, जितना चाहिए, उतना अच्छा नही बुना जा सकता था। जो कोई उस करघेपर कपडा बुनने जाता, उसका कपडा बिगड जाता। यह किस बातका नतीजा था? करघा जमाना एक तुच्छ बात है ऐसा समझकर उसपर ध्यान न देनेका ?

मुझे जो कुछ कहना था, मैंने थोडेमे कहा है। तुम्हें आज यहा सस्थाकी तरफसे प्रमाणपत्र तो मिले है, लेकिन सच्चे प्रमाणपत्र जनतासे ही प्राप्त करने है। और वे तुम्हे सच्ची सेवाके गुणके लिए ही मिलेगे।

अंतमें आशा करता हू कि आपलोग देहातोमे जाकर जनताकी भली-भांति सेवा करके वास्तविक प्रमाणपत्रोके अधिकारी बनेंगे।^१

ग्राम-सेवावृत्तसे : सर्बोच्च, जून १९४२

१. भगनवाड़ी (बर्धा) में ग्राम सेवाक विद्यालयके पञ्चोदान सनारंभके अवसर पर (२९ अप्रैल, १९४२ को) अध्यक्ष-पदसे दिया गया भाषण।

: १८ :

कृपया तशरीफ ले जाइये

मेरा आज व्याख्यान देनेके लिए आनेका इरादा नहीं था। जो भाई पहले मुझे बुलाने आये थे, उनको लौटा भी दिया था। उन्होंने कहा कि फलाने बड़े सज्जनने आकर हमे समझाया है, तुम भी आओ। लेकिन मेने सोचा, जब इतने सज्जन पहले ही आ चुके हैं और आ रहे हैं, तो मेरे जानेकी जरूरत नहीं। यानी जो कारण वे भाई मेरे यहा आनेके लिए बतला रहे थे, वही मेरी दृष्टिमें न आनेके लिए अच्छा कारण था। लेकिन गोपालरावने बहुत आग्रह किया, इसलिए आना पडा।

मेरा न आनेका दूसरा भी एक कारण था। आजकल जितने मंह उतने विचार बोले जाते हैं। मतभेदोका बाजार-सा लग रहा है। इस हालतमें मेने सोचा कि जब इतने आदमी आपको अपनी-अपनी राये सुना चुके हैं, तो मेरा अपनी राय सुनाना शायद आपकी बुद्धिको अधिक भ्रममें डाल दे। गीतामें भगवानने अर्जुनसे कहा है कि बहुत सुन-सुनकर तेरी बुद्धिमें भ्रम पड गई है। इस भ्रमजालमेंसे जब छूटेगा, तब कही तुझे सच्चा ज्ञान होगा। आपके यहा पहले अगर दस आदमी आ चुके हो, तो मैं ग्यारहवा आकर समझ है, कि आपकी बुद्धिमें अधिक भ्रम पैदा कर दू। इससे कार्यकी हानि ही होगी। यह सोचकर मैं आना नहीं चाहता था। लेकिन आग्रहवश आना पडा।

जवाहरलालजी बहुतदफा मौजूदा सरकारकी कडी टीका किया करते हैं। वह कहते हैं कि इसका कारोबार इतना अव्यवस्थित और निकम्मा है कि उससे बढकर निकम्मा दूसरा हो ही नहीं सकता। इस सरकारकी अक्षमताका का पार नहीं है। उनकी टीकासे मैं पूरी तरह सहमत हू। लेकिन मेरे विचारमें यह हाल सिर्फ हिंदुस्तानकी सरकारका ही नहीं; दुनियाकी सभी सरकारोका है। लेकिन हिंदुस्तान-सरकारकी एक खुसूसियत है; उसने यहाकी प्रजाको नि घस्र बना रखा है। इसलिए वह बडी निश्चित होकर बड़े आरामसे

राज्य करती थी। अब अचानक आफत आ गई है। उसका सामना करनेकी बुद्धि और ताकत अब हमारी सरकारमें नहीं है। लेकिन यह भारत-सरकारकी विशेषता है। परन्तु आज तो जगतके सभी राज्यतन्त्र बेकार साबित हो चुके हैं। इसका एक कारन है। उसपर आपको ध्यान देना चाहिए। जैसे-जैसे यन्त्रोकी क्षमता बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे बुद्धिकी क्षमता घटती जाती है। इसलिए जहा देखिए, अव्यवस्थाका ही साम्राज्य फैला हुआ है।

जबसे अमेरिका जैसा बड़ा और प्रतापी राज्य युद्धमें शामिल हुआ है, तबसे युद्धका सारा कारोबार अमेरिकाकी ही सलाहसे चलता है। चौबीस हजार मील लंबी दुनियाका सारा व्यवहार अमेरिका कहता है, हम करेगे। सामान इधरसे उधर हमारी सलाहसे जायगा, यूरोपका उद्धार हमारे अरिये होगा, हिंदुस्तानको हम बचायेंगे, जापा नका मुकाबला हम करेंगे, आस्ट्रेलियाकी मदद हम करेंगे।

अमेरिकाकी तरफसे उसके अध्यक्ष, रूजवेल्ट यह कह रहे हैं। जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति होता है वही अध्यक्ष चुना जाता है, ऐसी बात नहीं। पुराने जमानेमें राजाका पुत्र राजा बनता था। कभी-कभी नसीबसे वह बुद्धिमान होता था। उसी तरह आज जो व्यक्ति चुने जाते हैं, वे भी नसीबसे ही बुद्धिमान होते हैं। ज्यादा सभव यही है कि उनमें अधिक बुद्धि नहीं होती। जिनमें बुद्धि कम और अहंकारकी मात्रा अधिक होती है, वे ही अक्सर चुने जाते हैं। क्योंकि ऐसे व्यवहारोंमें वे ही पडते हैं। बुद्धिमान तो दूर-दूर ही रहते हैं, क्योंकि वे दुनियापर कम-से-कम सत्ता चलानेमें ही बुद्धिमानों समझते हैं। इसलिए याने अपती इस निष्ठाके कारण ही, राजकाजमें कम दखल देते हैं। अक्सर जो लोग राष्ट्रके नेता बन जाते हैं, वे बुद्धिसे श्रेष्ठ नहीं होते। उस देशकी आम जनताकी बुद्धिसे चाहे उनकी बुद्धि कम न हो। शायद कुछ अधिक भी हो। तो भी वे बुद्धिमान नहीं कहे जा सकते।

इसके अलावा, उनसे जब कोई सलाह पूछी जाती है, तो उन्हें फौरन जबाब देना पड़ता है। फौरन पूछने और फौरन जबाब देने के क्षीघ्र बीजार

तैयार हुए हैं। पाच दस मिनटमें दुनियाभरके कारोबारका जवाब देना पडता है। यह कोई हसीकी बात नहीं है। बेचारे क्या करें? जैसा सूझता है, जवाब देते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि कारोबार बुद्धिसे नहीं चल रहा है। सारा नसीबका खेल है।

इसलिए जबसे अमेरिका युद्धमें शामिल हुआ, तभीसे मुझे यह विश्वास हो गया कि यह युद्ध अब मानवके हाथमें नहीं रहा, बल्कि मानव ही युद्धके हाथमें चला गया है। जावा और मलायामे इनकी बुद्धि चकरा गई। सूझबूझ घरी रह गई। तबसे सामान्य मनुष्यको भी यह शका होने लगी है कि इतना बडा साम्राज्य चलानेवालोंमें बुद्धिकी इतनी पोल और व्यवस्था-शक्ति की इतनी कमी कैसे रह गई। सिंगापुर और बर्मामें इनकी ऐसी दुर्दशा क्यों हुई?

वे कह सकते हैं कि तुम लडाईसे दूर-दूर रहते हो, इसलिए ऐसी बातें कर सकते हो। हमें जो सूझता है वह करते हैं। तुम अगर हमारी जगह होते और इतनी बडी जिम्मेवारी तुमपर होती, तो हमसे भी ज्यादा गलतियाँ करते।

मैं कबूल करता हूँ कि हम काफी भूले करते। लेकिन मैं यह पूछता हूँ कि यह जिम्मेवारी आपके सिर पर डाली किसने? वे जवाब देते हैं, "इतिहासने डाली है। पहले ईस्ट इण्डिया कंपनी कायम हुई, इस देशसे तिजारत शुरू हुई, क्लाइवने ब्रिटिश राज्यकी नींव डाली, वारन हेस्टिंग्सने बाकायदा राज्यकारबार जारी किया। इस तरह इतिहासने धीरे धीरे जिम्मेवारी हमें सौपी। अब हम उसे छोड़ नहीं सकते।"

हम कहते, "अगर आप इतने दूरसे यहाँ आ सकते थे, तो जा भी नहीं सकते हैं क्या? क्या वापस जानेसे इतिहासके पृष्ठ आपको रोकते हैं? जैसे आनेका इतिहास बना, वैसे जानेका भी तो इतिहास बन सकता है। आनेका इतिहास भद्दा और भयानक है। वापस चले जानेका इतिहास उज्ज्वल और खूबसूरत होगा। उसमें सुन्दरता और नीतिकता होगी। आप ऐतिहासिक जिम्मेवारीके बोझसे नाहक क्यों दबे जा रहे हैं!"

दूसरे राष्ट्र भी इसी ऐतिहासिक जिम्मेवारीके भ्रमजालमें फंसे हुए हैं। वे नहीं जानते कि इतिहास आखिर मानवकी ही करतूत है। इतिहास हमको बनाता है यह कुछ बशोंमें सही है। लेकिन उसी तरह यह भी सही है कि हम भी इतिहासको बनाते हैं। आज तो ऐतिहासिक जिम्मेवारीका ढकोसला नाहक हमारे सामने रचा जा रहा है ? रूडवेल्ड कहता है, “प्रशात महासागर अमेरिकाकी बगलमे है। उसकी और उसमें बसे हुए टापुओकी जिम्मेवारी हमारी है।” जापान कह सकता है कि हमारा तो टापू ही प्रशात महासागरमें बसा हुआ है। इसलिए हमारी जिम्मेवारी विशेष है। इस तरह यह जिम्मेवारियोंका व्यर्थका भगडा चलता है।

लेकिन मेरे विचारमें सबसे भयानक वस्तु यह है कि इस हत्याकांडमें आम जनताको निष्कारण दाखिल किया जाता है। जिस जनताको युद्धसे कोई मतलब नहीं है, उसका खून बहाया जाता है, उसके नामपर दूसरे लोगोका खून बहाया जाता है। यह सारी व्यवस्थापकोकी करतूत है। उसमे आम जनताका कोई लाभ नहीं है। इसलिए दुनियाभरके व्यवस्थापकोसे हम कहते हैं कि अब आप व्यवस्था छोड दीजिये। तभी हम सुखी होगे। हम अपने यहाके व्यवस्थापकोसे प्रार्थना करें। अमेरिका, इंगलैण्ड, जापान, जर्मनी, अपने-अपने व्यवस्थापकोसे विनती करे। न मालूम वहांके लोगोको कब सूभेगी। कम-से-कम हम तो शुरू कर दे। हम उनसे कहें कि तुमने हजार सालसे व्यवस्थाके कई प्रयोग किये। हमे कोई सुख नहीं हुआ। आपकी व्यवस्थामे कई उलट-फेर हुए। एकमेंसे दूसरी व्यवस्था कायम की गई। कई क्रातिया हुई, लडाइया हुई। लोगोका व्यर्थ संहार हुआ। आपने बहुत प्रयोग कर लिये, अब बस कीजिये। ज्यादा-से-ज्यादा अव्यवस्था और पीडा व्यवस्थापक वर्ग ने ही दी है। आपने काफी कोलाहल मचा दिया। अब मेहरबानी करके हट जाइये; तो हममे ज्यादा शक्ति आयेगी, दुःख मिट जायगा और सुख होगा।

व्यवस्थापक वर्ग कहता है, तुम्हारी व्यवस्थाके लिए हमारी जरूरत है। हम कहते हैं, हमारी कौन-सी जरूरतें तुम पूरी करते हो ? हमे भूख लगती

है। परमात्माकी दी हुई जमीन में हम खेती करते हैं। व्यवस्थापक वर्ग खेती नहीं करता। खेती के द्वारा फसल पैदा करनेकी कला परमात्माकी कृपासे और दस लाख सालके अनुभवसे प्राप्त हुई है इसलिए हमारी भूख मिटानेके लिए तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। प्यास बुझानेके लिए भी तुम्हारी जरूरत नहीं है। बारिश होती है, जलाशयोमें पानी भर जाता है। इस तरह हमें जमीनमेंसे अन्न और आस्मानसे पानी मिल जाता है। अब रही हवा। उसके लिए भी व्यवस्थाकी जरूरत नहीं। परमात्माने हर एकको एक-एक नाक दी है। दस आदमियोंको मिला कर एक नाक नहीं दी। ऐसा तो नहीं होता कि एक आदमी अपनी नाकमें हवा बटोर ले और उसे दस आदमियोंमें बांट दे। आपस-आपसके व्यवहारकी भी वही बात है। नीति-शास्त्रसे हमने विवाह करके कुटुम्ब-संस्था बनाना सीखा है। सतोंने हमें पड़ोसी से प्रेम करना सिखाया है। इस प्रकार हमारी सारी जरूरतें पूरी हो जाती हैं। राज्यव्यवस्थापकोंकेलिए अब बचता ही क्या है ?

सिर्फ एक वस्तु बाकी रह जाती है। किसानकी जितनी फसल होगी, उतनी सारी वह कैसे खायगा। आस्मानके पक्षी और जमीनके चूहे कुछ हिस्सा बटा लेते हैं। लेकिन तो भी अन्नके ढेर लग जायगे। किसान उनका क्या करेगा ? इसलिए किसानको बोझ कम करनेकी जरूरत है। और व्यवस्थापक-वर्ग उसकी पैदावार का कुछ हिस्सा इसीलिए ले लेता है। हम कहते हैं कि किसानके बोझकी फिक्र आप न किजिये। वह कम अनाज पैदा करेगा। उसे आराम मिलेगा। उसके लिए उसे आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं।

इस तरह जीवनके सभी कार्य व्यवस्थापक-वर्गके बिना ही संपन्न हो जाते हैं तब व्यवस्थापक-वर्ग कहता है, कि हम आपको तालीम देते हैं, आपकी रक्षा करते हैं। इधरका सामान उधरले जानेमें मदद करते हैं।

इन कामोंके लिए भी हमें व्यवस्थापक-वर्गकी जरूरत नहीं है। बच्चा आस्मानसे तो नहीं टपकता। वह बे-मा-बापका नहीं होता। पैदा होतेही माके स्तनमें उसके लिए दूध पैदा होता है। इस तरह मातासे उसे रक्षण

मिलता है। माता ही उसे मातृभाषा सिखाती है। इस प्रकार उसे रक्षा और तालीम मिल जाती है। तालीमके लिए उसे तीसरेके सुपुत्र करनेका सवाल ही कहा है? हां, बच्चा अगर बिना मां-बापके पैदा होता, तो यह सवाल कठिन हो जाता। बच्चेको मा-बापसे जो शिक्षा मिलती है, उससे अच्छी शिक्षा और कहां मिल सकती है? आज तो शिक्षाके नाम पर ढोंग-ही-ढोंग चलता है। अच्छी तालीम किसे मिली, इसका उपनिषदोंमें अच्छा वर्णन दिया है—‘मातृमान्, पितृमान्, आचार्यवान्’। ‘जिसके माता, पिता और आचार्य हैं, उसने उत्तम शिक्षा पाई है’। पहली दो बातें व्यवस्थापको द्वारा नहीं मिलती। समाजमें ज्ञानी या गुरुका होना भी राज्यव्यवस्था पर निर्भर नहीं है। यह कोई नहीं कह सकता कि फलाना राज्य था, इसलिए अमुक ज्ञानी पुरुष पैदा हुआ। अकबरका राज्य था इसलिए तुलसीदास पैदा हुए हो, ऐसी बात नहीं है। सच्चे ज्ञानी स्वयम् होते हैं। वे सृष्टिसे ज्ञान लेते हैं। वे शिक्षण-संस्थाओंमें शिक्षा नहीं लेते, ईश्वरकी कृपासे ज्ञानी बनते हैं। खुद शिक्षण-शास्त्र ही कहते हैं कि सच्चे ज्ञानी शिक्षण-संस्थाओंके बाहर ही होते हैं।

तो फिर राज्यपद्धति क्या करती है? वह तालीमका एक ढांचा बना देती है। हुक्मके मुताबिक कुछ बात लड़कोंके दिमागमें ठूसनेकी प्रणाली बना देती है। ‘टू ऑर्डर’ यानी ‘हुक्मके मुताबिक’—माल तैयार करने वाली पाठशालाएँ कायम करती हैं। इरलैंड, रूस, अमेरिका, जर्मनी आदि सभी देशों में यही होता है। इस प्रकार सरकारी तालीम लोगोंको बुद्धिसे गुलाम बनानेके लिए होती है। जर्मनीमें लोगोंको सिखाया जाता है कि डेर हिटलरको ईश्वरका अवतार मानो। हिंदुस्तानमें सिखाया जाता है कि अंग्रेजोंका यहा आना जरूरी था। वे यहा अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं। उत्तम कार्य कर रहे हैं। उनके आनेसे हिंदुस्तानका फायदा हुआ है। इस प्रकार अपने शिक्षा-विभागके द्वारा सरकार तालीमके कार्यमें बिगाड़ ही पैदा करती है। जितने नये-नये शोध और प्रयोग हुए हैं, सरकारके क्षेत्रके बाहर ही हुए हैं। पेंस्टोलॉजी, फ्रेगल, माटेसरी आदिके प्रयोग सरकारी महकमेके जरिये नहीं हुए।

तब वे अन्त में कहते हैं कि हम तुम्हारी रक्षा करते हैं। 'किससे रक्षा करते हैं?' 'परकीय आक्रमणसे।' लेकिन हम पर परकीयो द्वारा आक्रमण ही क्यों होता है? परकीय आक्रमणका यह भूत व्यवस्थापकोने ही खडा किया है। अगर वे हट जाय, तो वह अपने-आप गायब हो जायगा। हम अपने यहाके रक्षकोसे कहें कि आप हट जाइए। जापान, जर्मनी, इंग्लैंड और अमेरिकाके लोग अपने-अपने रक्षकोसे कहे कि आप जाइए, तो विदेशी आक्रमण के हौवे-का डर नहीं रहेगा। किसी देशकी आम जनता दूसरे देशकी आम जनता पर हमला थोड़े ही करने वाली है? जापानके किसान हिंदुस्तान पर हमला करने थोड़े ही जायगे? आज सुनते हैं कि अमेरिकाके सवा दो लाख आदमी यहा आये हैं। वे सेनामें भर्ती कर-करके यहा लाये गये हैं। क्योंकि अमेरिकाकी रक्षाके लिए हिंदुस्तान भी एक फ्रण्ट (मोर्चा) है। आज तो सारा ससार ही 'फ्रण्ट' बन रहा है। इस फ्रण्टकी भी कोई सीमा है? ज्योतिषशास्त्रके अनुसार कभी-कभी पृथ्वी भी मगलकी कक्षामें आ जाती है। तब इन दोनों ग्रहोंके टकरा जानेका डर रहता है। इस दृष्टिसे तो सारा त्रिभुवन ही हमारा मोर्चा है। इसका क्या इलाज? एक ही इलाज है कि हर एक अपनी-अपनी जगह शांतिपूर्वक अपना काम करता रहे और किसीसे न डरे। अपनी कक्षासे बाहर जानेकी किसीको जरूरत ही नहीं है। रक्षाका यही सबसे सफल उपाय है। यह रक्षाका प्रश्न एक द्रुष्टचक्र है। यह हौवा व्यवस्थापकोका ही खडा किया हुआ है। इस बहाने वे अपने अस्तित्वको हम पर लादनेकी कोशिश करते हैं। वे कहते हैं, तुमको दूसरोके आक्रमणसे बचानेके लिए हमारी जरूरत है। हम कहते हैं व्यवस्थापकोका होना ही आक्रमणकी जड़ है।

हमारी रक्षा करने के बहाने वे फौज रखते हैं। आक्रमण तो कभी-कभार होता है। लेकिन सेनाका उपयोग प्रायः हमको दबानेकेलिए किया जाता है। हम कहते हैं, 'आप हमसे अधिक बुद्धिमान हैं तभी तो हमारे व्यवस्थापक हुए।' अगर हम आपकी बात न माने, तो हमें समझाइए। उसके लिए लश्करकी क्या जरूरत? आप हमारे मा-बाप जैसे मार्गदर्शक हैं। अपनी बात हम पर लादनेकेलिए आप लश्करकी सहायता क्यों लेते हैं? बाप अपने बच्चेको

कोई बात समझाना चाहे, तो दोनोके बीचमे एक सिपाहीकी क्या जरूरत ?

शिक्षक अगर लडकोसे अधिक बुद्धिमान है, तो बुद्धिहीन लडकोंको अपनी बात समझानेकेलिए वह क्या अपने पास एक सिपाही रखेगा ? लेकिन होता तो ऐसा ही है। वह अपने पास एक निर्जीव सिपाही, एक छडी, रख लेता है। बुद्धिमान शिक्षकका उसके लडकोसे सबध रखनेकेलिए निर्बुद्धि और निर्जीव छडी का उपयोग कैसे उपयुक्त हो सकता है ? लेकिन हर एक दर्जे (क्लास) में वह बराबर चलता है। कहा जाता है कि खाने में अगर थोड़ी-सी मिर्च हो तो खाना जल्दी हजम हो जाता है। उसी तरह छडीके साथ शिक्षण दिया जाय तो जल्दी गले उतरता है। बडे आश्चर्यकी बात है कि इस तरहकी दलीलें देकर शिक्षणमे छडी का और राज्यशास्त्रमें लश्करका समर्थन किया जाता है।

अगर व्यवस्थापक वर्ग बुद्धिमान है, तो समाजमे जो दूसरे दो-चार बुद्धिमान व्यक्ति होंगे, उन्हें पहचाननेकी अक्ल उसमे होगी। वह उन्हें और उनके द्वारा जनताको समझानेकी कोशिश करेगा। उनकी समझमे न आवे, तो फिर समझायगा। बार-बार समझाने पर भी समझमे न आवे, तो सब्र करेगा। सब्र भी तो कोई चीज है ? लोगोकी समझमे जितना आवे, उतनी ही व्यवस्था करेगा।

लेकिन हमारे व्यवस्थापक तो समझाने की कोशिश नहीं करते। डडोसे बातें करते हैं। इसीलिए उन्हें लश्करकी जरूरत जान पडती है। इससे स्पष्ट है कि इन व्यवस्थापकोकी व्यवस्था लोगोंने कबूल नहीं की है। वे उसे जबर-दस्ती लादना चाहते हैं। लेकिन वह खुलकर नहीं कर सकते। इसलिए बहाना बताते हैं कि हम उन्हें दूसरोके आक्रमणसे बचानेकेलिए लश्कर रखते हैं।

रक्षणका यह सही उपाय नहीं है। सही उपाय एक ही है। वह यह कि लोग बुद्धिपूर्वक एकत्र होकर शांतिपूर्वक अपना-अपना काम करें, हिल-मिलकर रहे और व्यवस्थापकोसे कहे कि आप हट जाइए। कम-से-कम हिंदुस्तानके लिए आज ही वह समय आ गया है। हमारे व्यवस्थापकोको अब फौरन हट जाना चाहिए। हमने भी व्यवस्थाके सिद्धांत अनुभवसे सीखे हैं। हम अपनी कर-

तूतसे उतनी व्यवस्था नहीं करेगे, जितनी कि व्यवस्थापकोने की है। इतना ज्ञान तो हमें है। आपकी फौज, अदालते, टैक्स, वगैरासे हमारा काम बिगड़ता है। इनके आभाव में हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हमारे पास जमीन है, आस्मान है, नाक है, गला है और भगवान् है। हम अपनी व्यवस्था कर लेंगे। यह साफ शब्दोंमें कह देनेका मौका आज ही आया है। कम-से-कम हिंदुस्तानकेलिए तो आ ही गया है। दुनियाके दूसरे राष्ट्रोंके लिए भी आया है। लेकिन वे जब महसूस करेंगे, तब करेंगे।

सवाल उठाया जाता है कि अगर अंग्रेज चले जाय, तो हिंदुस्तान जापानके हमलेका मुकाबिला नहीं कर सकेगा। मैं कहता हूँ, कर सकेगा। लेकिन फिर जापानका हमला होगा ही क्यों। जापान तो इंग्लैंडका शिष्य बन रहा है। साम्राज्यवादका गुरु तो इंग्लैंड है। आज ब्रिटिश लोग कहते हैं कि अब हम साम्राज्यवादको नहीं मानते। श्रीमती रूजवेल्ट कहती है कि अब साम्राज्यवादके दिन लड़ चुके हैं। क्यों भाई, क्या इसका भी पहलेसे कोई कैलेंडर बना रखा था? क्या इंग्लैंडकी यह प्रतिज्ञा थी कि उन्नीस सौ बयालीसतक ही हम साम्राज्यवादी रहेगे, बादमें साम्राज्य छोड़ देंगे? यह विचार आज ही क्यों सूझा? मलाया और सिंगापुरमें जो अनुभव हुआ उसका यह परिणाम है। मलायामें इन लोगोंने देखा कि वहाँ के लोग कोई मदद नहीं करते, जापानियोंसे मिल जाते हैं। इतने दूर-दूरके देश सभालना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अब ये कहने लगे हैं कि अब साम्राज्यवादके दिन बीत गये हैं।

लेकिन जापान कहता है कि यहाँ भी 'मुन्रो डॉक्ट्रिन' लागू करो। मुन्रो डॉक्ट्रिनके माने हैं लूटनेमें स्वदेशी धर्म। जापानके लिए वह एक अच्छा सहारा हो गया है। वह कहता है, कहा मलाया और कहा इंग्लैंड? जावा पर डच लोगोंका राज्य नहीं होना चाहिए। लूटनेके लिए इतनी दूर नहीं जाना चाहिए। यहीतक इनका स्वदेशी धर्म पहुँच पाया है।

इंग्लैंडने देख लिया कि इतने दूरके देश सभालना मुश्किल हो जाता है। मलायाके प्रकरणसे वह डर गया है। वह कहेगा, हम डरे नहीं, साव-

घान हो गये हैं। लेकिन डर और सावधानीकी सीमा-रेखा ठहराना मुश्किल है। मलायामें जो अनुभव हुआ वही ब्रह्मदेशमें हो रहा है। हिंदुस्तानमें भी वही होनेका डर है। अब उन्हें इंग्लैण्डकी रक्षाकी परी है। वे समझ गये हैं कि हिंदुस्तानको बचानेकी शक्ति उनमें नहीं है। बेचारा बेवेल तो साफ-साफ कहता है कि हिंदुस्तानका किनारा इतना बड़ा है कि उसकी रक्षा हम नहीं कर सकते। हिंदुस्तानियोंसे भी आशा नहीं कर सकते। क्योंकि उनके साथ बड़ा दुर्ब्यवहार किया है।

कोई साम्राज्य अनादि-अनन्त नहीं है। लेकिन साम्राज्यवादका यह स्वभाव है कि वह अपनी प्रतिमा, अपने ही आकार और शकलकी विरोधी शक्ति, पैदा करके मरता है। एक साम्राज्यकी सतान दूसरा साम्राज्य होता है। उसके बाद तीसरा साम्राज्य आता है। इस प्रकार साम्राज्यवाद बहु-सतानशाली है। इंग्लैण्डके बाद अब जापान आना चाहता है। इन दोनोंकी मूठभेड में बेचारे हिंदुस्तानका खात्मा होनेका डर है।

इसलिए अब हमें अपने व्यवस्थापकोसे ही जान छुड़ानी चाहिए। सिगापुरमें यह साबित हो चुका है कि उनमें रक्षा करनेकी सामर्थ्य नहीं है। इतने बड़े दिग्विजयी कहलाते थे। कहते थे, सिगापुर ऐसा मजबूत मड है कि यावच्चद्रदिवाकरी बना रहेगा। परीक्षित भी ऐसा जबरदस्त किला नहीं बना सका था। वह सात दिन तक किले के अन्दर ऋषिसे ज्ञान-वर्चा करता रहा। मृत्युने उसका वहा भी पिंड नहीं छोड़ा। आप भी दुनिया की रक्षाके ठेकेदार बनकर यावच्चद्रदिवाकरी अपना साम्राज्य कायम रखनेकी बातें करते थे। लेकिन परीक्षित की तरह आपका किला भी आठ-दस रोजमें ढह गया। आपको हटना पडा। अग्नेजोको यह अनुभव हो गया कि दस-दस हजार मीलकी दूरीसे जनताकी मददके बिना लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। अग्नेज कहते आये हैं कि हम आखिरतक लड़ेंगे, हरगिज नहीं हटेंगे। लेकिन हागकाग और सिगापुरमें हटना ही पडा। आखिरतक लड़नेवाले थे, तो हटनेका मौका ही क्यों आया? वे कहते हैं कि हम आखिरतक लड़ेंगे। शायद उनका यह मतलब है कि हम जब पीछे हटेंगे तभी हटेंगे, उससे पहले

नहीं हटेंगे। इसके सिवा दूसरा कोई मतलब मुझे तो नहीं नजर आता।

फिर कहने लगे कि रगूनसे हटते-हटते उस शहरमें ऐसी आग लगा दी कि चालीस मीलपरसे तमाशा देख सकते थे। रगून किसके बापका था ? इतनी संपत्ति तबाह हो गई। किसका नुकसान हुआ ?

क्रिप्स साहब आये। एक योजना लेकर आये। कहने लगे इसके साथ शादी कर लो। उसे हमारे पल्ले बाधकर हमें लडाईमें शामिल कराना चाहते थे। उनकी यह चाल थी कि इस तरह हिंदुस्तानका अनुमोदन मिलनेसे लडाईको नैतिक योग्यता मिल जायगी। लेकिन असली लेने-देनेकी बात उधारीकी थी। कहने लगे, लेना-देना लडाईकी धूम-धाममें नहीं हो सकता। व्यापारियोंका एक नियम है—देते वक्त 'पहले लिख, पीछे दे, और लेते वक्त पहले ले, पीछे लिख।' इसी व्यापारी सूत्रसे क्रिप्स काम लेना चाहता था। लडाईके बाद जो कुछ देना है, दे देगे, तबतक हम जैसे नचावे वैसे नाचो। कांग्रेसको यह मजूर नहीं हुआ। गांधीजी फौरन ताड गये।

इसलिए गांधीजी अब लेने-देनेकी बात नहीं करना चाहते। वे कहते हैं भगवान्ने यह जमीन हमें दी है, मेहरबानी करके आप यहांसे हट जाइए। तब वे वही पुराना अराजकताका सवाल उठाते हैं। वे तो अव्यवस्था और अराजकताका डर दिखा-दिखाकर ही सत्ताचलाते आये हैं। इसीके भरोसे व्यवस्थापक-वर्ग जनतापर अपना सिक्का जामाता आया है। भविष्यके बड़े भयानक चित्र खींचता है। कहता है, हम चले जायगे तो हिंदुस्तानमें बड़ा भीषण युद्ध होगा। हमें उसका कोई डर नहीं है। हिंदुस्तानियोंको सोचना चाहिए कि अराजकतासे हमारा और क्या नुकसान होनेवाला है ? आजकी व्यवस्था ही पूरी-पूरी अव्यवस्था है। इसके मुकाबिलेमें अराजकता भी व्यवस्था ही होगी।

इसलिए व्यवस्थापक वर्गसे हमारा अनुरोध है कि आप हमारी फिक्र न कीजिए। अगर आप हट जायगे, तो आप भी बचेंगे और हम भी बचेंगे। आप इसलिए बचेंगे कि हिंदुस्तानको छोड़नेसे आपकी नैतिक योग्यता बढ़ जायगी, साम्राज्यवाद नष्ट होगा और दुनियाका भला होगा। शायद यूरोपमें भी लडाई बंद हो जायगी। और अगर न हुई, तो आप यूरोपको सम्हलिए। दूरकी चिंता

न कीजिए। अपनी सारी शक्ति यूरोपमें केन्द्रित कीजिए। कृपा करके हमारा पिंड छोड़िए। हम अपने यहां ज्यादा-से-ज्यादा व्यवस्था करनेकी कोशिश कर लेंगे।

बापू यही कह रहे हैं। उनकी योजना आगे चलकर क्या आकार लेगी, सो तो मैं नहीं जानता। लेकिन यह महान् वस्तु है। यह सारी दुनियाके लिए लागू है। केवल उसका आरंभ हिंदुस्तानसे हो रहा है। दुनियामें व्यवस्थापकों का ताता-सा लग रहा है। वह जनताके गलेमें तातके समान प्राण-वातक हो रहा है। सारी दुनियाके व्यवस्थापक अगर अपनी-अपनी जगहसे हट जायं, तो दुनियामें शांति होगी और मानवताका कल्याण होगा।'

सर्वोदय : जून, १९४२

: १९ :

हमारी जीवन-दृष्टि

सत्याग्रह-आश्रम, सावरमतीके सेक्रेटरी श्रीछगनलालजी जोशीने मुझे एक पत्रमें लिखा कि 'तुम्हारे ये जो दो श्लोक' है वे मुझे बहुत पसंद आये और मैंने उन्हें अपनी प्रार्थनामें शामिल किया है।' वे श्लोक भराठीमें हैं क्योंकि उन्हें लिखते समय मुझे उनके प्रचारकी कल्पना नहीं थी। मैंने वे सिर्फ अपने लिए लिखे थे। इसके सिवा मुझे गुजराती या हिंदी, इतनी—कि जिसमें काव्य-रचना अथवा पद्य-रचनाको जा सके—आती ही कहा है? उन्हें

१. वर्धामें राष्ट्रीय युवक संघ, कांग्रेस सैनिक इल और प्रांतीय नगर संरक्षक बलके समक्ष (२५ मई, १९४२ को) बिया गया भाषण।

२. अहिंसा सत्य अस्तौय ब्रह्मचर्य असंग्रह।

शरीर-धर्म अस्वादि सर्वत्र भयवर्जन॥

सर्वधर्मों सध्यानत्व स्ववेशी स्पर्शभाषना।

हीं एकावश सेवार्थी नम्रत्वे व्रतनिष्कमे॥

लिखकर बहुत दिनोतक में स्वयं उनका केवल चिंतन ही करता था। फिर उन्हें मैंने दोनों समयकी प्रार्थनामें शामिल किया। तत्पश्चात् कन्याश्रमकी एक लड़कीने वे दोनों श्लोक अपनी जरूरत बतलाकर मुझसे लिये। तब वे वही प्रार्थनामें शामिल हुए। फिर उनका सब जगह प्रचार हुआ। इस सारी प्रस्तावनाका कारण यह है कि मुझे जो कुछ कहना है उससे मैं इसका संबन्ध बतलाना चाहता हूँ।

ये दोनों श्लोक हमारी विचारसरणिको प्रकट करनेवाले हैं। हमारी विचारसरणि यह है कि संपूर्ण जीवन उपासनामय है। यह विचार नया नहीं है, प्राचीन ग्रथोमें भी पाया जाता है। और मुझे तो अपने विचारोको प्राचीनका जितना आधार मिले उतना दिखानेकी आदत होनेका कारण इसे कोई नया कहे या यह कहे कि इसे प्राचीनताका आधार नहीं है तो मैं उस कथनको बिलकुल ही नहीं मान सकता। उक्त विचार मुझे पीछे ठेठ वेदोतक दिखाई देता है। उपनिषदोमें तो है ही, किंतु गीतामें वह बिलकुल स्पष्ट ही दिखाई देता है। इसीलिए तो उसे मैंने "गीता मंत्र" कहा है। मनुष्यका इस दुनियामें अधिक-से-अधिक प्रेम और हृदयका नाता दिखानेवाले शब्दका मैंने गीताके लिए उपयोग किया है।

यद्यपि जीवन समूचा ही उपासनामय है यह विचार प्राचीन ग्रथोमें होनेपर भी मध्य युगमें इसमें फर्क पड़ गया ऐसा जान पड़ता है। कारण, मध्यकालमें यह विचारसरणि हो गई थी कि कर्म बंधनकारक है, इतना ही नहीं बल्कि मारक भी है। कर्मका जितना त्याग किया जा सके उतना करो, केवल भिक्षादिक, जो बिलकुल ही आवश्यक हो, उतना ही करो, इत्यादि बातें थी। भगवान् ने गीतामें बतलाया है कि कर्मोंमें बंधन जरूर है और कर्म करने हैं तो उनमेंसे कुछ त्यागने भी पड़ेगे। परन्तु उस मध्यकालमें उस विचारकी मर्यादा ध्यानमें नहीं रखी गई, कर्मके सबधमें गलत कल्पना बन गई। मध्ययुगके किसी साधारण अच्छे सतकी भावनाकी जाच की जाय तो यह पाया जायगा कि वह कपड़े सीयेगा, खेती करेगा, पर उसके पीछे विचारधारा यह दिखाई देती है कि यह सब पेटके लिए करता हूँ, न करूँ

तो दूसरो पर बोझ पड़ता है, जो पड़ना उचित नहीं है। पर यह अधिक बुरा खयाल है। वही भगवत सेवा है यह नहीं समझा जाता था। भावना सारी यह थी कि जो कुछ भजन, पूजन, जप किया जाता है वह तो हरि-सेवा है, और दिनमें किया हुआ काम केवल पेटके लिए है। नतीजा इसका यह हुआ कि दिनमें, व्यवहारमें कुछ अनुचित किया हुआ भी जायज समझा जाता है। शामको या सबेरे पूजापाठ कर लिया, तो बस काफी है। सबेरेके रामपहरमें झूठ मत बोलो, दूसरे वक्त बोलनेमें हर्ज नहीं, इत्यादि कल्पनाएँ लोगोंमें रूढ हो गईं।

भक्ति-मार्गके भागवत, तुलसी-रामायण, तुकारामगाथा, ज्ञानेश्वरी इत्यादि ग्रंथ बहुत ऊँचे हैं। मुझपर उसका बड़ा असर पड़ता है। कभी किसी समय हृदय बिलकुल खिन्न हुआ अथवा मन उत्साहरहित हो गये—मुझे ऐसी स्थिति प्रायः बहुत कम आती है—तो उस समय तुकारामका कोई अर्भंग, अथवा ज्ञानेश्वरीकी चार ओविया अथवा रामायणकी चार चौपाइया पढ़ी कि मन प्रसन्न हो जाता है। इतना उनका मुझपर असर होता है। तथापि मुझे ऐसा जान पड़ता है कि उन ग्रंथोंको पचाकर हमें समाजको नया दूध तैयार करके देना चाहिए। जैसे गाय चरी, (कडवी) खाकर दूध देती है, वैसे ही हमें गायका काम स्वीकार करके उपर्युक्त चरी—जो चरी ही की तरह पौष्टिक और मीठी है—खाकर दूध तैयार कर देना चाहिए। क्योंकि वैसे न किया जायगा तो भक्तिके साथ बहुत-सी न पचनेवाली या हमें न रचनेवाली चीजे भी आ जायगी, जो किसी तरह भी हमें सहेंगी नहीं। उसके लिए हमें नये ग्रंथ भी लिखने होंगे। मुझे जब ऐसा लगा तभी मैंने 'गीताई' की रचनाका प्रयत्न किया और तत्त्व-ज्ञानके विषयमें अभी कुछ लिखनेका विचार है। वह शायद पूरा हो, सभव न भी हो।

आचरणके बिना भक्ति झूठी है, वह व्यर्थ हो जाती है। आज हालत यह है कि ऊपर 'श्री हरि' लिखकर नीचे जमाखर्चकी बहीमें ५०) देकर १००)के

कागजपर सही कराने जैसे जमाखर्च करनेमें लोगोको अटपटापन नहीं मालूम होता। अतः भक्तिके साथ आचरणकी आवश्यकता है।

आजके भक्त अथवा साधुके नियममें कल्पना यह है कि वह कम खानेवाला और काम भी कम ही करनेवाला होना चाहिए। साधुको ज्यादा काम करना ही नहीं चाहिए। कोई साधु अगर बर्तन माजने लगा तो लोग कहते हैं कि साधुको बर्तन माजनेसे क्या सरोकार! हमें समूचा जीवन भक्तिमय, उपासनामय करना पड़ेगा। हमारे ये व्रत मेरे मनसे आज तकके हिंदू-धर्मका दूध है। इसके आगेके सौ वर्षोंमें उलका मक्खन नहीं होगा सो नहीं है। होगा भी अथवा जैसे उन पुराने प्रथोमें—विचारोमें—गंदगी घुस गई है, वैसे ही इसमें भी घुस आई तो अगली पीढ़ी उसे निकालेगी भी। पर आज हमें उसकी फिक्र करनेकी जरूरत नहीं है। आज तो हम उन व्रतोको भक्तिपूर्वक अमलमें लावे, समूचे जीवनको उपासनामय बनावे, जो-जो व्यवहार हम करे, फिर चाहे वह बाजारका काम हो या रसोई बनानेका अथवा चक्की पीसनेका, सबको भगवत-सेवा समझकर करे तो हमारा काम खतम हुआ। यह हमारा ध्येय होना चाहिए।

: २० :

विविध विचार

१—सामूहिक प्रार्थना

व्यक्ति और समूहकी उन्नतिमें कोई भेद नहीं। जब तक सामूहिक उन्नति नहीं होती, तबतक व्यक्तिगत उन्नति भी संभव नहीं। जिस प्रकार एक साफ-सुथरे घरके चारो ओर प्लेग फैल जाय, तो वह साफ-सुथरा घर भी अछूता नहीं रह सकता उसी प्रकार वायुमण्डल दूषित होने पर कोई व्यक्ति उसे दोषसे बचा नहीं रह सकता। अतः प्रार्थना व्यक्तिगत न होकर सामूहिक होनी चाहिए। हमारा वैदिक-धर्म भी सामूहिक प्रार्थनाके आधार पर अवलंबित है। गायत्री मंत्रमें प्रार्थनाकी गई है कि हम सब सवितादेवकी

प्रार्थना करते हैं; वे हमारी बुद्धिको शुद्ध करे। यह सामूहिक प्रार्थना है, न कि व्यक्तिगत; क्योंकि ऐसा नहीं है कि, मैं प्रार्थना करता हूँ और मेरी बुद्धि शुद्ध करे।

हमारी प्रार्थना तो सामूहिक होनी ही चाहिए और उसमें स्त्रियाँ और बालक-बालिकाओंको भी सम्मिलित होना चाहिए। प्रायः देखा जाता है कि प्रार्थनामें स्त्रियाँ सम्मिलित नहीं होती। एक गाँवमें मैंने देखा कि प्रार्थनामें बहुत-से लोग एकत्र हुए थे; किंतु स्त्री एक भी नहीं थी। कारण पूछने पर मालूम हुआ कि केवल एक बाई है, जो प्रार्थनामें आना चाहती है, किंतु अकेली आना उसे पसंद नहीं। प्रार्थनामें स्त्रियोंको भी सम्मिलित होना चाहिए। लोग उन्हें श्रृंगारकी वस्तु समझकर छोड़ देते हैं। किंतु यह मानना भूल है। संपूर्ण गाँवके, या किसी सस्यके, या एक विचारके, या एक परिवारके सभी व्यक्तियोंको मिलकर प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थनाका स्थान भी निश्चित कर लेना चाहिए। सामूहिक प्रार्थनाका आयोजन हरिजन-सघ, हरिजन-छात्रावास या ऐसे ही अन्य सार्वजनिक स्थानों पर करना चाहिए, जिससे उसमें हरिजन तथा अन्य लोग अधिक सख्यामें सम्मिलित हो सकें। प्रार्थना प्रारंभ करनेके पूर्व घंटा या शंखकी ध्वनि हो जानी चाहिए, जिसे सुनकर आसपासके लोग प्रार्थनाके लिए समय पर एकत्र हो जाय।

हरिजन सेवकसे

२—संतोंका बाना

जगत् ही जो ठहरा, लोग चटसे कह गुजरते हैं, कि तलवारसे तो तलवार लेकर ही लडा जा सकता है। उसके बिना काम नहीं चलता। किंतु यह उनकी बाणी है, जिनके पास तलवार नहीं है। कितनी ही बार जो वस्तु हमारे पास नहीं होती, हम उसकी बाजार दर बढ़ा दिया करते हैं। हमारी दशा भी वैसी ही है। हमारे मनमें तलवार क्यों है? इसलिए कि वह हमारे म्यानमें नहीं है। यदि म्यानमें तलवार होती तो मनमें उसके लिए मोह क्यों होनेवाला था ?

मोह न हुआ होता, और वह इसलिए, कि सच्ची बात हमारी समझमें आ गई होती। यदि हमारे तलवार-बहादुर पूर्वज हमारे मुहसे यह सुन लेते, कि तलवारसे तलवार लेकर लडा जा सकता है, तो उनकी हसी रोके न रुकती। इसलिए कि उन्हें लडाईका अनुभव था। उन्हें मालूम था कि लडा 'ऐसे' जाता है। उन्होंने हमें स्वाभाविक समझा दिया होता कि 'बाबा, तलवारसे ढाल लेकर लडा जाता है।' जिस समय लोग 'त' कहनेसे तलवार समझ जाते थे, उस समय लोगोको लडनेकी यह कला मालूम थी। अब तो हम 'त' कहनेसे 'तदुल-मट्ठा' समझते हैं, तब हमारे गलेमें यह बात कैसे उतरे ?

हम कहते हैं, जैसेको तैसा होना चाहिए। मगर हम मतलब समझा ही कहा करते हैं ? जैसेको तैसेका अर्थ तो इतना ही है कि जितनी पंती हमारे दुश्मनकी तलवार हो उतनी ही सख्त हमारी ढाल हो। तब तलवारसे तलवार लेकर लडनेकी बातको, जैसेको तैसा कहे, तो यह क्या हमारी मदबुद्धिका द्योतक नहीं है ? तलवारसे तो ढाल ही लेकर लडा जा सकता है, पर ढालके सहन करनेकी शक्ति तलवारकी प्रहारक शक्तिसे हार खानेवाली नहीं होनी चाहिए। शत्रुके प्रश्नोमें यदि पाच सेर क्रोधके अगारे भरे हो, तो हमारे पास भी पाच सेरसे कम प्रेमका पानी न होना चाहिए। शिक्षक अपने बालकोके अज्ञानसे लडता है। यदि वह जैसेको तैसाका मनमाना तत्त्व-ज्ञान ग्रहण कर ले, और बच्चोसे कहने लगे कि "तुम्हारी समझमें यह जरा-सी बात नहीं आती, तो मेरी समझमें क्यों आनी चाहिए ? और यदि तुम मेरे प्रश्नोका उत्तर नहीं देते, तो मैं फिर तुम्हारे प्रश्नोका उत्तर क्यों दू ? तुम अगर अज्ञानका बोझ ढो रहे हो, तो मैं ही अकेला ज्ञानका बोझ क्यों ढोऊ ?" तो इसका उत्तर यही है कि बच्चे अज्ञानका बोझ ढो रहे हैं इसीलिए तुम्हें ज्ञानका बोझ ढोनेकी खास आवश्यकता है। अज्ञानसे ज्ञान लेकर ही लडा जा सकता है। जैसेको तैसेका अर्थ यहा केवल इतना ही है, कि तोडसे जोड मिलनी चाहिए। हमारे सामनेके आदमीका अज्ञान जितना गहरा हो हमारा ज्ञान भी उतना ही गभीर होना चाहिए। यही कारण है कि ज्ञानकी मापपर जीनेवाले

देशोंमें अज्ञानी-से-अज्ञानी बालकोंकी श्रेणीको पढानेके लिए उच्च-से-उच्च ज्ञानवाले शिक्षक रखे जाते हैं। पुराण-कालके युद्धोंमें भी तो एक बात सुनी जाती है। यदि एक मेघके अस्त्र फेंकता था, तो दूसरा उसके बदले मेघके अस्त्र नहीं फेंकता था, वह तो वायुके अस्त्र फेंकता था। बादलोंकी चढ़ाईमें बादल ही भेजे कि बादलोंपर बादलका वर्ग हुआ और हुआ गहरा अधकार। और वायु भेजी कि एक-एक करके बादल तितर-बितर। अज्ञानके मस्तकपर अज्ञानके ही कीले ठोकनेसे फायदा ? अज्ञानको तो ज्ञानसे दूर करना चाहिए।

जिसे व्यवहारकी थोड़ी-सी भी जानकारी है, उसे इसबातके समझनेमें कुछ भी अडचन नहीं पडनी चाहिए। अगर वे बुझने हों तो पानी डालना चाहिए। अघेरा हटाना हो तो दिया जलाना चाहिए। यह वैध विरोध किसकी समझमें नहीं आता ? और यदि ये बातें समझमें आती हैं, तो सतोंकी यह वाणी क्यों समझमें नहीं आती, कि क्रोधको प्रेमसे जीतना चाहिए; बुराईको भलाईसे जीतना चाहिए; कजूसपनेको दरियादिलीसे जीतना चाहिए; खोटेको खरेपनसे जीतना चाहिए ? ये सब भी व्यवहारकी बातें हैं। हमारी समझमें तो तब आवे, जब हम विचार करें। हम अपने ही मनमें अगर खोज करें, तो हमें सब बातोंका पता चल जाय।

ह० से०, २ जून १९३४

३—निष्ठाकी कमी

गांधी-युगके साहित्यकी हलचलमें अनेक गुण हैं; पर एक दोष भी है। जितने उत्साहसे, प्रेमसे, निष्ठासे मध्य युगमें सत प्रचार करते थे, मुझे बही दीखता, कि हम उसी निष्ठासे विचार-प्रचारका कार्य कर रहे हैं। जबर-दस्तीसे, रिश्वतसे, अहकारसे, उत्साहके अतिरेकसे और जल्दबाजीसे मिशनरीकी तरह एकांगी, अधवृत्तिकी तरह आप विचार-प्रचारका कार्य करें, ऐसी बात मैं नहीं कहता। वह बुरी है, परन्तु निष्ठावत सत, गाव-गावमें जाकर हरि-नाम ध्वनिकी गूँज मचा देते थे, वह हम नहीं करते। बैसा निष्ठावत प्रचार वर्तमान हलचलमें नहीं है। ये बातें मुझपर भी लागू होती

है। सतोंका-सा उत्साह आज चाहिए। आजकी हलचलमें योग्यताकी कमी नहीं। उद्धारका जो कार्य सतोंने किया उसी कार्यको आगे खींचा जा रहा है। परंतु सतोंमें जो निष्ठा थी वह असीम थी—वह उनमें समाती न थी—वह फूटकर बाहर फैलती थी। उस तीव्रताकी, उस वेगकी निष्ठा आज नहीं मिलती। पानी कहीं-न-कहीं रुक गया है। बरसता है, पर बह नहीं रहा—वह फैलता नहीं, जलाशय नहीं बनाता, प्रवाहित नहीं होता, खेती हरी-भरी नहीं होती।

नारद तीनों लोकमें फिरता। वह नीचे दरजेके लोगोमें घूमता, मध्यम श्रेणीके लोगोके बीच जाता, उच्च श्रेणीके लोगो तक पहुंचता, यही तो लोक-समुदाय है। एक मित्रने मुझसे कहा कि आजके समाचार-पत्र नारद हुए। परंतु ये नारद, नारद न हुए के बराबर हैं। इसमें पैसे देनेकी व्याधि है, समझ लेनेकी उपाधि है। परंतु देवर्षि घर-घर अपने आप जाता, मधुर वाणीमें अपने विचार लोगोके गले उतारता और फिर उन्हीका आभार मानता। जो विचार सुनते, उन्हीका वह उपकार मानता। नारदको मालूम होता कि उसे आज भगवद्दर्शन हुए। आज देवर्षिका वही काम ठीक-ठीक नहीं हो रहा है। हो कैसे, हमारे हृदयमें वह प्रतिबिंबित ही नहीं। खादी, अस्पृश्यता-निवारण और राष्ट्रीय विचार, सबके प्रचारके लिए व्यक्ति चाहिए, किंतु इन विचारोका तत्त्वज्ञान ही हमारे पास काफी नहीं—हमारी जानकारी भी पूरी नहीं। जानकारी न होना अज्ञान है, किंतु जानकारीकी प्राप्तिमें लापरवाह रहना दोष है। बापूने अभी एक छोटा-सा लेख लिखा था। उस लेखका आशय था कि हिटलर भी जर्मनीमें यत्रोके महत्त्वको कम कर रहा है और मध्य युगके समान ही वर्तमान युगमें वह घरू उद्योग-धंधोको प्रोत्साहन दे रहा है। मैंने एक भले कार्यकर्तासे पूछा “आपने वह लेख पढ़ा है ?” उन्होने उत्तर दिया, “नहीं”। कितनी ही बार ज्ञानको सम्मुख पाकर हम कह देते हैं “नया क्या होगा।” यह कल्पना ही घातक है। महाभारतके ‘वन-पर्वमें’ एक ऋषि धर्मराजके पास आये। धर्मराज वनमें दुःख भोगते थे। धर्म, दुःखकी घड़ियोंकी उस कहानीको पाते रहते, किंतु कल्पामय ऋषिको

पाकर धर्मका दुःख वाणिकों द्वारासे बह निकलता। वह कहते—“ऐसे दुःख किसीने न भोगे होंगे।” ऋषि कहते “राम और सीताको भी ऐसा ही वनवास भोगना पडा था।” धर्म कहते, “जरा वह रामकी कथा तो कहिए।” यदि इन बातोंपरसे कोई कहे कि धर्मको रामकी कथा मालूम न थी, तो उस व्यक्तिकी इसे अज्ञान-सीमा ही समझनी चाहिए। धर्मको दीखता कि ऋषिके मुखसे पुन रामकी उज्ज्वल कथा सुननी चाहिए। पानी वही है, परतु जो ‘गोमुख’में आया, कि अधिक पवित्र हुआ।

ह० से०, ३० मार्च १९३४

४—सेवकका पाथेय

वर्षका ग्राम-सेवा-मडल, वर्धा तहसीलमें ग्राम-सेवाके कार्यका छोटे पैमाने पर एक व्यवस्थित प्रयोग कर रहा है। इस सस्थाकी ओरसे वर्धा तहसीलके १२ गावोंमें काम हो रहा है। इस वर्षकी अपनी वार्षिक बैठकमें उसने काफी वादविवादके बाद नीचे लिखा एक प्रस्ताव स्वीकार किया—

“ग्राम-सेवा-मडलकी ओरसे देहातमें काम करनेवाला प्रत्येक मनुष्य (१) प्रतिदिन कम-से-कम आठ घंटे शारीरिक श्रम करनेवाला और प्रतिदिन चार आनेमें अपना जीवन-निर्वाह करनेकी तैयारी रखनेवाला होना चाहिए, और (२) किसी भी परिस्थितिमें, कहींसे भी सपरिवार पूरा काम करनेवाले प्रत्येक व्यक्तिके आठ आना प्रतिदिनसे अधिककी अपेक्षा न रखनेवाला होना चाहिए।

“१ नवंबर, १९३५ से एक वर्षतक जो ग्राम-सेवक चर्खासंघके भावसे सूत कातकर जितनी मजदूरी कमायेगा उतनी ही अतिरिक्त मदद और लेनेका उसे अधिकार रहेगा।”

मुझसे यह कहा गया है कि इस प्रस्तावपर मैं अपना भाष्य लिखू। प्रस्तावका स्वरूप इतना आतिकारक है कि लोगोंके लिए उसके भाष्यकी अपेक्षा रखना स्वाभाविक है। इसका भाष्य यदि हुआ, तो वास्तविक व्यवहार द्वारा होगा, शब्दों द्वारा नहीं। तथापि साहित्यके ऋणसे उऋण होना भी आवश्यक है, अतः नीचे थोड़ेमें कुछ लिखता हू।

प्रस्तावके पूर्वाङ्गमें शारीरिक श्रम और ऐच्छिक गरीबीका तत्त्व स्वीकारा गया है। एक-न-एक कारण खडा करके अबतक हम शारीरिक श्रमसे बचनेका प्रयत्न करते रहे हैं। ससारमें फैली हुई विषमता, ऊँच-नीचके विचार, गुलामी और हिंसा, ये सब विशेषकर उस आर्थिक पापके परिणाम हैं, जो शारीरिक श्रमसे बचनेके प्रयत्नमें हम अबतक करते आये हैं। बच्चे और बूढ़े शारीरिक श्रम न करे, विद्यार्थी और अध्यापक शारीरिक श्रम न करे, जो रोगी और असमर्थ हैं वे तो कदापि न करे, निरुद्योगी और उन्चाद्योगी भी न करे, सन्यासी और देशभक्त भी न करे, विचारक, प्रचारक और व्यवस्थापक भी शारीरिक श्रम न करे, तो आखिर करे कौन ! वे, जो अज्ञानी हैं और पीडित हैं ? प्रस्तावके पूर्वाङ्गमें इसी वस्तुका परिचय कराते हुए यह कहा गया है कि जबतक हम इस भयकर स्थितिसे अपना पिड न छुडा लेंगे, तबतक दूसरी कोई भी स्थापना, सिद्धांत, वाद, व्यवस्था, और रचनासे हमारा निस्तार न होगा। मनुके शब्दोंमें यह अर्थ-शुचित्वका एक प्रयत्न है।

प्रस्तावके उत्तराङ्गको 'काम-शुचित्वका प्रयत्न' कहा जा सकता है। स्त्रियोंको अपनी भोग्य सामग्री समझकर एक ओर उनसे अपनी पूरी व्यक्तिगत सेवा करवाना और दूसरी ओर उन्हें अपना भार समझकर उस भारको समाज-सेवापर लादना, एक ऐसी वृत्ति है, जिसमें सेवाका केवल नाम-मात्र रह जाता है। इसके कारण स्त्रियोंकी अद्भुत शक्तिको कोई अवकाश नहीं मिलता और समाज-सेवाका कार्य एकांगी और महंगा होता जाता है। यदि कुटुंब अथवा परिवारकी व्याख्यामें कुटुंबको समाज-सेवाके लिए संगठित एक सहज, स्वयंभू पूर्ण एवं सहायक मडल मान लिया जाय, तो कुटुंब समाजके लिए भाररूप न रह जाय; उलटे समाजका उपकारक बन जाय।

अर्थ-शुचित्व और काम-शुचित्व दोनों सेवा-धर्मके सच्चे साधन हैं और साध्य भी यही हैं।

जो लोग इस गरीब और पीडित देशकी सेवा उत्कट लगनके साथ करना चाहते हैं, वे यदि इस धर्मको समझ लें कि अर्थ-शुचित्व और काम-शुचित्वके

बिना वास्तविक सेवा हो ही नहीं सकती, तो मुझे आशा है कि दोनों तत्त्वोकी सिद्धिके लिए—फिर ये कितने ही कठिन क्यों न प्रतीत हो—प्रयत्न करनेमें अपनी ओरसे बात उठा न रक्खेंगे।

प्रस्तावका अतिम भाग उन सेवकोकी अतिरिक्त सहायताके लिए है, जो आमसेवाके क्षेत्रमें प्रवेश किया चाहते हैं यानये-नये प्रविष्ट हुए हैं। महाराष्ट्र-चर्खा-सघने प्रेमपूर्वक, साहसपूर्वक और संकोचपूर्वक कुछ ऐसी व्यवस्थाकी है कि जिससे कातनेवालोको बढी हुई मजदूरीके रूपमें ९ घंटे काम करनेपर ३ आने मिलेंगे। यह मजदूरी पर्याप्त तो नहीं है। अपने पिछले ४॥ महीनोकी कताईके लगातार अनुभव परसे मैं कह सकता हू कि इस बढी हुई दरके अनुसार भी ९ घंटेमें ३ आने कमाना साधारणतः कठिन ही होगा। अपने इस कथनकी पुष्टिके विवरणमें मैं यहाँ नहीं उतरूंगा, यद्यपि विवरण मेरे पास तैयार है। किंतु इस स्थितिमें भी सेवकोको तो उसी तरहका जीवन बिताना चाहिए, जिस तरहका जीवन देशकी गरीब और अनाथ स्त्रिया आज बिता रही हैं। तथापि जबतक मेवाकार्यका रहस्य अपने-आप स्वयं स्फूर्तिसे प्रकट न होने लगे, तबतक सेवाके सशोधन और चिंतनके लिए प्राथमिक अवस्थामें सेवकको सेवा-कार्यके अतिरिक्त थोड़ी फुरसत मिलनी चाहिए। इस अतिरिक्त सहायताका यही हेतु है। आगे तो जब सेवक स्वयं चिंतनमें मग्न रहने लगेगा, तो सत तुकारामके शब्दोंमें वह भी यह गुणगुनाने लगेगा कि “चिंतनासो न लगे बेल। सर्वशलकरावें।”

ह० से०, २१ दिसम्बर १९३५

५—तकलीकी उपासना

स्नान और प्रार्थनाके पश्चात् तकली-उपासना। रोज आध घंटे मौन धारण करके तकली चलानी चाहिए। कल तकली कातते हुए पूछा गया कि यहाँ कितने लोग तकली चलाते हैं? उत्तर मिला—दो सौ। मुझे आकडे नहीं चाहिए थे। मैंने तो सहज ही पूछा था। यह तो गगोत्रीका प्रवाह है। प्रारम्भमें अत्यन्त छोटा दीखता है पर आगे इतना प्रचंड हो जाता है कि

माप-जोखकी सुविधा ही नहीं रह जाती। उसमें केवल डुबकी ही लगानी होती है। तकली बिलकुल छोटी दीखती है, परन्तु उसकी शक्ति अनंत है। वह चाहे जहा पहुच सकती है। घरमें वह और हाथमें भी वह, माता-जैसी ही कहो न ! तुम कैसे ही उसे रक्खो, वह कभी कोई शिकायत नहीं करने की ? गुम हो जाय तो उसके गुमनेकी शिकायत नहीं। यदि हम उसकी परबाह करें तो उसमें इतनी शक्ति है जितनी और किसी यत्रमें नहीं। तकली हमारी हलचलका, हमारे आदोलनका राम नाम है। कहते हैं कि मोक्ष वेदो पर खडा है। तब जिनकी पहुच वेदोतक नहीं है वे मोक्ष तक क्यों पहुचने लगे ? उस समय सतोंने राम-नामका प्रचार किया। दो अक्षरोका शब्द, पर उसमें कंसी शक्ति ! घर-घर नामका प्रचार हुआ और भक्ति-भावकी बाढ आने लगी। हनुमानकी एक बात कहते हैं। वह कूदकर लकापर चढ गए, पर देखा तो उतरनेके लिए जगह नहीं ! रातभर हवामें भटकते रहे। सारी लका राक्षसोकी। वह! जगह कहा मिलनेको थी ? इतनेमें भटकते-भटकते एक मकानमेंसे राम नामका स्वर सुन पडा। सुनते ही कितना आनंद हुआ हनुमानको। ताली बजाकर नाच उठे और पुकार उठे—‘मिल गई, मिल गई, मेरे अधिकारकी जगह !’ यही जगह मिली, इसीलिए हनुमान आगेका पराक्रम दिखा सके, नहीं तो सारी छलागे व्यर्थ जा रही थी।

तकली, देश-सेवाके पथिकको ऐसी ही अधिकारकी जगह है। जिस घरमें वह दीख पडे वहा नि शक प्रवेश कर जाओ और चना-चबेनामें साथ हो जाओ। वहा प्रवेश किया कि तुम्हे दीख पडेगा कि तुम चक्कर काटकर अपने ही घरमें आ गए। सख्या चाहे जितनी छोटी हो कितु यदि उसका गुणक बडा हुआ तो गुणाकार बडा हो ही जाता है। तकली छोटी-सी है कितु वह करोडोके गुणक बननेके लिए सुलभ है। यह उसका सामर्थ्य है।

आज तो तकलीके पीछे एक मत्रभी बन गया है। मत्रके मानी साहित्यको की बकभक्त नहीं है। मत्रके मानी है तपश्चर्याके पेटमें निवास करनेवाली मूल वस्तु। तकलीके लिए अनेकोने खूब तपश्चर्या की। बेलगाव जेलमें काका (कालेलकर) साहेबने तकलीके लिए म्यारह उपवास किये। यरबदा जेलमें

कीमलवयके दांडेकरने बाईस उपवास किए। मेर भाईने पेटका आपरेशन होनेपर भी पडे-पडे तकलीपर १६० तारोकी एक लट्टी कातनेका नियम टूटने नही दिया। बापूका बाया हाथ प्राय निरुपयोगी हो गया है तब भी तरुण विद्यार्थीको लज्जित करनेवाले उत्साहसे वे अपने बाये हाथसे यह प्रयत्न करते रहते हैं कि आधे घटेमे तकलीकी एक अमुक गति होनी चाहिए।

मनुष्य प्राणीको अर्द्धहत्याकी आदत लग गई है। जानवरको मारना प्रारभ करके हमने आधी सृष्टि मार डाली, अस्पृश्यादि जातिया निर्माण करके आधी मनुष्य जाति मार डाली, स्त्रियोको पुरुषोसे अलग करके कुटुवोंको आधा निरुपयोगी कर दिया और बाए और दाएका भेद करके हमने अपना आधा अंग मार डाला। अर्जुनको यह बात सहन नही हुई थी। उसका प्रण था कि यदि मुझे दोनो हाथोमे धनुष चलाना न आया तो मैं धनुर्घारी कैसा ? गीतामे भगवान्ने अर्जुनसे कहा है कि "निमित्त मात्र" हो। परतु उसके साथ 'सव्यसाचिन्' का विशेषण लगाया है। निमित्त मात्र हीके मानी है कि दोनो हाथोसे काम करे। प्रभुके हाथका शस्त्र बन रहना साधारण बात नही है। जो अपनी सपूर्ण शक्तिका उपयोग करेगा वही प्रभुके हाथका शस्त्र बन सकेगा। वह मुरली, अपना अहभाव ही भूल गई। जली, बदनके आरपार छेद हो गए, उसी दिन प्रभुका चुबन नसीब हुआ। सौ फीसदी काम करनेका व्रत लेनेवाले ही सच्चे निरहकारी हैं। कम काम करके प्रभुकी सहायता मागनेवाले अब अहकारी हैं।

ह० से०, ११ मई १९३५

६—तिल-गुड़ लो, मीठा बोलो

गत वर्ष ता० २५ दिसबरको, अर्थात् महात्मा ईसाकी पुण्यतिथिको, मैं यहा आकर प्रस्थापित हुआ। मेरे मन इस वर्ष भरमे मैं कुछ भी नही कर पाया। हमने हजारो वर्षोंतक हरिजनोपर जो जुल्म किए हैं, वे यदि तराजूके एक पलडेपर रक्खे जावे, और दूसरे पलडेपर हमारी सेवा रक्खी जाय, तो वह 'शून्य' के बराबर ही रहेगी।

हम स्वयं कायर, शूद्र, असमर्थ और अत्याचारी हैं। हमें तो अभी अपना कार्य प्रारंभ करना है। इसीलिए आज सत्क्रांतिका त्यौहार मनाया जा रहा है। “तिल-गुड लो और मीठा बोलो।” मीठा बोलना कम-से-कम है, जो मनुष्य कर सकता है। कुछ न दे, परंतु मीठा तो प्रत्येकको बोलना ही चाहिए। मैंने भी मीठा बोलनेके सिवा वर्षभर कुछ नहीं किया। मुझसे पहलेसे, लगभग ५० वर्षसे, महात्माजीने हमें क्या सिखाया? हमें मीठा बोलना सिखाया। ‘हरिजन’ के मीठे नामका शोध लगानेसे ही, उन्होंने अपने मीठी वाणीका प्रारंभ किया। मेरी यह श्रद्धा है कि मंत्रसे साप उतर जाता है। ‘हरिजन’ शब्दमें गुंथे हुए मंत्रने परिस्थितिमें कितना अंतर पैदा कर दिया। सब प्रांतोंसे पिछड़ा हुआ मद्रास, जहां अछूतको २८ फीट दूर खड़ा किया जाता है, और जहां उसकी छाया से भी छूत मानी जाती है, वहां भी इस महामंत्रकी मिठासका प्रभाव दीख पड़ता है।

जिस देशके पुरुष इतने पीछे हो, वहांकी स्त्रियां कितनी पिछड़ी होगी? परंतु जब गुरुवायूरके मंदिरके द्वार अछूतोंको लिए खुले रहनेके विषयमें मत लिये गए, तब १००० स्त्रियोंने मत दिया कि वह मंदिर हरिजनोंके लिए खोल दिया जाय। यही तो मंत्रका प्रभाव है।

जब हम हृदयसे मीठा बोलना सीखने लगते हैं, तब हमारा व्यवहार भी मीठा होने लगता है। इसी तरह मैंने अभी कुछ भी नहीं किया, मेरी सेवाका अभी श्रीगणेश भी नहीं हुआ, तो भी मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाता हूँ कि मेरा तुमपर प्रेम है। मैंने भेद-भाव नहीं रक्खा। मेरी मा, यद्यपि पुराने जमानेकी थी, परंतु उन्हें अस्पृश्यता रूचती न थी। मेरा जन्म असल ब्राह्मण-परिवारमें हुआ है। आज ब्राह्मण होना पापरूप हो गया है। तो भी मुझे शर्म नहीं मालूम होती। राम तो सब ओर रम रहा है। भेद-भावका अभाव, यह मेरी कमाई नहीं है। यह तो मा ‘गीता’का प्रसाद है। आज भी मुझे, ‘काली कमली ओढ़े और लंगोटी लगाये हुए, ईंटपर, महारूपमें खड़ा हुआ ‘नारायण’ दीख पड़ता है। यही क्यों, जब गावके छोटे-छोटे हरिजन बालक, मेरी कुटियाके पास आकर ऊधम करते हैं, गडबड मचाते हैं, तब मुझे ऐसा मालूम होता है,

कि स्वयं भगवान् विट्ठल आकर मेरे साथ छेड-छाड कर रहा है। उन बालक-बालिकाओंमें मुझे प्रत्यक्ष नारायण दीख पडता है। मैं तुम्हें यह कैसे बताऊँ, कि तुम मुझे कितने प्यारे हो।

ह० से०, फरवरी १९३५

७—हमारी मूर्ति-पूजा

जो सब ओरसे तुच्छ माना जाता है, जिसके न स्थान होता है न सम्मान, जिसकी अवहेलना, जिसका तिरस्कार दुनिया करती है उसे भगवान् अपने हाथो लेता है। उसे वानर चाहिए, ग्वाले चाहिए, निरभिमानी मावले चाहिए। परन्तु अब आप मावले नहीं रहे। हम बडे हैं, महाशय हैं। ईश्वरको यह नहीं चाहिए। जिन्हें गालिया मिल रही हैं, जो परित्यक्त हैं, ऐसे चुने हुए लोगोको लेकर भगवान् अपना काम कर लेगा। यदि हम चाहते हो, कि प्रभुका कार्य हमारे हाथो हो, तो—

करि मस्तक ठंगणा । लागे संतांचा चरणा ॥

यानी, “मस्तक नीचा करो, इतना नीचा कि वह सतोके चरणो पर जा लगे।” यह हमे सीख लेना चाहिए। जो वर्षा हो रही है, उसे रोकने के बजाय उसका उपयोग करना चाहिए।

कई बार मेरे मनमे आया है कि मैं गावोमे घूमता फिरू। जेलसे छूटते समय भी यही विचार था। परन्तु आज तो परिस्थिति ही भिन्न है। मुझे उसका भी दुख नहीं। जो स्थिति प्राप्त होती है, उसमे मेरे आनदका निवास होता है। मेरे पैरोको गति कब मिलेगी, कह नहीं सकता। एक बार गति मिली कि वह ठहरेगी, ऐसा भी नहीं दीखता।

गावोमे हमारे व्यक्ति घूमते रहने ही चाहिए। अस्पृश्यता धार्मिक हलचल है। वह कोने-कोनेमे पहुचनी चाहिए। गाधीजी देशभरमें घूम लिये—इतना ही काफी नहीं। हजारो उस कामको अपने कधोपर ले लें। व्याख्यान नहीं, आहुति दीजिए।

गावोंकी जनता महादेव है—वह स्वयंभू महादेव है। वह गावोंहीमे

रहेगा यदि तुम इस महादेवके पूजक हो तो तुम्हे उसके पास जाना चाहिए। बीस-बीस गाव ले लिए और लगातार घूमने की घूम मचा दी। भक्तसे जब भगवान् लक्ष्मीनारायणके मंदिरकी एक हजार प्रदक्षिणा करनेके लिए कहा जाता है तब उसमें भक्तको कुछ अनुचित नहीं मालूम होता। तो फिर जनता रूप महादेवके पूजनमें भी भक्तका वह उत्साह क्यों न होना चाहिए? देवता की एक प्रदक्षिणा करके भक्त एक बार देवताका दर्शन करता है और फिर दूसरी बार प्रदक्षिणाके लिए चल देता है। फिर दर्शन, फिर प्रदक्षिणा, यही उसका क्रम होता है। जनसेवकोको भी चौदह दिनोंमें चौदह गावघूमने चाहिए। पंद्रहवें दिन प्रधान केन्द्रमें अपनी जानकारी देनी चाहिए। और फिर दक्ष होकर प्रदक्षिणापथमें लगना चाहिए। भक्त जब प्रत्येक परिक्रमा में प्रभु-मूर्ति की ओर देखता है, तब उसके हृदय पर मूर्ति खिचती जाती है, हृदयपर जमती जाती है, उसका 'स्वरूप' ध्यानमें आता जाता है। स्वरूप ध्यानमें आते ही यह समझमें आता है, कि इस देवताकी भक्तिका पथ क्या है, पूजाकी सामग्री क्या है। उस समय यदि मैं भक्त होऊ तो देवतासे एक रूप हो जाता हूँ। मेरा हृदय देवताके हृदयसे मिल जाता है। तभी देवताकी कृपा होती है; उसका अनुग्रह होता है।

लोक-सेवा हमारी मूर्ति-पूजा है। ५-२५ गावोका सग्रह हमारा महा-मन्दिर है। गावोंमें क्या-क्या है, उसकी हम फेहरिस्त बना ले, मनपर भी, कागजपर भी। फेहरिस्त हम जन-सेवकोको दे दे, वे देवताका स्वरूप समझ ले। जान ले, वह दिगबर हो गया है, धूल लिपट रही है, सिरसे पानी बहता है, केवल बल ही उसके पास संपत्ति रह गई है और जगलका निवास। जनसेवक जान ले कि देवताका स्वरूप क्या है, चेहरा कैसा है, भाव कौन-में है, उसकी रुचि और अरुचि की वस्तुएं क्या हैं और उसका नैवेद्य क्या हो गया है और उसपर कौनसे पुष्प चढ़ते हैं। परिचय हुए बिना पूजा न बनेगी। ऐसा न. करनेपर शिवपर तुलसी होगी, विष्णुपर बेल-पत्र ॥ देवपूजामें जल्दबाजी नहीं चलती। तुम्हें सीधता हो, पर देवताको जल्दी नहीं पड़ी। वह शांतिका अवतार है। उसपर इकट्ठा घडा उडेलनेसे काम नहीं चलेगा,

उसे तो बिन्दु-बिन्दुकी चाह है। एकदम उडेलनेकी अपेक्षा वह तो सतत धारा जारी रखनेसे ही प्रसन्न होता है।

ह० से०, ६ अप्रैल १९३४

८—मृत्युरूपी वरदान

सचमुच मृत्यु ईश्वरकी ही देन है। जब हमारे निकटतम नातेदार, मित्र, कोई भी हमे दुखोसे नहीं बचा पाते, तब वही छुटकारा देती है। मृत्युमे जो दुख माना जाता है, वह वास्तवमे जीवनका दुख है। रोगादिकसे होनेवाला दुख मृत्युका नहीं जीवनके असयमका फल है। मृत्यु तो उनसे हमे छुटकारा दिखलानेवाली है। मृत्युका उनसे संबंध नहीं है।

अतः मृत्युके सिर व्यर्थ मडे जानेवाले इस शारीरिक दुखको बाद दे दिया जाय तो और दो दुख बाकी बच जाते हैं। एक पूर्व-पापोकी स्मृतिसे होनेवाला दूसरा निकटस्थ जनोके विछोहकी आसक्तिसे होनेवाला। पहलेके लिए मृत्यु कैसे जवाबदेह है ? वह जीवनके पापोका फल है। दूसरा मोहका है। यदि हमारा प्रेम सच्चा हो और सेवाकी तडपन हो, तो देह त्यागनेसे हम मित्रोसे दूर नहीं जानेके, बल्कि निकट पहुंचेगे— ठेठ उनके भीतर प्रवेश पायेगे। देहका परदा मौजूद रहते, किसी तरह भी हम इतने अन्दर नहीं जा सकते थे। कितनी ही गहरी सेवा हो वह ऊपरी ही होती है। देहका परदा दूर हो जानेसे अब हम दूसरेकी अतरात्माके घुलमिलकर उसकी सेवा कर सकते हैं। पर सेवा करनी हो तबकी यह बात है। अर्थात् इसके लिए निष्कामता चाहिए।

और एक दुख बाकी बच जाता है। पर वह मृत्युका नहीं हमारे अज्ञानका है। मृत्युके बाद क्या होगा कौन जाने ? हमारे मनकी सद्भावनाके विरुद्ध मृत्युके बाद कुछ होनेवाला नहीं है और कुवासना ही हो, तो जो कुछ बुरा होगा, यह उस कुवासनाका ही फल होगा—यदि ऐसी श्रद्धा, ईश्वरकी न्यायबुद्धिपर, ही तो वह काल्पनिक भय टल जायगा।

सारांश कुल दुःख चार है—

(१) शरीर-वेदनात्मक, (२) पापस्मरणात्मक, (३) सुहृन्मोहात्मक, (४) भावी चिंतात्मक, और उनके चार ही उपाय हैं क्रमानुसार—

(१) नित्यसयम, (२) धर्माचरण, (३) निष्कामता, (४) ईश्वरमे श्रद्धा ।

मृत्युका निरन्तर स्मरण रखना, बुद्धिमे मरण-मीमासा द्वारा नि-शकता लाना और रोज रातको सोनेसे पहले मरणाभ्यास करना, यह तिहेरी साधना करते रहना चाहिए। पहला गीताके १३ वे अध्यायमें ज्ञान-लक्षणमें वर्णित है। उसपर ज्ञानदेवकी व्याख्या सुस्पष्ट है। दूसरा दूसरे अध्यायके शुरु में ही है। तीसरा आठवे अध्यायमे है।

सर्वोदय : १९४१

९—नैष्ठिक ब्रह्मचर्य

मनुष्यजीवन अनुभवका शास्त्र है। उस अनुभवकी बदौलत मनुष्य-समाजका काफी विकास हुआ है। किंतु हिंदु-धर्ममे उस अनुभवका शास्त्र रचकर एक विशिष्ट साधना जारी की, जिसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। अन्य धर्मोंमे भी सयम तो है ही, पर उसे शास्त्रीय रूप देकर हिंदु-धर्मने जिस प्रकार उसके लिए शब्द बनाया वैसा शब्द अन्यत्र नहीं पाया जाता। छोटा रहते वृक्षको अच्छी-से-अच्छी खादकी जरूरत होती है। यो तो पोषण जन्म भर चाहिए, पर कम-से-कम बचपनमे तो वह सबको मिलना ही चाहिए। इस दृष्टिसे हिंदु-धर्मने ब्रह्मचर्य-आश्रमको खडा किया। पर आज मैं उस आश्रमके सबधमे नहीं, ब्रह्मचर्य-वस्तुके सबधमे कहनेवाला हू। अपने अनुभवसे मेरा यह मत स्थिर हुआ है कि यदि आजीवन ब्रह्मचर्य रखना है तो ब्रह्मचर्यकी कल्पना अभावात्मक (Negative) नहीं होनी चाहिए। विषय सेवन मत करो, कहना अभावात्मक आज्ञा है, इससे काम नहीं बनता। सब इन्द्रियोकी शक्तिको आत्मामे खर्च करो, ऐसी भावात्मक (Positive) आज्ञाकी आवश्यकता है। ब्रह्मचर्यके सबधमे, यह मत

करो, इतना कहकर काम नहीं बनता। यह करो, कहना चाहिए। ब्रह्म अर्थात् कोई भी बृहत् कल्पना। कोई मनुष्य अपने बच्चेकी सेवा उसे परमात्म-स्वरूप समझकर करता है, और यह इच्छा रखता है कि उसका लडका सत्पुरुष निकले, तो वह पुत्र ही उसका ब्रह्म हो जाता है। उस बच्चेके निमित्तसे उसका ब्रह्मचर्य पालन आसान होगा। माता बच्चेके लिए रात-दिन कष्ट सहती है फिर भी अनुभव करती है कि उसने बच्चेके लिए कुछ न किया। कारण, बच्चेपर उसका जो प्रेम है उसकी तुलनामें वह जो कष्ट उठाती है वह उसे बहुत अल्प मालूम होता है। उसी प्रकार ब्रह्मचारी मनुष्य का जीवन तपसे—सयमसे—ओत-प्रोत रहता है। पर उसके सामने रहने-वाली विशाल कल्पनाके हिसाबसे सारा सयम उसे अल्प ही जान पड़ता है। इन्द्रिय-निग्रह में करता हूँ ऐसा कर्तारि प्रयोग न रहकर इन्द्रिय-निग्रह किया जाता है। हिंदुस्तानकी दीन जनताकी सेवाको ध्येय बनानेवालेके लिए वह सेवा उसका ब्रह्म है। उसके लिए वह जो करेगा वह ब्रह्मचर्य है। सधेपमे कहना हो तो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य पालनेवालेकी आँखोके सामने कोई विशाल कल्पना होनी चाहिए तभी ब्रह्मचर्य आसान होता है। ब्रह्मचर्यको मैं विशाल ध्येयवाद और तदर्थ सयमाचरण कहता हूँ। यह ब्रह्मचर्यके सबधमे मैंने मुख्य वस्तु बतलाई। दूसरी एक बात कहनेको बच जाती है, वह यह कि जीवनकी छोटी-छोटी बातोमे भी नियमनकी आवश्यकता होती है। खाना, पीना, बोलना, बैठना, सोना इत्यादि सब विषयोमे नियमन चाहिए। मनचाही चाल चले और इन्द्रिय-निग्रह साथे यह आशा व्यर्थ है। षडेमें तनिकसा छेद हो तो भी वह बेकार हो जाता है। उसी प्रकार जीवनमें छिद्र नहीं होना चाहिए।

ग्राम-सेवा-वृत्त ४-८

१०—सूत्र-मनन और पुराण-श्रवण

कागज नपा हुआ मिलता है। एक ही ओर लिखना रहता है, छपे हुए हाशियेसे बाहर जाना नहीं है। हर कागजका सिरा—तिहाईसे भी

ज्यादा—जेलकी मुहर ले लेती है। इतनी मर्यादाभे रहकर पूरे समाचार लिखनेकी दो युक्तियाँ हैं—(१) सूक्ष्माक्षर और (२) स्वल्पाक्षर। पहलीके लिए तेज नजर और कजूस दिल चाहिए। यहाँ दोनोंका अभाव है। तब बाकी रही दूसरी युक्ति, उमसे खूब काम लिया जा सकता है। स्वल्पतम कहिए कम-से-कम, अर्थात् शुन्याक्षरोमेंसे अनन्त अर्थ दिया जा सकता है। मैं यह सदा ही करता हूँ। पर बहुतोके लक्ष्यमें यह नहीं आता। वे कहते हैं कि मैं कुछ भी लिखता-लिखाता नहीं हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं अनन्त लिखता हूँ, शिकायत करनेवाले लोग समझते कैसे नहीं हैं ?

स्वल्पमतको जाने दीजिए। पर स्वल्पाक्षरोमें अपार अर्थ भरनेके कुछ उदाहरण साहित्यमें हैं। इनमें भगवद्गीता सर्वपरिचित उदाहरण है। गीतामें भी बहुत विस्तार ऐसा है कि जो संक्षिप्त हो सकता है पर गीता तो गीता ही जो ठहरी। गीतामें गानेवालेके पसंदके अलावा और ठेका बार-बार आना ही ठहरा। लेकिन योग सूत्रोका उदाहरण इस सवधमें आदर्श कहा जा सकता है। कुल १९५ सूत्रोमें चित्त-वृत्ति-निरोधका संपूर्ण शास्त्र कह डाला गया है। इतने अन्धाक्षरोमें पतजलिनै अपना सारा जीवन भर दिया। बाईससौ वर्षोंसे यह छोटा मणि-दीप अपने मूल्यके तेजमें ज्योका-त्यो प्रदीप्त है।

इससे विपरीत, पुराणोकी वृत्ति है। उम कहावतके अनुसार कि “खोदा पहाड, निकली चुहिया” पुराणोका चिन्तन विहित नहीं है, उसका श्रवण विहित है। अर्थात् सिर्फ सुनने-सुननेसे काम है। याद रखनेकी जिम्मेदारी नहीं। उलटे, जितना भुला सके उतना खुशीसे अरे जरूर भुला दे। इननेपर भी कुछ सस्कार मनपर रह ही जायेगे। वही उसका काम है। बहुजन-समाजको, कोई कष्ट दिये बिना, सस्कार पहचानेके लिए पुराणोका जन्म है। इन दिनों मैं खाडण (रूई निकियानेका एक प्रकार) करते-करते समाजवादका श्रवण करता हूँ। सर्व-सामान्य समाजवादी-साहित्यकी शैली पुराणसे मिलती-जुलती है। भारवत्ता और स्वल्पसार-व, पुनश्चितकी अपार शक्ति और समाज सेवाकी उतनीही तडफडाहट समाजवादी साहित्यकी

यही विशेषता है। इस सबधमे संस्कृतके पुराण ही उसकी समता कर सकते हैं। समाजवादी साहित्यके इस गुणके कारण बुद्धिपर बिना कोई जोर पड़े समाजवादका मुझे ज्ञान मिलता रहता है। और खाडग निर्बाध—बे-खटके चलता रहता है।

ग्राम सेवा-वृत्तसे

११—ग्राम-सेवा-शास्त्रकी एक कलम

देहातोकी सेवाके शास्त्रका दिन-पर-दिन चिंतन कर रहा हू। कई बातें निश्चित हो चुकी हैं, कई अभी होनी बाकी हैं। देहातोके सेवाके शास्त्रकी एक कलम (धारा) निश्चित है—“कम-से-कम आठ घटे शरीर परिश्रम और वह भी आजकी परिस्थितिमे राष्ट्रीय जीवनमें पड़े हुए गड़बड़ेको पाटने के लिए।” और कलमे इसी तरह निश्चित हो रही है। एक-एकपर ही अमल करना शुरू कर दोगे, तो निर्णय हो जायगा।

शरीर-परिश्रमके फलस्वरूप जडता पैदा होनेका डर मुझे नहीं है। विचारोकी भाफ जब अदर-ही-अदर बन्द रहती है, तो चिंतनके लिए यथेष्ट अवकाश मिलता रहनेके कारण उलटे तीव्रता बढती है, ऐसा अनुभव हो रहा है। अगर योगपूर्वक काम किया जाय, तो शरीर कमजोर होनेका कोई सबब नहीं है। बल्कि बलवान् होनेके लिए यथेष्ट कारण है। आठ घटे काम करनेपर भी चार-पाच घटे अवातर सेवाके लिए बाकी रहते हैं। आठ घटेका शरीर-परिश्रम एक बडी भारी सेवा साबित होती है। वक्तृत्व उतना वाग्पटु नहीं है, जितना कि उदाहरण है। और अगर वक्तृत्वकी सहायताको जरूरत ही रहती हो, तो ठीक उसी तरह रहती है जैसे कि एकके अकको शून्यकी होती है। उतनी मदद ली जा सकती है।

हिदुस्तानका आजका सबसे मुख्य रोग है आलस। उसे महारोग भी कह सकते हैं। इसकी रामबाण औषध है उद्योगी मनुष्यका जीता-जागता उदाहरण और सगति। हम निरंतर उद्योग करते रहकर उसे व्यवस्थित

हिसाबी वृत्तिसे सफल बनाकर, अपनी कृति और सगतिसे और साथ-साथ समझा-बुझाकर उस रोगका निवारण कर सकते हैं ।

इसलिए (१) उद्योग चाहिए, (२) वह निरंतर चाहिए, (३) वह हमारे जीवनमें घुल-मिल जाना चाहिए, (४) उसीपर हमारे जीवनका आधार होना चाहिए, (५) सारे बाहरी आधारका त्याग करना चाहिए, (६) उद्योग व्यवस्थित चाहिए और (७) उसकी सफलता सिद्ध होनी चाहिए ।

जबतक इतनी बातें नहीं होंगी, तबतक देहाती जनतामें हमारे कार्यका प्रवेश नहीं होगा, चाहे हमारे शरीरका भले ही हो ।

लोक-संग्रह या सेवाकी गलत, मोहक और त्वरित कल्पनाके चक्करमें पड़कर नाना उद्योग अथवा व्यवसाय अथवा ढोंग या रग-डग खड़े करनेसे एक क्षणके लिए लोगोकी भीड़ लगी हुई दीख पड़ेगी । लेकिन वह कार्यकारी नहीं होगी ।

ग्राम-सेवा-वृत्त : भाग १९४१

१२—गावका आरोग्य

उस दिन पवनारका एक लडका मुझे रास्तेमें मिला । बोला, “मुझे खुजली हो गई है, कोई उपाय बताइए ।” मैंने उसे थोड़ेमें बतला दिया, रोज सबेरे गायका ताजा मट्ठा पीए जाओ, इससे तुम्हारा रोग जाता रहेगा । गावके मेरे सारे अनुभवका यह निचोड़ है कि गायका ताजा मट्ठा गावके लिए एक भारी तारक (तारनेवाला) तत्त्व है । इसके लिए मैंने एक संस्कृत सूत्र बनाया है—

तर्कं तारकम्—

गावमें खाज-खुजली, दाद इत्यादि चर्म रोग छोटे बच्चोंसे लगाकर बूढ़ोंतक सबको दिखाई देते हैं । मुझे इसके जो जकारण जान पड़े, वे उपाय सहित बतलाता हूँ—

(१) गंभी रहन-सहन—और उसमें भी नहानेकी लापरवाही । रोज न नहानेवाले भी हैं । लेकिन जो रोज नहानेवाले हैं उनका भी नहाना

‘नहाना’ नहीं कहला सकता। नहाना तो पूरा नहीं होता, अलबत्ता ‘भीगे कान और हुए असनान’ की कहावत पूरी होती है। सारे बदनको रगड़कर नहानेकी कौन कहे, पूरा बदन गोलातक नहीं करते। इसलिए घरमे परदेदार नहानेकी जगह चाहिए जहा नगे होकर नहानेकी आदत और रिवाज डालना सिखाया जाना चाहिए। गुप्त अगोको अच्छी तरह मलकर घोना चाहिए। यह सार्वत्रिक शिक्षणका विषय है।

(२) पौनेका साफ पानी—खासकर नदी किनारेके गावोमे और उसमे भी बरसातके दिनोंमे लोग जो पानी पीते है वह बहुत ही गन्दा होता है। इसका साधारणसे साधारण उपाय पानीको औटाकर पीना है। हरिजन बस्तियोमे तो स्वच्छ पानी नसीब ही नहीं होता। हरिजनोके पानीका सवाल बिलकुल सामान्य भूतदयाका सवाल है। ऐसे मामूली सवालकी ओरसे जो समाज आखे मूदता है वह स्वराज्यके लायक कैसे समझा जा सकेगा।

(३) भोजनकी कमी और भूलें—इस शीर्षकमे तीन मुख्य दोष आने है। इन्हें मैं गावके आहारके त्रिदोष कहा करता हू—

(अ) भोजनमे भूल कहिए सडी-घुनी चीजोका उपयोग। गावमे मास और मछली जो मोल लेकर खाई जाती है, वह बहुत करके ‘सडी’ ही कहनी चाहिए। गावोमे मजदूरोको जो अनाज मिलता है वह प्राय घुना और रही मिलता है। देहातके महाजनोको इस ओर ध्यान देना चाहिए।

(आ) गावके आहारमे जो एक जबरदस्त कमी है, वह है रोजके भोजनमे तरकारीका अभाव। तरकारीके महत्वपर ज्यादा लिखनेकी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी जरूरत तयशुदा चीज हो गई है। किसानोकी खुराकमे किसी किसी मौसममे तो तरकारीका नाम भी नहीं होता। कहनेवाले तो नाजसे चीगुनी तरकारी खानेकी बाततक पहुचते है। मैं यह नहीं कहूंगा। उलटे मैं तो मानता हू कि तरकारीकी मिकदार साधारणतः कम ही ठीक है, तथापि हर रोज आदमी पीछे दस तोला तरकारी तो किसानके भोजनमें जरूर ही होनी चाहिए।

(इ) भोजनमें दूसरी कमी है गायके मट्ठेकी, जिसका जिक्र लेखके शुरू ही में किया गया है। रोजकी खुराकमें कुछ-न-कुछ पाचक अम्ल-तत्व होना जरूरी है। गायका ताजा मट्ठा, यह थोड़ी कोशिकासे सबको रोज मिल सकने लायक उत्तम अम्ल है। इसके सिवा दूधका सारा ओज (प्रोटीन) मट्ठेमें है। खनिज लवण भी उसमें भरपूर है। अगर कम-से-कम पावभर मट्ठा किसानको रोज मिल जाय तो वह कई रोगोंसे बचा रह सकता है।

थोड़ी मेहनत करनेपर इतना-सा मट्ठा मिलना मुश्किल नहीं है। पर मिलेगा तभी, जब उसके लिए मेहनत की जायगी।

ग्राम सेवा वृत्तसे

१३—गंभीर अध्ययन

अध्ययनमें लबाई-चौड़ाई महत्वकी चीज नहीं है, महत्व है गंभीरताका। बहुत देरतक घटोके घटे और भाति-भातिके विषयोका अध्ययन करते रहनेको मैं लबा-चौड़ा अध्ययन कहता हूँ। समाधिस्थ होकर नित्य-निरंतर थोड़ी देर किसी निश्चित विषयके अध्ययनको मैं गंभीर अध्ययन कहता हूँ। १०-१२ घंटे सोना, पर करबटे बदलते रहना या सपने देखते रहना—ऐसी नीदसे विश्रान्ति नहीं मिलती। बल्कि ५ ही ६ घंटे सोवे किन्तु निद्रा गाढ हो तो इतनी नीदसे पूर्ण विश्रान्ति मिल सकती है। यही बात अध्ययनकी है। समाधि अध्ययनका मुख्य तत्व है।

समाधि-युक्त गंभीर अध्ययनके बिना ज्ञान नहीं। लबा-चौड़ा अध्ययन बहुत कुछ फालतू ही होता है। उसमें शक्ति का अपव्यय होता है। अनेक विषयोपर गाडी भर पढाई पढते रहनेसे कुछ हाथ नहीं लगता। अध्ययनसे प्रज्ञा, बुद्धि स्वतन्त्र और प्रतिभावान होनी चाहिए। प्रतिभाके माने हैं बुद्धिमें नए-नए कोपले फूटते रहना। नई कल्पना, नया उत्साह, नई खोज, नई स्फूर्ति ये सब प्रतिभाके लक्षण हैं। लबा-चौड़ी पढाईके नीचे यह प्रतिभा दबकर मर जाती है।

वर्तमान जीवनमें आवश्यक कर्म-योगका स्थान रखकर ही सारा अध्ययन करना चाहिए । अन्यथा भविष्य जीवनकी आशामें वर्तमान कालमें भरने जैसा प्रकार बन जाता है । शरीरकी स्थितिपर कितना विश्वास किया जाता है यह प्रत्येकके अनुभवमें आनेवाली बात है । भगवानकी हम सबपर अपार कृपा ही समझनी चाहिए कि हममें वह कुछ-न-कुछ कमी रख ही देता है । वह चाहता है कि यह कमी जानकर हम जागृत रहें ।

दो बिंदुओंसे रेखाका निश्चय होता है । जीवनका मार्ग भी दो बिंदुओंसे ही निश्चित होता है । हम हैं कहा यह पहला बिंदु, हमें जाना कहा है यह दूसरा बिंदु । इन दोनों बिंदुओंका तै कर लेना जीवनकी दिशा तै कर लेना है । इस दिशापर लक्ष्य रखे बिना इधर-उधर भटकते रहनेसे रास्ता तै नहीं हो पाता ।

साराश, 'अल्प मात्रा सातत्य, समाधि, परमावकाश और निश्चित दिशा' यह गभीर अध्ययनका सूत्र है ।

ग्राम सेवा वृत्त से

१४-निसर्ग-सेवनकी दृष्टि

तुम सब आजकल निसर्गकी उपासनाका आनन्द ले रहे हो । हवाखोरीकी कल्पना निसर्गके पूरे-पूरे फायदे हासिल करने नहीं देते । इसलिए केवल उतनी ही कल्पना न रखते हुए उसके साथ-साथ दूसरी भी व्यापक कल्पना की जाय तो ऐसे स्थान हरि-दर्शन करा सकेंगे । पहाड़, नदी आदि स्थानोंमें शिमला, महाबलेश्वर इत्यादि विलास-स्थानका निर्माण करनेमें ईश्वरका अत्यंत अपमान है । हमारे पूर्वज इस प्रकार अपमान नहीं करते थे । इसलिए निसर्ग देवताकी कृपासे उन्हें आध्यात्मिक लाभ होता था ।

वैदिक ऋषि, उपनिषद्, गीता, योगशास्त्र, सन्तोंके अनुभव इन सबोंमें एकांत सेवन और निसर्ग परिचयके अनेक विघलाभोका वर्णन है । . . मनुष्य समाजके अति प्राचीन ग्रन्थसे एक वचन यहां उद्धृत कर रहा हूँ।

‘उपवहरे गिरीणाम् । संगमे च नवीनाम् ।’ धिया विप्रो अजायत ।—

ऋग्वेद

इस मन्त्रका ऋषि ‘वत्स काण्व’ हैं । छन्द गायत्री । देवता इद्र † इद्र याने परमात्मा । उसीको इस मन्त्रमे ‘विप्र’ याने ‘जानी’ कहा है । वह कहा और कैसे प्रकट हुआ (‘अजायत’—जन्म लिया, प्रकट हुआ) यह इस मन्त्रमे कहा है । ‘पर्वतोकी कदराओमे और नदियोके सगमपर ध्यान-चिंतनसे (‘धिया’) ज्ञानीका जन्म हुआ । ”

ज्ञानी पुरुषका जन्म किस स्थानपर हुआ और वहा क्या करनेसे हुआ, ये दोनों बातें इस मन्त्रमे हैं ।

ग्राम-सेवा-वृत्त

१५—अतिथिको देव क्यों मानें ?

जिन-जिनका हमपर उपकार है उन-उनके विषयमे देव-भावना रख-कर उनकी सेवा करना और उनके ऋणसे चाहे थोडा ही क्यों न हो, मुक्त होना हमारा धर्म है । मातृ-देव, पितृ-देव और आचार्य-देव, ये तीन देव माननेकी बाततो आसानीसे समझमे आ जाती है । उनके हमपर बडे उप-कार है । उसी प्रकार समाजका भी हमपर बडा एहसान है । हम समाजकी अनंत प्रकार की सेवा लेते ही रहते हैं । इसलिए समाजको देवता मानकर बदलेमे उसकी सेवा करना हमारा धर्म हो जाता है । हमे अपने घर आनेवाले अतिथिको समाज का एक प्रतिनिधि समझना चाहिए । अतिथिके रूपमे समाज हमसे सेवा माग रहा है, हमारी यह भावना होनी चाहिए । समाज केवल अव्यक्त है—अत ‘अतिथि-देव’का अर्थ है ‘समाज-देवता’ । समाज अव्यक्त है, अतिथि व्यक्त है । समाजकी अतिथि व्यक्त मूर्ति है । अतिथिकी भाति दीन, दु खी, पीडित, रोगी इत्यादिकी सेवा करना भी समाज-पूजाका एक अंग है । दरिद्रनारायण भी एक महान् देवता है । उनका हमपर वह उपकार है जिसका कभी बदला नही चुकाया जा सकता ।

ग्राम-सेवा-वृत्त

१६—भगवान् दीनबंधु हैं

प्रभुको चिंता सबकी रहती है, पर विशेष चिंता उसे दीनोकी होती है। और लोग प्रभुके भी है, पर दीन प्रभुके ही है। औरोका आधार भी और होता है, किन्तु दीनोका तो आधार दीनदयाल ही होता है। समुद्रके बीच जहाजके मस्तूलसे उड़े हुए पछीको मस्तूलके सिवा और ठिकाना कहा हो सकता है ? उससे हटकर वह कहा रह सकता है ? दीनका चित्त प्रभुसे छूटे भी तो किससे लगे ? इसलिए दीन प्रभुके कहलाते हैं, प्रभु दीनोका कहलाता है। दीनताका यही वैभव देखकर कुतीने उस समय जब उसे प्रभुने वर मागनेको कहा, दीनता मागी। कोई कह सकता है, कि प्रभु तो देता था कटोरीमें, पर अभागिनीने मागा दोने में। फूटी कटोरीसे साबित दोना सौ दर्जे अच्छा।

कदाचित् कोई तार्किक बीचमे ही पूछ बैठे कि, तो फूटी कटोरीकी बात क्यों ? मैं स्पष्ट कहूंगा कि नहीं, पानी पीनेकी दृष्टिसे तो साबित दोने और साबित कटोरीका मूल्य समान है, पर अन्दर पैठकर देखे तो वह धातकी कटोरी धातकी वस्तु बन जाती है। कटोरीकी छातीमे एक बड़ी धुकधुकी लगी रहती है—'मुझे कोई चुरा तो नहीं ले जायगा ? दोनेके लिए यह भय असंभव है, अतः वह निर्भय है।

फिर कटोरी और साबितका योग ही मुश्किलसे मिलता है। गमदामके शब्दोंमें, जो बड़ा मो चोर। ऐसे उदाहरण बहुत थोड़े हैं, कि आदमी बड़ा हो और उसपर प्रभु न्यौछावर हो। लगभग ऐसे उदाहरणोका अभाव ही है, और जो कही और कभी दीख पड़े, तो ऐसे कि जन्मका बड़ा, किन्तु बड़प्पन खोकर-अत्यंत दीन होकर—भगवान्के शरण पड़ा हुआ। उसी दिन प्रभुने उसे अपने निकट खींच लिया। राजा बल्लिने जब राजत्वका साज हटाकर मस्तक भुकाया, तब प्रभुने उसके आगनमें खड़े रहना अगीकार किया। गजेन्द्रको जबतक अपने बलका घमंड रहा, तबतक उसने सबकुछ करके देख लिया और जब गर्व गला तब उसे दीनबन्धुकी याद आई। उसी दिनकी कथाका नाम तो 'गजेन्द्र-मोक्ष' है। और अर्जुन ? जिस दिन वह

अपनी जानकारीके ज्वारसे जीवित बाहर आया उस प्रभुने उसके सम्मुख गीता बाची। पार्थका—प्रभुसे ही मतभेद हो गया। बड़ा आदमी जो ठहरा। प्रभुके मतसे उसके मतका सौतियाडाह क्यों न हो? किन्तु बारह वर्षके वनवासने उसे 'महत्ता' से उतारकर 'सतता' की सेवा करनेका अवसर दिया। जब जानकारीपर अधिष्ठित मतके पाव डगमगाने लगे तो उसने निकटस्थ प्रभुके पाव पकड़े। "मैं तो इन्द्रियोका गुलाम हूँ। और मेरा 'मत' क्या? मेरी तो इन्द्रिया चाहे जैसा निश्चय करती है और मन मल्ल उसपर अपनी सही कर देता है। वहा धर्मको देख सकनेवाली दृष्टिका गुजर कहा? प्यारे, मैं तुम्हारे द्वारका सेवक हूँ। मुझे तुम्ही बचाओ।" तब भगवानकी बाचा फूटी—गीता कही जाने लगी। परन्तु गीता कहते-कहते भी श्रीकृष्णने एक बात तो कह ही डाली—'बडप्पनकी बात तो खूब करते हो' गरज यह, कि बडे लोगोमे यदि किसीके, प्रभुके प्यारे होनेकी, बात मुनी जाती है, तो वह उसीकी, जो अपना बडप्पन, अपनी महत्ता एक ओर रखकर छोटे-से-छोटा दीन, निराधार बन गया। तब वह प्रभुका आत्मीय कहलाया। जिसे जगतका आधार है, उसकी जगदाधारसे कैसी रिस्तेदारी? जिसके खातेमे जगतका आधार जमा नहीं रह गया, उसीका बोझ प्रभु अपने कधोपर ढोते हैं।

ह० से० १९३४

वीर सेवा मन्दिर

पुस्तकालय

28 विनोबा

काल न०

लेखक

शीर्षक

विनोबा के विचार